राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ३३वां दिवस [संख्या

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री राम निवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सिंचाई, स्वायत्त शासन, खनिज, खाद्य, आयुर्वेद, पंचायत, कृषि, सामान्य प्रशासन, वन, विकास, श्रम, समाज कल्याण, बडी सिंचाई, परियोजना एवं उद्योग–विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

जनाना अस्पताल, अलवर

८५७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि अलवर का जनाना अस्पताल शीघ्र ही नई बिल्डिंग में शिफट होने वाला है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि अस्पताल के साथ साथ मैंटर्निटी सेक्शन को भी नई बिल्डिंग में ही शिफट करने की योजना है ?

(३) क्या यह सही है कि मैंटर्निटी सैक्शन शहर की घनी आवादी से दूर हो जावेगा और इससे महिलाओं की दिक्कतें बढ जावेंगी ?

(४) क्या सरकार मैंटर्निटी सैक्शन को पुरानी बिल्डिग में ही रखने अथवा उस बिल्डिग में मैंटर्निटी होम बनाने तथा अस्पताल के साथ भी मैंटर्निटी सैक्शन रखने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : (१) जी हां। २ अक्टूबर से जनाना अस्पताल नई बिल्डिग में शिफट हो सकेगा ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

Page No 2

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि महिलाओं को इससे दिक्कतें होंगी । अस्पताल ज्यादा दूर है, तो कम से कम मैटर्निटी सैक्शन जहां पर है वहीं रख दिया जावे, तो क्या दिक्कत है इसमें ?

श्री बरकतुल्लाखां : नई बिल्डिंग बनाई गई थी उस वक्त यह तय किया गया था कि सारी ब्रान्चें इसी नये अस्पताल में रक्खी जावेंगी । इसलिये इस नये अस्पताल में ही उन सब चीजों की व्यवस्था की गई थी । फिर यह शहर से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है । बहुत से केस बाहर दूर देहातों के भी आते हैं । उनको भी बाहर रहने में सहूलियत रहेगी और फिर शहर के बीच रहने वालों को भी वहां तक जाने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नई बिल्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा काम बाकी है ।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद देख कर आया था । दो महीने पहले तब विन्डोज, सेनीटरी फिटिंग्ज और लाइटिंग का इन्तजाम होना बाकी था । अब जो है करीब करीब सब चीजें तैयार हो चुकी हैं । विन्डोज के लिये पर्सनली मैंने इन्टरफियरेन्स किया और अब लाइटिंग का इन्तजाम भी और सेनीटेशन का भी हो चुका है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: डॉक्टर और नर्सों के रहने के क्वार्टर नहीं बने हैं ।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक मेन बिल्डिंग और अस्पताल का सम्बन्ध है वे तैयार हो चुके ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पर रेजीडेन्शियल क्वार्टर डाक्टर और नर्सों के नहीं बने, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बरकतुल्लाखां : अस्पताल में डाक्टर और नर्सों की ड्यूटी लगाई जाती है और रात और दिन डाक्टर और नर्सें अस्पताल में मिलती हैं अपनी ड्यूटीज पर । इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है ।

प्राइमरी हैल्थ सैन्टर

८५८. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर जिले में कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर किस किस पंचायत समिति में कहां कहां हैं ?

(२) क्या पलसाना में ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा डिस्पेन्सरी का भवन निर्माण किया गया है ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इसमें कितने रुपयों की सहायता दी गई है ?

(३) क्या उक्त ग्राम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की ग्राम पंचायत की मांग पर पंचायत समिति पीपराली एवं जिला परिषद् सीकर तथा जिले के विकास अधिकारी द्वारा सरकार को सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): (१) सीकर जिले में इस समय पांच प्राइमरी हैल्थ सेन्टर चल रहे हैं ।

ब्लॉक	जगह
(क) नीम का थाना में	नीम का थाना

(श्री बरकतुल्ला खां)

(ख) लक्ष्मणगढ़	में	लक्ष्मणगढ़
(ग) श्री माधोपुर	में	मुण्डरो
(घ) दांता रामगढ़	में	खाटू श्यामजी
(ङ) धोद	में	कुदान

(२) जी हां। पलसाना में ३५,०००) रु० की लागत का मकान जनता बिना मेडिकल डिपार्टमेन्ट की मन्जूरी के बना रही है सरकार ने इसके लिये कोई सहायता नहीं दी है।

(३) इस ब्लॉक में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की जगह अभी तय नहीं की गई है।

प्रश्न संख्या ८५९

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह।

अनधिकृत बांध, तहसील पाली

८६०. **श्री केसरीसिंह** (पाली): Will the Minister for Irrigation please say:—

(1) Whether Government is aware of the fact that some of the small rivers flowing across Tehsil Pali have been dammed up in an unauthorised manner at a number of places viz.—Gudha Sonigra, Gundoj and Deegai and that the agriculture of several villages lower down viz. Denda, Bala, Dayalpura etc. etc. which depended mainly on the inundation of lands and replenishing of water supply in wells by these streams is bound to be very adversely affected as a result of this ?

(2) Was a complaint lodged with the Panchayat Samiti of Pali on this account by the villagers of Denda, Bala and Dayalpura ?

(3) Is it true that the Vikas Adhikari alongwith the Overseer and some Sarpanchas proceeded to inspect the places where these streams were thus dammed up ? And did he bring his findings to the notice of the Tehsilder requesting him to take immediate action about them ?

(4) What action has been taken to remove the unauthorised block ups ? If not, does Government propose to take immediate action even now before it is too late for this year ?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी): अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन के लिये हमारे पास से कलेक्टर को लिखा गया था क्योंकि यह डेवलपमेन्ट से संबंध रखता था। उनका उत्तर समय पर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसे आगे डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट से पूछा जावे।

श्री केसरीसिंह (पाली): अध्यक्ष महोदय, इसको एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के रूप में पहले रखा गया था। अब तो खैर चौमासा भी निकल गया है। इस साल न सही

(श्री केसरीसिंह)
अगले साल के लिये इसका पूरा प्रबन्ध हो जावे ? इसका विशेष रूप से ध्यान सरकार रखावे तो ठीक है। अब यह चाहे जिस विभाग से सम्बन्धित हो। डेवलपमेन्ट विभाग से भी पूछा गया, तो कहा गया यह रेवेन्यु विभाग वाले कर सकते हैं, वे कहते हैं इरिगेशन वाले करेंगे। भगवान जाने कौन से विभाग की यह चीज है, यह तो अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय करावें। पर यह तकलीफ मिट जानी चाहिये अगले साल, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री दिनेशराय डांगी: वैसे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं, स्वयं पंचायत समिति के प्रधान भी हैं वे, कि इस तरह का काम पंचायत समिति के अन्डर में आता है फिर भी इरिगेशन विभाग को भेजा गया तो हमने कलेक्टर के और डेवलपमेन्ट विभाग के थ्रू भी सूचना मंगाने का प्रयत्न किया था, पर वहां से सूचना हमें नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष: इसमें डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट क्या करेगा ? प्रश्न वर्षा का नहीं है, प्रश्न यह है कि नेचुरल फ्लो को चैक किया जा रहा है। अब इसमें डेवलपमेन्ट विभाग क्या करेगा ? नेचुरल फ्लो में ओब्स्ट्रक्शन्स न हों और होते हैं तो कानूनी तरीके से इसको कैसे रोका जावे यह प्रश्न है, और यह इरिगेशन विभाग के तहत ही आना चाहिये था।

श्री दिनेशराय डांगी : नेचुरल फ्लो हमारे विभाग ने चैक नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: यह तो ठीक है, पर अगर कोई भी करता है तो आपका काम है उसे चैक करिये। कोई बान्ध है, नाला है, कोई उन्हें चैक करता है तो कानून है कोई नाला चैक नहीं कर सकता। आर० पी० सी० में प्रोविजन है, इरिगेशन एक्ट में इस के लिये प्रोविजन हैं, ड्रेनेज एक्ट में प्रोवीजन है। उनका पालन हुआ है या नहीं, यह आप देखिये।

श्री दिनेशराय डांगी : ठीक है, कलेक्टर और इरिगेशन से पूछ कर इसका इन्तजाम किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : पर इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर इनका उल्लंघन हुआ है तो आप उसके बारे में कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या ८६१

श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित)

विन्धियम लाइम स्टोन

८६२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): Will the Mines Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that in Jodhpur Division Vindhian Lime Stone is mostly used for building material as cement is used in other places ?

2. Is it also a fact that the sole monopoly of lime is in the hands of M/s. Keshawa Singh Sheoji Singh and M/s. Gotan Lime Syndicate whose one of the partners is Shri Anand Singh Kachawa who has another lease of Mundwa in the name of his brother-in-law ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

3. Is it also a fact that due to the leases being monopolised by Shri Kachawa and his relative, and the rates not being controlled by any rules, the lease holders are charging abnormal high prices ?

4. How many applications for the grant of limestone leases have been received since January, 1955 to 30th June, 1963 ? Please give a list of the names and the area demanded by them. What action has been taken by the Government on those applications and after how many days ?

5. What steps does the Government propose to take to provide Vindhian limestone and its products to the public at the cheapest rate ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा):—1. No.

2. No. The question is self contradictory. There are three parties holding mining leases at four different places with different partners. Shri Anand Singh Kachawa is a common partner in two concerns.

3. There is no monopoly. The Department is not in the know if the lease holders are charging higher prices.

4. 30 applications were received by the Mining Engineer, Jodhpur for grant of mining leases for Vidhian Limestone during the period from 1st January, 1955 to 30th June, 1963. The list of the applications showing the action taken on them has been placed on the table of the House.

5. In the absence of any complaint, no action by the Government is warranted in the matter.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रश्न नं० १ में बताया कि यह चूना मकानों के काम नहीं आता तो फिर यह किस काम आता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने यह कब कहा ? बल्कि आपने यह कहा कि यह दूसरी जगह सीमेन्ट के काम में आता है ।

श्री रामकिशन (वैर): सीमेन्ट की तरह काम में आता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सीमेन्ट की तरह काम में नहीं आता है । सीमेन्ट का कन्स्ट्रक्शन का ही दूसरा तरीका है और इसका दूसरा है । सीमेन्ट की तरह काम में नहीं आता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जहां मकानों में सीमेन्ट काम में आता है उसकी जगह इसको काम में लेते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां चूना नहीं होता है वहां सीमेन्ट काम में ला सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि यह चूना सीमेन्ट की तरह काम में आता है तो मैंने कहा कि नहीं । इसके अलावा मैंने कहा कि सीमेन्ट के कन्स्ट्रक्शन के दूसरे तरीके होते हैं ।

Page No 6

श्री तेजाराम गहलोत : आपने जो सूची दी है इसमें एक नम्बर पर आगे रिमार्क्स लिखे हैं "Cancelled by Government order."

तो इनको लीज कब स्वीकृत की गयी और उसके केन्सलेशन के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ३० एप्लीकेन्ट्स हैं जो लिस्ट मैंने दी है उसके अन्दर । अब किस व्यक्ति की लीज कब और किस तारीख को और क्यो खारिज की गयी, इसके कारण तो इस समय नहीं बता सकता ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या उप-मंत्री जी बतायेंगे, कि क्या पार्टी नम्बर १ के लिए लीज ग्रान्ट कर दी गयी, उनका रुपया डिपोजिट हो गया और रुपया एक साल तक डिपोजिट में पड़ा रहा और फिर वह केन्सिल की गयी ?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न इससे नहीं उठता । मैं माननीय सदस्यों से पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पहले तो लिस्ट मांगते हैं, फिर लिस्ट के एक आइटम की डिटेल्स पूछते हैं जो कि सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

श्री रामकिशन: यह पूछा गया है कि किन कारणों से केन्सिल की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : यह नहीं और प्रश्न पूछिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपने लिस्ट में ३० नाम बताये और गवर्नमेन्ट को नहीं मालूम है कि एब्नोर्मल रेट पर दे रहे हैं । तो गवर्नमेन्ट को मालूम करना कि किस रेट पर बिक रहा है और सदन को सूचित करना चाहिये कि ये रेट्स हैं और गवर्नमेन्ट उनको एब्नोर्मल मानती है या नहीं । तो गवर्नमेन्ट को इसकी जानकारी करनी चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मालूम किया है ऐसी बात नहीं है; लेकिन हायर रेट्स हों और एब्नोर्मल हायर रेट्स हों, इसकी जानकारी नहीं है । हमारी जो जानकारी है उससे तो हायर रेट्स होना नहीं मानते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या रेट्स है जिनके ऊपर बेचा जा रहा है ?

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन कर दूं कि जब यह लीज एक पार्टी के पास नहीं था उस समय १॥ रुपये मन बिकता था और आज ३॥ रुपये बिकता है और मोनोपोली है एक आदमी की तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की एब्नोर्मल हाई रेट्स हैं कि जो ट्रक पहले २० रुपये एक ट्रक की कीमत थी वह आज ७५ रुपये है ५ टन का ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: लाइम स्टोन १० से १५ के बीच में मिलता है । तो उसकी क्वालिटी और साइज़ के हिसाब से vary करता है; फिर भी १० से १५ तक के भाव से मिलता है । This is according to our information.

श्री तेजाराम गहलोत : यही स्टोन पहले २०) रुपये ट्रक था और आज ७५) रुपये है.........

श्री अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है । सरकार की नीति क्या है और ज्यादा आदमियों को देना या नहीं देना, इस बारे में पूछ सकते हैं ।

Page No 7

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सरकार किस आधार पर देती है ? ४ लीज में से २ लीज आनन्दसिंह जी कछवाहा, सदस्य, विधान सभा के पार्टनरशिप में हैं; तो फिर सरकार कैसे कहती है कि हमने मोनोपोली क्रियेट नहीं की, ४ में से २ तो उनके पास ही है। फिर क्या सरकार इसको मोनोपोली मानती है कि सारी की सारी लीज एक ही आदमी के पास हों ?

श्री अध्यक्ष : This question is not allowed

अब जो भी स्थिति आपके सामने है, माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि ज्यादा पार्टी को देने की नीति है या नहीं, है तो किस तरह से सरकार और ज्यादा दे सकती है; इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन आप इन्डीविजुअल मामले में क्यों पड़ते हैं ?

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह जवाब दिया है कि यह क्वेश्चन कन्ट्राडिक्शन इन इट्सेल्फ है क्योंकि इसमें दो आदमियों का नाम दिया गया है और यह मोनोपोली क्रियेट कर दी गयी है; तो मोनोपोली एक आदमी के पास रहे तो होती है लेकिन मैं कहता हूं कि एक तो उनके ब्रॉदर इन-लॉ के पास है और दो में वे पार्टनर्स हैं....

श्री अध्यक्ष : हम व्यक्तिगत मामलों म नहीं जायें; If he is eligible to hold a license, a licensee has a right to hdd that.

श्री मानिकचंद सुराणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि·····

श्री अध्यक्ष : आप तो गवर्नमेन्ट से इस नीति के बारे में पूछ सकते हैं कि ज्यादा पार्टीज को देने का उनका इरादा है या नहीं और अगर है तो किस तरह से देंगे। Let us go to the bottom of the problem instead of teaching the individuals.

श्री मनिकचंद सुराणा: क्या सरकार दूसरे व्यक्तियों को भी लाइम स्टोन की लीज देने का विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दो पार्टीज को लाइसेन्स देने के संबंध में जो एप्लीकेशन्स हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं अभी भी।

श्री मानिकचद सुराणा: वे कौन-कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष: We will not go in to that.

माननीय उप-मंत्री महोदय बतायें कि इतनी डिमाण्ड हैं और इतनी एप्लीकेशन्स हैं; फिर क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टीज को इसमें लीज न दी जायें; ताकि लोगों को इसके बारे में सहूलियतें हों और इसके बारे में सदस्यों को भी सन्तोष हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार हाउस में उठाया गया था और मैंने यह निवेदन किया था कि हम टुकडों में करके फ्रेगमेन्टेशन नहीं करना चाहते हैं। इसमें माननीय सदस्यों की ओर से यह भी कहा गया था कि दूसरे लोगों को दिया जाये तो मैंने निवेदन किया था कि इसकी एक क्वालिटी ऐसी है कि जो जो फ्यूचर एजेज के लिए अभी भी दूसरे प्रदेशों में और ऑल इन्डिया लेवल पर इस लाइम स्टोन की जरूरत है और इसको अगर हम छोटे टुकडों में बांट कर दे देते हैं तो उसका प्रोपर एक्सप्लोइटेशन नहीं हो सके और नेशनल वैल्थ खराब होगी और जब आवश्यकता पडेगी उस वक्त कोई स्टाक हमारे पास नहीं होगा। इसके लिए ह...

Page No 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कमेटी भी बनाई गई थी १९६० में और उस कमेटी की राय के आधार पर हम इस प्रकार की व्यवस्था करते आ रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष**: कितनी लीज देना चाहते हैं आप ? इसकी क्या कन्डीशन्स हैं जिनके ऊपर कोई भी आदमी ले सकता है, इतना एरिया है, साइन्टिफिक एक्सप्लोइटेशन है इस तरह की कन्डीशन्स आप लगा दें तो any one can Come and have it.

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: १० स्क्वायर मील का एरिया है और राजस्थान के अन्दर अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग है और उसका नोटिफिकेशन बाकायदा अलग प्रकाशित हो चुका है ।

श्री **अध्यक्ष**: यह मामला कई बार आया है और माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हो पाया है । १० मील की जगह है, इसको कम कर दें और साइन्टिफिक दृष्टिकोण रखते हुए कुछ राहत मिलनी चाहिए ।

श्री केदारनाथ ।

(सर्व श्री रामकिशन, योगेन्द्रनाथ हांडा, मानिकचंद सुराणा आदि बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री केदारनाथ, नेक्स्ट ।

श्री **मानिकचंद सुराणा**: अध्यक्ष महोदय, आपने जो आब्जर्वेशन्स दिए उनके ऊपर सरकार क्या सोचती है, उसको वह एक्सेप्ट करती है या नहीं, इसके बारे में सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए ।

श्री **अध्यक्ष**: अस्वीकार करने के लिए न ऑब्जर्वेशन किये जाते हैं और न प्रश्न पूछे जाते हैं ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा**: उनसे, अध्यक्ष महोदय, कोई केटेगोरीकली स्टेटमेन्ट आना चाहिए :

श्री **अध्यक्ष**: उनसे आन्सर डिमान्ड नहीं किया जा सकता ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अगला प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं; नहीं तो मुझे ४ दफा पढना पड़ेगा ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा**: ये १०-१० मील के टुकड़े लाइम स्टोन के·········

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री **अध्यक्ष** Order pease !

श्री **रामकिशन** (वैर): यह मामला बहुत गम्भीर है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री **अध्यक्ष**: नैक्स्ट, श्री केदारनाथ ।

गंगानगर में खांड का कोटा

८९३. श्री **केदारनाथ**: (गंगानगर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर जिले को मासिक खांड का कोटा कितना अलोट किया गया है ? देहातों में कितनी खांड भेजी गई ? वितरण का क्या आधार है ?

(२) क्या यह सही है कि देहातों व शहरों में फर्क रखा गया है ?

Page No 9

(श्री केदारनाथ)

(३) क्या यह सही है कि देहात वालों को ३०–६–६३ तक खांड नहीं दी गई ?

(४) यदि हां, तो क्या इस अव्यवस्था से भविष्य में गन्ने की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) राज्य सरकार ने गंगानगर जिले के लिये २५००) बोरियां (२५० मि० टन) चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया है। जब से चीनी का कंट्रोल लागू हुआ है तब से लेकर ३१ अगस्त, सन् १९६३ तक गंगानगर जिले के देहाती क्षेत्रों में ३८९६ बोरियां वितरित कर दी गई हैं। देहातों में जिलाधीश गंगानगर ने प्रति पंचायत को ३ बोरियां प्रति माह चीनी का कोटा निर्धारित किया है; जिसका वितरण सरपंच द्वारा सम्बन्धित पंचायतों में किया जाता है।

२. जी हां।

३. जी नहीं।

४. प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं फिर जवाब पढ देता हूं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पडेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: कुछ नहीं पडेगा तो भी समय तो जाता ही है।

(१) राज्य सरकार ने गंगानगर जिले के लिए २५०० बोरियां (२५० मि. टन) चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया है। जब से चीनी का कन्ट्रोल लागू हुआ है तब से लेकर ३१ अगस्त सन् १९६३ तक गंगानगर जिले के देहाती क्षेत्रों में ३८९६ बोरियां वितरित कर दी गई हैं। देहातों में जिलाधीश गंगानगर ने प्रति पंचायत को ३ बोरियां प्रति माह चीनी का कोटा निर्धारित किया है, जिसका वितरण सरपंच द्वारा सम्बन्वित पंचायतों में किया जाता है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्योपतसिंह: क्या यह सही है कि खांड के वितरण के विरोध के अन्दर दो पंचायत समितियों ने अपने इस्तीफे सामुहिक रूप से भेजे हैं क्योंकि उनको कम खांड दी गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे पास इस्तीफे नहीं आये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इस्तीफे तो पंचायत मंत्री को गये हैं।

श्री श्योपतसिंह: यह खबर बाकायदा अखबारों में आई है।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री श्योपतसिंह:– यह जो खबर अखबारों में आई है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट म, गांवों में ५-६ बोरी खांड दी है वह गलत है? वहां की पंचायत समितियों न इस्तीफ दिय हैं कि एक एक बोरी खांड दी गई है; उसके बाद नहीं दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : २५०० बोरी खांड का वितरण जो कि गंगानगर जिले के लिये किया गया है, यह क्या जन संख्या के आधार पर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले आपको बताया था कि प्रदेश में जिलों का कोटा ८ हजार टन किया था उस समय जो कन्जम्प्शन था उसके बाद में उसकी पॉपुलेशन क्या है, वहां के टाउन्स की पॉपुलेशन क्या है, वहां के गांवों की पॉपुलेशन क्या है, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोटे का एलाटमेंट किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सारे राजस्थान के लिए ६ हजार टन का कोटा को आपने सारे राजस्थान के लिए एक्सेप्ट किया है और राजस्थान की जन संख्या २ करोड़ है लेकिन पंजाब की जनसंख्या राजस्थान से कम है वहां १४००० टन कोटा मिलता है तो क्या राजस्थान सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि राजस्थान से कम संख्या वालों को जो चीनी मिलती है वह करीब दुगुने से ज्यादा मिलती है। राजस्थान को कोटा ज्यादा मिल सके, क्या राजस्थान सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न यह इस इरादे से किया गया है कि वह बात करें कि हमारे यहां चीनी क्यों कम मिलती है।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस हो चुकी है डिटेल में सदन के सामने सारे वितरण के बारे में।

माननीय सदस्यों के विचार हैं, उनको सरकार समझती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: पंजाब के मंत्री महोदय का बयान बाद में आया है कि उनको १४ हजार टन चीनी मिली है। उनके बयान के पहले हम किस तरह से विरोध कर सकते थे। मंत्री महोदय कहते हैं कि ६ हजार टन फिक्स किया था कोटा और उसको उन्होंने एग्री कर लिया, जब कि जनसंख्या पंजाब की कम है तो स्टेट गवर्नमेंट को मजबूत स्टेप लेना चाहिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने हर मसले पर घुटने टेक देती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें घुटने टेकने का कोई सवाल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह साफ है कि वहां पर १४ हजार टन चीनी मिलती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंजाब वाले पहले से ही कन्जम्प्शन ज्यादा करते रहे हैं। कितने कौन से प्रोविन्स का स्टेण्डर्ड कन्जम्प्शन क्या है उस समय कितनी मिलती रही, यह तो मुझे ठीक पता नहीं है। लेकिन जब कन्ट्रोल होता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। नोर्मल कोर्स में राजस्थान में ११ से १२ टन से ज्यादा नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यहां जो स्मग्लिंग से माल आता है उसकी जानकारी आपको नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा :— पंजाब में जब १४ हजार टन मिलती है तो वहां का कन्जम्प्शन २० के करीब होना चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : काफी शुगर जो स्मग्लिंग से आती रहती है उसकी जानकारी आप पहले कर लें ।

श्री अध्यक्ष : Next Question.

नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें

८६४. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या झुंझुनूं नगरपालिका के ५ सदस्यों ने झुंझुनूं नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ कई गम्भीर शिकायतें लिखित में राज्य सरकार को प्रस्तुत करके उनकी जांच की मांग की थी ?

(२) यदि हां, तो क्या जांच की गई ? जांच की रिपोर्ट में क्या वहां के जिलाधीश ने उन सभी आरोपों को सत्य माना है ?

(३) यदि हां, तो फिर अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) राज्य सरकार ने अध्यक्ष के खिलाफ इतनी गम्भीर शिकायतें आने के बाद भी जांच में इतना अधिक समय लिया इसके क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां । तीन मेम्बरों ने लिखित में शिकायत कर जांच की मांग की थी ।

(२) जांच की जा चुकी है । जिलाधीश की रिपोर्ट क्या है, यह बताना मुनासिब नहीं है ।

(३) शो कॉज नोटिस दे दिया गया है । जवाब आने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, जून नं० २ में मैंने पूछा था कि जांच की रिपोर्ट में क्या वहां के जिलाधीश ने उन सब आरोपों को सत्य माना है ? मैंने यह नहीं पूछा था कि रिपोर्ट क्या है । यदि यह पूछती तो माननीय मंत्रीजी का यह उत्तर देना कि जिलाधीश की रिपोर्ट क्या है, यह बता सकना मुनासिब नहीं था; मैंने यह पूछा है कि रिपोर्ट में इन आरोपों को सत्य माना है कि नहीं; इसका उत्तर दिलवा दिया जाय ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और जब तक शोकाज नोटिस का जवाब नहीं आता है उसका बताना मुनासिब नहीं है । अगर आप हुक्म दें तो मैं पेश कर सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा : यह जो जांच की मांग की है वह कौनसी तारीख को की है ?

श्री बरकतुल्ल खां : जांच के लिये जो मांग की है उसकी एक तारीख तो सितम्बर ६२ के अन्दर लोकल ऑडिट फण्ड की रिपोर्ट आई थी उसकी कॉपी यहां भेजो है । दूसरा जो यह था वह १९-५-६३ को यहां पर शिकायत की गई है । उसके बिना पर कलेक्टर को लिखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो शो कॉज नोटिस है वह किस आधार पर दिया गया है ? उसका क्या आधार है ?

श्री बरकतुल्ला खां : कलेक्टर की रिपोर्ट पर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस शो कॉज नोटिस का सब्स्टेन्स क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नोटिस कब दिया गया है और कब तक उत्तर आने की तारीख उसमें लिखी हुई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : शो कॉज नोटिस के आॅर्डर पर जहां तक मुझे याद है उस पर मेरे दस्तखत हुए हैं, वह करीब करीब १५ दिन के आस पास होता है, और उसके बाद कब डिस्पेच हुआ उसकी सही तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन १५ दिन का टाइम दिया था ।

श्रीमती सुमित्रा : जवाब दीजिये, फाइल को देखकर कि किस तारीख को नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

स्वर्णकारों का पुनर्स्थापन

८६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गोल्ड कंट्रोल रूल्स के लागू होन से जो स्वर्णकार बेकार हो गये हैं उनके पुनर्स्थापन हेतु सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

(२) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वे कराई है कि कितने स्वर्णकारों के परिवारों पर इस कन्ट्रोल आॅर्डर का असर पडा है ?

श्रम-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) गोल्ड कन्ट्रोल रूल्स लागू होने से जो स्वर्णकार बेकार हो गये हैं उनको पुनर्स्थापन हेतु जो राज्य सरकार ने समय समय पर सुविधायें प्रस्तुत की हैं उसके पूर्ण विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) गोल्ड कन्ट्रोल रूल्स के लागू होने से जो स्वर्णकार बेकार हुए हैं उनकी दशा ज्ञात करने के लिये सरकार ने सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एक माननीय सदस्य : कब जारी किये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : अभी इसके संबंध में जो मीटिंग हुई उसके बाद से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो समय समय पर कदम उठाये गये हैं राहत देने के लिए उनका इम्प्लीमेन्टेशन कितना हुआ है, उसकी जांच की गई है क्या ?

श्री भीखाभाई : जो स्टेंटमेंट मैंने दिया था यहां पर उसके बाद में इम्प्लीमेन्टेशन कितना हुआ उसके रिव्यू की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, लेकिन जो मीटिंग बुलाई थी उससे यह पता लगता है कि जो मैंने आंकडे दिये थे कि कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कितने लोगों को रिप्लेसमेंट हुआ था और फीस वगैरह की माफी हुई, छात्रवृतियां हुईं, इन सबका इम्प्लीमेन्टेशन हुआ है । उसका प्रूफ यह है कि कोई शिकायत इस बारे में कोई नहीं आई है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने जो फीस के बारे में कहा था और आपके

Page No 13

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
आर्डर्स जो हैं, उनके इश्यू होने से पहले जिन लडकों से फीस ले ली है क्या वह फीस उनको रिफन्ड कराने की व्यवस्था की है ?

श्री **भीखाभाई** : जी हां, यह निर्णय हो चुका है। उसके आदेश जारी हो चुके हैं। इस प्रकार की तिथि की गोल्डस्मिथ्स एसोसियेशन को खबर दे दी है। इसके बाद में हमने ६ हजार (एक पुस्तिका दिखाकर) ऐसी पुस्तिकाएं छपवाई हैं जिससे कि जानकारी सब लोगों को हो सकती है और माननीय सदस्यों को हो सके, उनको वितरित किया जा चुका है।

श्री **गिरधारीलालव्यास** : स्कूलों में आपकी यह पुस्तिका नहीं पहुंची है। माननीय उप–शिक्षा मंत्रीजी अभी कह रहे थे..

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : पहुंच रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जो जमीन देने के बारे में घोषणा की गई है स्वर्णकारों को, उनके संबंध में नियम जारी कर दिये हैं ?

श्री **भीखाभाई** : अध्यक्ष महोदय, स्वर्णकारों के संबंध में जो जमीन के एलॉटमेंट की नीति निर्धारित की है राज्य सरकार ने उसके अनुकूल जो लैण्ड एलाटमेंट रूल्स, १९५७ हैं उसके अन्दर प्रावधान कर दिया है और वह एमेंडमेंट की कॉपी सभी जगह भेज दी गई है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी विभागों को और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज ऑफिसरों को यह हिदायत की गई है कि सरकारी नौकरियों में सबसे पहले जो स्वर्णकार हैं और क्वालिफाइड हैं उनको स्थान दिया जाय ?

श्री **भीखाभाई** : जी हां।

श्री **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या यह सही है कि जिन स्वर्णकारों को नौकरी दी गई है उनको हटा दिया गया है थोडे ही दिनों के बाद। यदि मैं आपके सामने मिसालें पेश करूं तो क्या सरकार उन पर विचार करेगी ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जिन जिलों में जमीन एलाटमेंट के लिये एवेलेबल नहीं है तो क्या सरकार प्रोजेक्ट एरिया में जहां कि जागीरदारों को जमीन एलॉट कर रही है या नीलाम कर रही है वहां पर स्वर्णकारों को जमीन देना मुनासिब समझेगी ?

श्री **भीखाभाई** : ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिहनगर) : क्या कारण है राजस्थान केनाल एरिया में सरकार जागीरदारों को जमीन दे सकती है और स्वर्णकारों को जमीन नहीं दे सकती ?

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री **गोकुलचन्द** (कठूमर) : स्वर्णकार कौन है, यह मानने का आधार क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Page No 14

देवगढ़ डिस्पेन्सरी

८६६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि देवगढ़ की डिस्पेन्सरी में आसपास की लगमग चालीस हजार जनता को चिकित्सा के लिये आना पड़ता है और वहां केवल चार इन्डोर मरीजों के रहने का स्थान स्वीकृत है ?

(२) क्या यह सही है कि चार मरीजों के रहने के लिए स्वीकृत स्थान के लिये केवल जल्दी कोठरियां ८×८ की बनी हुई हैं ?

(३) चालीस हजार जनता का जिस डिस्पेन्सरी से संबंध जुड़ा है उसमें केवल चार इन्डोर मरीजों के रहने का प्रबन्ध क्या सरकार पर्याप्त समझती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री वरकतुल्ला खां) : (१) जी नहीं, देवगढ़ के २४ मील के फासले····

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: आवाज साफ नहीं आ रही है ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : कई दिन बाद नींद से उठकर आये हैं ।

श्री **बरकतुल्ला खां** : गला खराब हो रहा है ।

(१) जी नहीं । देवगढ़ के २४ मील के फासले पर और भी डिस्पेन्सरी है । देवगढ़ डिस्पेन्सरी में ४ इन्डोर वैड्स मौजूद हैं ।

(२) जी हां ।

(३) यह इन्तजाम काफी है । पिछले साल का एवरेज इन्डोर पेशेन्ट्स का २-२ आया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये ८×८ की कोठरियां दो मरीजों के लिये, क्या आप काफी समझते हैं ?

श्री **बरकतुल्ला खां** : यदि ज्यादा पेशेन्ट्स की तादाद होती तो और सहूलियत की बात होती, अभी तो जो है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इन कोठरियों में चार के रहने की जगह आप फरमाते हैं लेकिन जगह दो के लिये भी काफी नहीं है ।

श्री **बरकतुल्ला खां** : जगह ४ मरीजों की है, लेकिन मरीजों का एवरेज २-२ आया है ।

श्री **अबदुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) आप पूरी केपेसिटी क्या मानते हैं ।

प्रश्न संख्या ८६७

श्री अध्यक्ष : श्री पोहुमल ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल

सरपंचों में बकाया

८६८. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति हिन्डौन में सरपंचों के विरुद्ध कितनी २ रकमें बाकी हैं तथा वे

(श्री श्रवणलाल)
सरपंच कौन कौन हैं और रकम वसूली के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ सरपंचों के नाम से कुर्की भी निकल चुकी है लेकिन वह दबा रखी गई है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) विकास कार्यों के लिये अनुदान पंचायतों को दिया जाता है । जिन पंचायतों ने कार्य शुरू नहीं किये हैं उन्हें नोटिस दिये जा चुके हैं । ऐसी पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं । पंचायत समिति, हिंन्डौन के किसी सरपंच के नाम से कुर्की नहीं निकली है ।

श्री **श्रवणलाल** : मंत्रीजी ने भाग (२) का उत्तर दिया है वह साफ नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि सूची सदन की मेज पर रखदी है लेकिन मुझे सूची नहीं दी गई है, इसलिये मैं सप्लीमेन्ट्री नहीं कर सकता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री अध्यक्ष: सची में कितने नाम हैं?

श्री **भवानीशंकर नंदवाना** : ४८ नाम हैं।

श्री **अध्यक्ष** : केवल सरपंचों के ?

श्री **भवानीशंकर नंदवाना** : जिन कामों के लिये रकम दी है।

श्री **अब्दुलजब्बार** (नीम्बाहेडा) : उनमें बकाया रकम कितनी है।

श्री **भवानीशंकर नंदवाना**: अलग अलग है।

श्री **अब्दुल जब्बार** : टोटल करके बता दीजिये।

श्री **भवानीशंकर नंदवाना** : जोड़ देने बैठूंगा तो समय लगेगा।

श्री **श्रवणलाल**: हजारों रुपयों की रकम सरपंचों के नाम बकाया है। कइयों के नाम कुड़की है, लेकिन कुड़कियें दबाई जा रही हैं। मुझे सूची मिलती तो मैं बताता, लेकिन सूची न देकर सदन की मेज पर रख दी है।

श्री **भवानीशंकर नंदवाना** : व्यक्तिगत रकम सरपंचों को नहीं दी जाती है विकास के लिये, पंचायतों को दी जाती है,

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** रायसिंहनगर) : क्या सब में बकाया है?

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): जो रकम पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिये दी गई थी वह सरपंचों ने अपने निजी कार्यों में खर्च कर दी क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री **भवानीशंकर नंदवाना**: इसमें रकम दूसरे कामों के लिये खर्च करने का सवाल नहीं है।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा**: जो रकम निर्माण कार्यो में नही लगाई है उसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष: श्री मजलिसखां ।

नमूनों की परीक्षा

८६९. श्री **मजलिसखां** (कामां) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मजलिस खां)
क्या कृषी विभाग द्वारा भरतपुर जिले से वाटर सोइस सेप्पल्स परीक्षा के लिये भेजे गये हैं? यदि हां, तो वह कहां २ से किन के द्वारा लिये गये और कब भेजे गये?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जी हां कुल मिट्टी के २२८ नमूने व पानी के ३५ नमूने जांच हेतु भेजे गए जिनका विवरण इस प्रकार है :—

नाम	नमूने मिट्टी	नमूने पानी	भेजने की तिथि
१. जिला कृषि अधिकारी, भरतपुर	३	–	८-२-१९६२
२. विकास अधिकारी, नगर	२३	–	२-४-१९६२
३. जिला कृषि अधिकारी, भरतपुर	२८		१-६-१९६२
४. विकास अधिकारी, सेवर	५१	१२	१८-४-१९६३
५. विकास अधिकारी, सेवर	१२३	२३	२४-७-१९६३
	२२८	३५	

श्री मजलिस खां: इसका क्या परिणाम है?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : परिणाम यह रहा कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है; पोटास और फास्फेट की मीडियम किस्म है।

श्री **मजलिसखा**: इसका कोई उपाय किया?

श्री नाथूराम मिर्धा: किसानों को चाहिये कि किस फर्टिलाइजर के यूज से कौनसी कमी पूरी की जा सकती है, इसका ज्ञान आसानी से हो सकता है, वे इसका ज्ञान हासिल करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपने कौनसा फ़र्टिलाइजर रिकमंड किया है नाइट्रोजन कौनसा या फोस्ट या कौनसा किया है?

प्रश्न संख्या ८७०

श्री अध्यक्ष: (श्री भैरोंसिंह)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७१

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

दौरे पर व्यय

८७२. श्री **रामकिशन** (वैर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) देश के प्रधान मंत्री ने गत पांच वर्षों में प्रान्त में कितनी बार दौरा किया है?

(२) प्रधान मंत्री के प्रत्येक दौरे पर राज्य सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है और कुल कितना खर्च हुआ है?

उप मंत्री, सामान्य प्रकाशन (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबध में बहुत से डिपार्टमेन्ट से डिटेल में क्वेरी की गई थी लेकिन कम्पलीट इन्फोमेशन आई नहीं है इसलिये प्रार्थाना है कि इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकेगा।

श्री रामकिशन: जिस दिन से मैंने सदन में प्रवेश किया मेरा पहला क्वेश्चन यही था। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य किस तरह से ऐसे मामलों पर खर्च करता है, इसका इससे पता लगता।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)– फिजूल खर्ची नहीं की गई है।

श्री रामकिशन: २५ हजार रुपये रोज खर्च होते हैं, ३० हजार रुपये जवाहर लालजी ने माना है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: ३० हजार रुपये खर्च नहीं होते हैं।

श्री रामकिशन: नन्दा साहब ने माना है इसलिये इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला और सारे मामलों से अधिक जरूरी है हमारे और सारे प्रश्न भले ही रहने दीजिये इसका जवाब दिला दीजिये, खुद जवाहरलालजी से संबंधित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): डिटेल में लोहियाजी को सूचना देनी है।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, हमारी पहली रिक्वेस्ट यह थी कि इस प्रश्न को एडमिट नहीं किया जाय। आपके यहां से उत्तर ६ सितम्बर को मिला और १२ सितम्बर को इत्तला कर दी थी; बहुत से विभागों से सूचना लेनी थी इसलिये संभव नहीं हो सका। फिर भी हम इसके लिये एवरी स्टेप ले रहे हैं। हमने १६ तारीख को एसेम्बली सेक्रेटेरियट को फिर परिपत्र भेजा कि हम असमर्थ हैं इन्फोर्मेशन भेजने में।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना): लिखित में हमको सूचना मिल जाये महीने भर में या दो महीनों में, ऐसी व्यवस्था कर दी जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या माननीय प्रधान मंत्री के सफर खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: ५ वर्षों का हिसाब मांगा है। कई खर्च पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा होते हैं, और दूसरे विभागों के द्वारा होते हैं उन सबको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। यह पूछ सकते थे कि लास्ट विजीट में कितना खर्चा हुआ तो जल्दी बता सकते थे लेकिन ५ वर्षों का सारा हिसाब बताने में समय लगता है।

श्री रामकिशन: ५ वर्षों का नहीं पूछा है, ५ बार की विजीट के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

भाखरा नहरों से पानी

८७३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भाखरा नहरी क्षेत्र के चक २५ एल.जी.डब्लू., २६ एल.जी. डब्ल्यू., २७ एल.जी.डब्ल्यू., २८ एल.जी.डब्ल्यू., ४४ एल. एल. डब्ल्यू. ५० एल.एल.डब्ल्यू. तथा टी. के. डब्ल्यू. के सारे भागो में जब से भाखरा की नहरें आई हैं, पानी नहीं पहुंचा है?

(२) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र में इस प्रकार के और भी कई चक हैं जिनमें जब से नहर आई है, पानी नहीं पहुंचा है? यदि हां, तो ऐसे चक कौन कौन से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) क्या इन चकों से नहरी किश्तें वसूल की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या यह न्यायोचित है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जिन चकों में नहरी पानी नहीं पहुंचा है उनसे नहरी दरें वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कम से कम २२ हजार एकड़ धरती ऐसी है भाखरा क्षेत्र में, जहां पानी कतई नहीं पहुंचा है, सरकार ने बकाया पौधे लगाये हैं और सरकार कहती है कि नहरी दरें वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: २२ हजार एकड़ भूमि कमान्ड की है पौधे लगाये हैं उनके लिये प्रोविज़न किया है, किसानों से आप कोस्ट वसूल कर रहे हैं, पानी वहां पर दिया नहीं गया है और आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने इरिगेशन रेट की बात कही है। जिन नहरों के टेल्स पर पानी नहीं पहुंचा है उनके नाम बता दिये हैं। जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां पर इरिगेशन रेट चार्ज करने का प्रश्न नहीं।

श्री इयोपतसिंह (हनुमानगढ़): इसमें लिखा है नहरी किश्तों के बारे में।

श्री नाथूराम मिर्धा: नहरी किश्तों का इरिगेशन से संबंध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर लें वे; चार्ज कर रहे हैं बारानी का बारानी रेट से और नहरी का नहरी रेट से। जिन चकों का मैंने नाम दिया है उनमें पानी पहुंच गया है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने कहा कि वहां पर पानी नहीं पहुंचा। मैंने कहा, 'जी नहीं', यानी पहुंचा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: पानी नहीं पहुंचा है जिन चकों का नाम मैंने प्रश्न में दिया है उनमें।

श्री नाथूराम मिर्धा: जिन चकों का नाम आपने दिया है उनके बारे में मैंने जवाब दिया कि वहां पर पानी पहुंच गया है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं पहुंचा तो नाम बता दीजिये, मैं फिर जानकारी कर लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैंने चकों के नंबर दिये हैं वहां नहीं पहुंचा है। आपके एस. डी. ओ. की रिपोर्ट गलत है। आज की तारीख तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, यह मैटर ऑफ प्रिविलेज बनेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप नाम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सारे चकों में से किसी में नहीं पहुंचा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जो नाम दिये हैं उनके बारे में मैंने कह दिया है कि वहां पर पानी पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत गंभीर बात है। यह प्रश्न माननीय सदस्य पहले भी उठा चुके हैं और आज भी इतने जोर से कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जोर से कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि वहां पर पानी पहुंच गया है।

श्री अध्यक्ष: आप फिर जानकारी करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जानकारी की है सबमें पहुंच गया है जिनके नाम इन्होंने बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको तो इतला मिली है, उसके लिये माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पानी नहीं पहुंचा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी यह जानकारी कब की है ?

श्री अध्यक्ष : वे तो कहते हैं कि आज तक नहीं पहुंचा।

श्री श्योपतसिंह : कितने भाग में आब-पाशी होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री श्योपतसिंह : अलग प्रश्न पूछने का सवाल नहीं है। आपने इसको कमाण्ड में लिया है, नहरी किश्त वसूल की जाती है तो उनको पानी दिया जाता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो स्पेसिफिक नाम आपने दिये हैं उनके बारे में मैंने कहा है कि वहां पानी पहुंच गया। जहां पर पानी नहीं पहुंचा है उनकी सूची दे दी है। जहां पर धोरों की धरती है वहां पर आंधियां चलती हैं, नहरें बुर जाते हैं उनको ठीक करवा रहे हैं। अक्टूबर के मिडिल तक करीब करीब भाखरा के हर टेल पर पानी पहुंचा देंगे। जहां पर पानी नहीं पहुंचा है उन चकों के स्पेसिफिक नाम मैंने दे दिये हैं। उन्होंने जिनके नाम दिये हैं उनके बारे में मैंने कहा कि वहां पर पानी पहुंच गया है। इस पर भी यदि आप कहते हैं कि आज तक नहीं पहुंचा है तो तुरन्त जानकारी करके कहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि बिना जानकारी के आपको जवाब दिया हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ये डेफिनिटली कह रहे हैं, पानी पहुंच गया लेकिन आज से कुछ दिन पहले तक तो नहीं पहुंचा था; शायद कोई अलादीन का चिराग आगया हो तो बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष: यह सबके लिये नहीं कह रहे हैं। जिन में नहीं पहुंचा है उनके बारे में निश्चित तौर से बता दिया है वहां नहीं पहुंचा। इनके अलावा भी कोई चक है क्या कि जिनके बारे में आप निश्चित तौर से कह सकें कि वहां नहीं पहुंचा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने जो नाम दिये हैं उनके बारे में कहता हूं कि वहां पानी नहीं पहुंचा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य महीने भर से यहां पर बैठे हैं। हमारे पास रोज सूचना टेलिग्राम से आती है। आज मैं कहता हूं कि पहुंच गया है, आप कहते हैं कि नहीं पहुंचा है। आप पहले जानकारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)
कर लें। यह बहुत गलत बात है, बगैर जानकारी किये इस तरह से कहते हैं। आप एक महीने से यहां बैठे हैं, कुछ दिन चले गये थे, दिल्ली में नारा लगाने के लिये हमारे पास रोज इन्फोर्मेशन आती है। मैं १८ तारीख तक की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक नाम बता सकते हैं क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां नहीं हुई है उनके नाम मैंने बताये हैं; ८,९,१० नं० चक में नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वापिस जाकर विशेष स्थिति की एक बार और जांच कर लें और फिर मंत्री जी को पत्र लिख दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने निश्चित जानकारी की थी कि इन चकों में नहीं पहुंचा है। ११ जुलाई के बाद जादू हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : ११ जुलाई को तीन महीने हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ११ सितम्बर तक पानी नहीं पहुंचा है । ११ तारीख के बाद अलादीन का चिराग पैदा हो गया हो तो अलग बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा: हमारे आदमी रात-दिन काम कर रहे हैं, बराबर आगे चल रहे हैं; by the end of october तक माखरा नहर की एक भी टेल बाकी नहीं रहेगी जहां पानी नहीं पहुंचेगा। हमारे मजदूर रात दिन काम कर रहे हैं। जहां आज नहीं पहुंचा है, वहां कल पहुंचेगा और जहां कल नहीं पहुंचेगा, वहां परसों पहुंचेगा। इस तेज रफ्तार से काम चल रहा है, आप ७ दिन या १० दिन पहले की जानकारी के लिये जिद करो तो उचित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह: माननीय अध्यक्ष, क्या राजस्व मंत्री से मिल कर इस बात को सोचेंगे कि इसका हासिल तो वसूल किया जा रहा है और इस जमीन को पानी दिया जा रहा है, इसके लिये प्रबन्ध करेंगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा: अक्टूबर के एन्ड तक सबको पानी दे दिया जावेगा ।

श्री श्योपतसिंह: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गलत जवाब दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: कौनसा गलत जवाब दे रहे हैं ? कोई गलत जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह : मैं यह कहूंगा कि एक बीघा में भी पानी नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप जांच करके तसल्ली कर लें, फिर कुछ कहें। अभी आपने बताया कि कई चक हैं और अब आप एक बीघा पर आ गये ।

श्री श्योपतसिंह: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: Order please!

साफ तौर से निवेदन कर दिया कि कोई गलत उत्तर नहीं है। आप जैसी स्थिति

Page No 21

(श्री अध्यक्ष)
है जांच करलें । बाद में मंत्री महोदय को लिख दें ।

श्री अध्यक्ष : Next, Shri Manik Chand Surana.

जंगलात विभाग की बकाया

८७४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान सरकार ने सन् ६१-६२ या ६२-६३ में हिज़ हाइनेस, जयपुर महाराजा के विरुद्ध जंगलात विभाग की तकरीबन १६,०००) रु० की बकाया को राइट ऑफ करने के आदेश दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो किन कारणों से ?

(३) क्या जयपुर महाराजा को इस बकाया के संबंध में कभी कोई बिल भेजा गया ? यदि हां, तो कब और उसका जयपुर महाराजा ने क्या जवाब दिया ? क्या उन्होंने अपनी 'लाएबिलिटी टू पे' से इन्कार किया ?

(४) यदि नहीं, तो उनको बिल बिना भेजे राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है ?

(५) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने एकाउन्टेन्ट जनरल को राइट ऑफ करने के कारण बताते हुए यह लिखा है कि उनके पास इन्डेन्ट्स व रिसीप्ट्स माल सप्लाई करने के नहीं हैं ? यदि हां, तो जिन संबंधित अधिकारियों ने बिना इन्डेन्ट व रसीद के माल सप्लाई किया उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

(६) क्या जंगलात विभाग ने इन्डेन्ट्स व रसीदों के बिना अन्य किसी व्यक्ति या फर्म को भी माल सप्लाई किया है ?

(७) राज्य सरकार उक्त रकम को उस अधिकारी या अधिकारीगणों से जिनकी गलतियों व नेगलीजेन्स से उक्त रकम राइट ऑफ करनी पड रही है, वसूल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां । १६,४६६.७८ न. पैसे के आदेश १०-६-५६ को दिये गये ।

(२) जो घास भूतपूर्व जयपुर रियासत के तबेला आतिश विभाग को दिया गया उसका कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न २ के उत्तर में कारण बता दिए गए हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, नं. २ का जवाब क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो घास भूतपूर्व जयपुर रियासत के तबेला आतिश विभाग को दिया गया, उसका कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(५) जी हां, यह केस भूतपूर्व जयपुर रियासत का है । किस अधिकारी के आदेश से घास दी गई, यह भी मालूम नहीं है । अतएव कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(६) जी नहीं ।

(७) प्रश्न ५ के उत्तर के अनुसार संबंधित अधिकारी से रकम वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो आपने १६,४६६) रुपये बताये हैं, इन फिगर्स पर आप कैसे एराइव हुए कि इतने रुपयों का घास है। अगर आपके पास हिसाब नहीं था तो ये फिगर्स कहां से प्राप्त हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १६,४६६.७८ न. पैसे में वह रकम भी शामिल है जो प्री-मर्जर की है। घास कितना गया इसका हिसाब उपलब्ध नहीं है। घास कितना गया, उसके हिसाब से फर्म जयपुर से कितना घास तबेला आतिश में गया, उससे अन्दाजा लगाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पहले इन्डेन्ट देख कर बिल नहीं बनाये जाते थे ? क्या कोई पेमेन्ट का दूसरा तरीका था ? क्या यों ही बिल जैसा चाहते बना देते थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसी सिस्टम का अन्दाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आखिरी किस तारीख तक यह घास महाराजा जयपुर को सप्लाई किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १-६-४६ तक, यानी ५० तक।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब राजस्थान बन चुका था, तो उसके बाद में भी ऐसे पर्सनल काम के लिए घास सप्लाई क्यों की गई थी ? क्या उसका रेकार्ड राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि तबेला आतिश डिजोल्व हो गया है। इसलिये रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब तबेला आतिश डिजोल्व हो गया तो उसका रेकॉर्ड तो उपलब्ध होना चाहिये। रेकॉर्ड ६२ साल तक रहना चाहिये। इस रकम को इतनी जल्दी राइट ऑफ करने की क्या आवश्यकता पैदा हुई जबकि आपका रेकॉर्ड ६२ साल तक रहना चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम इसके लिये काफी प्रयत्न करने पर भी इस बात को सर्टीफाई नहीं कर सके कि कितना घास कब दिया गया। इसलिये सिवाय इसके कि इस रकम को राइट ऑफ किया जाए दूसरा कोई चारा ही नहीं था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर रकॉर्ड बाद में उपलब्ध हो जाय तो क्या सरकार फिर भी दुबारा इस केस को रिवाइज़ करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस मामले पर महाराजा जयपुर के हाउस होल्ड विभाग से बातचीत करके निर्णय लिया गया है। यह प्रयत्न भी समानान्तर चालू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ओर आप यह कह रहे हैं कि हाउस होल्ड से प्रयत्न चालू है और दूसरी तरफ आपने राइट ऑफ कर दिया है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कभी महाराजा जयपुर के पास इसका बिल भी पेश किया ? अगर आप बिल पेश करते और वे

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
ऐतराज अपनी तरफ से करते और इन्डेन्ट की मांग करते तो उस पर ओब्जेक्शन्स सुन कर अपना फैसला करते । मगर आपने महाराजा जयपुर के पास इसके बिल भी नहीं पेश किये और केस को पहले ही खत्म कर दिया और आज गवर्नमेंट कहती है कि रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है । मैं यह कहूंगा कि यह जबरदस्ती राजाओं को रियायत देने का तरीका है, जो नहीं होना चाहिये । इससे स्टेट के एक्सचेकर पर असर पडता है और नुकसान पहुंचता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, यह घास की कीमत है, उसमें प्री-मर्जर के रुपये भी हैं । जहां तक प्री–मर्जर के एमाउन्ट को राइट आफ करने की बात है मैं कहूंगा कि जयपुर रियासत का तबेला आतिश में था और जयपुर रियासत से घास सप्लाई होता था इसलिये उसको राइट ऑफ करने की बात तो बिल्कुल ठीक सी है । उसके बाद की रकम ७,३००) रु० ६ नये पैसे आते हैं । उसको राइट आफ करने के आदेश गवर्नमेंट को हो चुके हैं । ए. जी. ने इस संबंध में ऑब्जेक्शन किया था । ए. जी. को ऑब्जेक्शन का उत्तर दे दिया गया और ए. जी. ने-प्रीमर्जर के एमाउण्ट को तो स्वीकार कर लिया । आफ्टर मर्जर के एमाउन्ट के लिये हिज़ हाइनेस के हाउस होल्ड विभाग को लिखा गया है और प्रयास कर रहे ह । कोई रेकॉर्ड उपलब्ध हो जावे तो आगे कदम उठाया जा सके ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: कम से कम जो रकम ७,३३२) रु० ६ न. पै. की मर्जर के बाद की है उसको राइट ऑफ नहीं करने का तो अधिकार सरकार को है । ए. जी. ने जब इस रकम को राइट ऑफ करने के बाबत एतराज किया है तो सरकार को यह मानने में क्या ऐतराज है कि इस रकम को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और राइट ऑफ नहीं करेंगे । अगर वाजिब रकम है तो जयपुर महाराजा भी जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप भी मिलिये ना इसके राइट ऑफ करने का आदेश है, पर सवाल इसके इम्प्लीमेन्टेशन का अवशेष है । जब तक रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो जाय उसके आधार पर उनसे बात चीत नहीं हो जाय, उनके निर्णय और हमारे निर्णय का समन्वय नहीं हो जाय तब तक यह प्रश्न खडा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष: श्री जोधसिंह ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक प्रश्न और है । जिस अधिकारी ने बिना इन्डेन्ट के घास सप्लाई किया था क्या यह नियम के खिलाफ नहीं था ? राजस्थान बन चुका था तो बिना इन्डेन्ट के घास कैसे सप्लाई किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह नियमों के विपरीत था या नहीं, इसका भी पता लगाना है, उस अधिकारी का भी पता लगाना है, नियमों का भी पता लगाना है, रेकार्ड का भी पता लगाना है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): १२ वर्ष से सरकार सो रही थी क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या ऐसे सेारी स्टेट ऑफ अफेअर्स हैं कि किस वक्त

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
किस विभाग में कौन अधिकारी काम कर रहा था इसका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता ? क्या मुख्य मंत्री यह स्थिति स्वीकार करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जोधसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार क्लीयरली क्यों नहीं कह देती कि हम महाराजा से यह रकम वसूल नहीं करना चाहते रियायत देना चाहते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): रियायत देने की कोई बात नहीं, आप लोगों ने फैक्ट्स दिये हैं तो इनकी जांच की जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : करना चाहिये, वर्ना इन बातों पर ट्रिब्यूनल बैठेगा और आपको जवाब देना होगा ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपको आपके राज्य की उम्मीद है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरूर ।

श्री मानसिंह महार : बैठे रहो, उस समय कहीं मिलोगे जेल में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लोग जेलों में मिलोगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री और जयपुर महाराजा दोनों जेल में बैठे हुए होंगे ।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

जल वितरण योजना

८७५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में ब्लॉक बढगांव में बेवला, लखावली देलवाडा, कदमाल व अन्य गांवों में जल वितरण की योजना जो कि पाइलॉट स्कीम के अन्तर्गत बनाई जा रही है उसका कार्य प्रारम्भ करने में देरी हो रही है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

(२) गिरवा क्षेत्र में किन किन गांवों में पाइलाट स्कीम के अन्तर्गत जल वितरण योजना बन रही है और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, इसका कारण यह है कि यह योजना यूनीसेफ के कार्यक्रम में है । योजना मार्च, १९६३ तक बन चुकी थी, किन्तु इसकी स्वीकृति यूनीसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा जांच-पडताल के बाद ही हो सकती है ।

(२) कोई जल-वितरण योजना पाइलॉट स्कीम के अन्तर्गत नहीं बनाई गई है ।

श्री जोधसिंह चौहान : पाइलॉट स्कीम के अन्तर्गत योजना बनाई गई है सर्वे भी हुई है, बढगांव में लिखा हुआ भी गया है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष श्री दिग्विजयसिंह ।

सड़क-निर्माण

८७६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : Will the Minister for Panchayats be pleased to state :—

1. Is it a fact that there has been a construction of Tar Road in

(श्री दिग्विजयसिंह)

Gram Panchayat, Aligarh, P.S. Uniara, Distt. Tonk ? If yes, when was it done and what is the total length of the road ?

2. What has been the total cost of the work ? How much was the contribution given by Panchayat Samiti, Uniara ?

3. Is it a fact that according to P.W.D. Schedule, the total cost of B/T road per mile is Rs. 25,000/- ? If yes, how the extra amount has then been spent ?

4. Can the Samiti give grants for B/T roads in the villages according to Samiti rules ? If not, why was this amount then sanctioned ?

5. Is it a fact that the Sarpanch did not utilise the amount for six months and neither deposited the same in the Panchayat Account or Post Office and misutilised the money ?

6. Is it a fact that after several complaints, the Sarpanch, Aligarh, produced the amount and deposited the amount in the account ? If yes, why the action by the B.D.O. concerned was not taken against the said Sarpanch ?

7. Is it a fact the the total cost of the road exceeds the P.W.D. Schedule and the same is not upto the mark ? If yes, will the excess amount be recovered from the Sarpanch ? If yes, when ?

8. Is it a fact that the Government is aware of the facts and yet no action is being taken against the said Sarpanch under the Rajasthan Panchayat Act ? ef yes, why ?

उप–मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां । सड़क निर्माण ३०-७-६२ को पूरा हुआ । इस सड़क की लम्बाई १,०७० फुट है ।

(२) इस कार्य पर कुल ८,६८१) रु० १० नए पैसे खर्च हुए हैं । पंचायत समिति द्वारा ४,५००) रु० का अनुदान दिया गया ।

(३) जी हां । इस सड़क का तख्मीना ६,६६४) रु० का था । सडक पर इससे कम रकम खर्च हुई है ।

(४) जी हां ।

(५) सरपंच को १७-१-६२ को रकम दी थी जो दिनांक १८-१-६२ को पंचायत की रोकड में जमा कर ली गई थी ।

(६) जी नहीं ।

(७) जी नहीं ।

(८) जी हां । कोई अनियमितता नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या इस रोड़ को बनाने के पहले टेन्डर इन्वाइट किया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री दिग्विजयसिंह : ऑडिट रिपोर्ट देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि टेन्डर इन्वाइट नहीं किया है । पी. डब्लू. डी. की रेट के अनुसार एक माइल सड़क के लिये कितना पैसा लगता है, यह आपने नहीं बताया । क्या एक माइल सड़क पर २५,०००) रु० लगता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां, २५,००० रु० लगता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह जो सड़क बनी है एक मील है या ज्यादा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक मील से कम है ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या इस पर ६ हजार रुपया खर्च हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका तखमीना ६,६६४) रु० का था और इस पर खर्च ८,६८१) रु० १० न. पं. हुआ है । तो खर्चा तखमीने से कम हुआ है ।

श्री दिग्विजयसिंह : एक मील पर पी. डब्लू. डी. की रेट के अनुसार २५ हजार रुपया खर्च होता है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डामर करायें तो ज्यादा होता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : डामर भी करा दी है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डामर तो है ही ।

श्री दिग्विजयसिंह : पर इस सड़क पर जो खर्च हुआ है वह २५ हजार रुपया वह एक माइल पर लगना चाहिये, इस तरह की पी. डब्लू. डी. की रेट से ऊपर जाता है, यही तो मैं पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

(श्री कुमारानन्द का प्रश्न संख्या ८७७ पुकारा नहीं गया)

भाखरा क्षेत्र में भूमि की बिक्री व बेटरमेन्ट लेवी से आय

८७८. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (माडल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा नहर क्षेत्र में भूमि को विक्रय करने पर ३१ मार्च, सन् ६२ तक कितनी रकम प्राप्त हुई ?

(२) भाखरा नहर क्षेत्र में भूमि पर बेटरमेन्ट लेवी से ३१ मार्च, १९६२ तक सरकार को कितने रुपये की आय हुई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का संबंध राजस्व विभाग से है, इसलिये इसका उत्तर राजस्व मंत्री अपनी टन पर देंगे ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : हमेशा यही होता है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

तालाब तक रास्ता

८७९. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : will the Irrigation Minister be pleased to state :—

1. Is it a fact that passage to the tank from village "MAL-BA-MORI" Tehsil Mangrol, district Kota has been blocked on account of the construction of the canal in between the village and the Tank and that the village cattle cannot go over the other side to drink water in the tank as no passage has been provided across the canal ?

(श्री जुझारसिंह)

2. Is it a fact that the said tank was constructed by the villagers of 'Mal-Bamori' and that its land is being auctioned out for cultivation by the Colonisation Deptt. now ?

3. Does the Government intend to stop the sale of land within the Tank area and also provide passage across the canal for villagers and cattle to cross over to the tank side as the cattle are not allowed to drink water in the canal according to the Irrigation Department Rules ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां।

(२) छोटे गांवाई तालाबों से सिंचाई विभाग का कोई संबंध नहीं है। उसकी सिंचाई विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चूंकि दो पुलिया २,००० फीट के अन्दर गांव के पास पहले से ही बना दी गई हैं इसलिए और पुलियाएं लगाना आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं समझा गया है।

मवेशी पुलियाओं से होकर गांवाई तालाब में पानी पी सकते हैं। ईरिगेशन एक्ट के मुताबिक मवेशियों को नहर की पाल पर ले जाना मना है। सेक्शन ५५।८ व रूल ५३।

श्री नाथूराम मिर्धा: क्या नहर में इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि मवेशियों की तकलीफें दूर हो जायं। कुछ सर्टेन प्लेसेज मुकर्रर कर सकते हैं कि जहां पर मवेशी पानी पी सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा: हर नहर बनती है तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। हमने यह फॉर्मुला रखा है कि २,०००-३,००० फीट पर पास करने के लिये पुलिया है। जिस जगह का आप जिक्र करते हैं वहां दो पुलियाएं दो-दो हजार फीट की दूरी पर बनी हुई हैं। एक पुलिया गांव के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तालाब दो पुलियाओं के बीच में पड़ता है। आप चाहते हैं कि दो पुलियाओं के बीच में सीधा एक और पुलिया बन जाय, तो मेरा अर्ज करना यह है कि दो दो हजार फीट की दूरी पर दो पुलिया बने हुए हैं, ऐसी हालत में एक हजार फीट इधर उधर जाकर मवेशी पानी पी लें तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता है। हमारी जो आर्थिक हालत है उसको देखते हुए यह उचित नहीं होगा कि तीसरी पुलिया बनाई जाय।

श्री जुझारसिंह: मेरा निवेदन है कि नहर में पानी पीने के लिये ऐसा स्थान बनाया जा सकता है कि मवेशी नहर में जाकर पानी पी लें और पानी पीकर वापिस आ जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह अच्छा नहीं होगा, नहर पर जानवर चढ़ने लगें तो नहर टूट जायगी और उसकी रिपेयर और मेन्टेनेन्स और भी मंहगी और मुश्किल पड़ेगी।

प्रश्न संख्या ८८०

श्री अध्यक्ष: श्री सम्पतलाल बोहरा

(अनुपस्थित)

(१२.०० म. प.)

Page No 28

मकान सहायता

८८१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुचचित आदिम जाति के लिये मकान सहायता कितने रुपये सालाना दी जाती है ?

(२) मकानों के लिये सहायता किस आधार से दी जाती है ?

(३) गत साल कौन कौन सी पंचायत समितियों को कितना कितना रुपया मकानों की सहायता के लिये दिया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) पंचायत समिति निवाई को गत पांच सालों में कितना कितना रुपया मकानों की सहायता के लिये दिया गया था ? सालवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों को मकान सहायता के लिये आर्थिक प्रावधान निश्चित नहीं है। सन् १९६१-६२ में ४.२२ लाख तथा सन् १९६२-६३ में २.३६ लाख रुपया दिया गया था।

(२) मकानों के लिये सहायता जन संख्या तथा आवश्यकता के आधार पर दी जाती है। कच्चे मकान बनाने हेतु ५००) रु० तथा पक्का मकान बनाने हेतु ७५०) रु० प्रति परिवार प्रति मकान दी जाती है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) पंचायत समिति निवाई को सन् १९६२-६३ में अनुसूचित जन जातियों के लिये ५००) रु० और सन् १९६३-६४ में अनुसूचित जातियों के लिये ७५०) रुपये मकान सहायता के लिये स्वीकृत किये गये। इन दो वर्षों के अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु पंचायत समिति निवाई को कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि जरूरत के आधार पर देते हैं, तो जरूरत का माप-दंड क्या है ?

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति को दे देते हैं, यही जरूरत का माप—दंड है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मान लीजिये कि पंचायत समिति को दस दर्ख्वास्तें दे दीं, उसमें मांग कैसे छांटेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उसमें तो बहुत माहिर हैं।

श्री भीखाभाई : प्रोसीजर लिखा हुआ है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या लिखा हुआ है ?

श्री भीखा भाई : नियम बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री रामकिशन (वैर) : दो लाख रुपया रखा है ....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : प्रश्न संख्या ८८२।

Page No 29

श्री रामकिशन : ७ लाख की आबादी है और २ लाख रुपया रखा है तो इतने से क्या काम चलता है ? (उप-मंत्री, श्री निरंजननाथ आचार्य के उत्तर देने के लिये प्रस्तुत होने पर) आप बैठिये आचार्यजी, हरिजनों का प्रश्न चल रहा है ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : आप बैठ जाइये । मुझे अध्यक्ष महोदय ने कॉल कर लिया है ।

फोरेस्ट स्कूल का ट्रक

८८२. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २४-६-६२ को फोरेस्ट स्कूल अलवर का ट्रक नं. आर. जे. जैड. १३६३ जयपुर से झालावाड गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) यह ट्रक जयपुर वापिस कब आया और इस ट्रक में झालावाड से क्या क्या सामान लाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) इस ट्रक का ड्राइवर कौन था और इसमें जयपुर से कितने मजदूर गये और यह ट्रक कोटा में कितने दिन ठहरा ?

(घ) इस ट्रक की इस जर्नी पर कुल कितना खर्च हुआ ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) :—(क) जी नहीं । लेकिन यह ट्रक २५-७-६२ को जयपुर से झालावाड भेजा गया था । यह ट्रक झालावाड फोरेस्ट·······

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है । आप दुबारा कहिये ।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : (क) जी नहीं । लेकिन यह ट्रक २५-७-६२ को जयपुर से झालावाड भेजा गया था । यह ट्रक झालावाड फोरेस्ट गार्ड्स स्कूल का सामान अलवर ले जाने को भेजा गया था, क्योंकि अलवर में नया फोरेस्ट गार्ड्स स्कूल खोला गया था ।

(ख) यह ट्रक जयपुर वापिस ३०-७-६२ को आया, इस ट्रक में झालावाड से जो सामान लाया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ग) इस ट्रक का ड्राइवर श्री जगन्नाथ था । इसमें जयपुर से कोई मजदूर नहीं गये । यह ट्रक कोटा २५-७-६२ को रात को ८.३० बजे पहुंचा और अगले दिन सुबह ६ बजे झालावाड़ रवाना हो गया ।

(घ) इस ट्रक की यात्रा में रु० ६५.४० न. पै. खर्च हुए ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री **हरीप्रसाद शर्मा** : जो यह ट्रक गया उसमें सामान की लिस्ट दी : दो पीपे, पांच चम्मच, एक बाल्टी, एक थाली, एक लोटा । इन कामों के लिए आपने ट्रक भेजा था ? झालावाड़ा गया और फिर वहां से अलवर पहुंचा कितना वेस्ट हुआ ?

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : इनकी कितनी कीमत होगी ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इस सामान में ब्लैक बोर्ड बिना स्टेन्ड ४४, कटोरियां ३८,

थालियां २२, दूसरा ऐसा सामान जो इस स्कूल के लिए लाना जरूरी था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कुल कितना वजन था ?

श्री अध्यक्ष : कपड़े के साइन बोर्ड तीन। घंटा बजाने का एक।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : यह सब सामान बिना ट्रक के नहीं भेजा जा सकता था।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में सैनिकों के लिये भूमि

८८३. श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या बड़ी सिचाई योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने राजस्थान केनाल क्षेत्र में दो लाख एकड़ भूमि सैनिकों के लिये सुरक्षित की है, उस जमीन को किन किन रियायतों के साथ दिया जा रहा है और उनसे कितनी किश्तों में कीमत ली जायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट में नहरी इलाके में सैनिकों को दस किश्तों पर जमीन दी जाती थी ? यदि हां, तो क्या इसी भांति सरकार भी रियायत देने का सोच रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान केनाल क्षेत्र में ? जो दो लाख एकड़ भूमि सैनिकों के लिये सुरक्षित की है उस भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा :—

(१) आवंटन से किसी प्रकार का नजराना या भूमि का मुल्य नहीं लिया जावेगा, परन्तु उसे बेटरमेंट चार्जेज अवश्य देने पड़ेंगे जिनकी वसूली सिचाई शुरू होने के तीन वर्ष बाद से आरम्भ होगी।

(२) इस भूमि का धारणाधिकार राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स की कन्डीशन्स संख्या ६ के अनुसार होगा।

(३) आवंटनी को भू-राजस्व व अन्य चार्जेज् जो कि उपरोक्त कन्डीशन्स की कन्डीशन सं० १४ में वर्णित है देने होंगे।

(२) यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट में सैनिकों को सन् १९४८-४९ में १० किश्तों पर जमीनें दी गई थी, इनमें से दो किश्तें अलाटमेन्ट आदेश होने पर एक साथ जमा कराई गई थी और शेष रकम ८ वार्षिक किश्तों में वसूल की गई थी।

जैसा कि प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में निवेदन किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि का मूल्य या नजराना नहीं लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ८८४

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ

राजस्थान केनाल की वर्कशॉपों में चोरियां

८८५. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या

बड़ी सिंचाई परियोजनाएं मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या गत वर्ष राजस्थान केनाल की वर्कशॉपों में कुछ चोरियां हुई ? यदि हां, तो अपराधियों को क्या सजा मिली और इससे विभाग को कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : गत वर्ष राजस्थान कनाल के मेकेनिकल सर्किल की सूरतगढ़ वर्कशॉप में निम्नांकित चोरियां हुई हैं:—

(अ) जीप नं० आर, जे. के. ३५१४ के सेल्फ स्टार्टर की लगभग ३५०) रु० कीमत का मामला पुलिस को जांच के लिये दिया जा चुका है तथा सैल्फ स्टार्टर बरामद हो चुका है।

(ब) ट्रेक्टर नं० १२४४ के मेगनेट की लगभग ६००) रु० कीमत वो मामला पुलिस को जांच के लिये दिया जा चुका है, तथा इसकी कीमत सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल की जा रही है ।

(स) लगभग १५,४२८) रुपये की कीमत का कौपर कन्डक्टर कम होना पाया गया। मामला पुलिस के जांच के लिये दिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सम्बन्धित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही ह ।

प्रश्न संख्या ८८६

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८७

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान ।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में औषध निर्माण

८८८. श्री **जोधसिंह चौहान** (गिरवां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत पांच वर्षों में (जनवरी, ६३ तक) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में कौनसी औषधियां कितनी मात्रा में बनाई गई है ?

(२) क्या इन रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां सेवन योग्य हे ? यदि हां, तो इसका प्रमाणिक परीक्षण किस प्रकार किया जाता है ?

(३) भिन्न भिन्न रसायनशालाओं के इन्चार्ज महोदयों की आधुनिक रसायन एवं भौतिक शास्त्र की प्रारम्भिक योग्यता (बैसिक क्वालिफिकेशन) क्या हें ?

आयुर्वेदिक मंत्री (श्री भीखाभाई) : यहां पर एलोपेथिक डिस्पेन्सरी है और जनता को कोई परेशानी नहीं होती है । यहां आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री **रामकिशन** (वैर) : ८८८ का जवाब दीजिये। यह तो कोई दूसरे प्रश्न का जवाब है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : बाई कोलमियल थ्योरम तो रट कर नहीं आये हें ; प्रश्न चाहे इम्तिहान में आया हो या न आया हो। रट कर आये हो ।

श्री भीखाभाई: (१) गत पांच वर्षों में (जनवरी, ६३ तक) राजकीय आयुर्वेदिक फॉर्मेसीज़ में जो जो औषधियां जितनी २ मात्रा में बनाई गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां, निर्मित औषधियां सेवन के योग्य हैं । इनका परीक्षण व्यवस्थापक महोदय द्वारा किया जाता है ।

(३) रसायनशालाओं के वांछित सभी इंचार्ज भिषगाचार्य तथा भिषगाचार्य के समकक्ष योग्यता रखते हैं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह भिष्गाचार्य क्या है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या आयुर्वेद फार्मेसीज़ राजस्थान में सब औषधालयों को दवाइयां वितरित करती हैं ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरी जगह से भी जांच पड़ताल की या नहीं ?

श्री भीखाभाई : शास्त्रीय विधि के अनुसार जो संहिता है, जो मात्रायें लिखी हुई हैं उन्हीं के अनुसार बनाई जाती हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : दवाई का निर्माण क्या हुआ ? सूची का हैडिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है । मन, सेर, छटांक आखिर कुछ तो तोल होगा ? तोला, रत्ती, मासा कुछ तो होगा ?

श्री भीखाभाई : सारी सूची देने के बाद अब आप ही उसको पढ़ लीजिये ।

श्री अब्दुलजब्बार : मृत्यु संजीवनी बटी लिखी हुई है । आखिर कितनी है ? मन, सेर, छटांक, कितनी है ? टन में है ? मेट्रिक तोल चल रहा है ।

श्री भीखाभाई : पृष्ठ संख्या ३ पर देख लीजिये । यशद भस्म ७० तोला । एक-एक करके तोल लिखा हुआ है । रत्ती तक बताया हुआ है । पेज तीन पर रजत भस्म लिखा हुआ है ; ३ तोला, २ मासा, ७ रत्ती ।

श्री रामकिशन (वैर) : च्यवन प्राश कितना है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बाहर तो मन, सेर छटांक पर काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं और सदन में प्रश्न पूछते हैं तो मन, सेर, छटांक बताते हैं; क्या सरकार इस प्रकार का हिसाब रखती है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि इसमें जो लिखा हुआ है; वह पौंड में लिखा हुआ है और रत्ती में लिखा हुआ है, तोला, माशा में भी लिखा हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास: आपका श्रम विभाग इस बात के लिए–तोला, रत्ती में लिखने के लिए, लोगों को गुनहगार समझता है और दूसरों के खिलाफ कार्यवाही करता है और कहता है इनके द्वारा काम मत चलाओ और सरकार का विभाग इसके द्वारा काम चलाता है, तो क्या यह कानूनन जुर्म नहीं ?

श्री भीखाभाई: पुराने अकाउन्ट्स बताये हैं, पिछले पांच वर्ष का हिसाब बताया है उस वक्त किलो कहां था ।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने बताया कि परीक्षण के बाद दवाओं का निर्माण करते हैं

(श्री अब्दुल गफ्फार)
तो क्या परीक्षण पेशेन्ट्स के ऊपर करते हैं खुद के ऊपर करते हैं ? इस सम्बन्ध में यह भी बता दीजिये कि दवाओं का निर्माण कर लिया उनका परीक्षण सफल रहा या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आप आयुर्वेद के बारे में कम समझते हैं ऐसा लगता है।

एक माननीय सदस्य : वे समझते नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : आयुर्वेद की जो विधि होती है, जिस अनुपात में जो चीज लिखी होती है, जिस मात्रा में लिखी होती है उसके अनुसार दवायें बनाई जाती हैं और वही दवायें ठीक मानी जाती हैं। कितनी दवा में कितनी कितनी चीज मिलाई जाय, यह लिखा जाता है। इसको टेस्ट करने का सवाल नहीं उठता।

श्री रामकिशन (वैर) : भिषगाचार्य की योग्यता वाले कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि दवाओं का अनुपात लिखा रहता है। उस अनुपात के मुताबिक दवा बनी और मात्रा उतनी है, इसका कहीं चैक होता या नहीं ?

श्री भीखाभाई : हमारे यहां जो दवाइं बनती हैं, उनमें जो चीज नहीं होती हैं, तो इसके अन्दर यह चीज नहीं है इसका लेबल लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : लेबल क्या लगा दिया जाता है ? क्या लेबल पर लिखा जाता है कि फलां चीज कम है मात्रा में ? जो···

श्री भीखाभाई : जैसा मैंने बताया··

श्री अध्यक्ष : मैं समस्या बता दूं, जो आपका फॉर्मूला है, जिसके मताबिक दवाओं का निर्माण किया जाता है क्या आपके पास एसी मशीनरी है जो कभी कभी टेस्ट करके बताये कि वही मात्रा में चीजों का इस्तेमाल हुआ है या कम या ज्यादा हुआ है; क्या इस प्रकार की कोई चैकिंग ऑथोरिटी या एजेन्सी है ?

श्री भीखाभाई : कोई ऑथोरिटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही प्रश्न था सारा। मान लीजिये कोई चीज कम ही डाली या ज्यादा डाली हो, जो लाखों रुपये की दवा जहां बनती है, वहां पर सरकार को कोई टेस्ट चैक करने का इस तरह का प्रबन्ध करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर ऐसा हो तो एन्टी करप्शन को दे दें।

श्री भीखाभाई : जो स्टन्डर्ड फार्म बना हुआ है, और उसमें जो अनुपात लिखा हुआ है उसके अनुसार दवायें बनती है। जो पर्टीक्यूलर दवा नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में लिख दिया जाता है कि इसमें यह दवा नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या कमी होने पर कम कीमत वसूल होती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कम दवायें हैं उनका प्रयोग न करें, इसके लिए क्या किया किया है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कम से कम यह आश्वासन तो दें कि कुछ केसेज ऐसे पैदा हो सकते हैं उस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : खुद को नहीं सूझ तो दूसरों की मानें।

Page No 34

श्री भीखाभाई : आगे क्या कुछ प्रबन्ध करना होगा, उस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री गोकुल प्रसाद।

श्री रामकिशन : हम कह रहे थे तब आप वैसे ही जवाब दे रहे थे।

चम्बल, गंग कैनाल व भाखरा बांध से सिंचाई

८८९. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : क्या सिंचाई (बड़ी सिंचाई परियोजनायें) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चम्बल, गंग कैनाल व भाखरा बांध से जितनी जमीन सिंचित होती है, उससे क्रॉपवार पर एकड़ क्या जल कर लिया जाता है ?

सिंचाई बड़ी सिंचाई परियोजनायें मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): क्रोपवार पर एकड़ जो वाटर रेट ली जाती है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था पर एकड़ पर क्या लेते हैं, इसके जवाब में आप बता देते।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो शिड्यूल रखा है, उसमें है।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : आपके पास है। यह मेरे पास नहीं है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : आपके पास सूची आई होगी।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा**: मेरे पास नहीं आई।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : मैंने सूची रखी है सदन की मेज पर।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : वह रख दी है। उत्तर में कैसे समझूं। आप वैसे ही बता दें।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : फहरिश्त बहुत लम्बी है।

श्री **अध्यक्ष**: श्री मानिकचन्द सुराणा।

नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

८९०. श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२-६३ में नगरपालिका व नगरपरिषद् के कितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मोअत्तिल किये गये ? उनके नाम व स्थान की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त मोअत्तिल किये हुए कितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वापिस बहाल किये जा चुके हैं ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें व इनको बहाल होने में कितना अर्सा लगा, यह भी सूचित करें ?

(३) मोअत्तिल किये हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को जो चार्ज शीट सरकार द्वारा दी गई उसकी एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। चार्ज शीट देने के पूर्व सरकार के पास क्या कोई इन्क्वायरी रिपोर्ट भी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की भी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 35

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चेअरमैन को सस्पेन्ड करती है तो उससे पहले उसको चार्ज शीट दे देती है या चार्ज शीट देने के पूर्व भी किसी को सस्पेन्ड किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : राज्य सरकार की नीति यह है कि चार्ज शीट पहले तैयार हो जाय। लेकिन कोई सीरियस केस हो तो फौरन चार्ज शीट दे देते हैं और सस्पेन्ड कर दिया जाता है। सीरियस एलीगेशन्स हों और जिस में रुपयों के गबन होने का डर हो तो ऐसा किया जाता है कि सस्पेन्ड कर दिया जाता और उसके फौरन बाद चार्ज शीट दे दी जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सम्बन्ध में टाइम निश्चित किया है, चाहे आप पहले सस्पेन्ड कर दें, लेकिन विदिन फोर्टनाइट चार्ज शीट दे दी जाय, इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां। किये गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन आदेशों का नवलगढ़ में पालन किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां जहां तक मेरा ख्याल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: नवलगढ़ म्युनिसिपल चेअरमैन को चार्ज शीट दे दी, लेकिन उसको सस्पेन्ड नहीं किया। ३१-१०-६२ को चार्ज शीट दे दी, लेकिन उसके बाद भी नवलगढ़ के म्युनीसिपल चेअरमैन को सस्पेन्ड न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : चार्ज शीट देने के बाद भी नवलगढ़ चेअरमैन को सस्पेन्ड नहीं किया क्योंकि उसके अन्दर कमजोरी रही। I am prepared to own it. लेकिन जब यह मालूम हुआ कि चार्ज शीट देने के बाद भी चेअरमैन कन्टीन्यू करेगा तो इन्क्वायरी करने में दिक्कत आयेगी, इसलिए उसे सस्पेन्ड किया गया।

श्री अध्यक्ष : Have you followed the law ?

श्री बरकतुल्ला खां : कानून का पालन किया है।

एक माननीय सदस्य : सीकर नगरपालिका के चेअरमैन को सस्पेन्ड किया गया, उसके दो महीने के बाद बहाल कर दिया गया ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

एक माननीय सदस्य : इसके क्या कारण थे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : भरतपुर के म्युनिसिपल चेअरमैन को सस्पेन्ड किया। उसी तरह के चार्जेज उनके वाइस चेअरमैन के खिलाफ भी थे, उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री बरकतुल्ला खां : चेअरमैन को सस्पेन्ड किया गया और उस वक्त जिस तरीके की शिकायतें आ रही थीं, उसके अन्दर ख्याल था कि भरतपुर म्यूनिसिपल कमेटी को इन्क्वायरी रिपोर्ट कम्प्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए चेअरमैन को सस्पेन्ड किया और वाइस चेअरमैन के खिलाफ जांच पड़ताल की गई। लेकिन उसी दौरान के अन्दर बोर्ड सस्पेन्ड कर दिया गया। बोर्ड को सस्पेन्ड करने के बाद अगर इनका मुकद्दमा चलाया जाता तो उसकी गवर्नमेंट से पैरवी करा सकते थे, लेकिन बोर्ड के सस्पेन्ड होने के बाद चेअरमैन पर जो चार्ज थे उन पर एक तरह से विचार किया जाय तो मैं समझता हूं, यही बहुत बड़ी सजा होगी टैक्नीकल-तरीके से।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बड़ी सादड़ी के चेअरमैन के खिलाफ गम्भीर आरोप होते हुए....

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) क्या कोई भी मोअत्तिल किया हुआ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इस काल में अपदस्थ भी घोषित किया गया है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) १९६२-६३ में ६ चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन मोअत्तिल किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इन्क्वायरी रिपोर्ट है लेकिन उनका रखना मुनासिब नहीं। चार्ज शीटों की नकलें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(४) जी नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह...

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३ म्युनिसिपल चेयरमैन अभी तक बहाल नहीं किये गये हैं, उनकी इन्क्वायरी में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री बरकतुल्लाखां : एक चेयरमैन की जुडिशियल इन्क्वायरी करीब करीब कम्प्लीट हो चुकी है। दो चेयरमैन की जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए कागज भेज दिये गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या ऐसा हुआ है कि एक चेयरमैन को सस्पेन्ड किया गया, फिर बहाल कर दिया गया और फिर पांच दिन के बाद सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : एक कम्प्लेन्ट को देखा गया, उस पर बहाल कर दिया गया। दूसरी कम्प्लेन्ट चूंकि रहती थी उस पर सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो सूचियां सदन की मेज पर रखी हैं, उसमें सिर्फ आपने १-११-६२ डेट ऑफ सस्पेन्शन म्युनीसिपल चेयरमैन की बताई है; मैं जानना चाहता हूं कि चार्ज शीट कब दी गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : सस्पेन्शन के कुछ दिन पहले उसको चार्ज शीट दे दी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जवाब में दिया है...

श्री बरकतुल्ला खां : सस्पेन्शन होने के पहले उनको चार्ज शीट दे दी गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अनूपगढ के सरपंच को लिस्ट में दो बार सस्पेन्शन में बताया है और दो बार बहाल किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरपंच नहीं, वह म्युनीसिपल चेयरमैन, अनूपगढ थे। ऐसा हुआ कि जब पहली मर्तबा शिकायतें आई तो उन पर इन्क्वायरी की गई। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस पर उसको बहाल कर दिया गया। उसी दौरान कुछ शिकायतें आई, वे मेच्योर हुई। उन पर उसको सस्पेन्ड किया गया। उसके बाद वह आया और रेकार्ड साथ लाया। उसने चार्ज शीट का जवाब दिया। उससे सेटिस्फाइड होकर सस्पेन्शन को वेकेन्ट कर दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार की नीति क्या है, किसी मामले में म्युनिसिपल

Page No 37

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : स्थगित प्रश्न । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

राजस्थान में आदिवासी विकास-कार्य

१३. (१८।आई. ए. एम.) **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में आदिवासी विकास का कार्य कब से चालू किया गया था और अब तक क्या क्या कार्य किये गये ?

(२) समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रगतिशील कार्यों के लेखे–जोखे के बारे में कितनी बार प्रगति रिपोर्ट निकाली है ?

(३) शिड्यूल्ड्कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों के विकास करने हेतु जब से योजना बनी है तब से अब तक कितनी धन-राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई और कितनी राजस्थान सरकार से ?

(४) यह धन-राशि किस किस जिले में किन किन योजनाओं में खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष की भांति सन् ६२ में आदिवासी सलाहकार कौंसिल का निर्माण न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) चूंकि आदिवासी विकास कार्यों की सूचना जब से समाज कल्याण विभाग स्थापित हुआ है तब से अब तक की चाही गई है अतः यह एकत्रित होनी इस थोड़े दिनों में संभव नहीं है । सूचना एकत्रित की जा रही है । इसके लिये कम से कम १५ दिन का समय दिया जाये ।

(२) प्रगति रिपोर्ट विशेष अवसरों पर तो निकाली जाती है परन्तु ऐसी रिपोर्ट नियमित रूप से निकालने की कार्यवाही की जा रही है ।

(३) (४) यह सूचना भी एकत्रित की जा रही है ।

(५) आदिवासी सलाहकार कौंसिल का निर्माण किया जा चुका है ।

बीकानेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

१४. (७६४।सी०एम०) **श्री मानिक-चन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ता० १५ मार्च, ६३ को बीकानेर जिले के कितने गांव राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किये गये ?

(२) इन गावों में अकाल राहत कार्यों व अन्य मदों में कितनी सहायता राज्य द्वारा प्रदान की गई ?

(३) ग्रेच्यूट्स रिलीफ (gratuitous relief) के लिये बीकानेर जिले में कितनी दरख्वास्तें पेश हुईं और उनमें कितनी दरख्वास्तें मंजूर और कितनी नामंजूर की गईं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पर्याप्त धन-राशि स्वीकृत न किये जाने के कारण ही ये दरख्वास्तें स्वीकार न की जा सकीं ?

(५) अकाल ग्रस्त गांवों में जहां मीठे पीने के पानी का अभाव था, उनमें मनुष्यों के लिये मीठे पीने के पानी पहुंचाने की सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई थी और उसमें कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

(६) क्या यह सही है कि कलेक्टर, बीकानेर ने कोलायत तहसील के २०-२५ गांवों के मीठे पानी के अभाव को देखते हुए ट्रक्स पर टैंक्स रखवाकर पानी पहुंचाने की योजना सरकार को भेजी थी, लेकिन सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी ?

उत्तर

(१) तारीख १५ मार्च, सन् ६३ को बीकानेर जिले में निम्नलिखित गांव राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं :

तहसील बीकानेर	८५
तहसील लूणकरणसर	१५
तहसील नोखा	२
तहसील कोलायत	९६
योग ..	१९८

(२) इन गांवों में अकाल राहत कार्य था अन्य मदों में निम्नलिखित धन-राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है :—

कार्य	१०,५०,०००
ग्रेच्यूटस (मुफ्त) रिलीफ	४,०००
पानी की व्यवस्था	६०,०००
पानी की व्यवस्था (ग्रान्ट-इन-ऐड)	१५,०००
घास व चारा	१,१०,०००
फैमीन तकावी	२,५०,०००
योग	१४,८९,०००

(३) बीकानेर जिले में ग्रेच्यूटस रिलीफ के लिये निम्नलिखित तहसीलों के सामने अंकित दरख्वास्तें प्राप्त हुईं:—

बीकानेर	१३९
लूणकरणसर	२
कोलायत	७४
	२१५

इन २१५ दरख्वास्तों में से बीकानेर तहसील की १७ दरख्वास्तें अस्वीकृत की गई हैं। ये १७ दरख्वास्तें उन गांवों में से प्राप्त हुई थीं जहां पर अकाल घोषित नहीं किया गया था तथा एक सूची पटवारी के पास तस्दीक के लिये भेजी है। बाकी १९८ दरख्वास्तें ग्रेच्यूटस रिलीफ देने के लिये स्वीकृत कर ली गई हैं।

(४) नहीं, यह सही नहीं है।

(५) कोलायत तहसील के ११ गांवों में जनता तथा पशुओं के पीने के लिए पानी की कमी थी। राज्य सरकार ने इन गांवों में पानी की व्यवस्था के लिये ८८५०) रुपये खर्च किये हैं तथा अभी भी खर्चा इस व्यवस्था के लिये किया जा रहा है।

Page No 39

(अकाल सहायता मंत्री)

निम्नलिखित गावों में पानी के लिये इनके सामने अंकित रात दिन कुएं चलाये गये :—

१. झुंझुनू	२	७. बीकमपुर	१
२. गाडियाला	१	८. रनधीसर	१
३. बज्जू	१	९. चोडासर	१
४. बरसलपुर	२	१०. कोलायत	१
५. बांगडसर	१	११. गंगापुर	१
६. बीठनोक	१		

अभी हाल ही की वर्षा के कारण ग्राम वासियों ने इन कूओं से पानी ले जाना बन्द कर दिया। इसलिए इन कुओं को बन्द करना पड़ा किन्तु पीने के मीठे पानी की कमी को देखते हुए कोलायत तहसील के निम्नलिखित गावों में पुनः कुओं द्वारा रात-दिन पानी सप्लाई किया जाने लगा है।

बरसलपुर २ कुए

चक विजयसिंहपुरा १ कुआ
मुंझू २ कुआ
सालासर १ कुआ
खिदासर १ कुआ
सियाना १ कुआ

ये उपरोक्त कुए रात दिन चलाये जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था मनुष्यों तथा जानवरों दोनों के लिये की गई हैं। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय तक चलेगी जब तक सरकार इसकी आवश्यकता समझेगी।

(६) नहीं यह सही नहीं है। राज्य सरकार ने जिलाधीश बीकानेर को आदेश दिया था कि ट्रकों व टैंकों का प्रबन्ध पी० डब्ल्यू० डी० से किया जावे। किन्तु पी० डब्ल्यू० डी० ऐसे ट्रक देने में असमर्थ रही तो सरकार ने पीने के मीठे पानी के लिये रात दिन कुएं चलाने का प्रबन्ध किया तथा पानी की व्यवस्था की गई।

तहसील दूदू के जागीरदारों के निजी सम्पत्ति के मामले

१५. (४९३।सी० एम०) श्री अमरसिंह, (दूदू) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील दूदू जिला जयपुर के जागीरदारों के कितने पर्सनल प्रोपर्टी के मामले डिप्टी कलेक्टर जागीर, जयपुर के दफ्तर में दायर हुए और इनमें से कितने फैसले हो चुके हैं ?

उत्तर

(१) डिप्टी कलेक्टर जागीर, जयपुर के दफ्तर में तहसील दूदू के जागीरदारान की ओर से २५ पर्सनल प्रोपर्टी के मामले पेश हुये इसमें से ५ केसेज में निर्णय दिया जा चुका है। २० केसेज में जागीरदारान की ओर से सबूत पेश नहीं होने के कारण पेंडिंग हैं।

कोटा नगर में इम्प्रूवमेन्ट विभाग द्वारा कार्य

१६ (७२८।सी. एम.) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा नगर में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट विभाग ने कब से कब तक कार्य किया ?

(२) उक्त विभाग ने भूमि के बेचान से कुल कितनी रकम प्राप्त की ? प्रत्येक वर्ष की अलग अलग प्राप्ति बताने का कष्ट करें।

Page No 40

(कृष्ण कुमार गोयल)

(३) उक्त रकम में से उक्त विभाग ने कितनी राशि विकास पर व्यय की ? कृपया उक्त विकास का विवरण देने का कष्ट करें।

(४) मंडी कमेटी, कोटा नगर में कब से कार्य कर रही है तथा उसने भूमि के बेचान से अब तक कितनी राशि प्राप्त की ? प्रत्येक वर्ष की अलग २ आय बताने का कष्ट करें।

(५) मंडी कमेटी ने कितनी राशि किस किस क्षेत्र में किस किस कार्य पर विकास के लिये व्यय की ?

(६) अब तक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट व मंडी कमेटी ने कब कब कितना कितना रुपया व किस दर से कुल आय में से नगर-परिषद कोटा को दिया ?

(७) बकाया रकम के लिये सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(१) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट विभाग ने १०-५-४६ के १४-१०-५६ तक कार्य किया एवं १५-१०-५६ से ३१-८-६० तक नजल मैन्ड चम्बल कमेटी ने अन्तरिम अवधि में कार्य किया इसके उपरान्त मंडी कमेटी कोटा की स्थापना हो गई है।

(२) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा की आय का वार्षिक ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया जा रहा है। यह सूचना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा के पुराने रिकार्ड के ब्यौरे के आधार पर है। (स्टेटमेन्ट ए)

(३) इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा १९४६ से १९५६ तक विकास पर १६,६०,४०१ रु० की धन-राशि व्यय की। विकास पर वितरण इस प्रकार है :—

गुमानपुरा, नयापुरा, भीमगंज मंडी, बछोटा तालाब एरिया में विकास कार्य, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, पानी, बिजली व नालियों की मरम्मत। नई सब्जी मंडी का बनाया जाना, मोहन टाकीज सिनेमा के पास की जगह का विकास। छोटा तालाब योजना के गड्ढे को भरा जाना, गुमानपुरा, छोटा तालाब व भीमगंज मंडी में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, भीमगंज मंडी व नयापुरा में सार्वजनिक उद्यानों का निर्माण व विकास।

(४) मंडी कमेटी, कोटा की स्थापना १-९-१९६० से हुई है। इस अवधि में प्राप्त की गई धन-राशि का वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

१९६०-६१—१३, ४६, १६०	रु०
१९६१-६२—११, ६९, ४८३	रु०
१९६२-६३—२, ६८, ४५६	रु०
अप्रेल ६३ से जुलाई ६३ तक	६७,६२५ रु०

(५) स्टेटमेन्ट संलग्न है (स्टेटमेन्ट बी)

(६) इस कार्यालय द्वारा कोई धन-राशि नगर-परिषद् को नहीं दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राजस्थान केनाल के मजदूरों के सर्विस रूल्स

१७ (८७।ए. एम.) श्री केदार नाथ, (गंगानगर) : क्या बड़ी सिंचाई परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केदारनाथ)

राजस्थान कैनाल के मजदूरों (Mechanical side) के सर्विस रूल्स क्या हैं और उनको क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

राजस्थान कैनाल के मैकिनिकल साइड के मजदूर वर्कचार्जड कर्मचारी हैं। वर्कचार्जड कर्मचारियों के सर्विस रूल्स की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। यह रूल्स तारीख २२-५-६३ से लागू हुए हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें और दी जाती हैं:—

(१) आवश्यक कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी दी जाती है।

(२) काम करने वाले स्टाफ में यदि कोई दुर्घटना (चोट या मृत्यु) आदि हो जाती है तो उसका मुआवजा वर्कमेन्स कम्पेनसेशन एक्ट के अनुसार दिया जाता है।

(३) स्टाफ की चिकित्सा के लिये सरकार की ओर से हनुमानगढ़ तथा सूरतगढ़ में चिकित्सालयों की व्यवस्था है। डाक्टर्स कर्मचारियों को नियमित रूप से साइट पर भी जाकर देखते हैं।

(४) इनके मनोरंजन एवं खेलकूद के साधन जैसे कि रेडियो, बोलिबोल, केरमबोर्ड आदि की भी व्यवस्था हैं।

राजस्थान में बेकार व्यक्ति

१८. (६३२।सी. एम.) **श्री हरिराम चौहान, (तिजारा):** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले कई सालों से बेकारी लगातार बढ़ी है?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के पास इसके कोई निश्चित आंकडे नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों नहीं और यदि नहीं तो समस्त राजस्थान में कितने लोग बेकार हैं और कितने अर्ध-बेकार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में पिछले कई सालों से बेकारी बढी है।

(२) यह ठीक है कि सरकार के पास इसके कोई निश्चित आंकडे नहीं हैं क्योंकि राजस्थान में बेकारी का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में सरकार वांछित सूची पेश करने में असमर्थ है।

औद्योगिक विवादों में समझौता कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन

१९. (३६२।आई. ए. एम.) **श्री मानिकचन्द सुराणा, (कोलायत):** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५५ के बाद अब तक कितने औद्योगिक विवादों में समझौता प्रयासों (कन्सीलीएशन प्रोसिडिंग्स) की असफलता (फेल्योर) की रिपोर्ट सरकार के पास आई व उनमें से सरकार ने कितने रेफरेन्स किये और कितनों में रेफरेन्स करने से इंकार किया? सालवार सूची व पक्षकारों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(२) समझौता प्रयासों की असफलता की रिपोर्ट प्राप्त होने से कितनी अवधि में

Page No 42

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
साधारणतया राज्य सरकार रेफरेन्स करने या करने का निर्णय ले लेती है ? क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी हुए हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) रेफरेन्स किये हुए मामलों में औद्योगिक न्यायालय, राजस्थान ने कितने एवार्ड्स दिये उसकी सालवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त एवार्डस में नो डिस्प्यूट एवार्ड्स सालवार कितने हैं, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

"उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।"

(१२.१६. म. प.)

जन लेखा समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री हरदेव जोशी (सभापति, जन-लेखा समिति): मैं जन लेखा समिति के तीसरे प्रतिवेदन (प्रथम व द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन करता हूं, जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित हैं:

(१) विनियोग लेखा, १९६०-६१

(२) वित्त लेखा, १९६०-६१

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६२।

स्थगन प्रस्तावों इत्यादि सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना आयी है। एक स्थगन प्रस्ताव श्री हरदत्तसिंह एवं श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में बतलाया है कि केन्द्रीय यांत्रिक कृषि फार्म, सूरतगढ़ के कुछ अधिकारियों व जिलाधीश, गंगानगर की आज्ञा से कानपुर गांव से लेकर सहुला गांव जिला गंगानगर तक जो बांध हाल ही में बांधा गया है, उसके फलस्वरूप ग्राम दौलताबाद, तहसील अनूपगढ डूब गया है और निकट भविष्य में भी इससे खतरा उत्पन्न हो गया है।

यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता, लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों एवं सदन की जानकारी के लिये कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आज तीसरे पहर इस संबन्ध में एक वक्तव्य दें।

इसके अलावा और भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनके बारे में भी यही व्यवस्था है। माननीय संबन्धित मंत्री महोदय इनके बारे में जानकारी करके, विधायी कार्य समाप्त होने पर वक्तव्य दे दें। मैं सदन की जानकारी के लिये जो स्थगन प्रस्ताव आये हैं वह पढ़ कर सुना देता हूं।

(१) श्री रामानन्द अग्रवाल का जोधपुर विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों में यूनियन के चुनाव के संबंध में हुए आपसी झगड़े के बारे में है।

(२) श्री मानिकचंद सुराणा ने ३-४ रोज पूर्व नीम-का-थाना, पुलिस स्टेशन में नन्दा पुत्र भूरा, जाति मीना, निवासी सिरोही को गिरफ्तार करने एवं उसे पुलिस हिरासत में पीटे जाने तथा उसकी मृत्यु हो जाने से संबन्धित स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) स्थगन की प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटबिहारीलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा भी प्राप्त हुई है। जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि वर्तमान अधिवेशन में अविश्वास के प्रस्ताव के समय धौलपुर सब-डिवीजन में औरतों के अनैतिक व्यापार, अपहरण

(श्री अध्यक्ष)
भ्रष्टाचार, कत्ल तथा डाकेजनी की घटनाओं की ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, उसके परिणामस्वरूप वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधायक तथा उसके साथियों को क्षति पहुंचाने संबन्धी धमकियां दी जा रही हैं।

(४) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने थानेदार भादरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों से संबन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

जैसा कि मैं पूर्व सूचित कर चुका हूं कि इनको प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं करता फिर भी आशा करता हूं कि संबन्धित मंत्री महोदय इस संबंध में जो भी हो स्पष्टीकरण करदें।

(अल्प विराम के अनन्तर)

सदन के समक्ष इसके अलावा कॉल अटेन्शन नोटिस, चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम १२७ के तहत डिस्कशन भी है जो विधायी कार्य समाप्त होने के बाद लिये जायेंगे। पहले विधायी कार्य सम्पूर्ण कर लिया जाय। पहले राजस्थान मनी-लैन्डर्स बिल लिया जायगा, जो बाकी कल रह गया था, उसके पारित करने के बाद राजस्थान टीनेन्सी संशोधन विधेयक नहीं लिया जायगा। उसके बाद राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ पर, विचार किया जायगा। उसके पश्चात् सरकार की ओर से जो भी वक्तव्य देने हों दिये जायेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह (बीगोद): अध्यक्ष महोदय, चम्बल की राइट केनाल को बन्द किया जा रहा है उसके बारे में मेरा स्थगन-प्रस्ताव है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मनी लैन्डर्स बिल।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एड्जोर्नमेन्ट के सिलसिले में सरकार की ओर से वक्तव्य तो आयेंगे ही, लेकिन श्री मुकुटविहारी ने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसके बारे में केवल सरकारी उत्तर से संतोष नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार का प्रश्न है, जिसका संबंध केवल श्री मुकुटविहारी से न होकर सदन के सभी सदस्यों से आ जाता है। इस पर विचार पहले किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय को बदला, इसका एक कारण यह भी था कि कई स्थगन प्रस्तावों के संबंध में माननीय मंत्री महोदयों को जानकारी प्राप्त करनी होगी। कई यहां उपस्थित भी नहीं हैं, उनको भी सूचना देनी होगी। उनको उसके लिये कुछ तैयारी करने, में सूचना इकट्ठी करने में समय मिल जाय इसलिये इसको बाद में रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में भी विशेष तौर से मंत्री महोदय की ओर से अवश्य सन्तोष दिलाया जायगा।

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३

(अग्रेतर खण्डश : विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान मनी लैन्डर्स बिल धारा ४०-ए सरकार की ओर से

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया था ।
[संशोधन इस प्रकार था!] :

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व):

for the words, figure and letter "section 20 or 20 A" substitute the words figure and letter "section 5, 20, or 20A"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४०-ए में जो प्रावधान किया गया है, उसकी जो भावना है उसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के अनुसार जो गैर कानूनी कार्यवाहियां मनीलैन्डर्स करेंगे, चाहे वे धारा ५ में हो, चाहे क्लॉज २० में हो, चाहे क्लॉज २०-ए में हों, जो क्लॉज ३८ के तहत दंडनीय है। इनके पहले क्लॉज जो ३७ है, उसमें संशोधन करके क्लॉज ४० है उसको हटा कर इसके महत्व को इसकी पैनेल्टी को काफी ढीला कर दिया गया है। लेकिन अब क्लॉज ४०-ए के अनुसार इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है जिससे मनीलैन्डर्स के खिलाफ जो भी वे कानून की अवहेलना करें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। सरकार की यह मन्शा इस बिल के खिलाफ एक्शन लेने का प्रावधान मुख्तलिफ धारा में किया गया है। एक दम इस धारा द्वारा वह छीना जा रहा है। अर्थात् इस धारा के अनुसार केवल रजिस्टर्ड मनी लैन्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार होगा उसकी पूर्व सवशन लाजिमी होगी। इसका मतलब यह हुआ अध्यक्ष महोदय कि क्लॉज ५ के तहत मनी लैन्डर्स लाइसेन्स लिये बगैर भी काम करें तो भी उसके खिलाफ न सिर्फ पुलिस कोग्नीजेबल ओफेन्स में भी उसके खिलाफ या सामान्य आदमी जाकर किसी कोर्ट में या अदालत में उसके खिलाफ इस्तगासा नहीं कर सकता। उसके खिलाफ चारा-जोई नहीं कर सकता।

जो क्लॉज ३८ के तहत ज्यादा सूद ले और जिस जिस तरह के अपराध इसके अन्दर दंडनीय माने गये हैं, उन तमाम अपराधों के लिये प्राईवेट आदमी कोई भी एक्शन कोर्ट द्वारा नहीं लिवा सकता, इसके लिये पूर्व स्वीकृति रजिस्ट्रार से लेना आवश्यक होगा सब से बड़ा मनी लैन्डर को यही प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इसलिये कहता हूं कि किसी भी कानून के दुरुपयोग की आशंका हो, यह तो एक प्रकार से कानून की अवहेलना करने वाले को बहुत बड़ा आश्रय दिया जा रहा है। इस कानून की मन्शा के खिलाफ है इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह मोशन रखा था, उस समय इसकी विस्तृत जानकारी दे दी थी, जो २० और २० ए के सिलसिले में है। रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी रजिस्ट्रार से होता है खामख्वाह लिटिगेशन न हो वास्तव में बढ़ता है इसके अलावा उसकी रोक के लिये यह प्रोविजन है और कोई इसकी मन्शा नहीं है। आपने जो विरोध किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ४०-ए के बारे में जो उप-मंत्री महोदय द्वारा संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४०-ए संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४०-ए, संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ४०-बी

श्री अध्यक्ष :

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

संशोधन इस प्रकार है:

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

a In the table of offences under sub-clause (1) the following be deleted :—

Offence	Section applicable	Persons
(i) Charging or recovering interest at a rate exceeding the maximum rates fixced under Sub-Section (1) of Section 27.	27,38	—
(ii) Entering of wrong Sum in bond etc.	36	—
(iii) Molestation	37	—

(b) Sub-Clause (2) and (3) be delet.d.

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) :

In part (b) of Sub-Clause (2) replace the word 'five' by the word "two".

अध्यक्ष महोदय, ४०-बी के तहत सरकार ने मनी लैन्डर्स को जो कि ऑफेन्डर्स हैं, क्राइम किया है, उसको और आगे सुविधा दी गई है । पहले सुविधा यह थी कि उससे इम्प्रीजनमेन्ट से मुस्तस्ना कर दिया है, कोग्नीजेबल ओफेन्स हटा दिया है । तीसरा प्रोसीक्यूशन से पहले रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, अब जो सुविधा ४०-बी के तहत दी जा रही है, जिसमें प्रावधान किया गया है अगर जुर्म करता है, तो उनका राजीनामा किया जा सकता है, पैसे देकर खत्म किया जा सकता है । इसका आखरी सब-क्लॉज है वह पर्नीशस है, राजीनामा करने के वाद फर्जी कागजात बनाये हैं ।

इसमें यह कहा है कि जितने भी जुर्म इसके तहत हैं, सबका राजीनामा हो सकता है और राजीनामा होने के बाद यह माना जायगा कि वह आदमी बरी हो गया, उसके ऊपर कोई काला धब्बा नहीं लगेगा, वह डिस्क्वालीफाइ भी नहीं हो सकेगा । इस तरह का प्रावधान इस ४०-बी के तहत किया गया है, तो यह एक तरह का बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट है । मैं समझता हूं कि एक प्रावधान सरकार और कर दे और मैं मंत्री महोदय को सजेस्ट करूंगा कि उनको एक मैरिटोरिअस सर्विसेज का सर्टिफिकेट देने का और प्रावधान कर दें, तो यह जो सारा बिल है उसका परपज हल हो जायगा । इसमें तीन क्लॉजेज को बिल्कुल निकालने के लिये संशोधन किया है, एक तो :

(रामानन्द अग्रवाल)

"Charging or receiving interest at a rate exceeding the maximum rates fixed under sub-section (1) of Section 27."

जहां मुकर्रर किया हो उससे ज्यादा सूद वसूल करे, उसको कम्पाउन्डेबल न रखा जाय : दूसरे, "Entering of wrong sum in bond etc." क्लॉज ३६ के तहत जो बोर्ड के अन्दर गलत रकम ५०) रु० का १००) रु० लिखवा दें, उसको कम्पाउन्डेबल न रखा जाय और तीसरे, जो मोलेस्टेशन किया जाय उसको कम्पाउन्ड न किया जाय, क्योंकि यह तो बडा हीनियस ऑफेन्स है । यह ऐसा ऑफेन्स है जिसके बिना पर ऐसे आदमी को इस प्रोफेशन में नहीं रहने दिया जाय, वर्ना दूसरे लोगों को और भी बदनाम करेंगे ।

इसके अलावा मेरा संशोधन और है कि जो रजिस्ट्रार को पॉवर दी है कम्पाउन्ड करने की २० और २०-ए में कि सिर्फ ५० रुपये लेकर कम्पाउन्ड करे, वह नहीं होना चाहिये । यह अवहेलना इतनी गम्भीर है कि डेटरों के प्रोमिसरी नोट्स और डॉक्यूमेन्ट्स का स्टेटमेन्ट नहीं दे, और जो रुपया वसूल किया हो उसकी रसीद नहीं दे या उसको रुपया दिया हो, उसके डॉक्यूमेन्ट को कैन्सिल नहीं करे, इस तरह के गंभीर कानून की अवहेलना करे, उसके लिये आप रजिस्ट्रार को यह पॉवर देना चाहते हैं कि वह ५० रुपये तक उस ऑफेन्स को कम्पाउन्ड कर दे, मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रोविजन्स क्लॉज ५ के यानि अगर वह लाइसेन्स न ले, उसका भी कम्पाउन्ड करने का इसके अन्दर अधिकार दिया है, तो आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज़ की धारा ५ के तहत जो इस कानून की मन्शा है, मनीलैन्डर्स को रेग्यूलेट करने की और कन्ट्रोल करने की, वह तो पूरी नहीं होती । उसमें एक तो बडा लूपहोल सरकार ने रख दिया कि बगैर लाइसेन्स लेने वाले मनीलैन्डर अगर अदालत में दावा करने जायं तो अदालत उसका दावा खारिज नहीं कर सकता, बल्कि उसको मौका मिलेगा कि वह लाइसेन्स ले ले, उसको ३ माह, ६ माह का मौका मिलेगा । एक तो प्रावधान दफा ११ में भी करके इस कानून को और ढीला बना दिया, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

दूसरा यह है कि क्लॉज़ ५ के तहत अगर कोई आदमी पकडा भी जाय बगैर लाइसेंस के व्यापार करता हो, मनीलैन्डिग करता हो, तो रजिस्ट्रार साहब को अधिकार दिया है कि वह राजीनामा करले । उसमें से कुछ रुपया ले ले और उसको छोड दे । तो इस क्लाज के लिये, जो यह एक सोसाइटी में इविल माना गया है जिसमें राजस्थान सरकार ने खुद स्वीकार किया है वह दूसरी स्टेट्स से बहुत पीछे है । इस कानून को ला रही है जबकि आल इंडिया लेवल पर इस इविल को दूर करने का कदम बहुत पहले से उठाया जा रहा है इसके बारे में कितनी कमेटीज बैठी हैं, उन्होंने सिफारिश की है कि इस इविल को खत्म करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिएं । इतनी देरी के बाद जो कदम सरकार उठा रही है, उसको सरकार एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और यह पांचवां प्रोविजन है जिसके जरिए सरकार इस कानून को बिलकुल निष्प्रभ बना रही है । क्लॉज़ ५ की और क्लॉज़ ११ की वकत बिल्कुल खत्म हो जायगी । कोई लैन्डर आज इस कानून के पास होने के बाद जैसा मंत्री महोदय ने रखा है कोई जरूरत नहीं है कि वह लाइसेन्स ले । जितना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
समय चोरी छुपी काम निकलेगा, निकालेंगे, उसके बाद कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है। इसलिए यदि सरकार की यही नीति है तो अच्छा होगा कि स्टेच्यट बुक पर इस तरह का कानून न रखें। अगर ईमानदारी है तो कानून को सही तरीके से रहने दें और इस तरीके से इन क्लॉजेज को रख कर इनको बिल्कुल निर्मूल न बनाएं। ऐसा न कर दें कि इसके तहत कुछ कार्यवाही न की जा सके। यह कह कर मैं अपने अमेण्डमेन्ट्स को मूव करता हूं।

श्री **गंगासिंह राठौड** (जायल): अध्यक्ष महोदय, न्याय की दृष्टि से जो राजीनामा का क्लॉज रखा गया है, वह मैं उपयुक्त समझता हूं क्योंकि जिस किसी का कुसूर हो, तो उसके ग्रीवन्सेज अगर रिड्रेस हो सकते हैं और उसके बाद में अगर राजीनामा हो सकता है, तो उचित है। इस समय पीनल कोड में भी ऐसा प्रावधान है कि २५०) रु० तक की चोरी हो तो वह कम्पाउण्डेबल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यह जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कानून है, उसके लिए राजीनामा का क्लॉज बहुत जरूरी होता है। मेरा इसमें यह अमेन्डमेन्ट है कि सब-क्लॉज बी के अन्दर कम्पाउन्ड करने का जो ५००) रु० तक रखा है, उसके बजाय २००) रु० रखे जायें, क्योंकि सब-क्लॉज (२) के (ए) के अन्दर आपने ५० रुपये तक रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह उपयुक्त समझूंगा कि सब क्लॉज (२) (बी) के अन्दर २००) रुपये तक रखा जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): क्लॉज ४०-बी के संबंध में दो किस्म के अमेंडमेंट्स हैं, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने २७, २८, ३६ और ३७ क्लॉजेज के बारे में रखे हैं। ४०-बी में जो शिड्यूल रखा गया है उसे हटा दिया जाय। ऐसी भी तरमीम रक्खी है इसका मतलब यह है कि इन क्लॉजेज के तहत आने वाले मामलों को कम्पाउंडेबल नहीं रखा जाय। दरअसल यह जो स्पेशल एक्ट के तहत केसेज हैं, इस प्रकार के इसमें ३ साल की सजा है, स्पेशल एक्ट के तहत आने वाले ऐसे केसेज आम तौर पर बेलेबल होते हैं, नोन-कॉग्नीजेबल होते हैं और इसको हमने कम्पाउन्डेबल भी रखा है वह इसलिए कि अगर जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, अगर स्वयं वह कम्पाउंड करना चाहता है, तो सरकार को ऐतराज नहीं होना चाहिये।

आपने दूसरी दलील यह दी है कि for contravention of the provisions of sections 20 or 20A" पचास रुपये का सम लेकर कम्पाउंड करने का अधिकार और ५००) रु० का सम लेकर क्लॉज ५ के तहत कन्ट्रांवेन्शन में कम्पाउंड करने का अधिकार जो रजिस्ट्रार को दिया है, यह भी नहीं देना चाहिए। २० और २०–ए के तहत इस प्रकार के केसेज हैं जहां पर क्वार्टरली या एन्युअल रिटर्न्स देने पडते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार को और डेटर्स को भी, अगर नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के केसेज में अगर ५० रुपये लेकर कम्पाउंड कर दिये जायं तो यह कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्य को इतना एतराज हो।

इस तरह से लाइसेंस की बात है जिसके लिए भी पैनेल्टी रखी गई है। दूसरी पैनेल्टी

Page No 48

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
केस चलाने की है जिसके अंदर उसको सजा दी जा सकती है और उसके अन्दर अगर मुनासिब समझा जाय परिस्थितियों को देख कर ५०० रुपये की पैनेल्टी लगा कर कम्पाउंड करने का अधिकार है तो यह बेजा नहीं है। इसलिए जो इम्प्रीजनमेंट का क्लॉज था उसको डिलीट कर दिया है, इसलिए मैक्जीमम पनिशमेंट ५००) रु० रखी है। अतः यह क्लॉज उसके बिल्कुल अनुकूल है।

दूसरे माननीय सदस्यों ने इसके अन्दर जो ५००) रु० का लिखा है उसके बजाय २००),रु० २५०) रु० चाहा है, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। जो रकम रखी गई है वह उचित ही है क्योंकि अगर कम्पाउंड भी करना है तो ऐसी पैनेल्टी जरुर ली जानी चाहिये ताकि आगे से रिपीटीशन न हो। इसलिये मैं माननीय सदस्य से अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लें और क्लॉज ४०-बी as it is पास कर दें।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री **गंगासिंह राठोड** (जायल) : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने ४०-बी में रखा है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री **गंगासिंह राठोड** : मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४०-बी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४०-बी विधेयक में अंग रूप से जोड गया।

(विराम)

क्लॉज ४१, श्री **विजयसिंह झाला** : संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत किये गये :

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : replace the clause by the following :—

"41 No person shall be arrested or imprisoned in execution of a decree for money passed in favour of a money-lender, whether before or after the date on which this Act comes in to force."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(i) Delete the words "who cultivates land personally and whose debts do not exceed fifteen thousand rupees."

(ii) Delete the explanation.

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४१ के अनुसार ४ हमारे माननीय उपमंत्री महोदय ने एक बड़ी भारी सहूलियत दी है कर्जदारों को

Page No 49

(श्री विजयसिंह झाला)

और मेरी समझ में वे देकर भी वापिस लेना चाहते हैं उसे। आपने कहा है कि जो पर्सनल काश्त करते हैं स्वयं उसको काश्तकार मान कर आपने उनके लिये यह नियन्त्रण लगाया है कि उस पर अगर १५,०००) रु० से कम का कर्जा है तो उसकी एग्जीक्यूशन डिक्री के लिये जेल नहीं होगी।

मैं समझता हूं कि केवल इतने से प्रोवीजन से ही काम नहीं चलेगा। यही पर्याप्त नहीं होगा। आप केवल काश्तकारों को यह सुविधा देना चाहते हैं पर जो शिड्यूल्ड कास्ट के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और जो रुपया रोज कमाते हैं, उनके लिये क्या करना चाहते हैं। साथ ही जो सरकारी नौकर हैं, पचास रुपया माहवार का चपरासी है, उसके लिये क्या करना चाहते हैं। आज के युग में किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिये जेल हो तो, मैं इस सिद्धान्त का घोर विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई कर्जदार अगर रुपया नहीं देता है तो उस हालत में नहीं देता है, जब देने के लिये उसके पास कुछ होता नहीं है। आपके कानून के अन्दर बहुत से इस प्रकार के प्रावधान हैं कि आप उसकी सारी की सारी सम्पत्ति को नीलाम कर सकते हैं, मकान को नीलाम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की उसकी कोई सम्पत्ति है तो आप उसे नीलाम कर सकते हैं। उसके बाद में भी सन्तोष नहीं होता है और ऐसी दशा में आप चाहते हैं कि जेल में उसको बन्द कर दिया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह आज के प्रजातन्त्र के युग में एक कलंक है, गांधीजी के सिद्धान्तों की हत्या होगी, यह अगर इसको मानेंगे तो।

अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सरकारी नौकर है, गरीब है, उसी के सहारे उसके परिवार का भरण-पोषण किसी तरह चलता है, आपका यह कानून उसको जेल भेजकर उसकी नौकरी छुड़ाना चाहता है, उसके बाल बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ना चाहता है। आप इस के द्वारा मजदूर की मजदूरी छुड़ाना चाहेंगे, और कोई गरीब किसी प्रकार का धन्धा करता है तो आप उसका धन्धा ठप्प करना चाहते हैं उसे जेल भेजकर और जिसको आप जेल में रख देते हैं, अगर उसके पीछे दूसरा कोई परिवार में कमाने वाला नहीं है, उसके छोटे छोटे बाल-बच्चे हैं, तो उस कर्जदार के जेल जाने के बाद, पीछे उसके बाल-बच्चों की रक्षा के लिये आपके पास क्या प्रावधान होगा ?

साथ ही जेल देने से कर्जदार का रुपया तो उसे मिलता नहीं है, उल्टे उसे तो उसके जेल भेजने का खर्चा देना पड़ेगा जेल में रखने का। ऐसी सूरत में खर्चा देकर जेल भेजें, यह मैं समझता हूं कि इज्जत लेने के सिवाय और दूसरा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। केवल किसी की विवशता और मुसीबत का इस तरह से पनिशमेण्ट देना मानवता के भी विपरीत है। किसी के सामने मुसीबत होती है, विवशता होती है, किसी के सामने कोई रास्ता नहीं होता है अपने कर्जे को चुकाने का उसको आप जेल में बन्द कर देते हो तो हम इस सिद्धान्त का घोर विरोध करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी, जो मैंने संशोधन रखा, क्लॉज ४१ में इसकी जगह नया क्लॉज जोड़े जाने संबंधी कि:

"41 No person shall be arrested or imprisoned in execution of a decree for money passed in favour

(श्री विजयसिंह झाला)

of a moneylender, whether before or after the date on which this Act comes into force."

उसकी वसूली के लिये आप ज्यादा से ज्यादा सख्त प्रावधान बना सकते हैं। पर जेल में भेजना उचित नहीं है। इससे साहूकार का में रुपया भी मिलेगा नहीं बल्कि जो थोड़ा बहुत उस समय कमा रहा होगा और अपने परिवार का किसी तरह भरण-पोषण कर रहा होगा, उससे भी वह वंचित हो जावेगा। इसलिये मेरे इस संशोधन को आप स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी जो संशोधन इस क्लॉज ४१ में पेश किया है, उसका भी मकसद यही है कि जो कर्जदार कर्जा अदा नहीं कर सका हो, उसको डिक्री के एग्जीक्यूशन में इम्प्रिजनमेन्ट नहीं दी जानी चाहिये। वह चाहे कल्टीवेटर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो सरकार का, चाहे किसी भी वर्ग का वह हो।

और अध्यक्ष महोदय, अब जब कि सरकार ने स्वयं ने इस बिल में ऐसे संशोधन किये हैं, जिसमें कि मनीलेंडर के लिये जितने भी प्रावधान थे, जिसमें उसको इम्प्रिजनमेन्ट हो सकता था, उन तमाम प्रावधानों को सरकार ने वापिस ले लिया है। गरज यह कि सरकार ने स्वयं ने यह महसूस किया है कि इस कानून के तहत हम मनी लेंडर के लिये किसी भी तरह की पैसे की सजा रख सकते हैं, लेकिन उनको कॉरपोरल पनिशमेन्ट, जिस्मानी पनिशमेन्ट नहीं दें, कैद की सजा उनको न दें, इस दृष्टिकोण से धारा २७ में संशोधन स्वीकार किया है, तो डेटर के साथ कम से कम इतना तो सहानुभूति का रुख आप रक्खें कि उसको जेल नहीं हो सके।

दूसरी तरमीम मेरी यह भी है कि सिविल प्रोसीजर कोड की तहत कोई भी डेटर अधिक से अधिक छ: महीने के लिये जेल भेजा जा सकता है और वह भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वह भी क्रैडिटर द्वारा खर्चा देने पर। अब इसमें यह तो गारन्टी नहीं है कि जेल में भेजने के बाद उसका वह पैसा वसूल हो ही जावेगा। वह वसूल होगा असैट्स है या प्रोपर्टी है तो। तो इस प्रोपर्टी को अटैच करने के वास्ते कानून की धाराएं वैसे भी मौजूद हैं और कानून की उन धाराओं के तहत अपना पैसा उसकी प्रोपर्टी से वसूल किया जा सकता है। ऐसी हालत में यह प्रिमिटिव आइडिया है, रि-एक्शनरी आइडिया है कि डेटर को विवशता के कारण जलील करके जबरदस्ती छ: महीने जेल में रखा जावे और जब सरकार ने इस बात को कल्टीवेटर के लिये अनुचित माना है तो समान व्यवहार के नाते दूसरों के लिये भी अनुचित माना जाना चाहिये। वह क्यों? एक मेहतर का, जो कल्टीवेशन नहीं करता है, जेल में जाना उचित समझता है, एक चमार और मजदूर है, तांगे वाला और रिक्शे वाला है, छोटे कर्मचारी और क्लर्क लोग हैं, उनका जेल जाना क्यों उचित समझती है? यह किस दलील के ऊपर है। यह जो डेफीनिशन है यह बिलकुल अनुचित है और अनावश्यक है। इसलिए अगर आपने इस प्रिंसिपल को स्वीकार किया कि कल्टीवेटर्स को इसमें नहीं भेजा जाना चाहिए, इस भावना का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्वागत करता हूं लेकिन इसके लोजीकल कान्क्लूजन तक पहुंचे, इसको लोजीकल बनायें और कम से कम इस कलंक को, इस दृष्टि से राजस्थान में अपनी पहलकदमी करें और इस कलंक को कि कर्जे के बारे में किसी को भी कैद हो इसको मना कीजिए। यह मेरा अमेन्डमेन्ट है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। उनके ५ अमेन्डमेन्ट्स हमने हमारी अनिच्छा होते हुए भी स्वीकार किये हैं मनीलेण्डर्स के हक में, तो यह जो एक अमेन्डमेन्ट डैटर के हक में है इसलिए इसको स्वीकार करेंगे, एसी मैं आशा रखता हूं, मंत्री महोदय से।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के संबंध में यह आपत्ति उठाई गई कि किसी भी कर्जदार को सजा नहीं होनी चाहिए क्लॉज ४१ के तहत जो हमने एग्जेम्पशन्स दिये हैं और बाकी के जो बच जाते हैं, उनको भी नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ५१ सी० पी० सी० की प्रावधान करती है कि किनको सजा हो, किन को नहीं और किन सूरतों में सजा हो और उसमें जो प्रावधान हैं, वह जनरल प्रावधान हैं, सब को लागू होती है। उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने एक एग्जेम्पशन का क्लॉज यहां रखा है। इसलिए इसकी कितनी गम्भीरता है कितनी नहीं इसको जानने के लिए मैं संक्षेप में उन प्रावधानों को बताता हूं जो सिविल प्रोसीजर कोड से इसमें लागू किये गये हैं। वह प्रावधान यह है। जेल का प्रोवीजन करते हुए किया है:

"Povided that, where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless, after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the Court, for reasons recorded in writing, is satisfied—

(*a*) that the judgment-debtor, with the object or effect of obstructing or delaying the execution of the decree,—

(*i*) is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Court, or

(*ii*) has, after the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property, or committed any other act of bad faith in relation to his property, or

(*b*) that the judgment-debtor has or has had since the date of the decree, the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof and refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same."

यह सूरतें हैं जिनमें सिविल जेल में कोई भी आदमी जा सकता है वर्ना नहीं। ये सूरतें वही बरकरार हैं। इनके होते हुए भी हम एक स्टैप आगे गये हैं कि काश्तकार की डेफीनिशन में आने वाले आदमियों के लिए हमने कहा है कि (१५,०००) रु० से कम का कर्जा हो, तो ये सब बातें होते हुए भी उसको जेल में नहीं जाना पड़े। यानी जेल में वही जायेगा जो कि सारी कन्डीशन्स को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमारा जो

Page No 52

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
आर्डिनरी लॉ ऑफ दी लैण्ड है उसके होते हुए भी हमने एक प्रिफरेन्शियल ट्रीटमेन्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट को दिया है जो कि मनी-लेण्डर्स के फन्दे से बचाने के लिए यह कानून है, उसमें दूसरे लैण्ड रेवेन्यू की स्कीम है उसका अंग है, । इसलिए हमने यह रिलीफ दी है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के इनकन्सिस्टेन्ट है जब कि दूसरे राज्यों में यह क्लॉज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहां पर इन्क्लूड किया है कि १५,०००) रु० के नीचे का कोई भी डैटर हो, तो चाहे दूसरी कन्डीशन्स जेल की सेटिस्फाई भी करता हो तब भी उसको सजा नहीं दी जाये । यह इतना बड़ा कन्सेशन है कि इसके खिलाफ यह कहना कि जेल की सजा किसी को हो ही नहीं, यह आर्टीकल १४ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन है उसको हिट करता है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल: (अलवर): १४ में यह कोई फन्डामेन्टल राइट नहीं है कि जेल जाना किसी का फण्डामेन्टल राइट है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो रिलीफ इसके अन्दर दी है यह काफी है और सी० पी० सी० की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी के लोगों को खास तौर से बचाने के लिए यह एग्जेम्पशन दिया गया है, लण्ड रिफॉर्म्स की स्कीम के अन्तर्गत । इसलिए जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उससे मैं असहमत हूं और जो क्लॉज जिस तरह से है उसको ही स्वीकार किया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके उत्तर में यह कहना चाहता हूं कि माननीय उप-मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अन्दर यह स्वीकार तो किया कि सी० पी० सी० में जो प्रावधान है, उससे आगे जाकर भी हमने एक पर्टीकुलर क्लास के लिए यह सुविधा दी है । तो यह सुविधा दिये जाने के बारे में सरकार उसूलन सहमत है । इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं, यह तो उन्होंने स्वीकार किया; तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह सुविधा दूसरों को देने में क्या आपत्ति पेश आ जायेगी । सोसाइटी में ऐसी क्या समस्या खड़ी हो जायेगी उसकी तरफ उन्होंने कोई इंगित नहीं किया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दूसरे लैण्ड रिफार्म्स की स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसके बारे में भी उप-मंत्री महोदय को बता दूं कि रिलीफ ऑफ एग्रीकलचर इन्डेटेडनेस एक्ट में कम से कम एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन में शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स को भी इन्क्लूड किया है और जो डेफीनिशन इसके अन्दर है वह इसके अन्दर इन्क्लूड नहीं करता । इसलिये जहां तक लैण्ड रिफॉर्म्स की स्कीम है उसके तहत भी जिस हद तक सरकार दूसरे कानूनों में गयी है वह इस कानून में जाने को सरकार तैयार नहीं हो रही है । जहां तक इस कानून का सवाल है यह लैण्ड रिफॉर्म्स से भी ताल्लुक रखता है । इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो, कल्टीवेटर्स नहीं हैं उनके ऊपर भी जो मनीलेण्डर्स का असर होता है टाउन्स में, अर्बन एरिया में और खास तौर पर वर्किंग क्लास पर यह खान लोग किस तरह से मजदूरों को परेशान करते हैं किस तरह से उनका खून चूसते हैं ; उनसे भी इस कानून के जरिये उन डैटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गयी है इसलिये

Page No 53

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यह मंत्री महोदय का कहना सही नहीं है कि यह मनीलेण्डर्स बिल पूरा का पूरा उसी हद तक सीमित है जहां तक कि लैण्ड रिफार्म्स आते हैं। इसका स्कोप ज्यादा काम्प्रिहेन्सिव है। इसलिये उसका कनसिस्टेटली अगर सरकार कानून बनाना चाहे तो मैं कहूंगा कि कम से कम यही १५ हजार रुपये का रखना चाहते हैं तो यह वर्किंग-क्लास के लिए रखें, मजदूरों के लिए रखें और जो इन्डस्ट्रियल लेबरर्स हैं, कर्मचारी हैं कोई भी आदमी जिसकी आमदनी २५०) रु० से ज्यादा नहीं है उन तमामों को आप यह प्रोटेक्शन दे दीजिये। २५०) रु० तक के कमाने वाले लोग हैं उनके लिए रखें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। अगर आप यह २५०) रुपये वाला प्रावधान रख देंगे तो तमाम वर्किंग क्लास को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, मजदूरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्ना आपकी यह दलील कि आप ज्यादातर लोगों को राहत देना चाहते हैं वह आपकी दलील बेकार है और मनीलेण्डर्स को जिस तरह से राहत आपने दी है वह सब तरह से जाहिर हो जायेगी कि आप किनको सुविधा देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रैस करूंगा कि मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: Both of them can be taken together.

श्री अध्यक्ष: आइडेन्टीकल नहीं है, डिफरेन्स है थोड़ा बहुत।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा, उसे स्वीकार किया जाये ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

विपक्ष के माननीय सदस्य: 'हां' पक्ष जीता।

(विभाजन घंटी)

मैं पुनः प्रश्न रख देता हूं।

(१.०० म. प.)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ पर श्री विजयसिंह झाला का संशोधन जो है वह इस प्रकार है :—

"Replace the clause by the following :—

"41. No person shall be arrested or imprisoned in execution of a decree for money passed in favour of a money-lender, whether before or after the date on which this Act comes into force."

इसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): 'हां' पक्ष जीता।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): Noes have it.

Page No 54

श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री विजय सिंह झाला: 'Ayes' have it.

श्री अध्यक्ष: लॉबीज में जाना चाहते है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want to record votes on this.

श्री अध्यक्ष: लॉबीज में विभाजन हो।

(विभाजन के पश्चात्)

संशोधन के पक्ष में ४२ वोट और उसके विरोध में ५२ वोट आये।

संशोधन गिर गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य:

'हां' पक्ष की सूची:

श्री ए. जब्बार
श्री अभय सिंह
श्री अमरसिंह (दूदू)
श्री बालूराम चौधरी
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चौथमल वर्मा
श्री चोसर सिंह बाबेल
श्री डूंगा राम राजोरिया
श्री दुर्गालाल बाढदार
श्री गंगासिंह राठौड (जायल)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री जावन्दसिंह
ठार श्री जीवराजसिंह
श्री केदारनाथ
श्री केसरसिंह (पाली)
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
श्री ललित मोहन
महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
कुं० श्री महेन्द्रसिंह गायडी
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री माधा
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नाना राठोड
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
ठा० श्री रघुवीरसिंह बिसाउ (मंडावा)
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री सागरमल
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री शिवनारायण छाछिया
श्री श्योपतसिंह
श्री सौभागसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
रावत श्री उम्मदसिंह
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयपाल कटारा
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल

'ना' पक्ष की सूची:

श्री अलदाराम मीणा
श्री आनन्दसिंह कछवाहा
श्री बरकतुल्लाखां
श्री भगराज चौधरी
श्री भरतलाल

Page No 55

श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेश लाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिराम धारु (सिमाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जमनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री केसरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशनसिंह बाटड
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिस खां
श्री मालम सिंह
श्री मनफूल सिंह
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्रीमती नगेन्द्र बाला
श्री नारायणसिंह मसूदा
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डा० पोहूमल ईसरदास
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रावतराम
श्री शंकरलाल जाट
श्रीमती सुमित्रा
श्री विरधाराम फुलवारिया]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मनीलैन्डर्स की ताकत थोड़ी सी ज्यादा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of order, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हम 'हां' पक्ष की लॉबी में गये वहां पर एक पुस्तक पड़ी मिली, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज था; यह पुस्तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली हुई है। यह किताब नीचे पड़ी हुई थी जिस पर बहुत से सदस्य पैर देकर गये होंगे। बाद म यह मालूम हुआ कि इस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है · · ·

श्री अध्यक्ष : इसमें अपमान का क्या प्रश्न है ?

श्री विजयसिंह झाला : राष्ट्रीय ध्वज पर लोगों के पैर पड़े।

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह किताब किसी के हाथ से

(श्री बरकतुल्ला खां)

गिर गई, या किसी ने बाद में गिराई, ये दो गंभीर प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिन्होंने पैर रखे वे कौन लोग थे ?

श्री विजयसिंह झाला : जिस समय हम वहां गये, यह किताब वहां पड़ी हुई मिली।

श्री बरकतुल्लाखां : अब किताब तो लौटा दें।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ४१ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल का है वह इस प्रकार है :

"1. Delete the words 'who cultivates land personally and whose debts do not exceed fifteen thousand rupees'.

2. Delete the explanation."

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४१ विधेयक का अंग बने।

क्लॉज ४१ विधेयक के अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ४२

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया क्लॉज ४२ जोड़ना चाहता हूं, वह इस तरह से है :

"42. *Prohibition of attachment.*—Notwithstanding anything contained in any law to the contrary, no dwelling house of a debtor shall be attached in lieu of a debt, if he owns only one such dwelling house whose value is not more than Rs. 5,000/- if it is situated in a city or town, or Rs. 2,000/- if it is situated in a village."

मेरा इस क्लॉज को लाने का मकसद यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सामान्य आवश्यकताएं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में मिलनी चाहिये-वे सुविधाएं मिनिमम मात्र हैं, किसी व्यक्ति के पास है तो किसी क्रेडिटर को, या किसी मनीलेंडर को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये कि उसकी आर्थिक स्थिति के बिगड़ जाने के कारण वह उसको मिनिमम सुविधाओं से भी वंचित कर सके। जो मैं क्लॉज रख रहा हूं उसके पीछे बुनियादी सिद्धान्त यह है अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें यह रखा है कि शहर या कस्बे में जिस व्यक्ति के पास ५ हजार तक की लागत का कोई मकान एक ही है, तो वह किसी कर्जे में नीलाम वगैरह नहीं होना चाहिये। और देहात में ऐसा मकान रखा है, जो एक हजार की लागत का है तो वह कुर्क या नीलाम नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज से पहले जब हिन्दुस्तान में आजादी नहीं आई थी, तब पंजाब की यूनियनिस्ट मिनिस्टरी में चौधरी सर छोटूराम जिस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उन्होंने पंजाब में इस प्रकार का प्रावधान रखकर जो वहां के डेटर्स थे, कर्जदार थे उनको राहत दी थी। तो इस तरह से आजाद हिन्दुस्तान होने से पहले ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तहत हिन्दुस्तान था उस वक्त इस प्रकार की हुकूमत कायम थी, खास तौर से सिकन्दरहयातखां मिनिस्टरी जिस की तहत यह कानून पास हुआ था। सिकन्दरहयातखां और उनकी पार्टी खास तौर से ब्रिटिश हुकूमत के स्टूग्ज का काम करते थे, उन्होंने इस तरह का प्रावधान आजादी से पहले किया था। इसी प्रावधान को आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जब कि हमारे सामने समाजवादी समाज का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है, इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जाय तो अनुचित नहीं होगा। बल्कि बहुत पहले किया जाना चाहिये था, नहीं किया उसको आज करने का मौका आया है। इसकी तहत डिमान्ड है वह इतनी ही है कि जिस मकान में वह रहता है या जो शेल्टर है, उससे निकाल कर उसको सड़क पर न बैठाया जाय। आज इस प्रकार का प्रावधान हम किरायेदारों के लिये भी बनाते हैं। एक किरायेदार मकान में रह रहा है तो उस मकान के मालिक को अधिकार नहीं है, यदि उसके पास रहने के लिये मकान है तो, मालिक भी ओनर होते हुए भी किरायेदार को बाहर नहीं निकाल सकता। उसके पीछे भी यही सोशियल जस्टिस है। यह आइडिया है कि हमारे सभ्य समाज में हर व्यक्ति को शेल्टर मिलना चाहिये। यह सरकार का कर्तव्य है कि हर आदमी को वह शेल्टर की सुविधा दे, खाने की सुविधा दे, हर आदमी को रोजगार दे। यदि अध्यक्ष महोदय, इस ओर सरकार को कदम उठाना है तो और कानून पास किये हैं उनके पीछे भी सिद्धान्त यही है तो जो अमेन्डमेन्ट मैंने सजेस्ट किया है उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपना अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, धारा ४२ अटेचमेन्ट आॅफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के सम्बन्ध में थी, उसको सिलेक्ट कमेटी ने डिलीट किया उसका कारण यह है कि हमारे यहां सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ६१ है उसकी तहत स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है अटेचमेन्ट की सीमा तक न हो उस बात के लिये एग्जेम्पशन दे सकती है और धारा ६१ में वन थर्ड आॅफ दि प्रोड्यूस को कर रखा है इसलिये इसको अनुपयुक्त समझ कर डिलीट किया गया था। माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा कि शहर में या गांव में मकान इस कीमत का हो तो अटेचमेन्ट नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो अमेन्डमेन्ट रखा है, वह सिकन्दरहयातखां का उदाहरण लाकर प्रस्तुत किया है। जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उसका ओरीजिन बता दूं तो जो स्टेन्ड मैंने लिया है, वह सही मालूम होगा। पंजाब में जो सेक्शन ६० था वह आजकल ६१ है। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन ६० में यह एग्जेम्पशन किया है, जो लेंग्वेज अमेन्डमेन्ट मूव किया है उसकी है वह सेक्शन ६१ में आजकल है:

"The State Government may, by general or special order published in the official Gazette, declare that such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce, as may appear to the State Government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment-debtor and his family, shall in the case of all agriculturists or of any class of agriculturists, be exempted from liability to attachment or sale in execution of a decree.

इस सेक्शन के अन्दर स्टेट गवर्नमेन्ट ने अमेन्डमेन्ट करके, जैसा आपने कहा वह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
दिया है। इसका मतलब यह है कि इसके परव्यू में सिविल प्रोसीजर कोड है और उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट को, जहां स्टेट गवर्नमेन्ट मुनासिब समझेगी और चाहेगी तो एग्जेम्प्ट करने का अधिकार है। इसको डिलीट इसलिए किया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने वन थर्ड ऑफ दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एग्जेम्प्ट करने का प्रोवीजन रखा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेन्ट एग्जेम्प्शन देना चाहे तो सिविल प्रोसीजर कोड के ६१ के तहत नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसलिए इस बिल के अन्दर इस प्रकार की तरमीम से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें यह बात तो उन्होंने स्वीकार की है कि पंजाब गवर्नमेन्ट में..

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सारे हिन्दुस्तान में केवल सिविल प्रोसीजर कोड का इस तरह का अमेन्डमेन्ट पंजाब के अन्दर किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने भी पंजाब की ही मिसाल दी थी। पंजाब हमारा पडौसी है और पंजाब में उस वक्त जो गवर्नमेन्ट थी वह सिकन्दर हयात की गवर्नमेन्ट थी, वह ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से मिल कर चलती थी-वह कांग्रेस गवर्नमेन्ट नहीं थी। वह इस तरह की गवर्नमेन्ट थी जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से मिल कर चलती थी और समाजवादी लक्ष्य उसका नहीं था। यह गवर्नमेन्ट तो प्रेस करती है अपने समाजवादी लक्ष्य को। लेकिन फिर भी इस बात की दलील माननीय उप-मंत्री ने कोई नहीं बताई कि इस एक्ट में स्पेसिफिकली अगर इस तरह का क्लॉज आ जायगा तो कौनसी दिक्कत पेश हो जायगी और न ही माननीय उप-मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि सिविल प्रोसीजर कोड के अन्दर भी इस प्रकार का प्रोवीजन रखने वाले हैं.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: That is what I say. अभी कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार है। स्टेट गवर्नमेन्ट ने बाई आर्डर वन थर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को पहले से एग्जेम्प्ट कर रखा है। जो बात आप कह रहे हैं वही सरकार ने किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी भी जहां तक हाउस का ताल्लुक है, इस बात को स्वीकार नहीं किया है, कि स्टेट गवर्नमेन्ट सेक्शन ६१ ऑफ सी० आर. पी० सी० ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सी० आर० पी० सी० नहीं, सी० पी० सी०।

श्री रामानन्द अग्रवाल :सी० पी० सी०, I am Sorry में इस प्रकार का कोई प्रोवीजन करने वाली है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा स्टेट गवर्नमेन्ट ने स्टेन्ड नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो हमारी सरकार बहुत बार मिसाल दिया करती है कि फलानी जगह यह है, फलानी जगह वह है। और अकेले एक वेस्ट बंगाल में प्रोवीजन था, कोई तीन दफा डिफाल्ट कर दे तो उसे बेदखल किया जा सकता है, उस एक मिसाल को देख कर राजस्थान सरकार ने अपने कानून में वह क्लॉज रख दिया, जो सारे हिन्दुस्तान में एक ही मिसाल

Page No 59

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी। अब आम आदमियों, डेटर्स के पक्ष में जायगी वह मिसाल, वह पंजाब की मिसाल–अगर उससे हमारी सरकार सबक लेना चाहे तो मैं समझता हूं कि डेटर्स को सहूलियत दे सकती है। प्रश्न यह है कि इस उसूल को सरकार कबूल करती है या नहीं? लेकिन इस बात का उत्तर देने से सरकार ने इन्कार किया है। उसका 'हां' या 'ना' में उत्तर देने से इन्कार किया है, इस प्रिन्सिपल को मानने से, जिस प्रिन्सिपल को आज से पन्द्रह-बीस वर्ष पहले पंजाब की सरकार ने प्री-इन्डिपेंडेंस टाइम में मंजूर किया है कि शेल्टर किसी डेटर के पास है तो उस शेल्टर से उसे वंचित नहीं किया जायगा सिर्फ इसलिए कि एक कर्ज देने वाले को उससे रुपया वसूल करना है। इस प्रिन्सिपल को सोश्यलिज्म के प्रिन्सिपल को फोलो करने वाली सरकार स्वीकार करती है? या नहीं। उप-मंत्री जी यह जवाब दें कि इस एक्ट में यह प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बडा उदाहरण सरकार प्रस्तुत करेगी। अगर सी० पी० सी० की धारा ६१ के तहत इसमें प्रोवीजन करने वाली है तो मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करने को तैयार हूं, बशर्ते कि सरकार इस प्रिन्सिपल को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नये क्लॉज ४२ के विषय में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉज ४३ व ४३.ए

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ४३ और ४३-ए विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ४३ और ४३-ए विधेयक में अंग रूप से जोडे गये।

(विराम)

४३–बी श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : I am not moving sir

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ४४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४४ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ४५

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४५ में एफ एफ अमेन्डमेन्ट है, वह इस प्रकार से है:

In sub-clause (2) after part (f) add the following new part, namely :–

"(*ff*) the rates at which and the manner in which fees may be paid for the supply by the Assistant Registrar, Registrar or Registrar

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

General, of copies of documents in the record of any application, enquiry or appeal under this Act and the persons to whom such copies may be supplied."

चूंकि हमने दूसरे प्रावधानों में इस प्रकार की फीस का जिक्र किया है, लेकिन रूल मेकिंग पावर, जो इस क्लॉज़ के जरिये दी है, इस क्लॉज के अन्दर नहीं है इसलिए (एफ.एफ.) अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा है। यह एक कोन्सीक्वेन्शियल चेन्ज है, जो पहले के क्लॉजेज में है; लेकिन रूल मेकिंग पावर में नहीं रखी गई है इसलिए इस अमेंडमेंट को रखा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ४५ में जो संशोधन श्री राम प्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय!

(स्वीकृत)

क्लॉज ४५ में संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि, संशोधित, क्लॉज ४५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(संशोधित क्लॉज ४५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया)

(विराम)

क्लॉज ४६।

(विराम)

प्रश्न यह है क्लॉज ४६ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज ४६ विधेयक में अंग रूपसे जोड़ा गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: शिड्यूल में एक अमेंडमेंट है:

'For figures and word '417 to 427, 447', substitute the figures and word '417 to 424'."

किसी को ट्रेसपास या मिस्चीफ में सजा हो जावे तो वह भी डिसक्वालिफाइड हो जाता मगर इसमें मिस्चीफ या ट्रेसपासर वाले की सजा को इसमें डिसक्वालिफिकेशन के लिये नहीं माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

This amendment has not been circulated, Sir,

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित शिड्यूल विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

क्लॉज १ श्री रामानन्द अग्रवाल

[संशोधन इस प्रकार है]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

(i) In sub-clause (1) between the words 'Rajasthan' and money lenders' insert brackets and the words "(control and regulation of)"

(ii) Sub-clause (3) be replaced by the following:—

"(3)"Section 25, 26,27,28,31, 37 and 41 shall come in to force atonce and the rest of the sections shall come into force on such date, not later than 1st January, 1964, as the State Government may by notification in the official Gazette appoint in this behalf"

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १ में मेरा एक तो संशोधन यह है कि सब-क्लॉज (१) में "This Act may be called the Rajasthan Money-lenders Act, 1963"

मैं समझता हूं कि यह नाम मिसनेमर सा हो जावेगा । आपका मतलब है मनीलेंडर्स को कन्ट्रोल और रेगुलेट करने का, इसलिये मैंने इन शब्दों को (Control & Regulation of) ब्रेकेट में रखा है । "This Act may be called the Rajasthan (Control and of) Money-lenders Act, 1963".

दूसरा मेरा संशोधन इसके एन्फार्समेंट के बारे में है, जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। इसके सब-क्लॉज (३) में कहा गया है कि "It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf".

यानि यह कानून पास हो जाने के बाद और उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए भी और राज्यपाल महोदय की मंजूरी हो जाने के बाद भी यह फौरन लागू नहीं होगा बल्कि जब कभी स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करने के लिये तारीख मुकर्रर करेगी, तब से यह लागू होगा। मैं समझता हूं कि हमने यहां पर धारायें मंजूर की हैं, उनमें सब धाराओं में रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। सब धाराएं ऐसी नहीं हैं जिनके अन्दर रूल्स बनाना जरूरी हो उन धाराओं को तो तुरन्त लागू की जानी चाहिये। इसलिये मैंने एमेन्डमेंट दिया है कि जिन धाराओं पर कोई रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है उनको इमिजिएटली लागू की जानी चाहिये। आप उनको फौरन लागू कर दें और बाद में जिन धाराओं पर रूल्स बनाना है, उनको बाद में जब नोटिफिकेशन निकालें तब से लागू कर दें। लेकिन किसी भी हालत में १ जनवरी, १९६४ से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिये, यह कानून १ जनवरी १९६४ तक जरूर लागू हो जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस एमेन्डमेंट को लाने की मेरी दो मंशाएं हैं:

(१) एक तो यह कि इस कानून का जो पूर्व इतिहास रहा है, इस कानून को लाने में हमारी गवर्नमेंट जितनी रिलकटेन्ट रही है और इस वक्त भी इस कानून को पास करने में वेसिलिएशन दिखाया है और जो कन्सेशन मनीलेन्डरों को दिया है उससे यह शंका पैदा होती है कि पहले दो बार इस कानून को पेश करके और फिर इसके साथ सेबोटेज कर दिया या इसको बीच में छोड़ दिया। मगर अब ज्यों २ उनके दल के लोगों का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और पब्लिक ओपीनियन का प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण आपको इस बिल को लाना पड़ा है, और जब आप इसमें इस तरह से डीलेट्री टेक्टीज काम में लेना चाहते हैं जिस तरह से आपने सीलिंग में ली है। सीलिंग का एक्ट सन् ६० में पास होकर चला गया और अभी उसके रूल्स इसी सत्र में डिस्कस हुए हैं, उसी तरह से इस बिल की हालत भी कहीं नहीं हो इसलिये मैंने यह एमेंडमेंट पेश किया है। अभी सितम्बर का महीना चल रहा है और मैंने रूल्स बनाने के लिये ३।। महीनों की छूट दी है। इसलिये १ जनवरी, १९६४ तक तो यह कानून पूरा का पूरा लागू हो जाना चाहिये। इसके अलावा कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है जैसे २५, २६ आदि उनको फौरन लागू कर दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने जिस समय जवाब दिया था दमक कर कि इस कानून को जरूर लागू करेंगे और यह कानून जरूर लागू होगा। अगर वे इसको लागू करना ही चहाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वे अपने भाषण की पहली किश्त को इस एमेन्डमेंट को मंजूर करके पूरी करें और जिन क्लॉज में रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है उन क्लॉज को तो आप ईमिजियेटली लागू कर दीजिये और जिन क्लॉजों में रूल्स बनाने की जरूरत हो वे बाद में लागू कर दिये जावें और इसके बाद भी इस बन्धन को रखें कि १ जनवरी, १९६४ को यह लागू हो जाए इस तरह से नहीं हो कि तीन वर्ष तक सीलिंग एक्ट बनने के बाद भी रूल्स नहीं बने।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक तो टाइट बदल ने के लिये और दूसरा एनफोर्समेंट के बारे में संशोधन पेश किया है। जहां तक टाइटल बदलने की बात है मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को इसमें महज गलतफहमी है।

The Bill is for making better provision for the regulation and control of transactions of money lending in the State of Rajasthan.

इसमें मनीलेंडिंग बिजनेस को कन्ट्रोल करने और रेगुलेशन का सवाल है मनीलेंडर को कन्ट्रोल करने का नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: We knew it. Call it Control Debtors Act: That will be better.

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: इसलिये आपने जो तरमीम दी है वह ठीक नहीं है। दूसरी तरमीम आपने यह रखी कि कुछ धाराओं को पहले लागू कर दी जाएं और कुछ को रूल्स बनाने के बाद में। और इस कानून को १ जनवरी, १९६४ से लागू कर दिया जाए। इस संशोधन को भी मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह एसेन्ट के लिये जावेगा बाद में वहां से वापिस आवेगा। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इसको १ जनवरी, १९६४ को लागू कर दिया जाएगा यह तहकीक नहीं कह सकते। इसके बाद रूल्स भी बनेंगे। हो सकता है कि यह पहले भी लागू हो जाए। हो सकता है कि १ जनवरी के बाद भी लागू हो। इसलिये मैं इस संबन्ध में निश्चित तौर से कहने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाता।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दूसरी बात आपने यह कही कि कुछ क्लॉजेज को पहले लागू जल्दी कर दिये जावें जिनमें नोटिफिकेशन्स निकालना नहीं हो और रूल्स बनाने नहीं हों। मगर मैं यह कहूंगा कि आफटर ऑल इसमें दो चार महीने ज्यादा लग सकते हैं। जहां तक इन्ट्रेस्ट की रेट का सवाल है, जब हम पहले वाली रेट को लागू करने वाले हैं तो दो चार महीनों में कोई फर्क नहीं पडता है और जितने विधेयक पारित किये जाते हैं उनमें इस प्रकार का प्रावधान रखा जाता है।

अब आप यह कहें कि पहले इसमें बहुत देर हो गई, फिर इसमें देरी नहीं हो; मैं यह कहूंगा कि इसी साल भर में यह बिल आया और सिलेक्ट कमेटी में गया और सिलेक्ट कमेटी से सदन में आया और सदन में समय की कमी के बावजूद भी यह बिल पारित होने जा रहा है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि इसको जल्दी पारित किया जाए। इसलिये सरकार की मंशा पर किसी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य से कहूंगा कि संशोधन प्रस्ताव है उसका वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज १ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग रूप से जोडे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: (श्री भैरोंसिंह के खडे होने पर) आपने एमेन्डमेंट तो नहीं रखे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) मैं थर्ड रीडिंग पर बोल रहा हूं एमेन्डमेंट पर नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में ही बोलें।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनीलेंडर्स बिल जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे आज सदन द्वारा पारित किया जा रहा है। इस बिल की आवश्यकत इसलिये महसूस की गई थी कि राजस्था में मनीलेंडिंग बिजनेस को कन्ट्रोल कर या रेगुलेट करने के संबन्ध में कोई कानून

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसे कानून और नियमों के अभाव में मनीलैण्डर्स कर्जदारों का बहुत शोषण करते थे। इस विषय को लेकर और इस लक्ष्य के आधार पर हमने यह कानून पारित करना मन्जूर किया है। इस कानून के पारित होने के बाद में जैसा कि मेरा अब तक का अनुभव है, सरकार के इस प्रकार के कानून यहां पूर्णतया लागू नहीं हो पाते हैं, राजस्थान की स्टेट्यूट बुक में इस कानून से भी एक नम्बर अवश्य बढेगा लेकिन इसका इम्प्लीमेन्टेशन किस हद तक होगा यह वास्तव में देखने का विषय है। अब हमने सोशियल रिफार्म्स तक के नाते, लैण्ड रिफार्म्स के नाते कई कानून पास किये लेकिन हर बार शिकायत सुनने को मिलती है कि कानून की अवहेलना खुले आम की जाती है। सरकार उस कानून को लागू करने में समर्थ होते हुए भी लागू नहीं कर सकती, यही स्थिति इस कानून के साथ में भी रहेगी। यह मैं केवल इस राजस्थान सरकार के लिये नहीं कहता अब तक जितने मनीलैन्डर्स बिल पास हुए हैं उसकी विस्तार से चर्चा भारत सरकार के शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट में भी हमको देखने को मिली है, जिन्होंने इस बात पर दुखः प्रकट किया कि बहुत सी राज्य सरकारों ने इस प्रकार के कानून बहुत पहले दिये थे पर इनका पालन उस सीमा तक नहीं हो सका जिससे कि डेटर्स को किसी प्रकार का फायदा मिल सके ।

इस कानून के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कानून उन सारी परिपाटियों को बदल देगा जिन परिपाटियों से अब तक शोषण किया जाता था। सरकार ने जो कानून बनाया है, इसके अन्तर्गत नियम बने हैं, जो निर्णयात्मक कदम सरकार ने उठाया है इन सब के अन्दर मनीलैण्डिग बिजनैस में जो लोग लगे हुए हैं वे होशियार हैं, इस कानून के लागू होने के बाद भी काफी गुन्जाइश रह जाती है जिससे कि वे शोषण करते रहेंगे। हां, यह हो सकता है कि शोषण के तरीके जो आज तक उनके थे उनसे अलग हों। मनीलैन्डर्स इस कानून के लागू होने के बाद में शोषण बन्द कर देंगे, यह बात नहीं । यह शोषण तभी बन्द हो सकता है जब कि कम से कम मनीलैन्डिंग की आवश्यकता महसूस हो या इस प्रकार के प्रावधान रखे जांय कि मनीलैन्डर्स उनका उल्लंघन ही नहीं कर सकें। मनीलैन्डिग बिजनैस का सम्बन्ध एक व्यक्ति से ही नहीं जो कि कर्ज देता है बल्कि उसके दूसरे पार्टनर से भी है जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी मजबूरियों से मजबूर होकर उसका पार्टनर बनता है। वह मजबूरियां उसके लिये हैं। इस बिजनैस की पोटेन्शियेलिटी इस प्रकार की है। चाहे आप कहें कि राजस्थान में पर केपिटा इन्कम बढी है पर इसके साथ ही साथ आप यह भी नहीं भूल सकते कि इसकी तुलना से अधिक पर केपिटा एक्सपेन्डीचर बढा है। लोग खर्च करते हैं तो धन की आवश्यकता होती है और उस धन की पूर्ति के लिये मनीलैन्डर्स के पास लोगों को जाना पडता है और मजबूर हो कर लोगों को मनीलैन्डिग बिजनैस का पार्टनर बनना पडता है। राजस्थान में ६२ प्रतिशत जनता कर्जदार है। राजस्थान की इस ६२ प्रतिशत जनता के लिये कर्ज की व्यवस्था न सार

(श्री भैरोंसिंह)

कोआॅपरेटिव सोसाइटीज कर पाती हैं, न लैन्ड मोर्टगेज बैंक्स कर पाते हैं और न सरकार अपने दूसरे साधनों से कर पाती है, बल्कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता को जो कर्ज दिया जाता है वह इन प्राइवेट मनी लैन्डर्स के द्वारा दिया जाता है। ८० प्रतिशत जनता को जो ये मनी लैन्डर्स कर्जा देते हैं, मजबूरी से लोग इस मनी लैन्डिग बिजनेस में इनके पार्टनर बनते हैं, इनके लिये सरकार क्या व्यवस्था करती है? २० प्रतिशत जनता को कर्ज देने को कोआॅपरेटिव सोसाइटीज, लैन्ड मोर्टगेज बैंक्स से सरकार ने व्यवस्था की है पर राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता के इस गैप की पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस हालत में जब कि ८० प्रतिशत जनता को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्ज मिलने की कोई व्यवस्था नहीं तो जिसको आवश्यकता होती है, वह मजबूरन उन शर्तों को पालन करने के लिये तैयार हो जायगा जो जो शर्तें मनी लैन्डर्स की तरफ से उसके सामने रखी जावेंगी। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि जो व्यवस्था की है उसके अनुसार मनी लैन्डर्स को स्टेट-मैन्ट्स देने पडेंगे, वह मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकेगा फिर भी मजबूरी की हालत में, जिसको अपने आवश्यक कामों की पूर्ति करने के लिये पैसा लेना जरूरी है वह मनी लैन्डिग करने वाले आदमी की शर्तों पर चलेगा और मनी लैन्डर्स नये इन्वेन्शन करके चल सकते हैं····

(१.४५ म. प.)

(राव श्री नारायनसिंह, उपाध्यक्ष, पादासीन)

वह इन्वेन्शन इस प्रकार का हो सकता है कि जिस कर्ज लेने वाले को ९० रुपये की आवश्यकता है उससे मनी लैन्डर, ९० रुपये दे कर १०० रुपये का प्रोनोट लिखवा सकता है, और जरूरतमन्द आदमी को यह सब कुछ करने के लिये मजबूर होना पडेगा।

ब्याज के प्रलोभन के कारण मनी लैंडर जरूरतमन्द लोगों को उधार देता था, यह समझ कर कि मनी लैंडिग बिजनैस से उसको कुछ मिलने वाला है, पर अब प्रश्न उसके सामने यह हो जायगा कि जब इस प्रकार की व्यवस्था पर कर्ज देने का सुनेंगे तो वे मनी-लैंडिग बिजनैस करने वाले लोग उनके पास जो लोग कर्ज लेने के लिये जायेंगे उनकी जमीन उसका अनाज, उसके बैल, उसका मकान गिरवे रखने को मजबूर करेंगे। गिरवे के आधार पर बिना किसी लिखाई-पढाई के बिना किसी व्यवस्था के कर्जा दे सकते हैं और जितना इन्ट्रेस्ट उन्हें लेना होगा उतना ले सकते हैं। हमने राजस्थान के सारे आंकडे भी देखे हैं, जिनके आधार पर हमारे यहां जो समस्या पैदा हो रही है उस पर प्रकाश पडता है। हमारे यहां जितनी पर केपिटा इन्कम है उतना केवल फूड का एक्सपेन्डीचर आता है। केवल रोटी खाकर ही आज का इन्सान अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता, उसे और आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी पडती है। जितनी उसकी इन्कम है वह तो केवल रोटी पर खर्च हो जाती है तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपनी इन्कम में से नहीं कर सकता और न सरकार के कर्ज से ही वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, तो मजबूर हो कर मनी लैंडर के सामने उसे सरेंडर होना पडेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

तो आप यह मान कर चलिये कि यदि आपके कानून का सही रूप में इम्प्लीमेन्टेशन होगा तो भी उस समय तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि दूसरा पार्टनर, मनी लैंडिंग बिजनैस का दूसरा पार्टनर, कर्ज लेने वाला इसका लाभ उठाने के लिये सशक्त नहीं हो। सशक्त वही हो सकता है जो कि मुकदमेबाजी में जीतने की चेष्टा करे। किसी भी पार्ट में चले जाइये, मनी लैंडिंग बिजनैस में पारंगत लोग हैं वे किस तरह लिटिगेशन कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान की अधिकांश अनपढ़ जनता, जो कर्जदार हैं, जो गरीब हैं, जिनकी आय के साधन सीमित हैं, जिनको मजबूर होकर कर्जा लेना पडता है, वह इस कानून से किसी प्रकार राहत प्राप्त नही कर सकती। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कानून अवश्य बनाये लेकिन इसके साथ साथ सरकार अपने दिमाग में लेकर चले, आज जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है उसको देख कर चले और सरकारी मशीनरी और नीतियों में भी इस प्रकार का परिवर्तन लेकर चले कि मनी लैंडिंग के जो नैसेसरी पार्टिसिपेन्ट्स हैं उनकी जो इकॉनोमिक कन्डीशन्स हैं उनको किसी प्रकार से सुधारे, वे मजबूर न हों मनी लैन्डर से कर्जा लेने के लिए और मजबूर न हों, इस बात के लिए कि मनी लैंडर की शर्तों को मंजूर करें। इकोनॉमिक एक्स्प्लॉइटेशन के यह कानून खिलाफ होगा, वे शर्तें खिलाफ होंगी, जो कानून के भी खिलाफ होंगी इंटर को हालत में, किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पायेंगे।

इसके साथ साथ यह भी कहूंगा कि इसमें यह सख्ती की है कि जो भी मनि-लैंडर होगा, उसको लाइसेन्स लेना पडेगा और उसको लाइसेन्स के साथ साथ कई स्टेटमेन्ट्स भी देने पडेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा। कि मनी लैंडिंग का बिजनिस केवल मनी-लैन्डर्स ही करते हों जिसका दृष्टिकोण इन्कम बढाना हो, मनी एक्युम्युलेट करना हो। दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वे जो वेल्थ एक्यमुलेट करते हों, ज्यादा से ज्यादा पूंजी बढा कर उसकी इकट्ठा करने की दृष्टि से मनी लैंडिंग का बिजनेस करते हों उसके लिए आप सख्त से सख्त कानून बनायें, लेकिन मनीलैंडिंग से रोजी रोटी और मानवता से भी संबंध आता है। गांवों में जाकर देखिये, शहरों में देखिये विशेष तौर से जो अपाहिज हैं, विधवा हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी प्रकार का धन्धा नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, विधवा होने के बाद जो कुछ भी उसके पास जेवर वगैरा रहता है, उसको एन्कैश कराती है, बेच करके जो कुछ भी रुपया मिलता है उससे उस व्यक्ति की मार्फत जिसका उसको विश्वास होता है बिजनिस कर ले, बिजनैस का सुपरविजन तो वह कर नहीं सकता, इस लिए उसके सामने एक ही मुद्दा रहता है, केवल मात्र उसके पास एक ही धन्धा रहता है कि जरूरत मद को वह पैसा दे दे और उसका इन्ट्रेस्ट वह ले लें। इससे उसके पास धन एक्यू-म्युलेट नहीं होता बल्कि उसकी रोजी और रोटी चलती है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि कानून में क्या

(श्री भैरोंसिंह)
उन लोगों को कोई एग्जम्प्शन दिया गया है ? नहीं दिया गया। आपको यह भय हो सकता है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं भी समझता हूं कि मनी लैंडिंग का बिजनिस करने वाले चालाक और चतुर होते हैं, मनि को फेर्मेन्ट्स में लेकर दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन हमको ह्यूमन फैक्टर को नहीं भूलना होगा, जिसके पीछे पैसा इकट्ठा करना नहीं है बल्कि रोटी कमाना है। सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस कानून के द्वारा इस तबके के लोगों के लिए जो ज्यादा इन्कम नहीं कमाते, जिनकी एक लिमिटेड मंथली इन्कम होती है तीस-चालीस रुपया महीना अपनी रोटी कमाने के लिए यह धन्धा करते हैं, जिनके लिए इतनी इनकम प्रप्राप्त होती है, उनके लिए क्या आलटरनेटिव व्यवस्था करके चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके लिए ऐसी कोई ऑल्टरनटिव व्यवस्था होगी। उनके ऊपर यह कानून रिलिफ के लिए नहीं जावेगा बल्कि घातक रूप में होगा।

इसके साथ साथ यह भी कहूंगा कि मनिलैन्डिग का इस प्रकार का बिजनैस है जिससे एक तरफ तो एक्स लोइटेशन होता है और दूसरी तरफ जरूरीयात पूरी होती है। जिन लोगों के पास धन्धा नहीं है, रोजी-रोटी कमाने का साधन नहीं है उनको इस बिजनिस से रोजी और रोटी मिलती है। इस कानून को पास किया है, तीनों चीजों की पूर्ति होती हुई नजर नहीं आती है।-मनीलैंडर्स होशियार और चतुर होते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, वे इस कानून के होते हुए भी नयी नयी चीजें इजाद करके बेचने की कोशिश करेंगे। वे कानूनी सिकंजे में नहीं आ सकते लेकिन गरीब इसके सिकंजे में आ जावेंगे। उसका एक्सप्लोयटेशन इकोनोमिक ढंग से होता था, अब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से भी एक्सप्लोइटेशन होगा। उसकी परेशानी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी तो जिनको रिलीफ देना चाहते हैं उनको रिलीफ मिलेगा नहीं। जिनको रिलीफ देना है, ऑटोमेटिकली जिनको रिलीफ मिल जावे इस द्वारा आप व्यवस्था कर रहे हैं, आज की सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्वतः रिलीफ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उनको किसी प्रकार का रिलीफ मिलेगा नहीं। राजस्थान में, मैं ऐसा मान कर नहीं चलता कि इन्डस्ट्रीयल पोटेन्शियलिटी हमारी सरकार ने बढा दी है। छोटी इन्डस्ट्रीज अच्छी चल सकती थी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में कोटेज इंडस्ट्रीज प्रायः समाप्त हो चुकी है। मिडियम इंडस्ट्रीज ? हम आये दिन विधान सभा में सरकार की ओर से दिये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर से समझते हैं कि किस प्रकार से मिडियम इन्डस्ट्रीज हमारे राजस्थान में चल रही हैं। मिडियम इन्डस्ट्रीज में तो पूंजी लगाने की बात होती है। कोटेज इन्डस्ट्रीज में थोडी पूंजी लगाने से वह चल जाती है। आज वह पोटेन्शियलिटी राजस्थान में नहीं है। वह पनपने नहीं दी गई। राजस्थान में कोटेज इन्डस्ट्रीज काफी चल सकती थीं लेकिन हमारी सरकार उनके लिए मार्केट प्रोवाइड नहीं कर पायी। जिस चीज का मार्केट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उसका प्रोडक्शन बढ नहीं सकता और वह इन्डस्ट्री चल नहीं सकती। जहां मार्केट हो तो प्रोडक्शन और इन्डस्ट्री दोनों ही हो सकती हैं। राजस्थान में यह इन्डस्ट्री नहीं। कोटेज इन्डस्ट्रीज भी राजस्थान में नहीं पनपाई गयी तो कमाई के और साधन नहीं। इन दोनों के अभाव में गरीब तबके के लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं। जो गरीब तबके

(श्री भैरोंसिंह)

के लोग थे, इससे रोजी कमाते थे, अब किस से कमायें? जो रोजी थी वह तो छीन ली और दूसरे कमाने के साधन लागू नहीं किये। आप यह कानून इसलिये लागू करने जा रहे हैं कि इससे गरीबों को राहत मिले। गरीबों को राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। किसी स्टेट का कानून उठा कर देख लीजिये उसका फायदा उन्हीं लोगों ने उठाया जो थोड़े बहुत होशियार हैं, वकीलों के पास जाकर पैसा खर्च करके बोहरे डिग्री करवा कर कानूनी शिकन्जों से बच गये।

मैं पिछले दिनों जालोर में गया। वहां के कर्जदारों की हालत देखी, उसको देख कर मैं भी महसूस करता हूं कि सख्त से सख्त कानूनी होना चाहिये, आज के दिन इसकी आवश्यकता है। जालोर से आये माननीय सदस्य ने जो बातें सदन में कहीं, उनसे भी मैंने गम्भीर बातें देखीं थीं। किस प्रकार से बोहरे लोग अंगूठे करवा लेते हैं गरीब लोगों से, उनको मालूम नहीं होता, किसी का बैल, किसी का खेत लिखवा लेते हैं और फिर उन पर डिक्री करवा लेते हैं। एक तरफ आप उनको रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं दूसरी तरफ जिनको रिलीफ ऑलरेडी मिल रहा है उन पर पाबन्दी डाल देते हैं और रोक देते हैं। सरकार से निवेदन करूंगा कि कानून का विरोध करने का मेरा मतलब नहीं है। लेकिन इसके कारण लूपहोल्स क्रियेट होंगी, जो इससे परिवर्तन आवेगा और लोगों के जीवन पर इसका असर होगा उसको मीट करने के लिये सरकार ने क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की है? सरकार को उनके लिए कोई व्यवस्था करना चाहिये कोऑपरेटिव बैंक की हालत को देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की हालत को देखें, मैं इस समय उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी सफल हुए हैं, कोऑपरेटिव में कितने घोटाले हैं, कितने गबन हैं, इस समय मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता? लेकिन आज आप यह कह कर नहीं चल सकते कि कोऑपरेटिव्ज़ के जरिये जो मनी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। आज उनमें गरीबों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कोऑपरेटिव्ज का मतलब समझता है, कानून का फायदा उठाते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। उन लोगों को लाभ नहीं मिलता जिनको आज धन की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण वे मनी लैन्डर्स के पास जाकर शरण लेते हैं और उसकी शर्तों के अनुसार पैसा लेकर अपने गाढ़े श्रम से कमाई हुई पूंजी को उस मनी लैन्डर्स के पास हमेशा जमा कराते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कानून बना कर लागू करे लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी इस प्रकार से गहराई से और गम्भीरता से विचार करे कि इस कानून के कारण से जो लोग आज तक इस बिजनेस से, मनी एक्युमुलेट नहीं कर सकते थे, बल्कि इससे अपनी रोजी-रोटी कमाते थे, रोजी-रोटी के लिये जिनका यह धन्धा था उनकी सहायता कैसे कर पायेंगे और जिनको पैसे की मजबूरी है, जो मजबूरी हालत में पैसा लेते हैं, उन कर्जदारों की किस हालत में व्यवस्था करने वाले हैं। कर्जा लिये बिना बैल नहीं खरीद सकते, कर्जा लिये बगैर बीज नहीं खरीद सकते। मैंने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखी है। आज तक जो कर्जा लिया है ५० पर्सेन्ट एग्रीकल्चरल नीड्स के लिये कर्जा लिया गया है।

(२.०० म.प.)

आज हम यह कह कर नहीं चल सकते कि शादी या विवाह के लिये यह कर्ज लिया जाता है या पक्का मकान बनाने के लिये या भोज के लिये यह कर्जा लिया जाता है। इन्डियन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि पचास प्रतिशत जो कर्जा लिया जाता है, वह केवल एग्रिकल्चरल नीड्स की पूर्ति के लिये लिया जाता है, उसमें से ८० प्रतिशत की पूर्ति बोहरा करता है। क्योंकि उनकी नीड्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा नहीं कर सकती, लैन्ड मोर्टगेज बैंक नहीं कर सकती। अगर बोहरे पूर्ति नहीं करते हैं, तो एग्रीकल्चर आउट पुट गिरता है, उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ता है। आज लोगों के पास अगर अच्छे बैल

(श्री भैरोंसिह)

नहीं होंगे, बीज के लिये पैसा नहीं होगा, तो यह मजबूरियां होंगी अन्न के प्रोडक्शन को बढाने की अगर किसी प्रकार से सोशल-सर्विसेज की नीड्स की पूर्ति नहीं करते हैं तो यह भी उचित नहीं होगा। हमें उसके लिये आल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट करना चाहिये, ऑल्टरनेटिव इन्तजाम नहीं होता है, तो यह सरकार की रेस्पोन्सिबिल्टि है कि वह कोऑपरेटिव बैंक में रुपया बढावें जितना मनी वह बाहर भेजती है, उसकी तादाद बढाये। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर गांव में हों ताकि एग्रीकल्चर नीड्स उनके द्वारा पूरी हो सकें। यह मैं मानता हूं कि यह जो कानून बनाया गया है, वह प्रोग्रेसिव कानून बनाया गया है आपके और हमारे कमिटमेन्ट्स थे, उनकी पूर्ति के लिये कानून बनाना जरूरी था। इस आधार पर कमिट-मेन्ट्स पूरे हो गये, लेकिन कमिटमेन्ट्स के बाद में जो रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, जो भयंकर रिजल्ट्स निकलने वाले हैं उनसे भी हमें आंखें नहीं मूंदना हैं। एडवर्स रिजल्ट्स, पैदा न हों इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर हमें आगे चलना है। इन शब्दों के साथ, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय और जो इससे एडवर्स रिजल्ट्स निकलने वाले हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान रहे यही मेरा निवेदन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने····

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण संक्षेप में ही दें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस साहूकार बिल के सम्बन्ध में मैं जैसा कि विधेयक का नाम है इसका मैं स्वागत करता हूं। संयोग से हमारे मुल्क में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है, उसके अनुसार इस बिल के जरिये भेद तो नहीं करने जा रहे हैं। हम इस बिल द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे सोसाइटी में जो एक प्रकार का शोषण चल रहा था, उसको किसी प्रकार से नियन्त्रण में कर सकें। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा इस बिल के नाम के सम्बन्ध में कहते हुए कि यह साहूकार विधेयक है, जो साहूकारी धन्धे की ठीक ढंग से व्यवस्था करने के लिये है। साहूकारी को हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये नहीं। सरकार कम से कम इस विधेयक के जरिये इस चीज को मान्य करती है कि राजस्थान में कोई भी आदमी पैसा देकर के ब्याज ले सकता है, पैसा कमा सकता है, बैठे बैठे पैसे से पैसा कमा सकता है। जहां तक समाजवादी व्यवस्था का सवाल है, इसके भविष्य की नीति का सवाल है कोई भी समाजवादी स्वीकार नहीं करेगा। आज के युग में जहां हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति को पैसे से पैसा कमाने की छूट देते हैं तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस सम्बन्ध में देश की परिस्थितियां इन पन्द्रह वर्षों में भी सुधर नहीं पायीं कि सारे राज्य के अन्दर इस प्रकार की शोषण व्यवस्था समाप्त हो जाय। अगर हो जाती तो आज यह परिस्थिति नहीं आती, लेकिन जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह बिल हमारे सामने रखा गया है, मैं विधेयक की मन्शा का जरूर स्वागत करता हूं और मैं यह भी मान्य करता हूं इसके बावजूद भी, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इस के बाद में भी कुछ परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। और पैदा होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में एक दूसरे का परस्पर संबंध है, समाज की परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति के सामने कठि-नाइयां पैदा हो सकती हैं और ऐसी परि-स्थिति के समय अर्थ ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा वह निर्वाह कर सकता है। क्योंकि कोई आदमी जो कहीं काम नहीं करता है तो वह पैसा किसी को ब्याज पर देता है उसके अनुसार वह काम चलाता है। कुछ घरेलू परिस्थितियां आती हैं, कुछ किसान के सामने दिक्कतें आती हैं, बैल-बीज आदि की खरीद के सम्बन्ध में तो, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वह समाज के पास जाता है, पैसे के लिये। वह धन जो

Page No 70

(श्री मुरलीधर व्यास)

समाज के कुछ लोगों के पास इकट्ठा किया हुआ है उसके जरिये दिलाना चाहते हैं, इस धन को दिलाने में सरकार अपनी नियन्त्रित व्यवस्था के आधार पर जनता को दिलाना चाहती है। सरकार अपने कानून के जरिये व्यवस्था करेगी। अगर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर देती है कि अपने निर्वाह के लिये हर व्यक्ति पैसा रखे और उसके बाद जो बचता है वह सरकार के पास चला जाय और सरकार उस पैसे को ठीक तरीके से अच्छ काम के लिये लोगों को दे सके, यह व्यवस्था हो जाती है तो समाज के ढांचे में नया परिवर्तन आता है : मेरी मान्यता है कि इस साहूकार बिल के जरिये आज जो लोग रुपया सैंकडा, दो रुपया सैंकडा और तीन रुपया सैंकडा और मजदूरों से तो दस रुपये के पीछे दस आना लेते हैं जब मजदूरों को वेतन मिलता है तो ये सूदखोर लोग दरवाजे के बाहर एक तरह से डंडा लेकर खडे रहते हैं और मजदूरों की पूरी की पूरी वेजेज ले लेते हैं। किसान, मजदूर और दूसरे सारे लोगों के लिये यह विधेयक एक प्रकार से सहायता करने वाला है किसी आदमी को सूदखोर परेशान करता है, मनमानी तरीके से ब्याज लेना चाहता है, उसके लिये इस नियन्त्रण से मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी, उसको इसके लिये लाइसेन्स लेना पडेगा और निर्धारित दर पर रुपया देना पडेगा।

ऐसे ऐसे बडे बडे कैपीटलिस्ट्स हैं जो दो रुपया और तीन रुपया सैंकडा तक ब्याज ले लेते हैं, उनको भी इस नियन्त्रित ब्याज के अन्दर रकम देनी पडेगी। रकम नहीं दे सकता तो उसकी रकम बेकार जायगी, दूसरे रास्ते से जा सकती है, इससे पैसे से पैसा कमाने की छूट तो है लेकिन उस पर भी नियन्त्रण रखा गया है। इस नियन्त्रण का असर होगा थोडे से समय के अन्दर, आप देखेंगे बहुत काफी मनी लैन्डर्स जो इस प्रकार का धंधा करते हैं वे इस बिल के जरिये बहुत परेशान अपने आपको पायेंगे और कहेंगे कि हमारी कमाई का धंधा, पैसे से पैसा कमाने का जो धंधा करते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण आया है इस दृष्टिकोण से, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इसके साथ साथ जहां ये बिल पास होता है वहां सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ जाती हैं। जहां इस प्रकार के कानन से जो परिवर्तन आता हैं उस परिवर्तन के फलस्वरूप समाज के ऊपर जो नया भार आने वाला है उसका उत्तरदायित्व भी सरकार को लेना पडेगा, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होते हैं।

आज जैसा कि कहा गया जो रुपया ब्याज पर लेते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की मार्फत वह ८० प्रतिशत किसानों को चाहिये और ये सोसाइटीज केवल २२ परसेन्ट ही तक दे सकती हैं और दूसरे लोगों को नहीं मिलता। साहूकारों से पैसा लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। अब इसके जरिये अगर समझा जाय कि साहूकार पैसा न दे, उसको तो बडे ब्याज पर पैसा देने की आदत पडी हुई है और दूसरे व्यक्ति को अपने काम के लिये पैसे की जरूरत है तो उस जरूरत को सरकार किस प्रकार से पूरा कर सकेगी। उसके लिए सरकार को अपना प्रयत्न बडी तेजी से प्रारम्भ करना चाहिये और सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि हम जब इस कानून के जरिये साहूकारी प्रथा को रेग्युलेट करना चाहते हैं तो उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनका सामना सरकार करेगी और किसान चाहे मजदूर, उनको सरकार अपनी तरफ से, क्रेडिट सोसाइटीज के मार्फत पैसा देगी। जो रेल्वे में हैं या दूसरे मजदूर हैं, उनको पैसा कोआपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत दिया जाता है, परन्तु जो लेबर, पी. डब्ल्यू. डी. वाटर वर्क्स, या बिजली घर में काम करता है उसको जब समय पर पैसे की आवश्यकता पडती है, तो उसको नहीं मिलता। सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि इनको भी कभी जरूरत पड जाय, तो एक सीमित ब्याज के अन्दर उसको मिल सके।

मैं यह भी मानता हूं कि यह प्रथा समाजवादी समाज की व्यवस्था के प्रतिकूल थी क्योंकि समाजवादी समाज के अन्दर ब्याज से पैसा कमाने की छूट नहीं मिल

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकती। परन्तु हम उसके अन्दर इसको रेग्यूलेट कर रहे हैं और इजाजत देते हैं कि इस परसेन्टेज का ब्याज ले सकेंगे। इसलिये इस पर सरकार को भविष्य की दृष्टि से घोषणा करनी चाहिये कि १० साल तक ऐसी समाजवादी समाज की व्यवस्था हम पैदा करेंगे कि जिस किसी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये देगी। इस प्रकार की व्यवस्था जिससे एक आदमी गद्दी पर बैठे पैसे से पैसा कमाता है, यह नहीं होना चाहिये: ऐसा आश्वासन सरकार के पास होना चाहिये। तो इस नीति के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं कि जो इसके अन्दर फन्डामेन्टल समाजवादी थिंकिंग है, उस पर प्रहार पडता है। तो उसके भविष्य के बारे में हमें कुछ कहना चाहिये। इस विधेयक में समाजवादी दृष्टिकोण भी रखा गया, आगे चलकर क्या परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार से ,समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे।

इसके नाम का जो सवाल है वह हिन्दी में तो ठीक मालूम पडता है, राजस्थान साहूकारी विधेयक। इसका मतलब है साहूकार का धंधा करने वालों पर नियन्त्रण, लेकिन अंग्रेजी वाला नाम ठीक नहीं बैठता है और यदि उसी तरीके से आप साहूकारी कन्ट्रोल विधेयक अंग्रेजी में भी रखते हैं तो ठीक रहेगा। टाइटल जो होता है वह आदर्शों के अनुसार होता है। इसलिये जो सुझाव मैंने रखे थे, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण काफी संक्षेप में रखें और यदि पहले जो विचार सिलेक्ट कमेटी में रखे हैं, अमेन्डमेन्ट्स में काफी कह चुके हैं, तो वे रिपीट न करें और पार्टी में केवल एक ही सदस्य बोलने का प्रयत्न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सारा का सारा डिस्कस हो चुका है और इसके क्लाजेज के अन्दर अमेन्डमेन्ट्स हो चुके हैं। बिल के इन्चार्ज ने जिस बहादुरी से और वीरता से मनी लैन्डर्स का ध्यान रखा है वह काबिले तारीफ और काबिले दाद है। इस बिल के क्या परिणाम होंगे, यह भविष्य बताएगा। इसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी यह प्रतिक्रिया भविष्य के गर्भ में है, यह बहुत जल्दी प्रकट होगी। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस बिल के अन्दर मनी लैन्डर की क्लास को एक बडा गौरवपूर्ण क्लास इस समाज के अन्दर कायम कर दिया है। ऐसा स्थान न किसी जनता के चुने हुए व्यक्ति को प्राप्त है, न सरपंच को प्राप्त है, न प्रधान को, न स्कॉलर को और न ही देश के किसी महानुपुरुष को प्राप्त है। साहूकार ऐसा एक प्रिविलेज्ड क्लास है कि वह किसी प्रकार का भी गुनाह इस बिल के अन्तर्गत करले, माफ है। बार-बार सदन के सदस्यों द्वारा इस ओर इंगित किये जाने के बावजूद और बार-बार इस बिल के प्रावधानों की ओर संकेत करने के बावजूद, जिसमें मनी लैन्डर गलत दस्तावेज बनादे, लाइसेन्स के जो रूल्स और रेग्युलेशन्स हैं उनका पालन न करे, मोलेस्ट करे, अपने डेटर को हर प्रकार से तंग करके कोई गुनाह करे या डॉक्यूमेन्ट्स बनादे जिसमें जगह खाली हो तो वे सारे के सारे कॉग्नीजेबल होंगे, बैलेबल होंगे और कम्पाउन्डेबल होंगे। कॉग्नीजेबल के बाद कुछ आशा की किरण आती है, लेकिन इसमें कहा है कि डी. वाई. एस. पी. से कम कोई व्यक्ति उसके हाथ में हथकडी नहीं लगाएगा। अगर लाइसेन्स कैन्सिलशन के लिय दर्ख्वास्त दी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)

जाती है तो डिस्ट्रिक्ट जज से कम अदालत नहीं होगी जिसमें मनी लैन्डर खडा होगा। क्या हमारे समाज के अन्दर बडे से बडा बुद्धिजीवी, बडे से बडा स्कोलर, बडे से बडा एम. एल. ए. या एम. पी. को ऐसा स्थान प्राप्त है जो आपने अन्तिम रूप में मनी लैन्डर को दे दिया है। किसी भी हालत के अन्दर एक हजार से अधिक जुर्माना होने वाला नहीं और ६ महीने से अधिक जेल में नहीं जायगा और अगर कोई आदमी मनी लैन्डर्स के लाइसेन्स के बारे में शिकायत करता है कोर्ट के अन्दर कि इसको जो लाइसेन्स दिया गया है उसका वह गलत उपयोग करता है, इसका केन्सिलेशन होना चाहिये, तो उस गरीब कर्जदार को १००) रुपये जमा कराने पडेंगे और अन्त में यदि यह पाया जाये कि इसको तंग करने के लिए दरख्वास्त दी है तो १००) रुपये में से पैसे काटकर मनी लैन्डर को कम्पेन्सेशन दिया जायगा।

युग-युगान्तर से जिस व्यक्ति का समाज ने शोषण किया है, जिस समाज के अन्दर उस गरीब को घृणा का स्थान दिया गया है, उसका इसमें कम खयाल रखा गया है। राणा प्रताप सागर डैम पर चलने वाले काम की तरफ देखिये, चाहे जालोर, चाहे धौलपुर, चाहे गंगानगर की ओर देखिये। राजस्थान के चारों ओर देखिये। राना प्रताप सागर में दस हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह लेकर आते हैं, वहां पर बोहरा बैठता है और गरीब की तन्ख्वाह मनी लैन्डर ले जाता है, उन बेचारों की जेबें खाली हो जाती हैं। धौलपुर में बोहरा बैठता है सरकार ने उनको गार्ड दे रखा है, वे लोगों को मोलेस्ट करना चाहते हैं, गार्ड का इस रूप में प्रयोग होता है। पाली में चले जाइये। एक मनी लैन्डर है विष्णु खान जिसने सारे गांव के पांच हजार, चार हजार लोगों की लडकियों को रहन कर रखा है। ऐसे मनी लैन्डर के लिये हर प्रकार की दया की भावना लिये हुवे यह बिल अब अन्तिम मन्जिल पर आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि मनी लैन्डिंग बिजनेस को अगर खत्म कर देते हैं तो विलेज की इकोनॉमी खत्म हो जावेगी, किसान को पैसा प्राप्त नहीं होगा।

भारत के बडे से बडे इकोनोमिस्ट ने इस बात का ऐनेलिसिस किया है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि आपका किसान अगर सौ रुपये खर्च करता है तो उसमें से ५९) रु० सामाजिक कुरीतियों पर खर्च करता है। और ४१) रु० एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर खर्च करता है और अगर आप बोहरों को पैसा देने की प्रणाली का अध्ययन करें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अधिकांश पैसा जो वह कर्ज रूप में किसान को देता है, इन सामाजिक कुरीतियों के नाम पर देता है।

अब आप कोऑपरेटिव सोसायटी से भी लेने वाले लोन का ऐनेलिसिस करिये। जो कर्जा उनको मोर्टगेज बैंक से मिलता है उसका राजस्थान भर का ऐनेलिसिस करेंगे, तो मालूम करेंगे कि लोगों ने बैल खरीदने के नाम पर लोन लिया पर उसे विवाह में और मृत्युभोज में और इसी तरह के दूसरे कामों में लगा दिया। तो यह लोन भी इसी में जाता है और मनी लैण्डर द्वारा दिया हुआ लोन भी अधिकतर इसी काम में आता है। अब अगर मनी लैन्डिंग को आप डिस्करेज करते हैं तो इसके माने स्पष्ट हैं कि आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कुरीतियों को डिस्करेज करते हैं। किसान को आज बडी आसानी से इन कुरीतियों को पूरा करने के लिये मनी लैंडर के द्वारा पैसा मिल जाता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियां फेल होती हैं तो निश्चित रूप से ऐनेलिसिस से यह पता चलेगा कि इसे उस मनी लैण्डर ने सेबोटेज किया है।

३ मार्केटिंग सोसायटियां बनी और उनमें ४० लाख का गबन ? ये बातें बार-बार सदन के सामने आ चुकी हैं। एक रायसिंहनगर की, एक पीलीबंगा की और एक किसान मार्केटिंग सोसायटी है इनके फेल होने का और इतना बडा गबन होने का कारण ऑडिटिंग रिपोर्ट में स्पष्ट है। रायसिंहनगर की कोऑपरेटिव सोसायटी के बारे में इसमें लिखा है कि यह चार कर्जा देने वाले बोहरों के कब्जे में है। इन्हीं चार लोगों का कब्जा पीलीबंगा मार्केटिंग सोसायटी पर है। उनकी अलग से अपनी आढ़त की दुकानें हैं। गरीबों के नाम से कर्जा दिया है अपने उस कर्जे के अगेन्स्ट में आडत की दुकान के पुराने कर्जे के अगेन्स्ट में उस सोसायटी द्वारा दिये गये कर्जे को उस काम में नहीं लेने दिया, बल्कि अपनी दुकान के कर्जे के अगेन्स्ट में उस कर्जे को एडजस्ट कर लिया। तो इस कोऑपरेटिव मूवमेन्ट को अगर कोई खत्म कर रहा है तो यह मनी लैण्डर खत्म कर रहा है। क्योंकि साहूकारों का इनका सारा धन्धा यह कोऑपरेटिव समाप्त करने जा रहा है वह इनका दुश्मन है तो वे अपने इन तरीकों से उस कोऑपरेटिव सोसायटी के मूल उद्देश्य को ही समाप्त करने जा रहे हैं।

अन्त में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अच्छे से अच्छे सुझाव इस पक्ष की ओर से रखे गये, और उस पक्ष की ओर से भी बडे गम्भीर और गौरवपूर्ण सुझाव आये और इस पक्ष में बैठने वाले बहुत से सदस्यों के दिलों में एक तडपन और टीस उठी जब कि सरकार की ओर से मनीलैंन्डर को रियायत दी जाने लगी, इधर वालों ने जोर से प्रतिवाद किया उसका और कहा कि इन मनीलैंन्डर्स को किसी प्रकार की रियायत न दी जावे। मैं इस ओर से सदस्यों और उस ओर से सदस्यों की संयुक्त भावना को व्यक्त करदूं कि मनीलैंन्डरों की जिस चालाकी से और होशियारी से मिनिस्टर इन्चार्ज ने वकालत की है उससे उनके मनीलैंन्डर आभारी होंगे और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों की वृद्धि देखना चाहते थे उनकी जो इस वकालत से हार हुई है उसे हम सब ऐतिहासिक रूप से याद रक्खेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह साहूकारी विधेयक राज्य सरकार ....

श्री उपाध्यक्ष: बहुत ही संक्षेप में आप अपने विचार प्रस्तुत करें।

श्री नत्थीसिंह: मैंने जो सदन में प्रस्तुत किया है, यह इस बात का परिचायक है कि हमारी सरकार जो इस बात का दावा करती आई है कि हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, वह उसमें नाकामयाब रही है और इसका कारण यह है कि जब एक तरफ बडे–बडे आंकडों के द्वारा हमारी सरकार हमें यह बताती है कि आज हमने किसान के लिये ऋण की इतनी सुविधाएं करदी हैं। उनके लिये शॉर्ट टर्म लोन सोसाइटियों के द्वारा दिये जाने का प्रबन्ध किया है, लोंग टर्म और मीडियम ट लोन की भी व्यवस्था की है।

(श्री नत्थीसिंह)
पर इन सब व्यवस्थाओं के करने के बावजूद भी जब सरकार इस तरह का साहूकारी विधेयक सदन में लाई है, तो इसके द्वारा साफ तौर से उसने अपनी हार कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा दी जाने वाली राहत के क्षेत्र में मान ली है। आज जिसे यह सरकार साहूकार कह कर पुकारती है, उसे गांव की जनता बोहरा के नाम से और शोषक के नाम से जानती है। उसे सरकार सुन्दर शब्दों में साहूकार कहती है। साहूकार कह कर वह यह जाहिर करना चाहती है कि वह लेन-देन में खरा है। पर जब यह कानून लाया गया तो इसके पीछे भावना यह है कि वह अपने लेन-देन में दोनों में भी खरा नहीं है। इसके बावजूद भी उसको आप इस नाम से विभूषित करते हैं।

तो मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारी राज सरकार ने साफ तौर से अपनी पराजय स्वीकार की है, इस माने में कि वह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने में कोऑपरेटिव सोसाइटी व मोर्टगेज बैंकों के मार्फत भी आज तक नाकामयाब रही है। इसलिये इस मनीलैंन्डर का सहारा लेने की जरूरत उसे हुई है और इसलिय हमारे उप-मन्त्री महोदय ने बडी सावधानी के साथ एक पोलिटिकल पैट्रोनेज का प्रावधान रखा है ताकि इसका जैसा चाहेंगे उस मनीलैंन्डर को जो उनकी कृपा में है और जिस क्षेत्र में चाहेंगे उसको राजनैतिक फायदा उठाने देंगे।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, राजस्व): ऐसा कौनसा क्लॉज है, बताइये। आपको मालूम होना चाहिये कि वैसा क्लॉज ही नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का कर्जा चुकाने के लिये किसान के पास कुछ नहीं, समय-समय पर उसको तो चुकाना ही पडता है इसलिये वह कर्जा बाहर से बोहरों से लेकर चुकाया जाता है और बोहरे को फिर वापिस बैंकों से ले जाकर दे दिया जाता है और यह उसको इसलिये भी करना पडता है कि समय पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों से उसे कभी कर्जा नहीं मिलता। यह हाल है आपके कोआॅपरेटिव का। जिस कोऑपरेटिव के लिये आप कहते हैं। कि वह किसान को स्वावलम्बी बनाने वाला है वह तो आज एक प्रकार का गारन्टी सिस्टम मात्र बनकर रह गया कि बोहरे का कर्ज का पैसा नहीं मारा जावेगा। किसान समय पर तो अपना काम बोहरे से पैसा लेकर ही निकालता है, जब धीरे-धीरे देर-अबेर कोऑपरेटिव से मिलता है तो उसे बोहरे को चुका देता है। इस तरह से किसान को दुतरफा मार और हैरानी होती है।

एक प्रोग्रेसिव प्रावधान इसमें है जहां आपने ब्याज की दरों को कन्ट्रोल किया है। पर साथ ही में यह भी कहने से नहीं रुकूंगा कि अगर आपको ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पक्का बनाने का ख्याल होता तो आप यह कहते कि जो मनीलैन्डर्स हैं जो इतना व्यापार करता है, वह कम्पलसरिली अपने व्यापार में लगे हुए मनी का इतना हिस्सा तो कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करावेगा, उसको अमुक प्रकार की डिपोजिट कोआॅपरेटिव सोसाइटियों में करानी पडेगी तो निश्चित ही ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में क्रान्ति आती और बोहरे भी इसमें शामिल होते, किसानों को आसानी से ठीक सूद पर

(श्री नत्थीसिंह)

रुपया मिल जाता, और बोहरों को भी थोडा बहुत सहारा लागता ।

आपने जो कानून बनाया है, इसमें आपने तोहमत लगाई है बोहरों पर, अपने हिसाब-किताव ठीक ठाक रखने की । पर इससे भी वह डरने वाला नहीं है । गांव में रहन वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि बोहरे को अगर जरा-सा भी यह बहम हो जाता है कि मेरे कर्जे में और इसके चुकारे में किसी प्रकार की भी दिक्कत आवेगी, या उसके लेने में उसे जरा-सी भी आशंका हो जाय तो वह इसका सबसे पहले प्रबन्ध करता है। सौ देता है तो दो सौ लिख लेता है पहले ही और दूसरी तरह के प्रबन्ध भी वह करता है । आप किसी भी प्रकार का कानूनी दांव पेच रखो वह आपके इन कानूनी दांव पेचों में आने वाला नहीं है।

इसका तो एक मात्र सही तरीका यह था कि जिस कोऑपरेटिव मूवमेन्ट की आप दुहाई देते नहीं थकते, पर जिसमें आपकी निष्ठा का अभाव कदम कदम पर परिलक्षित होता है उसमें कम से कम आप ये तो कर ही सकते थे कि अगर कोई बोहरा इतने से ज्यादा का बिजनेस करता है तो उसके लिये यह जरूरी होगा कि वह इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से अमुक ब्याज तक अपना रुपया देगा, उसमें जमा करावेगा और वह किसानों को देगा। आप एक तरफ समाजवाद की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन बोहरों को अपना धन्धा उसी अपने ढंग से करते रह की छूट देते हैं ।

आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आज हालत यह है कि चाहे छोटा किसान हो चाहे बडा जमींदार हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, सबकी हालत यह है कि बिना मनीलैन्डर के पास गये अपना काम पूरा नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जो अर्थ-व्यवस्था है ग्राम को उसमें जो रोल कोऑपरेटिव सोसाइटियों को प्ले करना चाहिये था जो उसे गरीब किसान को मध्यम वर्ग की या किसी भी वर्ग की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये जो सहायता का पूरा हाथ बढाना चाहिये था वह नहीं बढाया, उसने अपना काम पूरा करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकार ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी से काम नहीं किया । सरकार इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिये ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुन्दर और किसान के अनुकूल बनाने मे असफल रही है। इसलिये इस बिल के जरिये भी हम झोली पसारते हुए नजर आते हैं उन तत्वों के आगे जिनको शोषक वर्ग मानते हैं, जिसको हम समाजवादी व्यवस्था के रास्ते में एक बहुत बडा रोडा मानते हैं और साथ साथ जिसे हम समाज के अंग पर एक तरह से खाज के रूप में मानते हैं । आज आप इस बिल के जरिये भी यही चाहते कि उनको प्रोटैक्शन मिलता रहे इनिशियेटिव बना रहे उनका।

आज उप-मन्त्री महोदय, ने यह कानून लाकर यह तो मान लिया है कि उनकी सरकार की अर्थ नीति फेल रही है । उनको भी इस शोषक वर्ग के आगे हाथ पसारना पड गया है, उसका सहारा लेना पड गया है? आज उसी मनीलैन्डर को बचाने के लिये स्वयं उन्होंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है और उसका टाइम बढाया है। उसे सुविधाएं प्रदान की हैं, उनके दावे फेल न हों, इसके लिए अमेन्डमेन्ट लाये हैं। ये सब छोटीं-छोटी बातें

(श्री नत्थीसिंह)

पर ये इस बात की परिचायक हैं कि वे किसान गरीब को क्या देना चाहते हैं और इन शोषक वर्गों के प्रतिनिधि बोहरों को क्या देना चाहते हैं। एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट किसानों के हक में लाया गया, पर उसको मानने में भी उन्होंने गुरेज किया। दस वोटों से उस अमेन्डमेन्ट को गिराया, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि कम से कम आप उस पद दलित वर्ग को जेल के सींखचों में तो बन्द मत करिये। पर आपने इस बारे में भी इस बात का ही परिचय दिया कि आपके ध्यान में बोहरों के हित ऊंचे हैं, गरीब किसान के नहीं।

(समयवा-माप्ति-सूचक घंटी)

यह असफलता का सूचक है। किन तत्वों से आप प्रेरणा ले रहे हैं यह इस बात का सूचक है।

फिर भी आपने जो प्रतिबन्ध इन पर लगाये हैं, मैं उनका स्वागत ही करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री उप-मन्त्री।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर तृतीय वाचन के समय कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा एक और दूसरे माननीय सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया कि इस विधेयक को पारित करने के बाद इससे जो स्थितियां उत्पन्न होंगी, उनका सरकार किस प्रकार से मुकाबला करेगी, इसके सम्बन्ध में सरकार को सतर्क रहना चाहिये। यह बात तो करीब करीब सभी माननीय सदस्य जानते हैं और वाकयात भी इस प्रकार के हैं, फैक्ट्स एण्ड फिगर्स भी इस प्रकार के हैं और रिपोर्ट्स हैं और दूसरी एजेन्सीज भी इस तरह की हैं कि आजकल के सिस्टम में रूरल क्रेडिट की समस्या बहुत भारी समस्या है और यह समस्या इस समय या तो बैंक्स के जरिये या स्टेट लोन्स के जरिये या कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिये हम किसी सीमा तक ही हल कर पाये हैं लेकिन उसका परसेन्टेज २५ और ३० से अधिक नहीं है जब कि ७० परसेन्ट की समस्या आज भी मनीलैन्डर्स या जो भी मनीलेन्डिंग का बिजनेस करते हैं इस प्रकार की एजेन्सीज के हाथ में है। अब उन एजेन्सीज के हाथ को हटाने का जहां तक प्रश्न है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये हो सकता है। सरकार की थर्ड फाइव ईयर प्लान की योजना है कि ५२ परसेन्ट फैमिलीज को को-ऑपरेटिव सेक्टर के परव्यू में ले आयें। इस प्रकार थर्ड फाइव ईयर प्लान में ५२ परसेन्ट फैमिलीज कोऑपरेटिव सेक्टर से प्रभावित होंगी और उनका निश्चित परिणाम यह निकलेगा उनको कोऑपरेटिव सेक्टर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लोन मिल सकेगा और चतुर्थ और अन्य प्लान के अन्दर बाकी का हिस्सा भी लिया जावेगा यह एक तरीका हो सकता है।

दूसरा तरीका बैंकिंग एजेन्सीज को इन्क्रीज करने का हो सकता है। लैन्ड मोर्टगेज बैंक अधिक सफलतापूर्वक काम कर सकें यह भी तरीका हो सकता है। इन तरीकों को काम में लाने की कोशिश सरकार करेगी ही लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि तत्काल में ऐसी कोई और एजेन्सी नहीं हो सकती जो किसानों की या और सभी श्रेणी के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए रूरल क्रेडिट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के अन्दर जो मनीलैण्ड्स का स्थान है उसको आज हम एक दम ही खत्म करना चाहें तो वह नहीं कर सकते। हां, एक ही साधन हो सकता है कि जो उसकी ईविल प्रोपेन्सीटिज हैं उसको कर्ब करें और जो एक्सपीरियन्स और नोलेज उसको पास है उसको हम हारनैस करें कि जो सोसाइटीज की नीड्स हैं उनको हम पूरा करें और हारनेस करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए वह सरकार ने यहां रखे हैं। हम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें, लाइसेन्सिंग पद्धति की हम व्यवस्था करें, उनके हिसाब-किताब ठीक तरह से रहें उसकी व्यवस्था हम करें, वह ठीक तरह से रिटर्न भरें और जो रजिस्ट्रार और सरकारी अधिकारी हैं रेट ऑफ इन्टरेस्ट भी निर्धारित करें और इन तमाम चीजों का उल्लंघन कोई करे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करें, उसका भी हम विचार करें, ये सारे प्रोवीजन्स इसलिए रखे हैं कि जो हमारी ईविल प्रोपेन्सिटी है विद् फैसेलीटीज एण्ड कन्वीनियेन्स उसके रिसोर्सेज हों, उसका लाभ रूरल सोसाइटी को मिल सके, इस बात की भी व्यवस्था हम करें, याने इन दोनों पहलुओं का समन्वय बैठाने की दृष्टि से यह विधेयक सदन में रखा गया है और मेरी मान्यता है कि इन दोनों का समन्वय इस बिल से होता है। हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने इसके प्रावधानों को कन्डैम किया है और क्रिटीसाइज किया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे पास ऑल्टर्नेटिव अरेन्जमेन्ट्स रूरल क्रेडिट के बारे में नहीं हैं तो हम तो उनके बिजनेस को रेगुलेट कर सकते हैं और ऐसे प्रावधान हमको करने पड़ेंगे। यदि हम इस क्लास को खत्म करना चाहें तो वह तो हो सकता है उसमें देरी नहीं लगेगी, किसी भी लेजिस्लेशन के जरिये उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या यह हितकर होगा कि आज की परिस्थितियों में इस प्रथा को बिलकुल खत्म करने से हम अपनी आवश्यकताओं को और दूसरे रिसोर्सेज से मीट कर सकेंगे। मेरी मान्यता है कि हम मीट नहीं कर सकेंगे।

तो दोनों पहलुओं का समन्वय कर लेना ही एकमात्र हल है और उसी को ध्यान में रखते हुए विधेयक रखा गया है और इसके संबंध में दूसरे दूसरे मुद्दे उठाये गये, उनके संबंध में जिस समय क्लॉज-बाई-क्लॉज डिस्कशन हुआ था उस समय और पहले भी काफी प्रकाश डाला गया था। इसलिए मैं उन पहलुओं पर अधिक और नहीं कहना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमारे लैण्ड रिफार्म्स के अन्दर जो कई बातें हमको करनी थीं काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, उनके हितों को सुरक्षित करने की दृष्टि से समय समय पर कई कानून बनाये गये, कई तरह के रूल्स और नोटिफिकेशन्स जारी किये गये और उनके साथ ही साथ यह भी कडी है जिसको हमने सदन के समक्ष प्रस्तुत करके पारित करने जा रहे हैं। डेट रिलीफ एक्ट, टीनेन्सी एक्ट के जरिये, क्लॉज ४३ के जरिये रिलीफ देने के बारे में इस प्रकार के कई रिलीफ के मैजर्स लेजिस्लेशन की मार्फत दिये जा चुके हैं और जो मैजर्स पहले लाये गये हैं यह उससे एक कदम आगे है और जो बच गये हैं उनको भी रिलीफ देने की दृष्टि से लैण्ड रिफार्म की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कडी थी और जिसकी कमी थी उसको सरकार पूरा करने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सर्व सम्मति से पारित करें।

Page No 78

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप-मंत्री जी से थोडा यह जानना चाहता था····

श्री उपाध्यक्ष : Now there can be no discussion.

श्री हरिभाऊ : नहीं, नहीं·····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, कोई डिस्कशन नहीं होगा ।

(व्यवधान)

Order ! order please !!

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनीलेण्डर्स विधेयक, १९६३ को पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

राजस्थान मनीलेण्डर्स विधेयक १
१९६३ पारित किया गया

Next item Rajasthan Tenency Amendment) Act. ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): It is not to be taken up.

सिलेक्ट कमेटी में भेजना है तो भेज दें। तो आप इसको ड्राप कर रहे थे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आज के बिजनेस में था··········

राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, लैण्ड ओनर्स एस्टेट बिल के संबंध में इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी थी·········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not audible. The mike is not working.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अभी तो हमारे लोगों का बोलने का नम्बर आयेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस पर काफी चर्चा हो चुकी थी और आज क्योंकि इस बिल को पास करना आवश्यक है इसलिये मैं इस स्टेज पर उसके सब पहलुओं पर जाना आवश्यक नहीं समझता हूं। आज इस सदन में चर्चा में आये तब क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन हो और आवश्यक हुआ और उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत होगी तो वह किया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल को इस सदन में इसी इरादे से प्रस्तुत किया गया है कि राजस्थान में जो इन्टरमीजियेरीज थे जागीरदार या जमींदार या जो माफीदार वगैरह उन सब एजेन्सीज को हमने अलग कानूनों के द्वारा समाप्त करके किसानों का राज्य सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है। राजस्थान में इस समय कुछ एस्टेट्स रूलर्स की ऐसी हैं कि जहां पर अब भी इन्टर-मीजियेरीज का रोल चालू रह गया है। उसको समाप्त करने की दृष्टि से इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ जो जमीन उनके पास है वह ऐसे होनी चाहिए और जो राजस्थान के अन्दर भूमि-सुधार के कानून हैं वे कानून भी उन पर लागू हो, उस दृष्टि से इस विधेयक को यहां रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष, यहां एक तरफ इस बात को कहा गया कि कन्स्टीट्यूशन और केबीनेन्ट की दृष्टि से जिस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है वह उचित नहीं है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

इस संबंध में राज्य सरकार ने जो लीगल एक्सपर्टस हैं उन लोगों की राय लेकर ही विधान का किसी प्रकार का उल्लंघन न हो, इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार और रूलर्स के बीच में पहले समझौता हुआ था और उसके अनुसार बहुत से प्रिवलेजेज और राइट्स उस वक्त में तय किये गये थे, उन बातों को भी लक्ष्य में रखने के बाद इस विधेयक को यहां पर रखा गया है कि जिसमें किसी प्रकार ऐसा विक्षेप नहीं हो। जैसा कि सबको मालूम है कि इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करने से पहले नियमों के अनुसार होम मिनिस्ट्री से भी इसके सम्बन्ध में सारा सलाह-मशविरा किया गया था, और मैं ऐसा समझता हूं कि जो कानून यहां पर प्रस्तुत किया गया है इन सारे पहलुओं को सामने रखते हुए इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया था।

बहस के दौरान में एक तरफ इस मामले में दखल न किया जाय, यह दलील पेश की है तो दूसरी तरफ कम्पेन्सेशन पे किये बिना ही जमीन, जंगल या दूसरी बिल्डिंग या महल वगैरह के बारे में जिक्र हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे विधान के अनुसार जो कम्पेन्सेशन देने के क्लाज हैं उनका ख्याल रखते हुए और साथ ही साथ इन बातों को भी लक्ष्य में रखते हुए कि हमारा उद्देश्य मूलतः इस बात का है कि हम इन्टरमीजियेरीज का जो रोल है उसको भी हम समाप्त करें। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बिल को प्रस्तुत करने में सरदार पटेल के समय जो भी फैसले किये गये हैं या औ बातें हुई है उन सब बातों को युनिलेटरली गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से समाप्त कर रही और उन समझौतों की कोई कीमत नहीं करती है, इस बात को सोचने का भी कारण नहीं होना चाहिये, क्योंकि व्हाइट पेपर में इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि जहां तक जमीनों का सवाल है वह हमारे लैन्ड रिफार्म्स की नीति के अनुसार उसमें मेल किया जा सकता है और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को सम्पन्न करने के ख्याल से इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब इसके बारे में क्लाज बाई क्लाज विचार किया जायगा चाहे इस पक्ष के हों, इधर के हों या उधर के हों, सभी इस विधेयक की गम्भीरता को, और साथ ही साथ राजस्थान जैसी जगह जहां कि एक समझौते से इन्टीग्रेशन हुआ है वहां किसी प्रकार की कटुता आये बिना इस विधेयक को पारित करने में सब मिलकर आवश्यक सहयोग देंगे। राज्य सरकार के दिमाग में किसी भी प्रकार की भी विन्डिक्टिवनेस की बात नहीं रही है, कोई इस प्रकार का पहलू नहीं रहा है। मैंने आपके समक्ष निवेदन किया कि इसका मूल आधार इन्टरमीजियेरी का रोल समाप्त करना और उनकी जमीनों का एसेसमेंट हो सके, उस दृष्टि से इस विधेयक को यहां पर लाया गया है, और मुझे आशा है कि इसके लिए आवश्यक सहयोग सदन को प्राप्त होगा और जल्दी से जल्दी इस विधेयक को जिसके ऊपर पहले काफी बहस हो चुकी है उसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३,......

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मुरलीधर व्यास ने जनमत के लिये प्रसारित करने का रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि दूसरा संशोधन जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के·········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मर्जी है कि उनको विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड-ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ (२), श्री रामानन्द अग्रवाल।

मैं माननीय सदस्यों से इस प्रकार के सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि जो भाषण दें अपने एमेंडमेंट के सिलसिले में वे अत्यन्त ही सूक्ष्म और टू दी पाइन्ट रहें तो उत्तम होगा।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(*i*) In sub-clause (e) delete the words 'and includes any land reorded as the Landowner's Sir or Khudkasht;

(*ii*) In sub-clause (*f*) part (*d*) insert the word and a comma 'bunds' between the words 'ponds' and "embankments".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(*i*) Add the following at the end of sub-clause (*b*):—

"on 26-1-50."

(*ii*) Add the following at the end of sub-clause (*e*):—

"on 26-1-50".

(*iii*) Substitute the following for sub-clause (*f*):—

'Land' shall mean land which let or held for an agricultural purpose or for purposes subsequent thereto or a grove land or for pasturage including land occupied by houses or enclosures situated in a holding or land covered with water which may be used for the purpose of irrigation or growing singhara or other similar produce; and it shall include benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently to any thing attached to the earth;

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(iv) Add the following at the end of sub-clause (g):—

"and includes the transfer of any right or interest in land from such Ruler."

(v) Omit the words "but not defined in this Act" occurring in sub-clause (i)

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :–

(i) The definition given in sub-clause (f) be replaced by the following:—

"Land" means agricultural land included in the Inventories of the Rulers and in the possession or occupation of tenant or tenants.

(ii) The definition of "Land Owner" as given in Sub-clause (g) be replaced by the following:—

"(g) 'Ruler' means and includes the Prince. Chief or other person recognised before such commitment by His Majesty or the Government of the Dominion of India as the Rulers of any Indian State."

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि क्लॉज २ के सब-क्लॉज (इ) में जो शब्द है, 'खुदकाश्त' की डेफिनिशन है : " 'Khudkast' means any land cultivated personally by a land-owner and includes any land-recorded as the landowner's Sir or khudkasht" इसको निकाल दिया जाय।

दूसरा अमेंडमेंट है कि क्लॉज २ का सब-क्लॉज (एक) है और उसका पार्ट (डी) है इसमें जो डेफिनिशन है 'लैण्ड' की इसमें "(d) beds of tanks, ponds, embankments, rivers and water channels," ये शब्द दिये हैं इनमें बान्ध इन्क्लूडेड नहीं हैं तो आपको 'टैन्क्स' के बाद और इन्क्लूड किया है।

यह जो मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं वे सेल्फ-एक्स्प्लेनेटरी हैं। उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं इसको मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(विराम)

Shri Satish Chander, would you like to move ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो हो गये ना।

श्री उपाध्यक्ष : वे बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वह इस प्रकार से है:

"Add the following at the end of sub-clause (b) :—

'on 26-1-50.' "

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

The clause is :"(b) 'estate' means land or right, title or interest in land held by a landowner;"

इसमें मैंने अमेन्डमेन्ट यह चाहा है :

"at he end. add, "on 26-1-50."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस्टेट की डेफिनिशन दी हैं वह एस्टेट कौनसा एस्टेट होगा ? कौनसा राइट, टाइटल और इन्ट्रेस्ट जो भूमि में होगा जिसके संबंध में यह प्रावधान लागू होगा ? इस संबंध में मैंने स्पेसिफिकली यह चाहा है कि क्योंकि भारत का संविधान २६ जनवरी सन् १९५० से लागू हुआ इसलिए वे एस्टेट जो २६ जनवरी सन् १९५० को विद्यमान थे और उनके जिस प्रकार के भी राइट, टाइटल और इन्ट्रेस्ट २६ जनवरी, ५० को थे उन के आधार पर यह प्रोविजन करना आवश्यक है, एस्टेट की डेफिनिशन में यह बढ़ाना चाहिये कि एस्टेट वह जो २६ जनवरी, १९५० को एज़ ए एस्टेट लागू था। जिस प्रकार की हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं उस सारी चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते ; इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय कांस्टिट्यूशन हिन्दुस्तान में लागू किया, इन्टीग्रेशन हमने सारे कानूनों का किया और कांस्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दी। तो जो एस्टेट की डेफिनिशन है उसी पर आगे के सारे प्रोवीजन्स निर्भर करते हैं । यदि एस्टेट की डेफिनिशन में यह स्पष्ट नहीं किया कि कौनसी एस्टेट की बात करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बना रहे हैं वह लागू होगा, आज को तारीख में जो एस्टेट हो उस पर लागू होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार का प्रोग्रेसिव अमेन्डमेन्ट है जिसको सरकार प्रोग्रेसिव नाम देकर ज्यादा खुश होती है; मैं चाहता हूं कि उप-मंत्रीजी जवाब देंगे तब क्लेरिफाइ करेंगे कि आज जो एस्टेट है उस पर लागू नहीं होगा। जो एस्टेट बाइफर्केट करके लोगों के पजेशन में जा चुका है, मैंने पहले बहस हुई थी उसमें यह कहा था कि आप उसका क्या करेंगे, जो सारे रूलर्स की एस्टेटम् डिवाइड हो चुकी हैं, हवाला और सीर में निकल चुकी हैं उसके बारे में किस प्रकार से इम्प्लीमेन्टेशन होगा ? इसलिए एस्टेट की परिभाषा वह होनी चाहिये, जो राइट, टाइटल और इन्टरेस्ट २६ जनवरी, १९५० को थे । मैंने यह छोटा सा अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है । यदि एस्टेट के संबंध में आप स्पष्टीकरण कर देंगे तो मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रेस नहीं करूंगा ।

मेरा दूसरा संशोधन लैंड की डेफिनिशन के बारे में है । उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज २ में लैंड की डेफिनिशन दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लैंड की डेफिनिशन में विवाद नहीं होना चाहिये । उसका कारण यह है कि इस क्लॉज़ के अंत में लिखा है:

"(*i*) words and expressions, defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), and in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) but not defined in this Act shall, wherever used herein, be construed to have the meanings respectively assigned to them by those Acts."

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो लैंड की परिभाषा इस कानून में दी है वह लैंड की परिभाषा वह क्यों नहीं है जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज को युनिफोर्म बनाना चाहते हैं । तो यह नहीं हो सकता कि राजस्थान लैंड

Page No 83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रेवेन्यू एक्ट में लैंड की परिभाषा कुछ और है। जो टिनेन्सी एक्ट राजस्थान की डेढ करोड जनता की एग्रीकल्चरल लैंड को रेगुलेट करता है मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार की लैंड की परिभाषा कुछ और है जो टिनेन्सी एक्ट राजस्थान की डेढ करोड जनता के एग्रीकल्चरल राइट्स को लीगेलाइज करती है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की लैंड की परिभाषा इसमें भी होनी चाहिये। जो टिनेन्सी एक्ट में दी है वही परिभाषा मैं इस कानून में देखना चाहता था। यहां जो परिभाषा मैंने चाही है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की परिभाषा है। मैं समझता हूं, राजस्थान विधान सभा द्वारा पास किया हुआ कानून राजस्थान के ८० परसेन्ट किसानों को रेगुलेट करने वाले कानून में जो परिभाषा दी है वह वही होनी चाहिये जो टिनेन्सी एक्ट में है। टिनेन्सी एक्ट की सारी की सारी परिभाषा इसमें आनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करे।

एक बात जो दूसरे संशोधन प्रस्ताव में वह है सब क्लॉज (जी) में :

"*Sub-clause* (*g*):—"(g) 'landowner' means the Ruler of a Covenanting State in Rajasthan holding an estate under and in accordance with the settlement of his personal or private properties made in pursuance of the Covenant and finally approved by the Central Government".

इसमें मैंने यह लिखा है, इसके अंत में यह जोड दिया जाय :

'and includes the transfer of any right or interest in land from such Ruler."

उपाध्यक्ष महोदय, लैंड ओनर्स की परिभाषा में, जैसा कि पहले निवेदन किया उन सारे ट्रान्सफरीज को भी इन्क्ल्यूड करना चाहिये। ये सारे प्रोविजन्स इन्कोरपोरेट करने चाहिए। ट्रान्सफरीज को इन्क्ल्यूड नहीं किया तो उनके लिये दिक्कत होगी। यदि इस प्रकार के प्रोविजन को इन्क्ल्यूड कराना चाहते हो और यह मंशा है कि सारे जमीन पर जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता है, एसेसमेन्ट नहीं होता है तो सारी परिभाषा जैसी है उसके अनुसार जो लैंड ओनर के पास है उस पर लगेगा। जो ट्रान्सफरीज है पिछले १३ साल से किसी प्रकार अधिकार ट्रान्सफर कर दिये हैं उनको इन्क्ल्यूड नहीं किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू एसेसमेन्ट उन पर नहीं होगा जिनको १३ साल में ट्रान्सफर करदी है। नतीजा यह होगा कि उन पर तो नहीं होगा और दूसरी तरफ आज की तारीख में जो ट्रान्सफर होगा उस पर हो जायगा; लेकिन जिनको ट्रान्सफरी के सारे राइट्स मिल चुके हैं, ट्रान्सफर हो चुके हैं उन पर नहीं हो सकता। इसलिये इस एम्बीग्विटी को दूर करने के लिये इसमें भ्रान्ति न हो जाय, कांम्पलीकेशन न हो और लिटिगेशन न हो या लिटिगेशन कम हो इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। यदि सरकार की यह मंशा है तो सरकार लॉ डिपार्टमेन्ट से कंसल्ट करले इस दृष्टि से और ये शब्द आखिर में जोड देने चाहिये। पिछले १३ साल में जिस रूलर ने अपनी जमीन ट्रान्सफर करदी है उस पर भी लैंड रेवेन्यू एसेसमेन्ट लागू होगा।

इसलिए मैंने परिभाषाओं में यह जोडना चाहा है: "and includes the transfer of any right or interest in land from such Ruler".

उपाध्यक्ष महोदय, एक और आखिरी संशोधन

Page No 84

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस क्लॉज में जो मेरा है, वह है (आइ) पार्ट में:–"(i) words and expressions defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), and in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) but not defined in this Act shall, wherever used herein, be construed to have the meanings respectively assigned to them by those Acts."

मैंने इसमें संशोधन चाहा है: 'Omit the words 'but not defined in this Act' occurr ng in sub-clause (i)"

इस संशोधन से मेरा केवल तात्पर्य इतना है कि जो टिनेन्सी एक्ट में, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में डेफिनिशन दी गई है और जिन डेफिनिशन्स को मैंने या आपने अलग से बैठ कर नई बना कर निर्धारित नहीं किया है लेकिन जो कानून इस सदन के द्वारा पारित किये गये हैं और जहां तक रेवेन्यू लॉज का सवाल है उनमें दिये गये कानून और उन कानूनों में दी गई परिभाषायें हैं वे राजस्थान के अधिकांश एग्रीकल्चरल लैंड पर टीनेन्सी राइट्स या कहना चाहिए भूमि सम्बन्धी अधिकार और अधिकार सम्बन्धी सारी बातों को नियमित करने की दृष्टि से मान्य हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को डेढ़ करोड जनता के राइट्स का नियमन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में दी गई परिभाषाओं से हो सकता है। तो इस एक्ट और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट की परिभाषाओं के अधीन जिस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं, हमको वही परिभाषायें, जो उनमें दी हुई हैं, यहां लागू माननी चाहिये और जिन चीजों की परिभाषाएं उनमें नहीं दी गई हैं उनकी व्यवस्था हम कर सकते हैं।

इसलिये जो छोटा सा संशोधन मैंने क्लाज २ में प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूं राजस्थान सरकार और विशेष तौर पर मुख्य मंत्री जो से कि जो मैंने ट्रान्सफर ऑफ लैंड के सम्बन्ध में इस कानून के लिये २६-१-५० को डेट ऑफ आपरेशन रखा है, उसे गम्भीरतापूर्वक सोच विचार करने के बाद, जितना आवश्यक है कानून की दृष्टि से, उतना मैंने यह संशोधन प्रस्ताव इस दृष्टि से रखा है कि कम से कम कन्फ्यूजन टीनेन्ट्स को हो इसे वे स्वीकार करेंगे। जो मन्शा है, वह हमें कानून में साफ तौर पर रख देनी चाहिए। यह इसके पीछे भावना है और इसी दृष्टि से मैंने संशोधन का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा। (अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठोड (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस क्लॉज २ के (एफ) और (जी) के अन्दर है। एकमात्र इस बिल का ध्येय है वह ध्येय यह है कि जो फोमेर रूलर्स थे उनको जो एग्रीकल्चर लैंड दिया गया, उसमें से कौनसा हिस्सा पर्सनल प्रोपर्टी के हिसाब से पर्सनल प्रोपर्टी में शुमार किया जायगा और कौनसा जमीन छोडी जायगी। मैं यह समझता हूं कि जो राजस्थान, लैन्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ऑफ लैंड-ओनर्स एस्टेट बिल है उसके बजाय राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ऑफ रूलर्स एस्टेट बिल रखा जाय, इसको मद्दे नजर रखते हुए मैंने क्लाज २ के अन्दर ये अमेंडमेंट रख दिये हैं।

(गंगासिंह राठोड)

मेरा पहला अमेंडमेंट जो लैंड वाला है मैंने लैंड की डेफीनिशन के अन्दर लिखा है कि जो इस बिल में लैंड की डेफीनिशन दी गई है उसको हटाया जाकर यह रखा जाय

"'Land' means agricultural land included in the Inventories of the Rulers and in the possession or occupation of tenant or tenants."

जहां तक मीडियेटर्स का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने अभी कहा था कि हम मीडियेटर्स को हटाना चाहते हैं उस ध्येय को तो मैं भी समझ सकता हूं कि काश्तकार और गवर्नमेन्ट के बीच के अन्दर कोई दूसरा आदमी है तो उसे हटाया जाय। लेकिन जो पर्सनल प्रोपर्टी है जिसको आपने रिकाग्नाइज कर लिया था, वह प्रोपर्टी, वह असेट रूलर्स की खुद काश्त के अन्दर है-उसके सम्बन्ध में काश्तकार और गवर्नमेन्ट के बीच वाले किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं आता है। वैसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि जो लैंड की परिभाषा है, वह इस तरह रेस्ट्रिक्ट की जाय और जो वई (जी) के अन्दर लैंड ओनर है वह ओनर की जगह रूलर रखा जाय और रूलर की डेफीनिशन यह मानी जाय.......

"(g) 'Ruler' means and includes the Prince, Chief or other person recognised before such commitment by His Majesty or the Government of the Dominion of India as the Rulers of any Indian States."

तो इस तरह से मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो गवर्नमेंट की मन्शा है कि वह जमीन छीन कर टीनेन्ट को राइट दिया जाय और रूलर्स के पास राइट नहीं रहे-वह मन्शा पूरी हो जाती है कि जो जमीन टीनेन्ट्स के कब्जे में है वह जमीन पर्सनल प्रोपर्टी से ले ली जाय। लेकिन जो जमीन खुदकाश्त के अन्दर है वह जमीन न ली जाय। इसके अतिरिक्त जो जमीन है वह ली जावे तो लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अन्दर में जो मुनासिब कार्यवाही हो वह करके ली जाये। इसे मद्दे नजर रखते हुए मैंने ये अमेंडमेंट्स पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा....

श्री राम प्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : The amendment is of similar nature; if you don't mind, we shall save some time if you........

श्री उपाध्यक्ष : आपके अमेंडमेंट सिमिलर हैं। कोई विशेष बात हो तो कहें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : I shall try to be very brief.

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा तो निवेदन करना यह था कि लैंड की परिभाषा जो इस प्रपोज्ड बिल में दी गई है वह हमारे राजस्थान के टीनेन्सी एक्ट से और जो लैंड रेवेन्यू एक्ट आदि हैं उससे नहीं मिलती है जब लैंड की परिभाषा आपने निर्धारित कर रखी है तो अलग एक्ट में अलग परिभाषा देना उचित नहीं है। यह लैंड की जो परिभाषा दी गई है इसमें बहुत बडा स्कोप उसका रखा है, जब कि लैंड का आर्डिनरी मीनिंग एग्रीकल्चरल लैंड से है। ऐसी स्थिति में

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
जो क्लॉज २ में अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह अपनी जगह स्पष्ट है:

" 'Land' means agricultural land included in the Inventories of the Rulers and in the possession or occupation of tenant or tenants."

साथ ही मेरा यह भी निवेदन करना है कि भूमि को अवाप्त करने के लिए राजस्थान में कई कानून अभी बने हुए हैं—लैंड एक्वीजीशन एक्ट है, इसके साथ ही सीलिंग के संबंध में नियमों पर भी काफी विचार विनिमय किया था। ऐसी स्थिति में यदि कोई भूमि की आवश्यकता किसी सार्वजनिक कार्य के लिए है तो हमारे पास लैंड एक्वीजीशन एक्ट पहले से मौजूद है। इसके अतिरिक्त हम उचित बहुत प्रकार की सम्पत्ति भी अवाप्त कर सकते हैं। इसलिए लैंड एक्वीजीशन का विधान करके, इस कानून में लैंड एक्वीजीशन का प्रोवीजन लाकर एक ओवरलेपिंग कानून बना देंगे जिससे कि लिटिगेशन ज्यादा होगा। इसके साथ ही जो कोवेनेन्ट के जरिये जो वायदे कर रखे हैं उसका ब्रीच भी इससे होता है जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है।

(जी) क्लॉज में जो रूलर की डेफिनिशन है, मैं समझता हूं कि जो कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और कोवेनेन्ट के आर्टिकल ६६ (२२) में दे रखी है, उससे इधर उधर नहीं जाना चाहिये और हमें सिद्धान्ततया वही डेफिनिशन स्वीकार कर लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जिस वक्त पूर्ण विचार हो रहा था उस वक्त भी मैंने इसका विरोध किया था और इस विषय में नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया था। इस बिल में क्लॉज २ के रूप में सदन के समक्ष जो ये परिभाषायें हैं उनके अन्दर कुछ संशोधन करने के लिये मैं विचार सदन के समक्ष उपस्थित करूंगा। इसके अन्दर जो (एफ) और (जी) अमेंडमेंट हैं, वे इस बिल के अन्दर जो लैंड और रूलर्स की परिभाषायें दी गई हैं उनको क्लीअर करते हुए न्याय संगत करने के अभिप्राय से रखे गये हैं। जिस वक्त इस बिल को रेफर किया गया था तो उस वक्त दलील सरकारी पक्ष की ओर से यह दी गई थी कि यह बिल काश्तकारों के हित में है और काश्तकारों के पास जो जमीन है और राजाओं की जो जमीन है, उन पर टीनेन्सी एक्ट अप्लाई होकर खातेदारी राइट उनको मिलने चाहिए। साथ ही इन्टरमीजयरीज जिस जगह तरह जागीरदार खत्म किये गये, उसी तरह ये इन्टरमिजयरीज भी खत्म होने चाहिये। यह दलील जो दी गई, अगर उस दलील को आज मापा जाय और उसका वजन आप मानते हैं तो यह जो अमेंडमेंट दिया गया है वह अपनी जगह क्लीअर हो जाता है। इस अमेंडमेंट के जरिये, जो हमने सदन के समक्ष रखा है, यह क्लीअर हो जाना चाहिए:

'Land' means agricultural land in the possession or occupation of tenant or tenants. तो 'in the occupation or possession of tenant' यह जब तक क्लीअर नहीं होता और एग्रीकल्चरल लैंड की यह एक परिभाषा नहीं होती। तो वह जो हमारी दलील थी, एप्लीकेशन ऑफ टिनेन्सी राइट्स, उसके लिए तो स्टेट लेजिस्लेचर काम्पीटेन्ट है

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
चाहे वह रूलर और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के दर्म्यान कोवेनेन्ट से हो। उस वक्त रूलिंग का हवाला भी दिया गया था, उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। उस वक्त इस रूलिंग को आपके सामने रखा था तो यह रखा था कि स्टेट लेजिस्लेचर टिनेन्सी लॉज को एप्लाई कर सकती है और उसके लिए १९५० के व्हाइट पेपर की दुहाई दी गई थी। आपका यह मतलब है कि टीनेन्सी लॉज एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें यह क्लीअर हो जाना चाहिए कि वह एग्रीकल्चरल लैण्ड हो और उस पर खेती होती हो, जैसी कि आपकी दलील थी 'in occupation or possession of tenants;' तभी आपकी जो दलील थी कि इन्टरमीजियरीज को हम एबोलिश करना चाहते हैं, वह अपनी जगह कायम रहती है। इसलिए जिस अभिप्राय से यह लैंण्ड की परिभाषा दी गई है, इसमें यह अमेंडमेंट होना जरूरी है। क्योंकि वह जो शंका आपके सामने उपस्थित की जाती है, इसमें जो कॉम्पीटेन्स का प्रश्न लाया गया था कि जो चीज कोवेनेन्ट में शामिल है, उसके अन्दर सन् १९५० के व्हाइट पेपर को पूरी तरह एप्लाई करना चाहते हैं उसमें जो शंका उत्पन्न हुई और उसके संबंध में आपके समक्ष जो रिप्रेजेंन्टेशन आये, जिसके अन्दर यह है कि आप जो क्लॉज बनाना चाहते हैं उसके अन्दर आप क्लीअर कर दीजिये। उसे क्लीयर करने के लिए यह अमेंडमेंट दिया है कि यह खुला अर्थ रहना चाहिए कि यह एग्रीकल्चरल लैंड है।

मैं आपका ध्यान इसके (डी) की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें लिखा है:
"beds of tanks, ponds, embankments, rivers and water channels." सबको आपने लैन्ड की परिभाषा में रखा है। जब आपके टीनेन्सी एक्ट में ऐसा है कि इन पर खातेदारी राइट कन्फर नहीं किया जा सकता है तो फिर "beds of tanks, ponds, embankments, rivers and water channels अपनी जगह कायम नहीं रहती है और परिभाषा में अगर आप इसको इन्क्लूड करते हैं; जैसा कि एक माननीय सदस्य ने श्री सतीशचन्द्र ने कहा था कि लैन्ड की परिभाषा है उसमें सारी चीजें कोवेनेन्ट में उनको इन्क्लूड कर दी जावे और यह कहा जावे कि हमें इन्टरमीजियरीज को दूर करना है। इसलिये आपकी यह जो दलील है, "benefits to arise out of such land"; यह स्वयं में इतना वाइड है, इतना एनेमोलस है कि इसके क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता हो जाती है कि इसका मतलब क्या है? "benefits to arise out of such lands" से आपका क्या अभिप्राय है? जब आप "in occupation of tenants" तक सीमित रख लेते हैं तो क्लीयर हो जाती है? जब आपके एक्ट में ही क्लीयर नहीं है तो रोज इन्टरप्रिटेशन का सवाल आयगा और रोज लिटीगेशन होंगे। तो इसमें आपका अभिप्राय क्या है, यह साफ होना चाहिये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक आप इसको क्लीयर नहीं करें 'benefits to arise out of such lands', 'beds of tanks ponds, embankments, rivers and water channels'. इन दोनों चीजों को क्लीअर नहीं कर देते तब तक तक जो डेफिनिशन लैन्ड की यहां पर दी है वह इतनी वेग है जिसके लिये क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता है इस लिये आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने एमेन्डमेन्ट रखा है।

Page No 88

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

इसके साथ ही (इ) और (एफ) की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। टीनेन्सी एक्ट में है:"attached to earth or fastened to the earth". और यहां आपने (इ) और (एफ) में ले लिया है "(e) surface of hills, and (f) quarries and mines." क्वेरीज एन्ड माइन्स को लैन्ड में इन्क्लूड करते हुए अब आप लेना चाहते हैं "attached to the earth or fastened to the earth" तो यह जो डेफिनिशन टीनेन्सी एक्ट की है उससे भी आप अलग जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी तरह से लीगली जस्टीफाइड नहीं होता ये सारी बातें आपकी लैन्ड की डेफिनिशन की अजीब सी चीज है जो आपके रूल्स और कोवेनेन्ट के विपरीत है और आपके कॉम्पीटेन्स में और लेजिस्लेचर के कॉम्पीटेन्स की हो, इसका भी मुझे शक है और कानूनी प्रश्न यह है कि आप इस टीनेन्सी एक्ट को एप्लाई करने पर इस पर जा सकते हैं या नहीं और इस लेन्ड की डेफिनेशन को बदल सकते हैं या नहीं ? इतना तो है कि आप इसके जरिये लैन्ड की डेफ़िनिशन को बदलते हैं। एक तरफ़ तो आप टीनेन्सी एक्ट है उसमें रूलर्स को क़ायम रखना चाहते हैं और दूसरी ओर लैन्ड की डेफ़िनिशन में "(e) surface of hills, and (f) quarries and mines" करना चाहते हैं।

जब लैन्ड की डेफ़िनिशन आपके सामने है तो इसमें एडीशन तो करदें। जहां तक आप जस्टीफ़ाइड हो। लेकिन जब तक टीनेन्सी एक्ट की डेफ़िनिशन को कैंसिल [न]हीं किया जाता है तब तक वही रहती है और यह चीज इन्क्लूड करते हैं जो सब्स्टेन्टिव लॉ में नहीं है। मैं यह कहूंगा कि सबस्टेन्टिव लॉ के बिल्कुल विपरीत है और लॉ के विपरीत जाते हैं। इसलिये में निवेदन करूंगा कि जो एमेन्डमेन्ट आपके सामने पेश किया है उसको पास करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अमेन्डमेन्ट है डेफिनेशन ऑफ़ रूल्स के बारे में। आपने हर जगह रूलर्स को "लैन्ड ओनर" माना है और "Land owner's means the Ruler" लिख दिया है।

यह एक प्रश्न अपनी जगह अलग है। इसलिये हमनें एमेन्डमेन्ट रखा है कि रूलर की डेफ़िनिशन अलग होनी चाहिये और हमनें रूलर्स की डेफीनिशन दी है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हमने क्लॉज़ (सी) के अन्दर एक एमेन्डमेन्ट दिया है और क्लॉज़ ३ में...

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो क्लॉज २ चल रहा है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : इन बातों की तरफ़ ध्यान देते हुए माननीय मन्त्री लैन्ड और रूलर्स की डेफ़िनिशन है इस पर विचार करेंगे और जो इसमें लीगल कॉम्प्लीकेशन्स उत्पन्न होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ने जो एमेन्डमेन्ट रखे हैं उनको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उप-मन्त्री महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I wanted to speak on these amendments.

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : You have already moved your amendment.

माननीय उपाध्यक्ष, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये हैं। एक में (ई) में जो खुदकाश्त की डैफ़िनिशन दी है 'and includes any Land recorded as the land owner's Sir or Khud Kasht.

इन शब्दों को डिलीट करने के लिये निवेदन किया गया है और दूसरा (डी) के अन्दर 'beds of tanks, ponds, embankments,' के साथ बन्द को भी इन्क्ल्यूड करने के लिये कहा है ।

जहां तक बन्ध' शब्द इन्क्ल्यूड करने के लिये प्रस्ताव रखा है मैं यह कहूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने डैफ़िनिशन जो रखी है उसमें "beds of tanks, ponds, embankments, rivers and water channels;' 'रख दिये हैं । इसलिये बन्ध शब्द ऐसा नहीं है और इसमें नहीं आता हो। इसलिये जो माननीय सदस्य की मन्शा और इच्छा है वह इससे निकल जाती है।

दूसरा खुदकाश्त की डैफिनिशन से इस बात की तरमीम रखी है इसकी भी आवश्यकता नहीं है। शायद उनका यह खयाल है कि शायद यह रहेगा तो खुदकाश्त वाले खुश रह जावेंगे । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि वे क्लॉज ६ को देखें और उसमें जो प्रावधान है उसको पढ़ें। इसके सब-क्लॉज (२) में लिखा हुआ है :"(2) In respect of land under the personal cultivation of the land-owner and in which there are no tenants, the landowner shall, as from the date of vesting, be the khatedar tenant thereof;" इसलिये खुदकाश्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खातेदारी राइट्स का सवाल इसको इस्तेमाल नहीं किया है। यह खुदकाश्त तो क्लॉज ६ में जहां दो-चार जगह शब्द आया है: "or is entered in the revenue records as a tenant or as tenant of Khudkasht, but not as a sub-tenant,"यह लिखा हुआ है। यह डैफिनेशन यहां दी गई है। इसलिये खातेदारी राइट्स को कन्फर्म करने की दृष्टि से इसका महत्व नहीं होता।

इसके बाद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चार-पांच तरमीमें प्रस्तुत की हैं। पहली एस्टेट की डैफिनिशन सब क्लॉज (२) में है: " 'estate' means land or right, title or interest in land held by a landowner;"

उसके आगे उन्होंने चाहा है कि "as on 26-1-50" " शब्द बढ़ा दिये जायें। इसका मतलब यह होता है कि गवर्नमेन्ट उस जमीन को एक्वायर करेगी जो २६-१-५० को एग्जिस्ट करती थी। मैं यह कहूंगा कि कोवेनेन्टिंग रूलर्स और गवर्नमेन्ट के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बाद जो पर्सनल प्रोपर्टी उनकी थी अगर वह उसको ट्रान्सफ़र कर दी, तो उस ट्रान्सफ़र को हमने कन्ट्रोल नहीं किया। उसका मूल कारण यह है कि जो रूलर्स और गवर्नमेन्ट के बीच में समझौता हुआ था उसमें उनको राइट्स थे। उन राइट्स को हमें तीन हिस्सों में बांटना था। जिसमें एक तो ऐसा था जो सक्सेशन का और दूसरा ऐसा था जिसमें परमिशन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की ज़रूरत थी। तीसरा ऐसा था जिसम उनको एब्सोल्यूट डिस्पोज़ल का राइट था, उनको डिस्पोज़ ऑफ़ करने का राइट था और अगर उन्होंने कानून लागू होने से पहले बेच दिया तो अब हम यह कहें कि हम उसको भी एक्वायर करेंगे, जो ज़मीन उन्होंने बेच दी है तो उचित नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ इस प्रस्ताव को मान लेने से यह विशेष परिस्थिति हो जाती है कि ७-४-४९ को जब राजस्थान बना उससे पहले कोवेनेन्ट हुआ, जब उनकी प्रोपर्टीज़ का फ़िजिकल वेरिफ़िकेशन भी नहीं हुआ और हम कहें कि २६-१-५० को वह ले लें, ४९ में देते हैं और ५० में वापिस ले लेते हैं तो वहां कोई सेंक्टिटी कोवेनेन्ट की नहीं रहती। इसलिये जो उन्होंने तरमीम रखी है कि एज़ ओन २६-१-५० मान लिया जाय वह मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

दूसरी तरमीम (इ) में रखी है, उसमें भी यही शब्द रखे हैं: "Add the following at the end of sub-clause (e) :—
'on 26-1-50.' "

तीसरी तरमीम लैन्ड की डेफ़िनिशन के बारे में रखी है, वह डेफ़िनिशन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में, या लैन्ड रेवेन्यू एक्ट म दी है वह दी है। क्लॉज़ (आई) में "but not defined in this Act" इन शब्दों को डिलीट करने की तरमीम रखदी, जब कि हमारी मन्शा यह है कि हम यह डेफ़िनिशन मान कर चलते हैं, परिभाषा तो वही रहेगी जो हमनें इसमें परिभाषित करदी है, पर जिनकी परिभाषा नहीं दी है उनकी परिभाषा राजस्थान लैन्ड रेवन्यू एक्ट में और टीनेन्सी एक्ट के तहत मानी है वही मानी है।

हमने यहां दूसरी परिभाषा क्यों रखी, इसका खास कारण है। कुछ तो प्रकाश डाल दिया था कि इन्टरमीजियरी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। आपने दलील दी कि फ़ोरेस्ट, ग्रेजिंग लैन्ड, हार्टीकल्चर में तो इन्टरमीजियरीज़ नहीं होते हैं, इसलिये इनको तो लेने की आवश्यकता नहीं और लैन्ड की डेफ़िनिशन जैसी स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य ने की है वह कर दी जाय। अपने अपने कोवेनेन्ट के मुताबिक, टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक़ रख दें।

हमने जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में डेफ़िनिशन रखी है उस ही को रखा है। उसी सिद्धान्त के आधार पर हम इस मामले को हल करना चाहते हैं। तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजाओं को जागीरदारों से भी ऊंचा कम्पेन्सेशन दें? यह मन्शा नहीं हो सकती तो जो डेफ़िनिशन हमने दी है वह यह है:

"(c) sites of villages or towns,

(d) beds of tanks, ponds, embankments, rivers and water channels,

(e) surface of hills......"

यह चीज है। हमने एग्ज़ेम्प्शन दे दिया कि हम किन किन प्रोपर्टीज़ को नहीं लेंगे फ़ोर्ट्स, पेलेसेज, बिल्डिंग्ज़, और बिल्डिंग प्लॉट्स को नहीं लेंगे। चार चीज़ों को छोड़ने के बाद जो लैन्ड है जो हमने लैन्ड की डेफ़िनेशन में दे दी। इसलिये लैन्ड की डेफ़िनिशन इस बिल में दी है वह उपयुक्त है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो परिभाषा रखी वह संकुचित है, नैरो है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : बिल्डिंग प्लॉट्स में आप किन चीजों को इन्क्ल्यूड करना चाहते हैं? क्या इससे एग्रीकल्चरल लैन्ड शामिल नहीं हो जायगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Building Plots are building plots and in various Covenants they have been defined, narrated and mentioned as building plots. Therefore, I have followed the phraseology of the Inventories and the Covenants.

एक माननीय सदस्य : आप हिन्दी में कह दीजिये।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: बिल्डिंग प्लॉट्स दिये हैं वे कोवेनेन्ट के आधार पर लिये हैं। वह छुप नहीं सकती। एग्रीकल्चर लैन्ड एग्रीकल्चर लैन्ड होती है। बिल्डिंग प्लॉट्स बिल्डिंग प्लॉट्स होते हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या एग्रीकल्चर लैन्ड बिल्डिंग प्लॉट्स में नहीं आ जायगी? जिस पर उन्होंने बिल्डिंग प्लॉट्स के बोर्ड लगा रखे हैं वे सब बिल्डिंग प्लॉट्स मान लिये जायेंगे।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : बोर्ड लगे हुए हैं और उनकी इन्वेन्टरी में हैं वे बिल्डिंग प्लॉट्स माने जायेंगे। उनको हम एग्रीकल्चर लैन्ड नहीं मान सकते।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : रेवेन्यू रेकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैन्ड लिखा हुआ है और इधर बिल्डिंग प्लॉट्स का बोर्ड लगा रखा है तो क्या करेंगे?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: रेवेन्यू के रेकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज किया है और कोवेनेन्ट में बिल्डिंग प्लॉट्स माना है, उसको एग्रीमेन्ट के वक्त बिल्डिंग प्लॉट मान लिया है तो वह बिल्डिंग प्लॉट ही माना जायगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अपनी मर्जी के अनुसार करेंगे या नियमानुसार ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: नियमानुसार।

(आई) में है, "not defined in this Act"

इसको ओमिट करने की तरमीम रखी है, इसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

लैन्ड ओनर की डेफिनिशन में यह शब्द बढ़ाने की कोशिश की है ट्रान्सफ़री के सम्बन्ध में—

"Add the following at the end of sub-clause (g) :—'and includes the transfer of any right or interest in land from such Ruler'."

यहां पर हमने लैन्ड ओनर की डेफ़िनिशन दी है, उसके बाद ट्रान्सफरी का नाम देने की आवश्यकता नहीं। इसलिये आवश्यकता नहीं कि उसका सक्सेसर कौन होगा, यह आगे चल कर १९ में आता है; प्रेसिडेन्ट जिसको कन्सेन्ट दे देते हैं, प्रेसिडेन्ट आफ़ इन्डिया मुक़र्रर करता है उससे लैन्ड रेवेन्यू ली जायगी। किसी को जमीन बेच दी है तो राजा की जमीन खरीद लेने से कोई राजा नहीं बन गया, राजा बन कर वह एग्जेम्प्शन नहीं ले सकता। लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार ट्रान्सफ़री से वही लैन्ड रेवेन्यू वसूल की जायगी जो एक एग्रीकल्चरिस्ट से वसूल की जाती है। तो जो चीज लिखते हैं तो उसका मतलब सक्सेसर से भी रहता है, सक्सेसर को अलग से लिखने की जरूरत नहीं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपके कहने का मतलब यह है कि जिनको, ट्रान्सफ़र करदी है उनका असेसमेन्ट अपने आप लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत हो जायगा ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : जी हां।

स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य ने एक तरमीम लैन्ड की डेफिनिशन बदलने के लिये पेश की है, उसके लिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में जो डेफ़िनिशन है उससे बेटर डेफ़िनिशन और नहीं। उससे नेरोअर डेफ़िनिशन को मन्ज़ूर नहीं कर सकता।

रूलर की डेफ़ीनिशन देने के सम्बन्ध में दूसरी तरमीम दी है। इसके लिये में यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूलर की डेफ़िनिशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। रूलर की डेफ़िनिशन जनरल क्लॉजेज़ एक्ट में कोवेनेन्ट में दी है, उससे अलग नहीं हो सकती।

वे रूलर की डेफ़िनिशन इसलिये देना चाहते हैं कि इसमें लैन्ड ओनर शब्द दिया है। 'लैन्ड ओनर' शब्द से आपको नफ़रत है और रूलर्स रखना चाहते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूलर्स लैन्ड ओनर हो इससे रूलर की प्रेस्टिज में फर्क नहीं पड़ता। इसमें 'लैन्ड ओनर' शब्द ठीक इस्तेमाल किया गया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : रेकॉर्ड में उनका सम्बन्ध हिज़ मेजेस्टी से है। उन्हीं से कर लें।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : 'रेकार्ड' में दूसरे ज़रियों से है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अभी भी उनकी गुलामी कायम रखना चाहते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : संविधान में जो डेफ़िनिशन दी गई है, म्युटटिस मुटेन्डिस लिखी गयी हैं।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : रूलर की डेफ़िनिशन कॉन्स्टिटयुशन में और जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट में दी हुई है। उसके अलावा दूसरी डेफ़िनिशन बनाकर रूलर के स्टेटस को ही बदलना चाहें, यह नहीं हो सकता। Ruler is landowner in regard to land. लैन्ड से सम्बन्ध रखने वाली फ्रेज्योलोजी रखनी पड़ती है; लैन्ड लोर्ड या लैन्ड ओनर। लैन्ड ओनर रखा गया है। उसके बजाय 'रूलर' करना भी लैन्ड के लिये अच्छा नहीं लगता।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : रूलर की डेफ़िनिशन के लिये सिनेमा "आज और कल" आया हुआ है उसको देखने से पता लग जायगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : Are you withdrawing ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : में इसको विथड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको विथड्रा करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : I withdraw my amendment.

Page No 93

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा "एफ़" पर जो संशोधन है उसको मैं विथड्रा करना चाहता हूं। जहां तक "बी", "ई", "जी", का सम्बन्ध है मैं इन संशोधन प्रस्तावों को विथड्रा नहीं करना चाहता। "आई" के संशोधन प्रस्ताव को मैं विथड्रा करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मन्शा है कि (एफ़) और (आई) में जो संशोधन प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें विथड्रा करने की इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री **सतीश चन्द्र अग्रवाल** : सब क्लॉज़ (एफ़) और (आई) में जो मेरे संशोधन प्रस्ताव हैं उनको विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बाकी के जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

श्री गंगासिंह

(विराम)

श्री राधाकृष्ण गोयल

(विराम)

श्री मथुरेशबिहारी।

इन्होंने प्रस्ताव समानान्तर रूप से रखा है। प्रश्न यह है कि इनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री गंगासिह।

[खंड ३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

१. श्री **गंगासिह राठौड** (जायल) :

(*i*) In sub-clause (1), replace the figures and the words "26th day of January, 1950" by the words "Commencement of this Act."

(*ii*) In sub-clause (3), substitute the words "one sixteenth" for the words "one fourth".

२. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

'Replace the word 'one-fourth' by the words 'one-half' in line 2 of sub-clause (3)".

३. श्री **जुझारसिह** (चेचट) :

For the word and figures "26th day of January, 1950". subtitute the words and figures '1st day of April, 1963."

४. श्री मानसिंह महार (आमेर) :

(i) In sub-clause (1), the figures and the words "26th January, 1950" be replaced by the words "Commencement of This Act."

(ii) In sub-clause (3) the words "one sixth" be substituted for the words "One fourth".

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय का अभाव देखते हुए अत्यन्त सूक्ष्म भाषण देने की कृपा करें।

श्री गंगासिंह राठौड (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज ३ पर है और वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा " 6th day of January, 1950" लैन्ड रेवेन्यू लेने की तारीख़ निश्चित् की है उसके बजाय जो ओरीजिनल बिल में था कमेन्समेन्ट ऑफ़ दिस एक्ट वही रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस लैन्ड रेवेन्यू की वसूली जो कि जिस तारीख़ से लगेगा और जिस तारीख़ पर लैन्ड ओनर्स की जमीन एक्वायर की जावेगी उस समय तक के पीरियड में उनसे लैन्ड रेवेन्यू कितना लिया जावेगा इससे सम्बन्धित है । अगर यह देखा जावे कि "26th day of January, 1950" रखा जावे तो उस समय यह सवाल आता है कि आज १४ वर्ष हो गये हैं, इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट रखा जा रहा है, निश्चित् तौर पर मान लीजिये रेन्टल इन्कम दस हज़ार रुपया है दूसरी नहीं है और ग्रोस इन्कम भी दस हज़ार रुपया है। १।४ लैन्ड रेवेन्यू लिया जावेगा तो इसका मतलब हुआ कि २॥ हजार रुपयों लैन्ड रेवेन्यू का लिया जावेगा। १४ साल की २॥ हजार के हिसाब से वसूल होगी तो २५ हजार रुपया रेवेन्यू का वसूल किया जावेगा। १० हजार पर मुआवजा दिया जावेगा वह २॥ हजार काटने पर ७॥ हजार रह जावेगा। कुल १४ वर्ष में ५२ हज़ार ५००) रहेगा। इसमें से २५ हज़ार रुपया निकाल दिया जावेगा तो १७ हजार ५००) रुपया रहेगा। वैसी सूरत में जो कम्पेन्सेशन दिया जावेगा वह १॥ गुना दिया जावेगा। आपके एक्ट का मतलब यह है कि सफ़िशियेन्ट अमाउन्ट कम्पेन्सेशन का दिया जाय तो और वाजिब दिया जाय। लेकिन ५० से लैन्ड रेवेन्यू वसूल करते हैं तो वैसी सूरत में १॥ गुना ही कम्पेन्सेशन होगा, कमेन्समेन्ट ऑफ़ दिस एक्ट से लैन्ड रेवेन्यू मिल जाय जिससे वाजिब कम्पेन्सेशन मिल जाय। साथ ही साथ लैन्ड रेवेन्यू १।४ रखा है बजाय १।६ रखा जाय। लैन्ड रिफ़ॉर्म और रिज़म्प्शन ऑफ़ जागीर एक्ट में ५ हज़ार पर १।६ और ऊपर १।८ रखा है उसको मद्देनज़र रखते हुए १।४ लैन्ड रेवेन्यू ली जावेगी ज्यादा हो जावेगी। दूसरे क़ानून के समकक्ष भी नहीं होगा। इसलिये मैं प्रेस करूंगा कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को सदन मन्ज़ूर करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में मेरा एक संशोधन का प्रस्ताव है कि इस सब क्लॉज (३) में रेंटल इन्कम का १।४ का जो प्रावधान है उसके बजाय १।२ रखा जाय। अभी मेरे से पूर्व जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी सदन में १।४ के स्थान पर १।६ करने का प्रस्ताव रखा है। मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे । उन्होंने जो दलीलें दीं वे मेरी समझ में नहीं आयीं। यह क्लॉज ३ कम्पेन्सेशन के बारे में नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यह क्लॉज लैन्ड रेवेन्यू के बारे में है कि लगान कितना होगा। जो भूमि ली जावेगी उसमें लैन्ड रेवेन्यू ग्रसेसमेन्ट होगा, जो लागू किया जावेगा वह कितना होना चाहिये; उसके सम्बन्ध में हमारे मित्र कहते हैं कि १।६ होना चाहिये ग्रौर हमारी कांग्रेस पार्टी कहती है कि १।४ होना चाहिये ग्रौर मैं कहता हूं कि १।२ होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर) : श्री भैरोंसिहजी से पूछ लिया है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिलकुल पूछ कर रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महारानी नाराज हो जायंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : महारानी का पकड़ा हुग्रा ग्रांचल न छूट जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रापको क्यों दुख हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !
विषयान्तर न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एक व्यवस्था यह की है कि जो टीनेन्ट ग्रपनी जमीन किसी काश्तकार को बताता है, किसी काश्तकार के कब्जे में है, भूमि का दुगुने से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता है, यदि १) राज्य को देना है तो २) काश्तकार से वसूल कर सकते हैं। १) खुद ग्रपनी जेब में रख सकता है। जितना लगान वसूल करेगा उसका ग्राधा राज्य को देना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में तीन गुना लगान वसूल करने की बात कही है। विडो है, माइनर है, कोई स्टूडेन्ट है इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये एग्ज़ेम्प्शन्स हैं। मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज ३ में लगान के ग्रसेसमेन्ट की व्यवस्था है कि वह रेन्टल इन्कम का कितना हो। यह प्रश्न है। रेन्टल इन्कम कितनी होगी जो राजाग्रों ने काश्तकारों से वसूल की है, उस लगान का कितना वसूल किया जाय, यह सदन के सामने प्रश्न है।

(३.४० म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत समानेत्री पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करूं ग्रगर किसी राजा महाराजा ने ग़रीब किसान से, काश्तकार से १० हज़ार रुपया रेन्टल इन्कम वसूल की है तो जिसके लिये राज्य सरकार यह कहती है कि उससे ढाई हज़ार रुपया ही लिया जाय ग्रौर माननीय सदस्य कहते हैं कि वन सिक्स्थ लिया जाय ग्रौर मैं कहता हूं कि पांच हज़ार रुपया लिया जाय, जहां काश्त करने वाले किसान से ग्रापने १० हज़ार रुपया वसूल किया है तो ग्रापको क्या दिक्क़त है कि ग्राप उसमें से ग्राधा राज्य सरकार को लगान के रूप में दें। हमने जो चौथाई की व्यवस्था रखी है, हमने राजस्थान में जितने भी लैन्ड रिफ़ॉर्म्स के क़ानून बनाये हैं वे नियम राजस्थान की डेढ करोड़ जनता पर लागू हैं जो जनता काश्तकार ग्रौर किसान हैं। उनके लिये जब हमने यह व्यवस्था नहीं रखी, वन फ़ोर्थ जिसने रेन्टल इन्कम दी लैन्ड होल्डर्स के लिये हमने यह नहीं रखा, लैंड ग्रोनर्स के लिये नहीं रखा। टीनेन्ट इन चीफ़ के लिये नहीं रखा तो फिर राज्य सरकार के पास क्या जस्टिफ़िकेशन है जो हमने यहां पर प्रोवीज़न रखा है; वन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फ़ोर्थ का। मैं निवदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि वे इस सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचें, वन फ़ोर्थ रेन्टल इन्कम रखने का क़ानून बनाते हैं, केवल प्रोग्रेसिव के नाम पर अख़बारों में पब्लिसिटी कराने के लिये कि राजस्थान की सरकार प्रोग्रेसिव सरकार है। तो समापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क़ानून की इस प्रकार की धारा को देखते हुए यह मालूम पड़ता है कि रिएक्शनरी कैपीटलिस्ट की सरकार या डिक्टेटरशिप वाली सरकार ही इस प्रकार का प्रावधान रख सकती है। एक तरफ़ किसानों को राहत नहीं देते हैं और क़ानून में ऐसा प्रोवीज़न रखते हैं तो साफ़ कहा जा सकता है, एक्सप्लोइटेशन का चान्स मिलेगा।

सवाल यह है कि जो जस्टिफ़िकेशन टिनेन्टस् इन चीफ़ को है, जो जस्टिफ़िकेशन बाक़ी लोगों के लिये है उसी अधिकार के आधार पर सारे नागरिकों को चलाना चाहिये। भारत के संविधान की शपथ इधर बैठने वाले और उधर बैठन वाले सभी माननीय सदस्यों ने ली है जिसमें हर नागरिक को क़ानून की नज़र में एक समान अधिकार दिये हैं, क़ानून की नज़र में हर नागरिक एक समान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, समापति महोदया, राजस्थान सरकार ने क़ानून को बालाये ताक़ में रखकर, संविधान की धाराओं को तिलान्जली देकर लोगों में डिफ़ेन्सियेशन करना चाहते हैं कि क़ानून में हर आदमी बराबर नहीं है। जहां आधा रुपया लैन्ड रेवेन्यू सरकार को देना पडता है वहां इस क़ानून में सरकार कहती है कि रेन्टल इन्कम वन फ़ोर्थ लेंगे। इस प्रकार का जो प्रोवीज़न रखा गया है वह बहुत ग़लत है, इस हिसाब से जहां राज्य सरकार ने वन फ़ोर्थ रखा है वहां मैंने वन हाफ़ का अमेन्डमेन्ट रखा है। सरकार को इसे मन्जूर करना चाहिये। अगर सरकार किसी प्रकार से आनाकानी करे जैसी कि मन्जूर करने की संभावना दिखाई नहीं देती है। इस बिल के बीच में जो एक महीने का पीरियड निकला है उसमें यह मालूम पडता है कि जहां हम राजस्थान की लैन्ड रिफॉर्म्स पोलिसी में एकरूपता लाना चाहते हैं, एक स्तर पर लाना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि मेरा जो संशोधन है उसे सरकार स्वीकार करेगी। सरकार यदि स्वीकार करने में आनाकानी करे तो सदन मेरे संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह (चेचट) : समापति महोदया, क्लॉज ३ के सब क्लॉज (ए) में जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह इस प्रकार का है :—

For the words and figures "26th day of January, 1950" substitute the words and figures "1st day of April, 1963".

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह संशोधन आपने रखा है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कांग्रेसी हैं। आपमें और स्वतन्त्र पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदया, राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड एक्वीजीशन ऑफ़ लेन्ड ओनर्स एस्टेट बिल, १९६३ के क्लॉज थ्री के अन्तर्गत लेन्ड ओनर्स को लेन्ड रेवेन्यू पे करने का लाइएबल बनाया गया उसमें प्रावधान रखा है :

'Every estate shall be liable to the payment of land revenue to the Government as from the 26th day of January, 1950 and till the day immediately preceding its acquisition.'

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महारावल साहब के इशारे पर रखा गया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभापति महोदया, मुझे जो कुछ इस बिल के सम्बन्ध में कहना था वह मैं कह चुका, मैं तो यह समझता हूं कि यह बिल कोवेनेन्ट के विरुद्ध था, कॉन्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद ६२ के विरुद्ध है। मेरे शब्द आप माननीय सदस्य के मुंह में दे रहे हैं यह अनुचित है ।

श्री जुझारसिंह : इस बिल को जो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया है उसको मैं उचित नहीं समझता ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (महारावल श्री लक्ष्मण सिंह से) कांग्रेसी सदस्यों पर आपका प्रभाव देखकर खुशी हुई ।

श्री जुझारसिंह : आप प्रगतिशील रहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अगर कोई गिरगिट की तरह रंग पलटते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के ऊपर ही है।

श्री जुझारसिंह: यहां जिस दिन सीलिंग का एक्ट चल रहा था, आप तो डेलीबरेटली चले गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी तरह गिरगिट के सात रंग नहीं हैं, हमारा निडर का रंग है।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदया, २६ जनवरी, १९५० के दिन अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क़ानून जारी थे। राजस्थान के अन्दर ऐसा क़ानून नहीं था जिससे युनिफ़ॉर्म लैन्ड रेवेन्यू ली जाती रही हो । जब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून थे, जागीरदारों के लिये अलग अलग थे। अलग अलग स्टेट्स में टीनेन्सी एक्ट अलग अलग थे उन टीनेन्सी एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस प्रकार के रेन्ट्स लेने का प्रावधान नहीं था । किसी वजह से लगान का प्रावधान नहीं रखा गया था १९६३ में, जब यह बिल लाया जा रहा है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट देना उचित नहीं होगा । क्योंकि हमारा टिनेन्सी एक्ट दूसरे आदमियों पर १९५५ में आया है । दूसरी तरह के क़ानूनों से जागीरदार अपने फॉर्मर स्टेट के क़ानून से गाइड थे । १९५० में ऐसा कानून नहीं था कि रेन्ट यूनिफॉर्म लिया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस दिन से फर्स्ट टाइम यह कानून हाउस में लाया गया है किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया हो, फर्स्ट डे आफ अप्रेल, १९६३ से लैंड रेवन्यू लिये जाने का प्रावधान रखा जाय। मैं इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया जाना उचित नहीं समझता; २६ जनवरी, १९५० के बजाय १ अप्रेल, १९६३ ज्यादा रीजनेबल बात होगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति महोदया, सदन के समक्ष एक जन संघ के मित्र का अमेन्डमेन्ट आया है दूसरा ?

(मानसिंह महार)

एक कांग्रेसी मित्र का आया है। इस क्लॉज ३ के अन्दर मैंने दो अमेन्डमेन्ट रखे हैं और मैं समझता हूं कि दोनों विचार-धाराओं को देखते हुए मेरा जो अमेन्डमेन्ट है सब से सही और सीधे रास्ते का है। इसलिये सरकार को पार्टीबाजी के पचड़े में न पड़कर बिल्कुल जवाब दिये बिना मन्जूर कर लेना चाहिये।

सभापति महोदया, मेरी मांग तो बहुत सीधी है। एक तो यह है जैसा कि कांग्रेसी मित्र ने फ़रमाया है कि इसको १ अप्रेल, १९६३ से लागू करना चाहिये, उनके अमेन्डमेन्ट में और मेरे अमेन्डमेन्ट में इतना सा अन्तर है कि जिस दिन से यह लागू हो उस दिन से कर दिया जाय। इनके और मेरे अमेन्डमेन्ट में कोई अन्तर नहीं है। इससे केवल महीना भर इधर उधर हो सकता है। मैं कांग्रेस की एकोमोडेटिंग स्पिरिट की क़द्र करता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि फ़र्स्ट अप्रेल फ़ूल्स डे होता है। मैं समझता हूं फ़ूल्स डे की बात को मुख्य मन्त्री जी तो कम से कम मन्जूर नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि मुख्य मन्त्री जी फ़ूल्स डे में बिलीव भी नहीं करेंगे।

दूसरा जो अमेन्डमेन्ट मैंने रखा है वह है, वह सब-क्लॉज़ (३) में : In sub-clause (3) the words 'one sixth' be substituted for the words 'one fourth'.

इसके ऊपर मेरे जनसंघी मित्र ने, जो जयपुर से जीत कर आए हैं उन्होंने बहुत लम्बी और ओजस्वी तकरीर सदन के समक्ष रखी है। वे वकील हैं। वे जिस तरीक़े से अपनी बात रखने के आदी हैं मैं नहीं हूं। मैं गांव का सीधासादा आदमी हूं। देहात में रहने वाला हूं। वह तर्क तो मैं नहीं रख सकता लेकिन मैं समझता हूं कि जागीरदारी एबोलीशन एक्ट के अन्दर जागीरदार को वन सिक्स्थ ऑफ़ लैन्ड रेवेन्यू दिया गया। पहले वन एट्थ था। तो मैं समझता हूं कि अगर राजाओं पर यह जो लैन्ड रेवेन्यू का प्रोवीज़न वन सिक्स्थ का रखा है वह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जनसंघी मित्र ने वन हाफ़ कहा है; हम कहते हैं कि वन सिक्स्थ लेना चाहिये, क्योंकि एक नया कानून बन रहा है और उनके लिए ज्यादा हार्डशिप भी नहीं बढ़े, इसलिये वन सिक्स्थ कर दें तो बुरी बात नहीं है। कानूनी बातें तो और देखेंगे। मैं तो बिल्कुल एक सीधे-सादे और कॉमन मैन के हिसाब से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि····

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : आज इतनी विनम्र भाषा में कैसे बोल रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं ऐसा नहीं हूं कि सीलिंग का क़ानून आए और मैदान छोड़कर भाग जाऊं। मैं जो समझता हूं वह कहता हूं।

श्री श्योपतसिंह : मैं कहता हूं कि इतनी विनम्र भाषा················

श्री मानसिंह महार : क्या चीं चीं करते रहते हो। आदमियों की तरह सुनो। थोडी इन्सानियत भी सीखो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आदमियों की बातें हों तो सुने। यहाँ तो ××××× जैसी बातें हो रही हैं।

श्री मानसिंह महार : आदमी कब हो ××× हो। xxxx तुम तो गंगानगर में····

××××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपत्ति करती हूं।

श्री मानसिंह महार: वह मुझेXXXXX कहेगा तो मैं उसे XXXXX कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): और XXXX को सदन से बाहर निकाला जाय।

श्री मानसिंह महार : फिर तो XXXX राज हो जायगा।

श्रीमति सभानेत्री : इन सब शब्दों को कार्यवाही से निकाला जायगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री मानसिंह महार : मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं बिल्कुल अपने पोइन्ट पर आ रहा हूं। अगर मुझे प्रोवोक किया जाता है तो मुझे कहना पड़ता है ....

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : मैं असलियत पर आ जाऊंगा।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो वाजिब बात है, उसके लिए चाहे लोग कहें कि जनहित में नहीं है। जनता क्या सोचेगी इसको मैं नहीं मानता। मैं वाजिब बात कहने वाला हूं यह नहीं कि मुरब्बों की दुहाई देकर भाग जाऊं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरा जो अमेन्डमेन्ट है एक तो....

श्रीमती सभानेत्री (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के उठने पर) : माननीय हांडा, please don't disturb.

(श्री महार से) कृपया आप जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर वह व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे तो मैं इनटरप्ट करूंगा।

श्रीमति सभानेत्री : व्यक्तिगत आक्षेप नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मानसिंह महार : माननीय सभानेत्री महोदया मैं नहीं समझता था कि माननीय सदस्य को मुरब्बों की बात से इतनी नाराजगी होगी। अब मैं नहीं कहूंगा। उप-मन्त्री महोदय की तरफ से एक संशोधन है। मैंने उसमें थोड़ा सा हेरफेर किया है, अगर आप उचित समझलें तो मन्जूर करलें, नहीं तो आप वाले को करलें जो फूल्स के वास्ता है।

अपने दूसरे संशोधन के बारे में भी जिसमें राजाओं के लिए वन सिक्स्थ किया गया है, मैं प्रार्थना करूंगा उप-मन्त्री महोदय से कि वे उसको मानलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): सभानेत्री महोदया, इस क्लॉज ३ के संशोधनों पर काफी विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। संक्षेप में मेरा तो यह निवेदन है कि इस संबंध में पहले कोई नियम नहीं था। एक हमारी नीति थी जिसके अनुसार अब तक हमने उनसे किसी प्रकार का लगान आदि वसूल नहीं किया। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अनुचित प्रतीत होता है। हमें अनुचित वातावरण को उत्पन्न होने देना नहीं चाहिए। जब कानून पास होगा तभी से इसे लागू करना उचित होगा।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

दूसरा, इसमें वन सिक्स्थ का प्रावधान रखा है । वह यहां की युनीफॉर्मिटी ऑफ पालिसी को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतीत होता है, क्योंकि जागीर एबोलिशन एक्ट के तहत भी जागीरदारों को इस प्रकार की कुछ सुविधाएं दी गई थीं, उसी के अनुरूप उससे कुछ सुविधाएं उन व्यक्तियों को दी जायं जिनको पूर्ण सुविधाएं प्राप्त थीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि दोनों संशोधनों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाय ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): इस क्लॉज ३ के ऊपर प्रस्तुत दोनों अमेंड-मेंट्स पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है । इसके लिये मुझे सदन के समक्ष एक ही दलील देनी है । मेरे पहले संशोधन के विषय में लैंड के डेफिनिशन के लिए यह दलील दी थी कि हमने जागीर रिजम्पशन एक्ट से उसकी डेफिनिशन ली है और वह इस पर एप्लाई होनी चाहिए । तो जागीर रिजम्पशन के तहत में आपके लिए यह भी जरूरी था कि जो अनसेटल्ड एरिया है, उसके ऊपर एक चीज आई थी और उसके ऊपर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने अनसेटल्ड के लिए रिज्यूम करने के लिए रिट मन्जूर हुई थी । उस पर आपने सेटल-मेंट कराकर एप्लाइ किया था तो जब १९५० के अन्दर आपको कोई टिनेन्सी एक्ट नहीं था, न तो प्रोपर्टीज थीं और न सेटल्ड थीं, इसमें आपने १९५० से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। तो १९५० में जब आपका सैटल्ड नहीं था, जब आपका कोई लॉ नहीं था, जब आपका कोई कोडीफिकेशन नहीं था, तो उनकी प्रोपर्टीज का असेसमेंट करना और उनके लिए यह मानना कि उनकी लैंड रेवेन्यू क्या थी या उनकी रेंटल इन्कम क्या थी, ये सब कॉम्प्लीकेशन्स पैदा करने के लिए जो आपने १९५० से लागू करने का फैसला किया है उसमें मैं कानूनी अड़चनें अनुभव करता हूं । उसके साथ जिस वक्त बिल लाया, उस वक्त आपने कमेन्समेंट से रखा, लेकिन बाद में सिलेक्ट कमेटी में २६ जनवरी, १९५० से आपने रखा ।

(४.०० म. प.)

मैं इसलिए अर्ज करूंगा कि जिस चीज के लिये आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं उसके लिये १३-१४ वर्ष बाद कानून लावें और उस वक्त ऐसी स्थिति हो कि रेकार्ड नहीं मिले, तो आप कैसे क्या करेंगे ? आज ही का किस्सा है, एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उस वक्त के फोरेस्ट की इन्कम और ग्रेजिंग की इन्कम के आंकडे और कागजात नहीं मिलते । तो आज सारी रियासतों के पुराने रेकॉर्ड इस बारे के निकाल करके आप कैसे उनकी इन्कम असेस करेंगे और कैसे रेवेन्यू निकालेंगे और फिर किस तरह से ५० से इनकी वसूली करेंगे । तो इस हिसाब से यह व्यवहारिक नहीं है, काफी कठिनाइयां होंगी और कई बरसों तक आप ये मामले तय नहीं कर पावेंगे, कई झगडे होंगे। इसलिए इस में ५० से न लेकर आप फ्रोम दी कमेन्स-मेन्ट ऑफ दी एक्ट लीजिये और इसी तरह का प्रावधान करिये ।

दूसरा संशोधन १।६ और १।४ का है । उस पर प्रकाश डाला गया । टीनेन्सी एक्ट में भी आपने केश में रेन्ट रखा है । १।६ रखा है और जागीर रिजम्पशन एक्ट में १।६ और १।८ रखा है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकारी पक्ष की ओर से दलीलें आती

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
हैं, इन्टरमीजियरी एबोलिशन की दलीलें जागीर रिजम्पशन के प्रावधानों की दलीलें तो एक तरफ तो आप ये दलीलें देते हैं, दूसरी तरफ आप भूल जाते हैं जागीर एक्ट को और टीनेन्सी एक्ट को जहां आप उन्हें आधार मानते हैं तो यह केवल एक मात्र पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रदर्शन मात्र है। इसलिए १।४ की जगह १।६ रहना चाहिये और कमेन्समेन्ट प्रोम दी एक्ट रहना चाहिये। इसलिये ये दोनों संशोधन स्वीकार किये जायं।

श्रीमती सभानेत्री: अब सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): This is a very important clause.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बहस में आपके द्वारा काफी कहा जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We are not going to exercise this right on every clause and after all this is our constitutional right which cannot be checked.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: We have to pass it today and it is already four........

श्रीमती सभानेत्री: जिन्होंने अमेन्डमेंट रक्खे हैं वे ही बोल सकेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: क्लोज ३ के संबंध में...........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Your party has put a basic amendment and this party has also put and if we go without opposing or speaking............

श्रीमती सभानेत्री : Order please! order!! I am sorry.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्लाज ३ के सम्बन्ध में दो प्रकार की तरमीमें आई हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नियम के अनुसार आप नहीं बोल सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no rule that we cannot oppose.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : You have not given any amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I may not have given an amendment, but I can oppose the amendments.

श्रीमती सभानेत्री : टाइम को रेगुलेट करना है इसलिये आप अपना स्थान अभी ग्रहण करलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : According to the rules we can oppose the amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We don't want to exercise this right on every clause, but on this particular clause, we want to speak..........

श्रीमती सभानेत्री : Order please! I am sorry.

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no rule which says that I cannot oppose an amendment.

Page No 102

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
The rule says that whosoever wants to oppose, can oppose.

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। There is no time, I have said so many times. I am sorry.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्लॉज १ के सम्बन्ध में दो प्रकार की तरमीमें प्रस्तुत की गई हैं; एक तो यह कि १९ जनवरी, ५० के बजाय स्वतन्त्र पार्टी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह रखा कि "from the date of commencement" कर दिया जावे और रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुझारसिंह ने यह प्रस्ताव किया कि २६ जनवरी, सन् १९५० के बजाय १ अप्रेल, ६३ कर दिया जावे।

पहले संशोधन के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सदन में जब प्रथम वाचन के वक्त बहस हो रही थी तो जनसंघ के लीडर ने जो जयपुर से आये हैं, श्री भैरोंसिहजी ने अपने विचार व्यक्त किये, पी. एस. पी. के सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा कोलायत से आने वालों ने भी अपने विचार व्यक्त किये और स्वतन्त्र पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये; उन सब के विचारों का सारांश यह था कि २६ जनवरी, ५० से लैंड रेवेन्यू वसूल करने का प्रावधान रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू न किया जाना चाहिये। तो इस तरह के विचार करीब करीब सभी पार्टियों ने सिवाय कॉम्यूनिस्ट पार्टी को छोडकर व्यक्त किये गये और इस प्रकार के विचार आने पर यहां पर तरह तरह की तरमीमें प्रस्तुत की गई। एक तरमीम जिनमें यह थी कि from the date of commencement हो और दूसरी यह थी कि फर्स्ट अप्रेल, १९६३ से हो।

मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना कानूनन कोई जुर्म नहीं है और न कोई वैधानिक आपत्ति ही इसमें है। फिर इक्विटी की दृष्टि से भी दलीलें दी गई। यह भी कहा गया कि यह असेस्ड लैंड नहीं थी। यह ठीक है। असेसमेन्ट कई जगहों का हुआ कई का नहीं हुआ। सोइल क्लासिफिकेशन था पर लैंड रेवेन्यू नहीं थी। इस प्रकार की दिक्कतें जरूर थीं। और इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रामगंजमंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है। अब स्वतन्त्र पार्टी से आने वालों ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसमें और इनके में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। एक यह बताते हैं कि जिस महीने में यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है उसकी पहली तारीख से लागू किया जाय, दूसरे यह कहते हैं कि यह बिल फ्रोम दी कमेन्समेन्ट ऑफ एक्ट यानी जिस तारीख से यह कानून लागू किया जावे उस तारीख से लागू किया जावे। इनमें केवल कुछ महीनों का अन्तर आता है। इसलिये मैं रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव १ अप्रेल, ६३ से लागू किये जाने का रखा है उसको इन परिस्थितियों में स्वीकार करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is why you did not allow us to speak.

This is a complete and most disgraceful betrayal.

That's why we wanted to speak.

Page No 103

एक माननीय सदस्य : Don't betray yourself.

श्री रामानन्द अग्रवाल : You are betraying the people. You have given a solemn promise............

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : Order please !

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से बिल को प्रस्तुत किया था तो उसमें जो क्लाज था उससे पीछे जाने की बात इस में नहीं की जा रही है। उसमें फ्रोम दी कमेन्समेन्ट आफ दी एक्ट रखा था, उसके बजाय अब रखा जा रहा है फर्स्ट अप्रेल, ६३। यह तो सिलेक्ट कमेटी ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया था। गवर्नमेन्ट ने ओरिजिनल जो सदन में बिल पेश किया था उसमें यह नहीं था। अब दूसरी बातें जो कही जाती हैं, वे एतराज तलब हैं, और गलत हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे माननीय उप-मंत्री महोदय, उन्होंने आग्रह करके यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करवाया और उसके बाद यहां जो डिस्कशन हुआ उसमें भी गवर्नमेन्ट ने यह सोलम एश्योरेन्स दिया था कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हटाया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : You have been purchased by the Rulers............

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप अपने सोलेम एश्योरेन्सेज से बैक जा रहे हैं। आपने यह कहा था क्लीयर कट शब्दों में कि हमने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को ही रिकमण्ड किया है, हम इस पोइन्ट पर कोई किसी से कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और आज on the very face of this solemn assurance betrayal कर रहे हैं। यह कम्प्रोमाइज नहीं, बिट्रेयल है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is a shame..

एक माननीय सदस्य : Shame to you and your party.

श्री श्योपतसिंह : घुटने टेके हैं कांग्रेस ने इन राजाओं के आगे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह से आप इनके हितों को बचाकर अपनी कुर्सियां कायम रखना चाहते हैं।

Most shameful it is.

(पुन: शोरगुल-लगातार शोरगुल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : You are doing compromise. It is nothing else but it is a compromise and that too because of your party. You are betraying.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, राजस्व): Don't betray yourself......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : You are betraying the country........

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन १६ राजाओं से आज इनको डर लगता है १६ सालों के बाद भी।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : Order please ! order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : You have shown your true colours.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Colour are yours....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दूसरा प्रस्ताव रखा गया है कि.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब लोगों में जायेंगे तो मालूम होगा कि क्या होता है।

(घंटी)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): सभापति महोदया, यह पब्लिक प्लेटफार्म बनाया जा रहा है या क्या हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमैन महोदया, क्लॉज ३ के अन्दर

"The amount of the land revenue payable under sub-section (1) shall be equal to one-fourth of the rental income from the estate as determined in accordance with the...."

इसके संबंध में दो तरह के प्रस्ताव आये हैं। एक जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि १।४ के बजाय १।२ हो जाये और स्वतंत्र पार्टी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि १।४ के बजाय १।६ हो जाये और हमारा मूल प्रस्ताव है १।४ का और ये जो दोनों तरमीम के प्रस्ताव रखे गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं और उनका कारण यह है कि जो १।६ की दलील दी जा रही है वह इसलिए दी जा रही है और यह कोट करके कहा जाता है कि जब यह सारा कानून जागीर रिजम्पशन एक्ट के अनुसार है तो उसके अनुसार क्यों नहीं प्रावधान किया जाता है, तो क्यों नहीं १।२ मानने के लिए तैयार हैं। मैं तो १।६ भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके लिए दलील एक है कि ये जो सारे कानून बने हैं यह जागीर रिजम्पशन एक्ट की मूलभूत धारा को लेकर बना है उसके अन्दर अगर आप पढे तो क्लॉज ३ में लिखा हुआ है: "for the agricultural years 1959-60 subsequent years one fourth of the rental income from the jagir lands as determined under sections 6 and 7;"

और जो उसमें क्लॉज ६ और ७ हैं यह इसमें ४ और ५ सेक्शन्स हैं। इसलिए १।६ की दलील मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसका नतीजा यह होता है कि १।६ का सवाल नहीं है। यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों रुपयों का इसमें फर्क पड जायेगा जब कि हम कानून को १ अप्रेल से लागू करते हैं तो यह कितने महीनों का सवाल है और १ अप्रेल, ६३ को लेकर वैस्टिंग की डेट जो कि अर्सा ज्यादा से ज्यादा १ साल का हो सकता है। एक साल की लेण्ड रेवेन्यू का सवाल है।

(४.१२ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसमें हमने कहा है कि १।४ ही रहना चाहिए। उनका १।६ कराने से लगान में फायदा कराने का है। वह बात नहीं है क्योंकि कम्पेन्सेशन जो आगे है वह नैट इन्कम का १०० रुपया है और अगर हम २५) रुपये लेते हैं तो ७५) रुपये ग्रोस इन्कम रहती है और ७५) के १४ बज

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१६॥) रुपये ही लें तो वह इन्कम ७५) के बजाय ८२॥) और ८७) हो जाती है। इसका गुणा करें तो कम्पेन्सेशन में फायदा पाने की दृष्टि से १.६ का सुझाव रखा है जिसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं और जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्दर जो १.४ का प्रावधान है वही हमने रखा है और उसको स्वीकार करता हूं और जो १.२ और १.६ के प्रावधान पेश किये गये हैं उन्हें मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष: Shri Ganga Singh, Would you like to withdraw ?

श्री गंगासिंह राठौड (जायल): Yes I, may be permitted to withdraw.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह तो मिलीमगत थी पहले से ही।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने पेश किया है उसे उन्हें विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गंगासिंह राठौड : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज ३ में रखा है उसे स्वीकर किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री जुझारसिंह (चेचट): विथ्ड्रा कर दें क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विथ्ड्रा क्यों? मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हुआ।

(विराम)

अब ३ संशोधन श्री मानसिंह महार, श्री राधाकृष्ण गोयल और श्री मथुरेशबिहारी माथुर के हैं........

श्री मानसिंह महार (आमेर): मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राधाकृष्ण गोयल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, यथासंशोधित, विधेयक में अंगभूत बना।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री जुझारसिंह उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में मेरा अमेन्डमेंट कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेन्डमेन्ट है। जब क्लॉज ३ को सदन ने मन्जूर कर लिया है तो जरूरी हो जाता है कि क्लॉज ४ में कुछ चेन्जेज लाई जायें और उसे इस तरह से वर्डेड किया जाये जिससे वह संशोधित क्लॉज के उपयुक्त हो सके। उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन दिया है वह इस प्रकार है:—

In sub-clause (3)—

(*a*)"in part (a),—

(*i*) omit the words and commas "or was, in the year concerned."

(*ii*) in sub-part (i), omit the words "for that year",

(*iii*) in sub-part (ii), omit the words "for that year"

(*b*) in part (b), omit the words "or was" and the words "in the the year concerned'."

तो ये जो अमेन्डमेन्ट है ये कॉन्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मन्जूर फरमाया जाये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष जी क्लॉज ३ में अमेन्डमेन्ट स्वीकार हो जाने के बाद यह सारा अमेन्डमेन्ट क्लॉज ३ के कान्सीक्वेन्शल है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है इनको स्वीकार करने में।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ४ में श्री जुझारसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ५

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह (चेचट): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:

'In sub olause (1)—

(*a*) in part (a), for the figures, comma and word "1946-47", 1947-48 and 1948-49" substituted the figures comma and word "1960-61, 1961-62 and 1962-63."

(*b*) in part (b) omit the words "for the concerned year"

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेन्डमेन्ट है इसलिए इनके अमेन्डमेन्ट को मैं स्वीकार करता हूं और यही अमेन्डमेन्ट कुछ माननीय सदस्यों ने रखे हैं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
और चारों अमेन्डमेन्ट्स की एक ही भाषा है इसलिये मैं उनको स्वीकार करता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): I do not want to move.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, यथासंशोधित, स्वीकार किया जाये–I am sorry.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ६

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मेरा अमेन्डमेन्ट है:

(*i*) In sub-clause (1) before the word 'Every' add the words, figures and brackets "subject to the restrictions imposed upon categories of land under section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act 3 of 1955)."

(*ii*) Delete the proviso to sub-clause (1).

यानी इसमें जो क्लॉज है, इसमें जो शब्द मैंने लिखे हैं उनको पहले जोड़ दिया जाये और यह नया क्लॉज इस तरह से बन जायेगा:

"Subject to the restrictions imposed upon categories of land under section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955(Act 3 of 1955),every person who, at the commencement of this Act, is or is entered in the revenue records as, a tenant or a tenant of Khudkasht, but not as a sub-tenant of any land forming part of estate shall, unless he had become a Khatedar tenant thereof previously to such commencement by virtue of any law or otherwise, be deemed to be the Khatedar tenant of such land holding from the landowner of the estate :

And this proviso will go.

जिस तरह से मौजूदा क्लॉज रखा हुवा है इस पर दो आपत्तियां हैं जिनकी वजह से मैंने अमेन्डमेंट मूव किया है, एक तो जो इसकी शब्दावली है मैं समझता हूं कि इसको मन्शा शायद माननोय मंत्री महोदय की यह होगी कि उस लैण्ड पर जो प्रोजेक्ट एरियाज में एलॉटेड हैं उन लैण्ड्स के ऊपर खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे भी ये शब्द हैं उनका अर्थ यही निकालता है कि कोई भी टोनेन्ट जो कहीं और दूसरी जगह पर लैण्ड होल्ड करता है और उसको एनी प्रोजेक्ट एरियाज में भी कोई लैण्ड एलॉटेड है तो दूसरी जगह भी जो उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लैण्ड मिली हुई है प्रोजेक्ट एरिया में लैण्ड मिले होने के कारण उसको उस लैण्ड पर खातेदारी राइट्स एक नहीं होंगे। जो मौजूदा शब्दावली है उससे यह अर्थ भी निकलता है :

"Provided that Khatedari rights under this sub-section shall not accrue to any person to whom land is or has been let out temporarily in the Ganga Canal, Bhakra, Chambal, Jawai or Rajasthan Canal Project Area; and no Khatedari rights shall accrue if the land belongs to any of the categories specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955...." i.e. the man who has been precluded from accuring khatedari rights is that to whom land has been allotted temporarily in that area and since the man has been allotted land in this area, he cannot get rights on the land on which he has got. This is clear cut interpretation of this proviso जो मैं समझता हूं कि इसकी मन्शा नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने संशोधन में जो धारा १६ टैनेन्सी एक्ट में जिन लोगों को जिस जमीन पर खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते उन शब्दों को मैंने इस फर्स्ट क्लास के पहले जोड़ कर उसको रख दिया है और इस प्रोवीजो को हटा दिया है।

बाद में जो इसमें यह कहा गया है कि गंग केनाल, भाखरा, चम्बल, जवाई, राजस्थान केनाल एरियाज में जमीन है उनके ऊपर खातेदारी राइट्स न मिलें इसका भी मैं विरोधी हूं। मैं यह चाहता हूं कि वह लैण्ड जो कि किसी के पास इस एरिया में है उसके ऊपर खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए, और चूंकि जो एक जनरल हमारी लैण्ड रिफार्म्स की पोलिसी है उसके अनुसार जो लैण्ड होल्डर जो भी लैण्ड पर काश्त करता है–उसको उस पर खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए। गवर्नमेन्ट ने टैनेन्सी एक्ट में जो एमेन्डमेंट्स धाराएं १५ ए, १५ बी, १५ सी, के जरिये इन्ट्रोड्यूस किये थे उनको हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार दिया है इसलिए हमारे स्टेच्यूट में जो अभी तक सेक्शन खड़े हैं वे अल्ट्रावायर्स इसीलिए हैं। उसी की एनोमोली पर इस तरह के प्रोवीजन को इसमें रखना मैं समझता हूं कि वास्तव में वह अनुचित है। इसलिए इन दोनों बुनियादों पर इस मौजूदा प्रोवीजो के आधार पर न केवल वही लैण्ड जो कि इस प्रोजेक्ट एरिया में है बल्कि उसके लैण्ड होल्डर को दूसरी जगह पर खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, इसका यह क्लियरकट इन्टरप्रिटेशन होता है। इस बिना पर जो भी लैण्ड इस एरिया में कोई होल्ड करे उसको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिएं, इसलिए मैं अपना एमेन्डमेन्ट मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।
(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।
(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लाज ६ है वह खातेदारी राइट्स से संबंध रखता है जैसा कि मैंने

(श्री गंगासिंह राठौड)

पहले भी कहा था कि जो बिल का मकसद है टीनेन्ट्स के पास के अन्दर जो जमीन प्रिन्सेज की है या लैंड ओनर्स की है उसी जमीन तक सीमित रहना चाहिये और जब वह जमीन एक्वायर की जाती है तो उस समय उनको खातेदारी राइट्स देना वाजिब है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो काश्त की जमीन है प्रिन्सेज की वह उनसे छीनी नहीं जानी चाहिये इस बिल के जरिये। ऐसी परिस्थिति में अगर उनसे नहीं छीनी जाती है, जैसा कि मेरा क्लॉज २ के अन्दर एमेंडमेंट था और दूसरा प्रश्न था उसको मद्देनजर रखते हुए सब-क्लॉज् (२) जब कि उनसे छीना नहीं जाता है तो उसके व मालिक हैं तो सब-क्लॉज (२) की आवश्यकता नहीं रहती है। इस मकसद से मैंने यह एमेंडमेंट पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल।
(अनुपस्थित)

श्री मथुरेश बिहारी।
(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज् ६ के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस प्रोवीजो को डिलिट कर दिया जाय और कुछ एक शब्दों को रेस्ट्रिक्ट करके सेक्शन १६ ऑफ दी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वाली क्लॉज में जोड़ दिया जाय। दरअसल में इस प्रस्ताव को मानने के लिये मैं इसलिये तैयार नहीं हूं कि अगर इस क्लॉज ६ को देखें तो सैक्शन १५ जो कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सेक्शन है उसके तहत जिस प्रकार से १५ ए का जो प्रोवीजो लगा हुआ है वह इस तरह से होना चाहिये कि खातेदारी राइट्स को जो एक हो गये हैं एफेक्ट नहीं करते हैं, टीनेन्ट को एफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसे केसेज हैं कि जहां पर उसको टैम्पोरेरिली खेती करने के लिये दिये हैं और राजाओं कि स्थिति में हम होते हैं तो इस होने से अधिकार नहीं मिल सकते थे तो राजाओं की नहीं रहने पर वह अधिकार उसको कैसे मिलें, इसका सवाल है। इसलिये यह प्रोवीजो १५ ए में जैसा है वही यहां लागू किया है। उससे किसी के अधिकारों पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सब-टीनेन्ट के बारे में शंका हो सकती है कि क्या होगा, लेकिन रूलर टीनेन्ट की डेफिनिशन में नहीं आता है तो जो काश्तकार था वह सब टीनेण्ट नहीं कहलाता है इसलिये सब-टीनेन्ट की दिक्कत नहीं आती है। इसलिये जो माननीय सदस्य को शंका है उसका समाधान हो जाता है। लेकिन माननीय सदस्य तो शंका का समाधान नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते यह हैं कि यह प्रोवीजो ही न रहे। प्रोजेक्ट एरिया वाला और हरेक को हर तरह से मिल जाय, चाहे किसी किस्म का कब्जा उस जमीन पर हो, लेकिन टीनेन्सी एक्ट की कन्फर्मिटी में इसको लेते हैं तो वह प्रोवीजो लेना पडेगा।

यह कहा गया कि अल्ट्रावायर्स होगा तो अल्ट्रावायर्स राजस्थान कैनाल में एक पर्टीक्यूलर पीरियड है जिसमें एक्ट लाया गया और नोटिफिकेशन बाद में निकला तो उसके बीच में कुछ महीने हैं उस अर्से में एक्वायर होने वाले के संबंध में जो अल्ट्रावायर्स होने वाली तजवीज है उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिये क्लॉज ६ ठीक है और यथावत् रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत क्लॉज में श्री गंगासिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंक रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह के क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ८, श्री रामानन्द अग्रवाल।

[संशोधन इस प्रकार हैं :

श्री रामान्द अग्रवाल (अलवर) : In sub-clause (2), parts (b) and (c) be deleted and part (bb) be re-numbered as part (b).

श्री **गंगासिंह राठोड़** (जायल) : "Omit proviso to part (b) of sub-clause (2)".

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ इस संबन्ध में है कि एस्टेट्स को एक्वायर करने का क्या नतीजा होगा और उस पर एक सेविंग क्लॉज रखा है। सब क्लॉज (२) जो कहता है: "Nothing contained in this section shall......" उसमें मैंने संशोधन रखा है :

"In sub-clause (2) parts (b) and (c) be deleted and part (bb) be re-numbered as part (b)".

पार्ट (बी) और (सी) इसके ऐसे हैं जिन पर सरकार यह कहती है कि कोई असर नहीं पड़ेगा एक्वायर करने के बाद भी। मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूँ। पार्ट (बी) कहता है :

"Nothing contained in this section shall—

(b) operate as a bar to the recovery through the Collector as an arrear of land revenue by the landowner of any sum which is legally due (subject to the deduction of collection charges at the rate of seven percent) to whom by virtue of his rights in the State in respect of any period prior to the commencement of the agricultural year in which the date of vesting falls;

Provided that where a tenant disputes the landowners, claim for the dues mentioned in clause (b) the landowner shall be required to file

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

a suit for such dues according to law"

और (सी) कहता है :

"Nothing contained in this section shall effect—

(*i*) the existing shikar rights of the landowner in the shooting preserves or areas, and

(*ii*) the existing fishing rights of the landowner in waters, specified in the inventory.

उपाध्यक्ष महोदय, इन राजाओं के पास जो अभी भी एस्टेट्स रहे हैं उनको एक्वायर करने के बाद भी सरकार यह कहती है कि यदि राजाओं को कुछ किसानों की तरफ वसूली करनी थी लगान की तो उसे राजा लोग खुद वसूल न करें और सरकार उनको एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के तरीके से अपने स्टेट के कोअर्सिव एफर्ट्स के जरिये, अपनी तहसीलों और पटवारियों के जरिये वसूल करेगी। बगैर राजाओं के कोई दावा किये और किसी किस्म का बगैर एफर्ट किये राज्य सरकार अपनी तरह से वसूल करके राजाओं को देगी। मैं समझता हूं राजाओं का जैसा भी उनका रूल रहा, कोई उसको अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, उनको प्रिविपर्स के रूप में बहुत कुछ दे दिये गये हैं। उनको प्राइवेट प्रोपर्टी के रूप में बहुत कुछ दे दिया गया। अब भी बहुत कुछ छोड दिया गया। उसके बाद भी जब सामान्य कानून उन पर लागू करने की व्यवस्था करते हैं, सामान्य रूप से किसी आदमी का पैसा किसी की तरफ रहता है या किसी किसान की तरफ लगान रहता तो अपने पैसे की वसूली के लिये उसके लिये अदालत खुली है। प्राइवेट आदमी जिस तरह से अपना पैसा वसूल करता है उसी तरह से राजाओं को भी वसूल करना चाहिये। इस कानून के जरिये जो सरकार अपने हाथ में यह अधिकार लेकर राजाओं को पैसा वसूल करके देना चाहती है, मैं समझता हूं यह किसानों के साथ अन्याय है और राजाओं के प्रति अनुचित रियायत है। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का प्रावधान नहीं रहना चाहिये और इसको निकाल देना चाहिये ताकि एस्टेट्स रिज्यूम होने क बाद इस तरह के अधिकार राजाओं के पास नहीं रहें। राजाओं को अपना पैसा वसूल करना है तो प्राइवेट तरीके से करेंगे, जिस तरह से और सज्जन वसूल करते हैं।

दूसरी जो एस्टेट्स एक्वायर की जायेंगी उनमें भी इनको शिकार राइट्स दिये गये हैं। पहले शिकार करते रहे हैं राजा-महाराजा उसको अब भी कायम रखने की व्यवस्था इस कानून में की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको जो शिकार करने का अधिकार था उसमें उनकी एस्टेट्स रिज्यूम करने के बाद भी कोई असर नहीं पडेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार जिस चीज को रिज्यूम कर लेती है या जैसे और ऑर्डिनेरी सिटिजन्स की प्रोपर्टी को पब्लिक यूज के लिये सरकार एक्वायर करती है, उसको कम्पेन्सेशन देती है तो उसके बाद उस प्रोपर्टी के सारे राइ स स्टेट को ट्रान्सफर हो जाते हैं। तो ये राइट्ज़ आखिर क्यों और किस तरह ये प्रिविलेजेज राजस्थान के राजाओं के कायम रखे जायं? क्यों उनके और अधिकार कायम रखे जायं इसकी कोई दलील और कोई वजह नजर नहीं आती। किसी को यदि शिकार करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
का शौक है तो इसके लिये जो स्टेट के नियम हैं शिकार करने के, उनके अनुसार अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं राजाओं से भी कहूंगा कि ये तुम्हें भी गलत रास्ते पर डालकर तुम्हारा शिकार बनाना चाहते हैं, काम-धंधे में नहीं लगने देना चाहते। बहुत दिन शिकार खेले ·······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मैंने तो १५ साल से राजस्थान में शिकार करना बन्द कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप खुद अमेण्डमेण्ट रखते तो बाल-बच्चों के लिये भी अच्छा होता। जब आप इस तरह का अमेण्डमेण्ट रखेंगे तो मुझे अमेण्डमेण्ट लाने की आवश्यकता नहीं है ·······

एक माननीय सदस्य: आप तो स्वीकार करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने, मेरी जो स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से सरकार इन राजाओं के साथ हमदर्दी रखती है कि उजडे हुए लोग हैं इनको किसी तरह से बसाना है, तो अच्छी तरह से काम धंधों में लगाकर बसावें। यह नहीं कि उनको शिकार खेलने में लगावें, फिर वहां पर बोतलें चलें और कुछ और धंधे चलें, इससे क्या फायदा है? लोगों के साथ मिलने में, कोमन मैन के साथ बैठने में इनको अभी शर्म आती है। ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहते हैं जो घोडों पर चढकर, बग्घी पर चढकर आते हैं। हमने एक सिनेमा में देखा, किस तरह से उनके लडके परेशान, लडकियां परेशान, बीबी परेशान, वही 'बाअदब बामुलाहिजा होशियार'; इसी में बरबाद हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस क्लॉज़ को रखकर उनका नुक्सान न करे। वही राजा आज भी अपने आप को हिज़ हाईनेस समझने में शान रखते हैं। लडके बच्चे उनको पापा कहना चाहते हैं लेकिन वह चाहते हैं कि वे भी उनको हिज हाईनेस कहें। शिकार····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय सदस्य के अनुसार शायद हम जानवर हैं, लेकिन हम भी सामान्य मनुष्य हैं। जानवर तो नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनके भी हित में होगा और वैसे भी यदि राजा लोग वास्तव में कोमन मैन बनना चाहते हैं, पुरानी हिस्ट्री और नीति को छोडना चाहते हैं, जैसे उस रोज स्वतन्त्र पार्टी के लीडर ने कहा था कि पिछले सौ वर्षों का इतिहास क्यों बखाना जाये, हमें भी इसका शोक नहीं है···

एक माननीय सदस्य: 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पुराने इतिहास के सहारे राइट्स की मांग करते हैं। हमारे शिकार राइट्स सौ वर्षों से चले आ रहे हैं, इसलिये चालू रखे जायं। फलां चीज हमारे बाप-दादों ने बनाई थी इसलिये रहनी चाहिये; यह कोई दलील नहीं है, जो इतिहास के बिना पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। आपने लूट-खसोट की बिना पर जो रियासतें कायम कीं थीं उनको लीगल फोर्म दिलाना चाहते हैं। आज जनता की तरफ से मांग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करें, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिये इस कानून को जब कि ग्राम जनता पर लागू किया जाता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो इन पर क्यों नहीं लागू किया जाता। ग्राम जनता इस तरह की भावना व्यक्त करना चाहती है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ग्राम जनता या कोमन तबका शिकार खेलता है या कोई मजदूर शिकार खेलने जाता है या कोई कर्मचारी शिकार खेलना चाहता है; जो लोग निठल्ले हैं, दूसरों की मेहनत पर जो पलते हैं, जो दूसरों को कमाई करने के लिये मजबूर करते हैं और खुद बैठ कर मुफ्त की खाते हैं वे शिकार करते हैं। इसलिये समाजवाद का नारा देने वाली सरकार जो कहती है कि समाजवाद कायम करना चाहते हैं वह इस तरह की चीज पर अपनी मोहर क्यों लगाना चाहती है, इस सिस्टम को क्यों जारी रखना चाहती है ? इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इन दोनों सब-क्लॉजेज़ को निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेण्डमेण्ट है; क्लॉज ८ के सब-क्लाज (बी) के अन्दर जो प्रोवीजो है उसको हटाने बाबत।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सब-क्लॉज़ का मतलब है वह ठीक है कि रिज़प्शन के बाद काफी तादाद में इन रूलर्स की बकाया रहेगी, उस बकाया की वसूली रेगुलर कोर्ट्स से होना मुश्किल हो जाता है, इसलिये यह सुविधा दी गई है कि यदि रूलर या एस्टेट होल्डर चाहे तो कलेक्टर को दर्ख्वास्त देकर बकाया की वसूली कलेक्टर की मार्फत करा सकता है।

इस संबंध में जो प्रोवीजो दिया गया है वह इस प्रकार का है, अगर काश्तकार कह दे कि मैं तो नहीं देता तो वैसी परिस्थिति में जो (बी) का जुरिस्डिक्शन है उससे हट जाता है। तो सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस क्लॉज़ की मन्शा क्या हो सकती है ? मन्शा यह है कि जो बडी तादाद के अन्दर उनके कर्ज हैं, जो रिज़म्प्शन के पहले के हैं अब उनके नहीं रहते हैं। वे खुद वसूल कर सकते हैं तो वैसी परिस्थिति के अन्दर कलेक्टर दूसरी सहुलियतें दे देगा। कलेक्टर को वह दरख्वास्त दे दे; इसके लिये यह जरूरी होता है। केवल काश्तकार के मना करने के आधार पर लैंड होल्डर के लिये यह जरूरी होगा कि वह दरख्वास्त पेश करे। मैं समझता हूं कि वह इस मन्शा को पूरी नहीं करता है। इसके अन्दर इन्क्वायरी की जरूरत होती है। वह यह है, अगर वह रिसीट बता दे कोई डाक्यूमेंट बता दे जिसके जरिये यह मालूम होता हो कि काश्तकार ने बीगोडी दे दी है, तब तो ठीक है वरना यह कहने पर कि बीगोडी में नहीं देता या मैंने देदी है, यह जो पर्याप्त मात्रा में एक्स्प्लेनेशन होता है, वह नहीं होता। यह क्लॉज जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में रखा गया है इसके आधार पर मैं कहता हूं कि अब तक जो जागीरदार की रकम है और जो वसूल नहीं की गई है, इसके लिये इस क्लॉज को इस तरह रखा जायगा तो उससे डिले होने वाली है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसे हटाया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के संबंध में एक तरह के प्रस्ताव आये हैं। वास्तव में यह क्लॉज़ इस प्रकार का है कि यह कोई बार नहीं होगी, अगर किसी रूलर की कोई रकम बाकी है किसी के अन्दर, जो डेट ऑफ वेस्टिंग है उससे पहले की है तो वह कलेक्टर के थ्रू वसूल की जा सकती है और उसकी वसूली के सरकार उससे सात परसेण्ट कलेक्शन चार्जेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ ले लेगी। अगर ऐसी बकाया के बारे में कोई यह कह कर डिफेण्ड करे कि मेरे में यह बकाया नहीं है तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट उसकी रिकवरी करके रूलर को दे, यह उचित नहीं है। वह अदालत में दावा करे और वहां से डिक्री प्राप्त करने का प्रयत्न उसे करना चाहिये। इस तरह का इनडाइरेक्ट क्लॉज़ लिखा हुआ है जिससे कोई रुकावट नहीं होगी। वैसे कलेक्टर के जरिये रकम वसूल की जा सकती है, अगर टीनेन्ट देना मंजूर करता है। इससे सरकार को भी लाभ ही है क्योंकि उसे सात परसेन्ट कलेक्शन चार्जेज़ मिलते हैं। यदि टीनेन्ट नहीं देना चाहता तो सरकार वसूल नहीं कर सकती। फिर जिसकी रकम बाकी है वह अदालत में जाय। ऐसी सूरत में इसे डिलीट करने से कोई फायदा नहीं है। स्वतन्त्र पार्टी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसका प्रोवीजो हटा दें तो इसका मतलब यह है कि टीनेन्ट इंकार करता है कि उसमें कोई रकम बाकी नहीं है तो उसकी कुर्की करके और वसूल करके रूलर्स को दिलायें, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हम उस हद तक करें सकत हैं जिस हद तक कि टीनेन्ट मंजूर करे कि उसमें बकाया है तो उसको कलेक्ट करके हम दे सकते हैं, जिसे सात परसेन्ट कलेक्शन चार्जेज़ वह दे। लेकिन टीनेन्ट अगर डिस्प्यूट करे तो उससे हम वसूल नहीं करना चाहते। इसके लिये जो ऑर्डिनरी कोर्ट है उसके अन्दर उसको जाना चाहिये। इसलिये मैं स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य का प्रस्ताव अस्वीकार करता और कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं।

दूसरा प्रस्ताव है कि जो शिकार राइट्स दिये हैं उन शिकार राइट्स के संबंध में माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। यह शिकार राइट रिज़र्व रखा गया है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Fishing Rights also......

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Yes, Yes I am coming to that. उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्सनल प्रिविलेज का सवाल है। कोवेनेन्ट हुआ, एग्रीमेंट हुए और उसके साथ साथ यह इन्वेन्टरी में भी दर्ज है। और उसके बाद फ्रोम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोम टाइम टू टाइम इस प्रकार के क्लेरीफिकेशन हुए जिसके अन्दर है कि पर्सनल प्रिविलेजेज़ या डिग्नीटरीज़ हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करें। इसके अलावा जो जमीन के लेन-देन और एक्वायर करने का सवाल है उसके लिये टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन हुए और व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है, उसको टीनेन्सी एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट से गवर्न करने के बारे में लिखा है, इसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन पर्सनल प्रिविलेजेज के लिये " from time to time " लिखा है कि इनको डिस्टर्ब करना चाहिये। ऐसी सूरत में जब सारा विधेयक पारित कर रहे

Page No 115

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं और एक्वायर कर रहे हैं प्रोपर्टी को तो, साधारण सा शिकार राइट है उसको अफेक्ट नहीं करें तो विधेयक के मूलभूत आधार पर असर नहीं पडता है और न इससे इंटरमीजियरीज वाला सवाल आता है; न टीनेन्ट से कलेक्ट करने का सवाल आता है, इस प्रकार की बातें नहीं आती हैं और जो फोरेस्ट है वह गवर्नमेंट का रहता है, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें उसमें कोई फर्क नहीं आता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्यों रह सकता है ? According to principle......

श्री उपाध्यक्ष : You will press it ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज ८ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): स्वतन्त्र पार्टी और कांग्रेस एक हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

अब समय चूंकि कम बच गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की यह मन्शा होगी कि जब तक बिल पास न हो जाय · · ·

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : दूसरा कार्यक्रम पूरा न हो जाय तब तक ।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक दूसरा कार्यक्रम पूरा न हो जाये तब तक के लिये सदन का समय बढाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक सारा कार्यक्रम पूरा नहीं होता है तब तक के लिये बढाया जाता है ।

(विराम)

श्री गंगासिंह ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित कर दिया जाय, उसके बाद आवश्यक कार्यक्रम पूरा किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जो कार्यक्रम आज की लिस्ट के अनुसार है वह पूरा होना आवश्यक है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आवश्यक विधेयक है, इसको पारित किया जाय; परन्तु आगे के कार्यक्रम के विषय में अगर सदन की कल बैठक बुलाई जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की मन्शा से सारा कार्यक्रम

Page No 116

(श्री उपाध्यक्ष)
निर्धारित हुआ है । कार्य-सलाहकार-समिति की रिपोर्ट है, वह सदन द्वारा एप्रूव हुई है । इसलिये यह उसी के अनुसार हो रहा है ।

(विराम)

क्लॉज ९, श्री गंगासिंह

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बढिया तो यह होगा कि आज यह बिल समाप्त करके कल का दिन बढा लिया जाय । यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी तय हुआ था कि २० या २१ तक सदन की कार्यवाही रहे । यह सारा कार्यक्रम २० को कम्प्लीट न हो तो २१ को कम्प्लीट किया जाय । कई हाफ एन अवर डिस्कशन हैं, दो तीन एडजोर्नमेंट मोशन्स हैं तथा और भी कई बातें रहती हैं । इसलिये कल ये आइटम्स ले लिये जांय ।

श्री गंगासिंह राठोड (जायल) : In sub-clause (2), part (i) replace the words "one-fifteenth of the aggregate amount of compensation finally determined under section 15 as payable to him by the words "one hundred rupees. "

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ९ है इसमें रिजम्प्शन अन्दर लैंड ओनर के पास जो रेकार्ड है उसको सुपरसीड करने से संबंधित प्रोवीजन है । इसका सब-क्लॉज (१) है इसके अन्दर यह प्रोवीजन है कि दो महीने के अन्दर अन्दर लैंड ओनर अपना सारा रेकार्ड कलेक्टर के पास सुपुर्द करेगा । इसके सब-क्लॉज (२) के अन्दर है कि अगर कोई रेकार्ड सुपुर्द नहीं किया गया हो तो उसके लिये सजा मुकर्रर की गई है और वह पैनल्टी है कि पूरे मुआवजे का एक बटा पन्द्रह तक जुर्माना किया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, जो लैंड ओनर का रेकार्ड है वह मुख्यतया उसके कन्सेशन से संबंधित है और वह करीब करीब सारा का सारा पेश हो चुका है । अगर पेश नहीं होता है तो कोई कम्पेन्सेशन भी नहीं दिया जाता है । तो जो प्रोवीजन सजा का इस सब-क्लॉज (२) के अन्दर रखा है वह मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुपयुक्त है और जो पैनल्टी दी गई है वह बहुत ही ज्यादा है । हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी लैंड ओनर का कम्पेन्सेशन पन्द्रह लाख रुपया है और वह समय पर अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत न करे तो पैनल्टी ली जायगी १ लाख रुपया, जो कि मैं समझता हूं कि इस प्रावधान को देखते हुए बहुत ज्यादा पैनल्टी रखी गई है । मेरा सुझाव है कि इन मामलों में कोई पैनल्टी रखी जाय तो मेरे अमेंडमेंट के माफिक १००) रुपये रखी जाय, सौ रुपये तक जुर्माना किया जाय । तो इसको ध्यान में रखते हुए यह कहूंगा कि जो पैनल्टी सरकार ने रखी है वह बहुत ज्यादा है ।

श्री **रामप्रसाद लढ्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इस एमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाए । इसमें पैनल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि श्री गंगासिंह ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १०, श्री रामानन्द ।

[इस खण्ड में निम्न प्रकार से संशोधन प्रस्तुत हुए]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

In sub-clause (1) part (c) insert the words 'except such tanks as can be utilised for irrigation purposes' between the words 'tanks' and 'in' ?

श्री जुझारसिंह (चेचट) : In sub-clause 1:

(a) re-number the existing part (a) as part (iii) thereof, and before the said part as so re-numbered, insert the following new parts, namely :—

"(a) (i) all open enclosures in the porsession of the land-owner used for agricultural or domestic purposes,

(*ii*) all private buildings, places of worship and wells situated in, and trees standing on lands, including in such enclosures or houses sites, as are specified in clause (i) above land as pertaining to such buildings or places of worship; "

(*b*) in part (c), after the words "all tanks in the personal cultivation occupation of the land owner," insert the words "and used *solely* for irrigating the land referred to *in* sub-section (2) of section 6."

श्री मानसिंह महार (आमेर) और श्री गंगासिंह राठौड (जायल) :

(1) The following new sub-parts (i) and (ii) be inserted in part (a):—

"(*i*) all open enclosures in the possession of the land owner used for agricultural or other purposes ;

(*ii*) private buildings, places of worship and wells situated in and trees standing on lands, included in such enclosures or house sites as are specified in clause (i) above, or land appertaining to such buildings of places or worship."

(2) The following new part (d) be inserted.—

"(*a*) all lands not in the occupation or possession of the tenants."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० में मेरा एक छोटासा संशोधन है । पार्ट (सी), सब-क्लॉज (सी) है, जिसमें कहा गया है:

"Notwithstanding anything contained in section 8 all tanks in the personal occupation of the land-owner shall continue to belong to, or be held by, such landowner or other person, subject in the case of ranks to the terms and conditions if any, mentioned in the covenant."

इन चीजों पर लागू नहीं होगा । इसमें ये चीजें एग्जेम्पट की गई हैं । इसमें राजाओं के पर्सनल ओक्युपेशन में जो टैंक हैं उनको भी एग्जेम्पट कर दिया गया है, वे भी रिज्यूम नहीं हो सकेंगे । लेकिन कई टैंक इस प्रकार के हैं जिनमें इरिगेशन हो सकती है और इरिगेशन से उस इरिगेशन से प्रोडक्शन बढाया जा सकता है, तो इस प्रकार के टैंक्स जो पब्लिक यूटिलिटी की तारीफ में आते हैं और इरिगेशन में उनका फायदा उठाया जा सकता है उनको एग्जेम्पट किया है । मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे अलवर में हिज हाईनैस का पेलेस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है उसमें टेंक है उसमें पहले इरिगेशन होता रहा है और अब भी लोग झगडा कर रहे हैं इस सदन में भी कई बार प्रश्न उठाया गया कि इस टेंक को गवर्नमेन्ट एक्वायर कर ले ताकि उनको सीन और सीनेरी का शोक है वह भी रह जावेगा और इरिगेशन के लिये भी वह काम में आ सकेगा। क्योंकि थोडा बहुत पानी तो उस टेंक में हर वक्त रहेगा। जब गवर्नमेन्ट इस बात में विश्वास करती है कि देश में अनाज ज्यादा उत्पन्न हो और राजा महाराजा भी देश में कुरबानी की भावना रखते हैं तो इसमें भी उनको पहल करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे टेंक इस्तेमाल में लिये जायें तो इससे अनाज की समस्या भी हल हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है:–

In sub-clause (1) part (c) insert the words 'except such tanks as can be utilised for irrigation purposes', between the words 'tanks' and 'in'."

यह इसमें जोड दिया जावे। मैं समझता हूं माननीय उप-मंत्रीजी इसको एमर्जेन्सी के समय में आवश्यकता को देखते हुए अवश्य मंजूर कर लेंगे।

श्री **जुझारसिंह** (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्लॉज १० में अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह कोई नई चीज नहीं है। मेरा अमेन्डमेन्ट है वह ओरिजिनल बिल में जो बात पहले थी उसके मुताबिक रखी जाने के संबंध में है। इस तरह की बात पहले ओरिजनल बिल में थी जिसको सिलेक्ट कमेटी में गिरा दिया गया था। मैं समझता हूं कि जिन कारणों से इस क्लॉज को हटाया गया वे उचित नहीं थे। सिलेक्ट कमेटी ने दो क्लॉजों को बहुत वेग कह कर हटा दिया था :

"All private buildings, places of worship and wells situated in, and trees standing on lands, included in such enclosures or house sites....

आदि आ जाते हैं, उसके बारे में है। यह वेल्स, ट्रीज आदि के बारे में वेल डिफाइन्ड है और इनको हटाने से बहुत सी कॉम्प्लीकेसीज पैदा हो सकती है। राइट एक्वायर हो जाये, यह दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने जो एमेन्डमेन्ट रखा है वह इस तरह से है:–

"In sub-clause (1) (a) renumber the existing part (a) as part "(iii)" thereof, and before the said part as so re-numbered, insert the following new parts namely:—

(*a*) (*i*) all open enclosures in the possession of the land owner used for agricultural or domestic purposes;

(*ii*) all private buildings places of worship and wells situated in and trees standing on lands included, in such enclosures or houses sites, as are specified in clause (i) above, land as pertaining to such buildings or places of worship.' यह जो अमेन्डमेन्ट है वह ओरीजिनल बिल का पार्ट था और मैं समझता हूं कि इसको रखना बहुत जरूरी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको मंजूर किया जावे।

दूसरा एमेन्डमेन्ट मेरा जो है वह इस प्रकार है:

"(*b*) in part (c) after the words 'all tanks in the personal cultivation occupation of the land-owner", inser

(श्री जुझारसिंह)
the words "and used solely for irrigating the land referred to in sub-section (2) of section 6."

जो लैण्ड ओनर के पर्सनल कल्टीवेशन में हो और अगर उसमें इरिगेशन होता हो तो उसको उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में माना जावे। इसको भी जागीर एमेन्डमेन्ट एक्ट की तरह इसमें भी रखा जाना आवश्यक समझता हूं। इस आशय से मैंने यह एमेन्डमेन्ट मूव किया है और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० में एक एमेन्डमेन्ट हमारे कोटा की तरफ से आने वाले कांग्रेसी भाई ने रखा है, उसी प्रकार का मेरा भी एमेन्डमेन्ट है और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा एमेन्डमेन्ट यह भी है:

"The following new sub-parts (i) and (ii) be inserted in part (a) :—

(*i*) all open enclosures in the possession of the land owner used for agricultural or other purposes ;

(*ii*) all private buildings, places of worship and wells situtated in, and trees standing onlands, included in such enclosures or house sites as are specified in clause (i) above, or land appertaining to such buildings of places of worship".

(ii) The following new post (d) inserted.

'(*d*) all lands not in the occupation or possession of the tenants."

जो छोटी सी बात है और इसमें कोई लंबी-चौडी बात नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क बिल में पड जाए, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण है उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसके अन्दर आप लेकुना रख देंगे तो कई दिक्कतें आयेंगी। सरकार और हमें मालूम है कि इस कानून का जन्म किस तरह से हुआ। इस कानून का जन्म इस तरह से हुआ कि जोधपुर हिज हाईनैस के प्राइवेट प्रोपर्टी के इन्चार्ज हैं, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि जो गांव हैं और जिनका वे लगान वसूल करते हैं उनको हमारी सरकार ले ले और इससे उनका हेडेक मिट जावे।

एक माननीय सदस्य: यह बात गलत है।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर): यह बात आप मंत्रीजी से कहला दीजिए। आप इसमें कोई ऑथोरिटी नहीं हैं। इसके अलावा सरकार ने जब से इसको सदन में रखा है, हमारी नीयत तो यह है कि इन्टरमीजीयरीज हैं उनको हटाने की है। सरकार की बहुत साफ नीयत है, टीनेन्ट को इन्टरमीजियरीज से सेव करना चाहती है। चाहे उसे बाद में बरबाद ही कर दे। मगर इस वक्त तो यही कहते हैं कि हम उनको रिलीफ देने के लिये यह सब करना चाहते हैं। जब आपकी नियत साफ है और आप इन्टरमीजियरीज को खत्म करना चाहते हैं और उनको खत्म करने के लिये ही इसे ला रहे हैं तो मेरी यह छोटी सी बात है, यह एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है, इतना मौजू होता है इस कानून में कि आपकी मंशा को बिलकुल स्पष्ट कर देता है, फिर राजाओं को आपकी नीयत में शक नहीं रहेगा। आपके बीच में बैठने वाले राजा भी पधार गये हैं उनको भी आपकी नियत में शक करने की गुंजायश नहीं रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके साथी, राजा की कद्र करते हुए इस छोटे से अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : छोटा है, पर उतना ही खोटा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): काफी गिडगिडाहट है। कैसे रंग बदल जाता है, जहां अपने स्वार्थ आते हैं ।

श्री मानसिंह महार: मैं कोई राजा नहीं हूं और न रंगा हुआ सियार ही हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: राजाओं के कामदार तो हैं ।

श्री मानसिंह महार: मैं तो राजाओं का सेवक हूं, पैदा हुआ तब से हूं और रहूंगा । मैं नुगरा नहीं हूं । राजाओं के जमाने में पैदा हुआ । आज जयपुर की जनता ने बता दिया कि वह राजा को कितना चाहती है; जरा चीन और रूस को लाकर खडा कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य विषयान्तर पर जा रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं बिल्कुल विषय पर हूं, बीच में आ जाते हैं तो जवाब देना पडता है ।

इसलिये निवेदन है कि मेरा बडा सीधा अमेन्डमेन्ट है और उप-मंत्रीजी से कहूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें, कांग्रेस पक्ष से जो आपका ऑफिशियल अमेन्डमेन्ट आया है उसे तो आप मंजूर करेंगे, यह मैं जानता हूं, हालांकि बडप्पन तो इसमें होता कि आप यह कहते कि मानसिंह महार के या गंगासिंह के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूं, पर आप तो अपने जुझारसिंहजी का नाम रोशन करेंगे······

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): बैठा रखा है तुमने उधर ।

श्री मानसिंह महार : हां, बैठा रखा है; तुम भी बैठा दो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हमारे भी हैं, यह तो धर्मशाला है, हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं ।

श्री मानसिंह महार: रहने दो । ५ से तो ४ हो गये हो, थोडे दिनों में दो हो जाओगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह तो देखो, क्या होता है ?

श्री मानसिंह महार: तो मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गंगासिंह, आपका वही अमेन्डमेन्ट है ।

श्री रामप्रसाद लडढा (उप-मंत्री, राजस्व): It is the same amendment.

श्री उपाध्यक्ष: आपका वही अमेन्डमेन्ट है। To save time, it will be taken as moved.

श्री रामप्रसाद लडढा: उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज के सम्बन्ध में दो तीन तरह के प्रस्ताव आये हैं । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने १० के क्लॉज (सी) में अमेन्डमेन्ट रखा है कि जिन टैक्से से जमीन ईरिगेट कराते हैं उनको एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिये, उनकी भावना की मैं कद्र करता हूं, पर रामगंज मंडी से आने वाले

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह आपकी भावनाओं को पूरा करता है और आपसे एक स्टेप फरदर जाता है, लैण्ड की वही तादाद एग्जेम्पृट की जाय जो क्लॉज ६ क सब-क्लॉज (२) में रूलर्स को खातेदारी अधिकार मिलेंगे, वे तालाब खोलकी उसी जमीन को इरिगेट करते हैं तो एग्जेम्पशन मिल जायगा, अदरवाइज नोट । तो आपकी भावनाओं से बढ कर सुझाव रखा है, इसलिये उस तरमीम को मैं मानता हूं जिसको मानने से आपकी तरमीम भी अप्रत्यक्ष रूप में मान ली जाती है ।

अभी स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है: "All lands not in the occupation or possession of the tenants."

इसके ऊपर भी क्लॉज १० के अन्दर एग्जेम्पशन कर दिया जाय । इसका मतलब है कि ऐसी लैण्ड जो काश्तकारों के कब्जे में नहीं है उनको रूलर्स के कब्जे में मान कर उनके पास रहने दिया जाय । इससे मैं सहमत नहीं हूं । क्लॉज ६ (२), जिसको कि हम पास कर चुके हैं उसको पढें तो पता चलेगा:

"In respect of land under the personal cultivation of the land-owner and in which there are no tenants, the landowner shall, as from the date of vesting, be the khatedar tenant thereof."

पर्सनल कल्टिवेशन में जो लैंड है उस संबंध में हमने खातेदारी अधिकार दिये हैं । अगर काश्तकार के कब्जे में है तो काश्तकार को खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं । जो जमीन काश्तकार के कब्जे में भी नहीं और रूलर्स के कब्जे में भी नहीं तो वह स्टेट गवर्नमेंन्ट में वेस्ट होती है । जागीर रिजम्प्शन एक्ट, बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट, बनाये हैं उनमें पडता जमीन सरकार में वेस्ट होती है तो यहां यह अनुपयुक्त मालूम होता है इसलिये इनके प्रस्ताव से मैं असहमति जाहिर करता हूं ।

१०(१). क्लॉज के बारे में आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है, रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अमेंडमेंट रखा है, दोनों प्रस्तावों में थोडा फर्क है । मैंने जागीर रिजम्पशन एक्ट की बार बार दलील दी है कि यह हमारा सारा बिल जागीर रिजम्प्शन एक्ट के आधार पर किया गया है । जागीर रिजम्प्शन एक्ट में जो प्रावधान रखे हैं उनका इसमें समावेश हो ताकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चेलैन्ज न हो सके । धारा २३ जागीर रिजम्प्शन एक्ट के सिलसिले में रामगंज-मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है

"All open enclosures in the possession of the land owner used for agricultural or domestic purposes.

इस तरमीम को मैं स्वीकार करता हूं और उप–धारा (२) में रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है, उन्हीं लफ्जों में आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखी है, उसको मैं स्वीकार करता हूं ।

तो इस तरह क्लॉज १० के सब–क्लॉज (सी) में रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है उसे स्वीकार करता हूं । १० (ए) के अन्दर रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य के अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं । सब-क्लॉज (२) में रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है और उसी तरह का आमेर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि··

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : I want to reply.

श्री उपाध्यक्ष : All right. you make a brief Statement.

श्री रामानन्द अग्रवाल : All right.

मेरे अमेंडमेंट की मंशा यह थी कि मैं जो टैंक इरिगेशन के पर्पज के लिये काम में आ सकें उन्हें इससे एग्जेम्प्शन नहीं मिलना चाहिये । जो रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट मूव किया है वह ऐसा किया है कि जो टैंक्स सोल्ली हिज हाईनैस या रूलर की लैंड को ईरिगेट करते हैं उनको अब भी एग्जेम्प्ट रखा है । इरिगेशन के पर्पज के लिये काम में आता है तो उस टैंक को एग्जेम्प्ट रखा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मान लीजिये अभी तो ५ हजार बीघा जमीन है और उस कानून के लागू हो जाने के बाद २ हजार बीघा जमीन पर ही रूलर को खातेदारी राइट्स मिलें तो वह टैंक २ हजार बीघा पर ही सोल्ली सिंचाई के काम में आता है और बाकी की जमीन के ऊपर काम में नहीं आता है तो एग्जेम्प्शन मिलेगा । और यदि खातेदारी राइट्स की जमीन के अलावा दूसरी जमीन की १०० बीघा, ५० बीघा, या १० बीघा की भी पिलाई उस टैंक से होती है तो एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा । माननीय सदस्य को भ्रम हो तो मैं दूर कर देना चाहता हूं । आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप आगे गये है हमने इसको और ज्यादा विस्तार में इफेक्टिव बनाया है । लैंड कितनी ही हो पर खातेदारी राइट्स में जो जमीन मिलने वाली है उसको ही ईरिगेट करते हैं तो एग्जेम्प्शन रहेगा दूसरी को ईरिगेट करते हैं तो नहीं रहेगा । इसलिये आपने जो भावनाएं मूव की हैं उनसे एक स्टेप आगे किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What about those tanks ?

उस वक्त किसी ईरिगेशन के काम में नहीं लिया गया ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : और हमारे में सब वैस्ट हो गया । एग्जेम्प्शन केवल उसी टैंक को दिया है जिससे खातेदारी राइट्स में मिलने वाली जमीन को ही ईरिगेट करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें सब क्लॉज (१) और (२) में तमाम एन्क्लोजर्स को मंजूर किया है, कैसी भी जमीन हो, एग्रीकल्चरल लैंड, डोमेस्टिक यूज के लिये हो तो अब जो लैंड की डेफिनिशन दी है उसमें कहीं इन्वेन्टरी के अन्दर जो बिल्डिंग प्लॉट्स माने गये हैं, उनको एग्जेम्प्ट करते हैं, बाकी सबको लैंड की डेफिनिशन में लेते हैं । लेकिन अभी जो यह एग्जेम्प्शन मंजूर की है यह उस डेफिनिशन से आगे जाती है । उसके बिल्कुल कान्फिलक्ट में है । यानी वैसी जमीन जो उस डेफिनिशन के अनुसार लैंड की डेफिनिशन में आती थी, बिल्डिंग लैंड भी नहीं है, डोमेस्टिक यूज के लिए आती है, इस प्रकार के जो एन्क्लोजर्स हैं इस प्रकार की जमीनों को भी एग्जेम्प्ट कर दिया है । इसका मतलब यह है कि लैंड की डेफिनिशन से भी गयी,

Page No 123

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस एक्ट से भी गयी, उसको आप रिज्यूम नहीं कर सकते। यह फर्दर बहुत बडा एक्जेम्प्शन है जो सरकार उनको दे रही है। क्लॉज २ को मंजूर करते समय आपने खुद ने इसको मंजूर किया है। इन्वेन्टरी में कर दिया, कोवेनेन्ट में मंजूर हैं, उसको सोलम मानते हैं, खैर आपकी मर्जी, लेकिन यह तो कोवेनेन्ट में नहीं, है, आप तो कोवेनेन्ट से भी आगे जा रहे हैं। आपने बडी आसान सी दलील दे दी। जागीरदारी रिज्यूम की और इनको कर रहे हैं इसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन न हो जाय और उस बिना पर गैर कानूनी यह न बना दिया जाय यह तो केवल आंखों में धूल झोंकने की बात है। बिस्वेदारी रिज्यूम की, इसमें और उसमें काफी अन्तर है। काफी आधार में फर्क है। यह कानून अलग लोगों के लिए है। राजाओं को प्रिविपर्स मिलता है, जागीरदारों का कन्सीडरेशन करते वक्त यह ख्याल किया था कि उनके पास यही चीज है और इसका ही उनको मिल रहा है उसके आगे नहीं है। इसलिये राजाओं का और उनका एक बेसिस नहीं है। अलग अलग बेसिस है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट मंजूर करके कोवेनेन्ट से भी आगे जा रहे हैं, इन्वेन्टरी से भी आगे जा रहे हैं और इससे बहुत बडी जमीन हो सकती है जो एक्वायर हो सकती थी पब्लिक इन्ट्रेस्ट में काम आ सकती थी उसको हम छोड़ रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज १० में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये तो खुद ही विथ्ड्रा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है कि श्री रामानन्द अग्रवाल को अपना अमेन्डमेन्ट विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)
इजाजत दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह, श्री मानसिंह महार.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Take them separately, Sir, some we support and some we oppose.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह ने प्रस्तुत किया है..

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा ?

श्री उपाध्यक्ष : All.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : साथ ही ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, Sir, some amendments we support and some we oppose.

श्री उपाध्यक्ष : How can it be ?

Page No 124

श्री रामानन्द अग्रवाल : Each amendment should be taken separately.

श्री उपाध्यक्ष : Whatever amendments have been moved by Shri Jhujhar Singh are put to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० में जो श्री जुझारसिंह ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह महार एवं श्री गंगासिंहजी ने रखे हैं उनको जिस हद तक माननीय उप-मंत्रीजी ने स्वीकार किया है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं ।

मैंने १ ए (१) स्वीकार किया है; उन्होंने डोमेस्टिक पर्पज लिखा है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री गंगासिंह : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा यह है कि दोनों माननीय सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्ताव विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मानसिंह महार : I withdraw my amendment.

श्री गंगासिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १०, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०, यथा संशोधित, विधेयक के अंग रूप से जोडा गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We want votes to be taken on it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : You should have said it immediately.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I said at once.

श्री उपाध्यक्ष : Now the result has been declared.

(विराम)

क्लॉज ११, श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't want to move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज १२, श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

Page No 125

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : Please be very brief.

[संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत किये गये]

श्री मोहनराज (बाली) :

In Sub-clause(2)—

(*i*) between the words, "as from the date of vesting, and the words, "and shall carry simple interest" insert the following words.

"after the delivery of all the relevant record, under section 9" And further delete the words "and shall carry simple interest at the rate of two and a half percent per annum from that date upto the date of payment."

(*ii*) Proviso to sub-clause (2) be deleted.

श्री मानसिंह महार (आमेर)

श्री गंगासिंह राठोड (जायल) :

(*i*) In sub-clause (1) the word 'Schedule' be replaced by the words "The Rajasthan Land Acquisition Act, 1955" and therafter the following words be added :—

"the provisions of which shall reply to the acquisition of the estates under this Act."

(*ii*) The following new sub-clause (3) be added:—

"(3) The compensation shall be payable immediately on the acquisition of the land being completed and the possession of the property being obtained by the Govt.

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ में जो मैंने संशोधन सुझाया है वह इस प्रकार है :—

In sub-clause (2) between the words "as from the date of vesting" and the words "and shall carry cimple interest". And insert the following words—

"after the delivery of all the relevant record, under, section 9"; and further delete the words "and shall carry simply interest at the rate of two and a half percent per annum from that date upto the date of payment."

यह इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि सारे के सारे सम्बन्वित रिकार्ड यदि सरकार के अधिकार में या सरकार द्वारा अधिकारियों के अधिकार में वक्त पर नहीं दिये जाते हैं तो उससे कई प्रकार के झगडे उठ खडे होते हैं और वे झगडे प्राइवेट पार्टी के बीच में और भूतपूर्व नरेशों के बीच में या सरकार के बीच में आते हैं तो रिकार्ड उनके कब्जे में होने से और सरकार के अधिकार में न होने से उन मुकदमों की वजह से उस सारे रिकार्ड को प्राप्त करने में और सारे के सारे मामले निपटाने में बहुत दिक्कत होती हैं। मैं यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि भूतपूर्व जागीरदारियां जिस समय जब्त की थीं, रिकार्ड तहसील में जमा कराना चाहिये था, वह जमा नहीं कराया गया, उसका नतीजा यह हो रहा है कि लोगों को तरह तरह के टाइटल्स दिये जा रहे हैं और अनेक मुकदमें अदालतों में चल रहे हैं। इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिये सारा का सारा रिकार्ड अधिकारियों के पास पहुंचा

(श्री मोहनराज)

दिया जाय। आप कहेंगे धारा ६ में प्रावधान है। उनका कम्पन्सेशन तब ही ड्यू माना जाय जब सारा का सारा रिकार्ड अधिकारियों के पास पहुंचा दिया जाय।

दूसरा संशोधन इस क्लॉज में है वह है ब्याज के बारे में। उनको जो कुछ भी कम्पेन्सेशन की रकम मिलने वाली है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ढाई प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जाय। इस ब्याज के प्रोविजन को डिलीट करने का मेरा संशोधन है और मेरा यह सुझाव है कि इस कम्पेन्सेशन पर, मुआवजे पर किसी प्रकार का ब्याज न दिया जाय। वास्तव में यह हास्यास्पद स्थिति है। ब्याज तो उस पर दिया जाता है कि राज्य के खजाने में इस प्रकार की सम्पत्ति या धन जमा कराये लेकिन जो कुछ भी इस तरह की प्रोपर्टी जो उस वक्त उनके पास रख दी गई थी जब उनके राज्य का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो सम्पत्ति ली जा रही है उसके एवज में उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। और वह बड़ी बात इसलिये कह रहा हूं कि जब उन्हें प्रीवीपर्स मिलता है लाखों रुपया सालाना एवजाने के अन्दर आलरेडी मिल रहा है, वैसी हालत में उनको कम्पेन्सेशन देना मन्जूर कर रहे हैं और साथ में ब्याज देना मेरे ख्याल से यह हमारे यहां की गरीब जनता पर बहुत बड़ा बोझ होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : According to your amendment they would be paid interest at 2½%

श्री मोहनराज: No, no. मैंने अमेण्डमेण्ट प्रोवीजो में रखा है कि इस प्रोवीजो को हटा दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो प्रोवीजो से उल्टी बात करते हैं।

श्री मोहन राज : You please read it.

श्री रामानन्द अग्रवाल :

"..and shall carry simple interest at the rate of two and half per-cent per annum from that date up to the date of payment";

प्रोवीजो डिलीट करने के लिये प्रार्थना नहीं की है।

श्री मोहनराज : There is an amendment for deletion of the proviso.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Second amendment is there. "(*ii*) Proviso to sub-clause (2) be deleted."

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका कहना यह है कि ऊपर इंटरेस्ट देने का सवाल नहीं रहता है प्रोवीजो का सवाल नहीं रहता।

श्री मोहनराज : इसमें इंटरेस्ट देने का प्रावधान है वह मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिये। कतई आवश्यकता नहीं है जब कि कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। मैं इस बारे में अपील के बतौर विरोधी पक्ष के नेता महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में अगुआ बनकर इंटरेस्ट को छोड़ने का एलान करें, ताकि गरीब जनता पर पैसे का बोझ न पड़े। जब कि कम्पेन्सेशन लिया जाता है तो फिर इंटरेस्ट किस बात का? मगर आप इंटरेस्ट की मांग करते हैं तो आखिर पैसा

(श्री मोहनराज)

कहां से आयेगा ? गरीब जनता पर करों का बोझ बढ़ेगा । कम से कम इस बात में मदद करके गरीबों को अधिक करों के भार से न लादें। यह आपकी ओर से बडा त्याग समझा जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I support this amendment, Sir.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ पर मेरा छोटा सा अमेण्डमेण्ट है, पहले में अपने अमेण्डमेण्ट के बारे में बोलूंगा, फिर जो कुछ मेरे मित्र बाली से आये हैं उन्होंने जो अमेण्डमेण्ट रखा है उसके विरोध में दो शब्द कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह रखा है इसके अन्दर: "In sub-clause (1) the word 'Schedule' be replaced by the words "The Rajasthan Land Acquisition Act, 1953" and thereafter the following words be added:—

"The provision of which shall apply to the aquisition of the estates under this Act."

एक तो यह है। दूसरा यह है :

The following new sub-clause (3) be added:—

"(3) The compensation shall be payable immediately on the acquisition of the land being completed and the possession of the property being obtained by the Government."

मेरा यह अमेण्डमेण्ट है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की इस नीति का विरोध करता हूं । जहां कम्पेन्सेशन के बारे में हमने कई जगह रखा है कहीं सात टाइम्स, कहीं १० टाइम्स, कहीं १५ टाइम्स, यह बडी गलत नीति है । सरकार को एक नीति पर चलना चाहिये । हमने लैंड एक्वीजीशन एक्ट बना दिया है, जिस किसी की भी जमीन एक्वायर करते हैं उसकी तहत में जो कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है वही इसमें दे दिया जाय । यह गलत होगा कि कहीं सात गुना कहीं दस गुना कम्पेन्सेशन देने की बात करें, मैं तो इसको बहुत गलत मानता हूं । एक्वीजीशन एक्ट के तहत किसी जमीन का दो रुपया गज आयेगा किसी का आठ आना आयेगा । सात गुना या दस गुना मुआवजा देने की बात करते हैं तो साम्यवादी मित्रों को चमक होती है सात टाइम्स इज टू मच । मेरा यह निवेदन है कि सेवन टाइम्स क्यों देते हैं जब कि हमने लैंड एक्वीजीशन एक्ट बना रखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मार्केट वेल्यू पर इससे ज्यादा राजाओं की चाकरी और क्या होगी ?

श्री मानसिंह महार : हम चीन के कुत्ते नहीं हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी न किसी के कुत्ते हो जरूर ।

श्री मानसिंह महार : तुमसे तो अच्छे हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह भाषा कहां से पढ़ कर आये हैं ।

श्री मानसिंह महार : रूस और चीन से पढ़ कर आया हूं ।

एक माननीय सदस्य : ये जानवरों की भाषा बोल रहे हैं काटने को दौड़ते हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं सेठों का गुलाम नहीं हूं ।

श्री रामानन्द अगवाल : राजाओं के तो गुलाम हैं ?

श्री मानसिंह महार : सेठों का नहीं होऊंगा कह दिया सौ बार ।

श्री उपाध्यक्ष : आप शांत रहिये, विषय पर आजाइये ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ये कम्युनिस्ट लोग छेड़ते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता , मुझे भी उसका जवाब देना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत उचित है । मैं सरकार की इस नीति का घोर विरोध करता हूं, किसी को दस टाइम्स मुआवजा दिया जाता है किसी को सात गुना दिया जाता है किसी को बीस टाइम्स दिया जाता है इस प्रकार मर्जी के माफिक कमपेन्सेशन देने की बात को मैं पसन्द नहीं करता । हमने १९५५ में लैंड एक्वीजीशन एक्ट पास कर दिया उसके तहत कम्पेन्सेशन दिये जाने का प्रावधान है उसके अन्तर्गत लैंडस वगैरह लेते हैं तो उसके मुताबिक कम्पेन्सेशन देते हैं ।

दूसरी बात जो बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि इस पर इंटरेस्ट लेना उचित बात नहीं है । हम भी कहते हैं कि इंटरेस्ट हम भी लेना नहीं चाहते आप कल ही एक्वायर कर लो और कल ही पैसा चुका दो, फिर इंटरेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । आप इंटरेस्ट छोडने के लिये अपील क्यों करते हो 'न बासी रहे न कुत्ता खाये', यानी जिसकी जमीन लेनी हो उसको ले लें और हाथों हाथ उसका कम्पेन्सेशन दे दो । बहुत सीधी बात है । आप नोट दनादन छापते हैं आपका डेफीसिट फाइनेंसिंग चलता है । कम्पेन्सेशन के लिये दस दस, पांच पांच साल की मियाद देते हैं तो फिर उस पर ब्याज भी दना पडता है ढाई परसेण्ट । हम तो कहते हैं ब्याज बिल्कुल मत दीजिये, इस हाथ जमीन लीजिये उस हाथ कम्पन्सेशन के रुपये दे दीजिये । आपके द्वारे दस दस बार भटकना नहीं पडेगा ।

एक माननीय सदस्य : ये इनको भी कांग्रेस के मेम्बर बनाना चाहते है ।

श्री मानसिंह महार : मैं तो कांग्रेस का मेम्बर नहीं बनूंगा । जागीरदार हूं कम्पेन्सेशन या ब्याज के लालच में डूबा हुआ हूं । थोडा सा ब्याज देते हैं उससे कई गुना खर्चा कोर्टस् में आने जाने में लग जाता है । आप इन्टरेस्ट की बिल्कुल बात को छोडिये । इस धंधे को खत्म करिये ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमान गढ) : यह धंधा कांग्रेस खत्म नहीं कर सकती, कम्युनिस्ट ही खत्म करेंगे ।

श्री मानसिंह महार: बडे दुख की बात है, कम्युनिस्ट बेचारे क्या खत्म करेंगे , वे खुद ही खत्म होते जा रहे हैं, वे तो इस समय दया के पात्र हैं । आज भारतवर्ष में आप दया के पात्र बने हुए दुबकते फिर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात को आरम्भ रखिये । इधर उधर मत जाइये ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इन्हें मुझे डिस्टर्ब न करने दें, अगर मुझे कुछ कहा जाता है तो मैं जवाब जरूर दूंगा ।

अब की बार तो आपका हुक्म मान लेता हूं । यह ब्याज वाला जो धंधा है उसके लिये हमारी सदन की एक बहनजी ने फरमाया था कि साहूकार कैसे होते हैं उन्होंने एक तुलसीदासजी की चौपाई भी सुनाई थी जो ब्याज खाते हैं वे किस तरह के होते हैं आप हमें भी साहूकार की तरह बनाना चाहते

(श्री मानसिंह महार)

हैं। हम लोगों को ब्याज कमाना सिखाते हैं। राजपूतों ने बोहरगत का धन्धा नहीं किया हम तो सीधे डीलिंग्ज में विश्वास करते हैं। इस हाथ में पैसा दीजिये और चीज लीजिये। बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका मैं अक्षरशः समर्थन करता हूं। इस क्लॉज को अभी डिलीट कर दीजिये, ब्याज का प्रोविजन बिल्कुल न रखिये। हाथ के हाथ नकद पैसा दे दीजिये, मामला खत्म हो जायगा हमारे लीडर से अपील करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और न उन्हें दो शब्द कहने की ही जरूरत रहेगी। आप यह ब्याज हमें खिलाकर हममें दुर्व्यसन पैदा करना चाहते हैं वे ब्याजखोर व सूद खोर बनें जिसके लिये देवगढ से पधारी हुई माननीय सदस्या ने जिनकी मैं कद्र करता हूं, उन्होंने एक तुलसीदासजी की चौपाई सुनाई। मैं उसको मानते हुए कहता हूं कि ब्याज को चीज गलत है। हमको नकद पैसा दे दीजिये। हमको ब्याज नहीं चाहिए। महरबानी करके नकद पैसा दीजिए और इस मामले को खत्म कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिह। I think your amendment is just the same so you just move it.

श्री गंगासिह राठोड (जायल) : I move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order यह जो सेक्शन १२ के अंदर जो शिडूल का ब्यौरा है, उस शिडूल में मैंने अमेंडमेन्ट्स मूव किये हैं और मेरा निवेदन है कि अमेन्डमेन्ट्स भी इसके साथ कन्सीडर किये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : शिडूल अलग से कन्सीडर होगा।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : हमने अमेंडमेन्ट्स को अरेन्ज भी उस तरह से किया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : It will come.

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : जो बसिक प्रिन्सीपल्स हैं वे शिडूल में हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : We cannot deffer from the procedure

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : फिर जो अमेंन्डमेन्ट्स हैं, वे बाद में मूव किये जायेंगे।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : हां, हां। माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज १२ के अन्दर आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं। उन अमेन्डमेन्ट्स की मन्शा यह है कि शिडूल में जो तरीका कम्पेन्सेशन को असेस करने का बताया गया है उसके बजाय वह चाहता है कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट, १९५५ एप्लाई कर दिया जाये और उस एक्ट के तहत मार्केट वैल्यू के दूसरे जो प्रावधान हैं, उनके अन्तर्गत इस एस्टेट का कम्पेन्सेशन दिया जाय और वह कम्पेन्सेशन तत्काल अदा कर दिया जाय। ये तीनों बातें इस अमेन्डमेन्ट के जरिए उन्होंने रखने की कोशिश की है। मैं इन अमेन्डमेन्ट्स से इत्तफाक नहीं करता हूं। जबकि इन्टरमीजियरीस का सवाल है और वहां पर हमने जागीर रिजम्पशन या बिस्वेदारी अबोलीशन एक्ट सबमें कम्पेन्सेशन दिया है और जो कान्स्टीट्यूशन में है वह न करके इस प्रकार कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए कि जो दूसरे एक्ट्स में है, उसी प्रकार प्रावधान किया है। इसलिये राजस्थान लैंड एक्वीजीशन एक्ट को एप्लाई करना और उसके तहत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इन जागीरों को एक्वायर करना और तत्काल मुआवजा देने की बात उचित नहीं है।

दूसरा अमेन्डमेन्ट बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। उन्होंने चाहा है कि ब्याज नहीं लेना चाहिए। वास्तव में यदि किसी चीज को हम एक्वायर करना चाहते हैं तो उसका जो भी नियमानुसार कम्पेन्सेशन हो तत्काल दिया जाना चाहिए। जब हम तत्काल नहीं देते हैं और किश्तों में देते हैं तो जो २॥ प्रतिशत ब्याज का प्रावधान रखा है वह अनुचित नहीं है। दूसरे एक्ट्स में भी २॥ प्रतिशत का प्रावधान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसानों की जमीनें जो एक्वायर करते हो उनको क्या ब्याज देते हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अंदर एक तरमीम यह रखी गई कि डॉक्यूमेन्ट्स हैंड ओवर हों, उसके बाद कपेन्सेशन पेएबिल हो लेकिन (अश्रव्य) करने का अधिकार यदि डॉक्यूमेन्ट्स सरण्डर नहीं किये गये तो दिया हुआ है। इसलिये इस चीज को इसमें रखना ठीक नहीं समझता। इसलिये मैं दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि तरमीम के प्रस्ताव को वापिस लें और इस क्लॉज को यथावत पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mohan Raj, do you withdraw?

श्री मोहनराज : ब्याज के संबंध में जैसा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ब्याज नहीं लेना चाहिए और जो प्रावधान जिस प्रकार किश्तों में बांड्स देकर कम्पैन्सेशन बांटने का किया गया है, अगर वही राज्य सरकार को मंजूर होता तो बहुत अच्छा होता। साथ ही पूरी रकम देकर···

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, वह मांग लीजिए, या तो विथ्ड्रा करना हो····

श्री मोहनराज : मैं इतना अर्ज करूं कि क्योंकि राज्य सरकार की मंशा मंजूर करने की नहीं है, इसलिये मैं अपना अमेन्डमेन्ट विथ्ड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि माननीय सदस्य को विथ्ड्रा करने की पर्मिशन दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

(विराम)

Please withdraw.

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Man Singh, do you press it.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत इस क्लॉज में श्री मानसिंह और श्री गंगासिंह ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक में अंग

Page No 131

(श्री उपाध्यक्ष)

रूप से जोड़ा गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १४

श्री गंगासिंह (जायल) :संशोधन इस प्रकार है :–

Sub-clause (1) (i) Replace the word "shall" by the word "may"

(*ii*) Replace the word "two months" by the words "four months"

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १४ के अंदर जो मेरे अमेंन्डमेंन्ट्स हैं वे मयाद के संबंध में हैं। जो जागीर रिजम्पशन है उसके अंदर दो महीने की मयाद दी गई थी और उसे मद्देनजर रखते हुवे मेरा अनुभव है कि दो महीने की मयाद बहुत कम दी गई थी। उस एक्ट में भी इस कारण जागीर कमिश्नर को बराबर मयाद बढानी पड़ी है। इसके अंदर रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए जब कम्पेंन्सेशन क्लेम पेश किया जायगा, तो इसमें कुछ छंटनी करनी पड़ेगी और इसके बाद कम्पेंन्सेशन क्लेम पेश होगा। इस कारण दो महीने बहुत कम हैं, इसे ४ महीने किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। दो महीने काफी समय है। रूलर्स के यहां पर रेकॉर्ड्स रहते हैं और इसलिये उनके लिये मुश्किल नहीं है कि वे दो महीने में अपने क्लेम्स को दाखिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए दो महीने का प्रावधान जो रखा गया है वह ठीक है। अतः मैं चार महीने का प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने क्लॉज १४ में रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाजेज १५ से १७.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १५,१६ और १७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १५, १६ और १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १८, श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज को रिप्लेस किया जाये। वह कहता है कि :

"The compensation payable under this Act shall be given in cash or in bonds or partly in cash and partly in bonds, as may be prescribed."

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : What is your amendment ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा अमेंन्डमेन्ट है कि "18. Form of compensation:—

Page No 132

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

The compensation payable under this Act shall be given in bonds payable after twenty years from the date of issue."

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे राज्य की इस समय वित्तीय स्थिति है और उसको देखते हुए जितने बर्डन्स पहले ही हमने अपने राज्य में अपनी सरकार ने अपनी नीतियों और गलतियों की वजह से लिये हुए हैं जिनकी वजह से इतना भारी गत्यावरोध उत्पन्न हुआ है कि अपनी पंच वर्षीय योजना में सरकार को ड्रास्टीकली कट करना पड़ा, इतने ओवर ड्राफ्ट्स सरकार को करने पड़े और बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को हाथ में लेने से भी सरकार को रुकना पड़ा । तो दूसरी ओर इमरजैन्सी चल रही है और उस इमरजैन्सी में केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के प्रोवीजन बना रही है, जिसमें कम्पलसरी डिपोजिट के तौर पर लोगों से पैसा जमा करने के लिए कहती है और वह केन्द्रीय सरकार तो राजाओं को नहीं बल्कि सारे सामान्य नागरिकों से यहां तक कि किसानों से जो ५) रु० तक लगान देते हों, उनसे भी जिनकी आमदनी १२५) रु० माहवार हो, उनसे भी इस नेशनल इमरजैन्सी को मीट करने के लिए, सरकार को इस तरह के एब्नोर्मल स्टैप्स लेने पड़ रहे हैं ।

मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को भी इससे कुछ सबक सीखना चाहिए । बावजूद वेंकटाचार कमेटी की सिफारिश के, जमींदारी अबोलीशन कमेटी की सिफारिश के कि जागीरदारों को कोई कम्पैन्सेशन की जरूरत नहीं, बिस्वेदारों को कोई कम्पैन्सेशन की जरूरत नहीं, हमने करीब पचास साठ करोड़ का बर्डन अपने सिर पर अपनी स्टेट के एक्सचैकर पर ले डाला । इसका नतीजा यह है कि आपको करीब अपने बजट में तीन करोड़ रुपया कम्पैन्सेशन की किश्तें चुकाने के लिये प्रोवाइड करना पड़ता है जो किश्तें मैच्योर होती जाती हैं । तो आज आवश्यकता तो इस बात की है कि हम इन किश्तों को भी ऐसे बांड्स में टर्न ओवर कर दें कि जिससे पेमेन्ट की जिम्मेदारी हमारे पर फौरन न आकर बीस वर्ष के बाद आवे । शायद बीस वर्ष में अगर इस सरकार ने अपनी नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किये या अगर यह सरकार अपनी इन्हीं नीतियों पर बनी रही, तो लाजिमी तौर से जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी नई आने वाली सरकार इस राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करेगी तो बीस वर्ष में इस हालत में हो सकती है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, व्यवस्था का सवाल है । आप कहते हैं कि यह जो कम्पैन्सेशन रखा है उसको बीस साल बाद दें । यहां पर कानून जो बना रहे हैं उसमें बीस साल बाद की बात आपको लानी है तो जमीन जो आप लें तो उसे जमा कर देना । बाकी कम्पेन्सेशन न दें तो यह बात अनकॉन्स्टीट्यूशनल है······

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is nothing in the point of order, Sir,

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, This is the question of opinion

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरी सुन तो लीजिये पहले ।

यह बीस साल टरकाने की बात अनकॉन्स्टीट्यूशनल है । बीस साल तक टाला कैसे जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order in this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे आश्चर्य हुआ कि राजाओं की वकालत वे व्यक्ति कर रहे हैं जो अपने आपको बहुत बड़े क्रांतिकारी कहते है। वे क्रांतिकारी किसी जमाने में रहे हों, पर आज तो इस सोसाइटी में रहकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक गलत सोसायटी का का क्या असर पड़ा करता है, इसका इस बात से पता लगता है।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : अच्छी फैमिली के लोग कॉम्युनिस्ट पार्टी में कैसे पहुंचे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेमेन्ट पार्टली कैश में हो सकते हैं, पार्टली बांड्स में हो सकते हैं, इस तरह से तो सरकार ने भी प्रोविजन किया है तो यह फिर कैसे कॉन्स्टीट्यूशनल हो गया मैं समझता हूं कि माननीय महोदय कानूनी बातों को कम समझते हैं। कानूनन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमैंन्ट ऐसे बांड्स दे सकती है जो कि आगे फ्यूचर में किसी भी पीरियड के बाद मैच्यौर हों। इसमें किसी तरह की कॉन्स्टीट्यूशनल दिक्कत नहीं है।

मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आज की वित्तीय स्थिति में लैंड रिफोर्म्स हमने किये और जो हमने एक्सपर्टों की राय की अवहेलना की और अपनी स्टेट ऐक्सचेकर पर इतना बड़ा बोझा डाला जिसके परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। जिनकी वजह से आज हमें अपनी प्लानें छोटी करनी पड़ रही है। पहले हमारी प्लान हमने प्रोपोज की थी करीब ३०० करोड़ की उसमें से मंजूर हुई फिर वह छोटी हुई २३६ करोड़ की रह गई, फिर उसमें कट किया गया और आज वह २०८ करोड की रह गयी। इसे ही हम कम्पलीट कर पावेंगे अब करीब १७५ करोड़ पर। हम जब इस तरह की हालत में हों तो मैं समझता हूं, कि सरकार को अपनी इस तमाम पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

वैसे तो एक्सपर्टों की राय है कि इस प्रकार के एक्वीजीशन के लिये किसी प्रकार के कम्पेन्सेशन देने की जरूरत ही नहीं है। शायद है इन एक्सपर्टों की राय के बावजूद भी जागीरदारों को और बिस्वेदारों को कम्पेन्सेशन देने बात इसलिये सरकार ने मान ली हो कि इनको रिहैबिलिटेट करना है, पर राजाओं के लिये यह रिहैबिलिटेट करने का आर्ग्युमेन्ट्स भी वे नहीं दे सकते। क्योंकि पहले ही इस बात का कन्सीडरेशन रख कर इन लोगों को बहुत सी सहूलियतें और प्रिवी-पर्सेज दी गई हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता। आप इन प्रिविपर्सेज और प्राइवेट प्रोपर्टी को एक्वायर करने नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से इनके रिहैबिलिटेशन की बात आप कह सके। तो इसलिये वे यह रिहैबिलिटेशन की दलील इन राजाओं के बारे में नहीं दे सकते। पर फिर भी मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसमें यह नहीं कहा कि आप कम्पेन्सेशन न दें। मैं तो केवल उसको पोस्टपोन करने की बात कहता हूं। डैफर्ड पेमेन्ट आप दें, यह कह रहा हूं, डेफर्ड कम्पेन्सेशन दें, यह कह रहा हूं। हम बीस सालों में देश की किस प्रकार की इकोनोमिक हालत होगी किस प्रकार की सोशियल कन्डीशन होगी, उसके मुताबिक उस वक्त की सरकार अपने आप निर्णय कर लेगी, लेकिन अगर सरकार को इतना चोली दामन का साथ राजाओं से निभाना है और जावे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुए इस दूकान को जितना लुटा देना है उतना लुटा देना है उसे बचाये रखने की वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कौन आवेगा आगे वह इनको कुछ देगा या नहीं देगा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं अगर यह इस सरकार को पता लग गया है कि तुम्हारी तो उखड चुकी। अब तीन बाई इलेक्शन में हारने से इस सरकार के इतने पैर उखड चुके हैं कि इन राजाओं और जागीरदारों के पैर पकड़ने की जरूरत पड़ गई हो और वह इसके लिये तैयार हो गई हो कि करोड़ों जनता के साथ जो वादे उसने किये है उनको मिट्टी में मिलाने को तैयार हो गई है, इस सदन के प्रांगण में जो सोलम प्रोमिजेज पर एस्योरेन्स पर से बैंक जाने को तैयार हों, इस तरह की बेशर्मी इस सरकार ने धारण कर ली हो तो फिर बात अलग है। वर्ना मैं समझता हूं कि राजस्थान के दो करोड़ जनता के हितों को मद्दे नजर रखा जावे। राजस्थान के डेवलपमेन्ट को मद्दे नजर रखा जावे, इस इमर्जेन्सी के अन्दर वित्तीय स्थिति को मद्दे नजर रख जावे तो कम से कम आज यह आवश्यक है कि आप कोई नया बर्डन स्टेट के एक्सचेकर पर इस समय न डालें। इसको कान्स्टीटयूशनली डेफर कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेन्ट दे सकते हैं और इसलिये मैंने यह अमेन्डमेंट आपके सामने रखा है। ऐसे बोण्ड्स आप इनको दीजिये जिनका बीस वर्षों में पेमेन्ट किया जा सके। और २० वर्ष के बाद जिस तरह की हमारी सरकार होगी, जिस तरह की हमारी हालत होगी जिस तरह की जनता की कॉन्शस होगी उसके मुताबिक उसका पेमेन्ट हो जायगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपने कॉन्शस से दूर हो जायेंगे। आपने भी जो वायदे लिखित में या बिना लिखित में दिये है वे भी पूरे हो जायेंगे और स्टेट का एक्सचेकर जोकि आपके गलत कारनामों से दब रहा है उससे भी बच जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है कि कम्पेन्सेशन का पेमेन्ट सोलली बांड्स में किया जावे। हमारे विधेयक में रखा गया है कि मुआवजा कैश या बांड्स में दिया जाये या पार्टली कैश या पार्टली बांड्स में दिया जाय। इसके बजाय आप चाहते हैं कि सोलली इन बांड्स में दिया जाये और बांड्स पेएबिल हों आफ्टर २० ईयर्स। अब इस प्रस्ताव में और हमने जो अब तक धाराएं पारित की हैं उसमें क्या फर्क है यह मैं बताना चाहता हूं। वह अगर माननीय सदस्य समझ लें तो मालूम हो जायेगा कि फाइनैन्शियली गवर्नमैन्ट को कोई घाटा नहीं है। क्लॉज १७ हमने पारित की है उसमें हमने बताया है :

"17. *Payment of compensation.*—(1) After the amount of compensation payable to a landowner under section 12 is finally determined under sub-section (2) of section 15 and the amount specified in clause(*b*) of sub-section (1) of that section as finally determined is deducted therefrom, the balance shall be divided into thirty equal annual instalments."

तो हम जो इनको मुआवजा देंगे—आप बीस साल की बात कर रहे हैं हमतो तीस साल के अन्दर मुआवजा देने का क्लॉज १७ में पास कर चुके हैं तो इस प्रकार १० साल आगे तक इनको मुआवजा दिये जाने का सिलसिला जारी रहेगा। अब आप कहते हैं कि २० साल के बाद एक साथ दे दो, इनको

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ग्रौर हम कहते हैं कि ग्राज से ही इनको सालाना किश्त में दे रहे हैं। ग्रगर २० साल तक कुछ नहीं देंगे ग्रौर २० साल के बाद देंगे तो सारे ग्रमाउण्ट का २० साल का ब्याज देना पड़ेगा। जिसको हम पहले पारित कर चुके हैं ग्रौर ग्रगर हम एनुग्रली इन्स्टालमैन्ट देते जायेंगे, तो जितना देते जायेंगे उतने का ब्याज कम होता जायगा इस प्रकार ब्याज में कमी होती जायेगी ग्रौर हमारे पेमेन्ट का जरिया २० साल के बाद भी जारी रहेगा। हम टोटल ग्रमाउण्ट को ३० सालों में देंगे। तो इस प्रकार इसके इन्स्टालमैन्ट की दृष्टि से फाइनैन्शियली ऐसा खास फर्क नहीं होता है। माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि करोडों रुपय हमको कम्पैन्सेशन में देने पड़ेंगे। दरग्रसल यह दिखता बहुत ज्यादा है लेकिन ग्रगर इसकी सही परिस्थिति को जाना जाये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राखिर जमीन है ही कितनी इनके पास जो हमको मिलने वाली है। मैंने हिसाब लगाया तो ५ लाख बीघा कुल जमीन है। ग्रब कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, उसका कितना कम्पैन्सेशन बनेगा वह नैट इन्कम के हिसाब से तो यह सारी बातें सोचने की हैं तो ग्रापके दिमाग में यदि करोड़ों रुपये के कम्पैन्सेशन की बात है तो इसको निकाल दीजिये ग्रौर जो ग्राप यह सोचते हैं कि २० वर्ष के बाद ही दिया जाये तो यह ठीक नहीं है··

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): ग्रापका क्या एस्टीमेट है फाइनैन्शियल ग्रास्पैक्ट के बारे में?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मैंने जवाब दे दिया कि जो जमीन उनके पास से मिलने वाली है वह करीब ५ लाख बीघा है। ग्रब उसका लैंड रेवेन्यू ग्रसेस होगा उससे खर्चा काटकर नैट इन्कम का सात टाइम्स मिलेगा, उससे कितना बन सकता है। वह करोड़ों तक नहीं जा सकता, this is what I mean to say. ग्रब हम उसको ३० किश्तों में देंगे। इसलिए हर साल कम देना पड़ेगा। फिर हमने यह क्लॉज भी रखा है कि जो उनके ऊपर बकायात हैं उसको हम देने से पहले काट देंगे।····

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: वह तो ग्राप पहले ही राइट-ग्रॉफ कर रहे हैं।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: बकायात को काटने के बाद जो रकम बचेगी उसको ३० इन्स्टालमैन्ट्स में देंगे। इसलिये फाइनैन्शियली हमारे ऊपर कोई खास ग्रसर नहीं पड़ता है। इसलिये जो क्लॉज रखा गया है उसको मैं उचित समझता हूं ग्रौर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: उपाध्यक्ष महोदय, I have got a right of reply.

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: उपाध्यक्ष महोदय, एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने क्लॉज १७ पारित कर दिया from the date of vesting pay करने का। ग्रब २० साल तक पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ती है? हम ३० ईयर्स के इंस्टालमैन्ट्स में पे करेंगे। तो पोस्टपोन करने की जरूरत भी नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: माननीय उपमंत्री महोदय ने जो कम्पैन्सेशन के बारे में कहा उसको थोड़ा क्लियर कराना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि हमें लोस नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि·····

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मैंने कहा कि खास लोस नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर हम २।। परसैन्ट के उपर भी ब्याज दें तो उससे अधिक ब्याज पर आप अभी भी लोन ले रहे हैं। अगर आपका यह पेमेंट २० वर्ष तक पोस्टपोन रहे तो जितना अमाउन्ट आप कम्पन्सेशन में देते हैं वह एक लोन के रूप में २।। परसेन्ट के हिसाब से रहता है जब कि आप ४ परसेन्ट पर लोन ले रहे हैं। फिर क्या यह आप के लिए नुकसानदेह नहीं है फिर इस के बाद आप ३० इन्सटालमेंट की बात कह रहे हैं कि आप पेमेन्ट फौरन ही शुरू कर देंगे तो स्टेट एक्सचेकर पर जब कि हम बहुत ही डिफिक्लटी में है इस तरह से तो आप स्टेट एक्सचेकर पर और भी ज्यादा बर्डन डालेंगे। यदि हम २० वर्ष तक सही तरीके से चलें तो सेल्फ जनरेटिंग इकोनोमी हम क्रियेट कर लगे और २० वर्षों में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायेगी कि हम उसका पेमेन्ट करने में सक्षम होंगे। इसलिए जहां तक फाइनेन्सल आस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय के आरग्यूमेन्ट्स कुछ नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १८ विधेयक अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १९

(संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत किये गये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर)

Substitute the words "to his Successors according to the personal law applicable to him" for the words "to the person who is recognised by the President as the Successor of such Land owner in relation to the Indian State of which he was Ruler".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १९ में Payment of compensation on the death of landowner का प्रोवीजन है। किसी लैंड ओनर का, रूलर का इन्तकाल हो जाये तो उसके बाद कम्पैन्सेशन किसको दिया जाये किस कानून के तहत दिया जाये तो जो मौजूदा कानून है उसके अन्दर वही पुरानी सामन्तवादी प्रथा the law of primogeniture. उसको कायम रखा है। मैं यह चाहता हूं कि राजाओं को ऊंचे से निकाल कर आम जनता में लाया जाये उनको दूसरों के लेवल पर लाया जाये। सामान्य जनता पर जो कानून लागू होते हैं वह उनके ऊपर भी लागू किये जायें। उनके अपने कुटुम्ब में जो उनके छोटे लड़कों के साथ अन्याय होता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें हमको डेमोक्रेसी को इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए और जिस तरीके से इनइक्वल ट्रीटमेन्ट इस सामन्ती प्रथा में हो रहा है और बडे बडे लड़के को जो सारा अधिकार मिल जाता है और दूसरे उसकी मुंह की तरफ देखते रहें इसको खत्म किया जाना चाहिये। जिस तरह सामान्य लोगों पर हिन्दू लॉ लागू होतो है। या कोई मुस्लिम रूलर हो तो मुस्लिम रूल्स हो तो उसके ऊपर मुस्लिम रूल लागू हो जावें और हिन्दू रूलर होता उसके ऊपर हिन्दू लॉ लागू हो जायें तो इस तरह से कम्पैन्सेशन का यह होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि रूलर्स के इन्तकाल के बाद जो कम्पैन्सेशन हो वह पर्सनल लॉ जो उसके उपर लागू हो उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो तरमीम रखी गयी है वह दीखने में तो बहुत ही सिम्पल दीखती है लेकिन इसको स्वीकार कर लिया जाय तो वह कॉन्स्टीट्यूशन में दी हुई धाराओं के खिलाफ पड़ती है। कॉन्स्टीट्यूशन में यह है कि यह मुआवजा रूलर्स को दे रहे हैं और रूलर्स के हिसाब से उसकी प्रोपर्टी थी जिसको इस विधेयक के जरिये एक्वायर कर रहे हैं। अब मुआवजा लेने का अधिकारी रूलर है और अगर वह मर जाय तो उसका वारिस कौन होगा उसके लिये कॉन्स्टीट्यूशन में यह बताया है "Ruler is a person who is recognised as such by the President" रूलर के लिए सक्सेसर जिसको प्रेसीडेन्ट मान ले वही रूलर के बाद कम्पेन्सेशन प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक उसका बड़ा लड़का ही उस कम्पेन्सेशन का भी वारिस हो सकता है इसलिए कॉन्सटीट्यूशन के प्रोविजन के विरुद्ध इस पर्सनल लॉ वाली बात को इसमें नहीं डाल सकते। इसलिए मैं माननीय सदस्य के सुझाव और उनके इस अमेन्डमेन्ट से असहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज १९ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २० से ३२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० से ३२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २० से लगाकर ३२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(६ म. प.)

शिड्यूल श्री रामानन्द अग्रवाल

[संशोधन इस प्रकार है :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

Item No. (2)

(*i*) delete sub-item (b), (c), (d), (e) and (f).

(*ii*) In the proviso to this item, replace the word 'heads' by the words 'head', and add the following at the end:—

"if such fixed sum is not more than the assessed income from land revenue and rents".

Item (4)—delete the proviso to this item.

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल):

In item 5 replace the words 'seven times' by the word 'ten times.

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत):

(*i*) Delete parts (e) and (f) of item 2 of the Schedule.

(श्रीमानिकचन्द सुराणा)

(*ii*) Replace the words "seven times" by the words "equivalent to" in item 5 of the Schedule.

श्री जुझारसिंह (चेचट) :

In part (2) after part (f), insert the following new part namely

"(*g*) income from any other prescribed source calculated in the prescribe manner."]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिडल में जो शिडूल का आइटम नं० २ है जिसमें, ग्रॉस इन्कम में, किस किस आइटम को जोड़ा जाय, उसमें मैंने अमेंडमेंट सजेस्ट किये हैं ।

जो मौजूदा क्लॉज है उसके तहत रूलस की जो लैण्ड एक्वायर होगी न केवल उसका उस जमीन की जो लैण्ड रेवेन्यू है या रेन्ट मिलेगा वही आमदनी मानी गई बल्कि तमाम जंगलात से जो उसकी आमदनी है वह भी उसमें जोड़ी जायगी। जो ग्रेजिंग या चराई वगैरह वसूल करते हैं वह भी जोड़ी जायगी। खानों से जो वसूल होती है चीज वह भी जोड़ी जायगी और जमीन के इस्तेमाल से और कुछ फीस वगैरह लेते हैं वह भी उसमें जोड़ने का प्रावधान है, और इसी तरीके से एग्रीकलचरल लैण्ड को आबादी लैण्ड बना दें। उसको बेचदे और बेचने से जो पैसा वसूल हुआ वह भी उसकी आमदनी मानी जायगी। यह इसके प्रोवीजन में लिखा गया है। और मैं समझता हूं कि ये प्रोवीजन्स जागीरदारी रिज़म्पशन एक्ट से उठाकर यहां रखे गये हैं। मेरा यह अमेंडमेंट है कि इसमें जो पहले इन्कम है "(*a*) income from land revenue and rents from occupied lands" इसके अलावा जितनी भी ये धाराएं हैं (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) इन तमाम को इससे निकाल दिया जाना चाहिए, यानी कम्पेन्सेशन जो भी जमीन ली जाती है उससे जो लैण्ड रेवेन्यू या रेन्ट्स की जो वसूली होती थी उसको आधार मानकर और उसके आधार के ऊपर ग्रॉस इन्कम गिनी जानी चाहिए मेरी इसके लिए यह दलील है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जागीरदारों वाली बात अव्वल तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि वह भी जस्टीफाइड आधार नहीं था लेकिन राजाओं का केस जागीरदारों से बिल्कुल डिफरेन्ट है, बिल्कुल डिस्टिन्ग्वीशेबल है और इसलिए राजाओं को इस प्रकार की यह अगर आमदनी इसके अन्दर जोड़ दे तो यह कम्पेन्सेशन स्वल swell होकर बहुत बड़ी तादाद के अन्दर चला जायगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब जागीर रिज़म्पशन एक्ट शुरू में पास किया गया तो इसमें से कई धाराएं उसके अन्दर मौजूद नहीं थी, मसलन जमीन बेचने की आमदनी। जमीन बेचने की आमदनी शुरू से जब सन् ५२ के अन्दर जागीर रिजम्पशन एक्ट पास किया गया तो जमीनों को बेचने की आमदनी उस ग्रॉस इन्कम में नहीं गिनी गई थी। यह तो जागीरदारों का प्रेशर, जागीरदारों का दबाव, कांग्रेस को उनकी जरूरत, इलेक्शन में उनका साथ, कुछ लोगों को कांग्रेस में मिलाना। उनके ऊपर टोपी रखना, उनके जरिये इलेक्शन को जीतना, यह कुछ जरूरियात थीं जिनकी वजह से यह एमेंडमेंट लाया गया और इसके अन्दर जोड़ा गया। इसके कारण से कई राजा तो कांग्रेस के अन्दर आ गये। अब क्या नये तरीके से इस प्रकार से इस प्रावधान को रखकर कुछ राजाओं पर जो टोपी रखने की बात है, उनको सक्रिय सदस्य बनाने की बात है वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात अलग है, वर्ना अगर सोशयल जस्टिस की वजह हो अगर इकोनोमीकली उन लोगों को जमाने की वजह हो, अगर उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की वजह हो।

मैं नहीं चाहता कि राजा लोग दर-दर भूखों मरें, मैं नहीं चाहता कि उनको रिहेबिलिटेट न किया जाय, मैं नहीं चाहता कि वे छोटे-छोटे धन्धों में न लगें, अच्छे अच्छे पदों पर न जाये लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक सड़क की बात आप से कहे एक अस्पताल की बात आप से कहें तो आप कह देते हैं कि अभी वित्तीय स्थिति इसको अलाऊ नहीं करती है, हमारे जितने वित्तीय साधन हैं आपने सबेरे ही बात कही कि ४ बेड्स से ज्यादा हम देवगढ अस्पताल में नहीं बढ़ा सकते हैं। ८ बा. ८ के कमरे में दो मरीजों को रखेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। इसी दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजाओं के मुआवजे का सवाल हो उस वक्त भी अपने वित्तीय साधनों को मत भूलो और खास तौर से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने आपको एसर्ट करें। आप अजमेर के रहने वाले हैं। राजाओं का दबाव भी आप पर नहीं था, इतनी चाकरी भी नहीं करनी पड़ी होगी, और लोगों को तो और कुछ बातें होंगीं, पुराने वायदे निभाने होंगे। वित्त मंत्रीजी को अपने आपको एसर्ट करना चाहिए इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह तमाम आमदनी जो इस कम्पेन्सेशन को कम्प्यूट करने के लिए जोड़ी जा रही है यह बिल्कुल अनुचित है। इससे करोड़ों रुपयों का कम्पेन्सेशन बन जायगा। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं बनेगा। उन्होंने कोई डैफिनेट एमाउन्ट तकरीबन इस तरह का नहीं दिया इससे कहना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इसके फाइनेन्शियल आस्पेक्ट पर विचार नहीं किया है कि इनको कम्पेन्सेशन देने का कितना असर पड़ेगा स्टेट एक्सचेकर पर माननीय मंत्री महोदय शायद बतलायेंगे कि उनका एस्टीमेट कितना है और कितना कम्पेन्सेशन तमाम को कम्प्यूट करके हो जायगा। करोड़ों रुपया उसका अनुमान लगा कर चलते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आमदनी जो फोरेस्ट की या ग्रेजिंग वगैहरा की है या क्वेरीज़ की है या जमीन को वेचने की है यह तो एक जागीरदार के लिए रियायत थी यह खयाल करके कि लैण्ड रेवन्यू रेन्ट की बिना पर दिया तो शायद थोड़ी होगी। इनके पास आमदनी और नहीं होगी और शोर शराबा खड़ा कर दें। शोर शराबे का डर लगता है हमारी अहिंसक सरकार को। माना कि जागीरदारों की तादाद कुछ हजारों की थी लेकिन यह तो कुल २०-२२ राजा हैं यह कौनसा प्रश्न खड़ा कर देंगे फिर उसमें से ५० प्रतिशत को आप लोगो ने अपने साथ ले रखे है? और कुछ आने की तैयारी कर रहे हैं और जो आपने रवैया दिखाया शायद इस अर्से में कुछ लोग सोच रहे हैं, शायद महा-रावल साहब सोच रहे हैं कि स्वतन्त्र पार्टी में रहने से क्या फायदा। आज कांग्रेस वाले उनकी बात सुनने को तैयार हैं। उनकी एक जरा सी गिड़गिड़ाहट पर फौरन लैंड रेवेन्यू सन् ५० से हटाकर १९६२ कर दी और करोड़ों रुपया छोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि कितना हृदय परिवर्तन होगा और सोच रहे हैं कि मिनिस्टर बनने का चान्स है। कामराज प्लान भी आने वाला है कहीं न कहीं अटकते हुए पड़ते हुए हो जायगा कई बातें हो जायेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
भी (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) हैं इनको निकाल देना चाहिए और केवल एक ही को इन्क्लूड करें कि लैण्ड रेवेन्यू या रेन्ट्स के आधार पर गिनी जा कर उसका कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए।

श्री गंगासिंह राठौड (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल के आइटम नं० ५ में मेरा यह अमेंडमेंट है कि जो कम्पेन्सेशन ७ टाइम्स है वह १० टाइम्स कर दिया जाय। इसका आधार तो मंत्री महोदय ने बतलाया है कि वह राजस्थान जागीर रिज़म्पशन एक्ट में बतलाया गया है और उसके अन्दर कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट है वह ४-४ ५-५ लाख बड़े-बड़े जागीरदारों को १० टाइम्स हैं। उनके आधार पर १० गुना मुआवजे का वहां पर दिया था और उसी आधार पर यह बिल लाया जा रहा है, तो उस आधार पर ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : They should be taken item-wise. First the amendment in item No. 2 should be considered then ....

श्री उपाध्यक्ष: The amendments are being taken according to their serial number.

श्री रामानन्द अग्रवाल : They should be taken according to the serial number of the items of the schedule.

श्री उपाध्यक्ष : In the serial number of amendment he is on the 18th number.

श्री रामानन्द अग्रवाल : But his amendments are in item 5 of the Schedule.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Schedule is long. It can be taken itemwise.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): That is what we say.

श्री उपाध्यक्ष: Order Order !!

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय मैं शिड्यूल की क्लॉज (२) के पार्ट (ई) और (एफ) को डिलीट करने के लिए संशोधन पेश कर रहा हूं। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि ये दो संशोधन इस बात से सम्बन्धित हैं कि राजाओं ने जो अपनी जमीनें नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए और उनको आबादी जमीनों में कन्वर्ट करने के लिए और जहां पर उन्होंने मार्केट्स बना लिये और फिशेरीज के राइट्स जिनमें बेच दिये उनमें जो भी आमदनी उनको हुई वह आमदनी ग्रोस इन्कम में शुमार नहीं की जाय यह मेरा संशोधन है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जितनी ऐसी इन्कम केल्कुलेट करने का फोर्मुला सरकार ने हमारे सामने रखा है उसमें सबसे ज्यादा हैवी बर्डन स्टेट एक्सचेकर पर पड़ेगा। वह सब क्लॉज (ई) और (एफ) में पड़ेगा । (ई) एंड (एफ) के अन्दर जो सहूलियतें राजा महाराजाओं को दी हैं वे (ए) (बी) (सी) व (डी) के अंतर्गत जितनी सहूलियतें राजा महाराजाओं को दी जायेंगी उनसे अधिक इन में होगा। इससे कम से कम २० गुणा मुआवजा (ई) एंड (एफ) के अंतर्गत बनेगा। मैं नहीं समझता कि राजस्व मंत्रीजी ने किस प्रकार इसको स्वीकार किया है। किस प्रकार एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लेंड में देनें से जो इन्कम होगी उसको ग्रोस इन्कम में शामिल नहीं करते हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहूंगा लेंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ७० ए और ९१ की तरफ । उनमें इस बात की पाबन्दी लगाई थी की राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई एग्रीकल्चरल लेंड आबादी लेंड में कनवर्ट नहीं की जायगी और जो ऐसा करेगा उसको पनिशमेन्ट मिलेगा । यह एक्ट सन् ५६ में लागू हुआ और राजाओं की जमीन सन् ६३ में वेस्ट होती हैं। फोरमुला यह है कि जिस ईयर में जमीन वेस्ट हो, पिछले तीन साल में जो रकम एग्रीकल्चरल लेंड को आबाद लेंड में परिवर्तित करने में मिली हैं वह अकाउन्ट्स में शामिल होगी। यदि उन्होंने जमीन बेचदी है तो गैर कानूनी तरीके से बेची हैं। राजस्व मंत्रीजी की हिम्मत यह नहीं है कि आबादी में कनवर्ट की गई लेंड को केंन्सिल करें और उनका रुपया राजाओं से वसूल करें। बल्कि उनका लीगेलाइज करना चाहते हैं कानून के द्वारा ।

मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में करोडों रुपयों की गैर कानूनी सेल एग्रीकल्चरल लेंड को नान-एग्रीकल्चरल लेंड में परिवर्तित करने के फलस्वरूप हुई है । वे रुपये राज्य सरकार के पास आ सकते थे बहुत बडे बडे जागीरदारों, सेठों और राजाओं के ऑफर्स में चले गये हैं। कानून का स्ट्रिक्टली लेटर ऑफ लॉ में पालन कराना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को आप मानते हैं तो सन् ५६ के बाद कानून लाने के बाद हमारे राज्य में कोई एग्रीकल्चरल जमीन नॉन-एग्रीकल्चरल लेंड में परिवर्तित नहीं हो सकती । लेकिन आप जिस प्रकार की छूट राजाओं को देना चाहते हैं उसका कोई रेशनल आधार नहीं है। कानून में इसका प्रावधान नहीं था। जो गैर कानूनी हरकतें थीं राजाओं की उसको आप कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सब-क्लॉज (ई) और (एफ) को निकाल दिया जाय। मेरा दावा है कि सब-क्लॉज (ए) से (डी) तक में जितना कम्पेन्सेशन बनता है उसका सिर्फ २० गुणा कम्पेन्सेशन (ई) और (एफ) में बनेगा। यदि आप राज्य का भला चाहते हैं तो इन उप-धाराओं को डिलीट करने का संशोधन मंजूर करना चाहिये ? राजस्व मंत्रीजी ने मेरा हवाला देते हुए कहा था कि मैंने सुझाव दिया था कि सन् ५० के बजाय जो लेंड रेवेन्यू राजाओं की जमीन पर एसेस की जाय वह सन् ६३ से की जाय। वह बात किस कांटेक्स में कही गई थी ? वह कांटेक्स दूसरा था । यदि राजस्व मंत्रीजी मानने लगें तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको भी स्वीकार करें। मैंने यह बात कही थी कि टेक्सेज का रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार में कहता हूं कि लेंड रेवेन्यू एक्ट में प्रावधान किया है उसके अनुसार एग्रीकल्चरल लेंड नॉन-एग्रीकल्चरल यूज में बिना राज्य की स्वीकृति के कनवर्ट नहीं हो सकती तो इस एक्ट में यह जो प्रोविजन रखा है वह लेंड रेवेन्यू एक्ट के खिलाफ है। यदि आप इस स्टेण्ड से कमिटेड हैं तो गलती करेंगे। राजाओं ने तीन साल में जमीन बेची है उसको लीगेलाइज करके ग्रोस इन्कम में शामिल करके सात गुणा मुआवजा देना चाहते हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पार्ट (ई) और (एफ) को डिलीट किया जाय।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट शिड्यूल के पार्ट (२) में है। इसमें ग्रास इन्कम केलकुलेट करके ने लिये प्रावधान किया है, उनमें एक क्लॉज और इन्सर्ट करने का है वह इस प्रकार है:– "(I) income from any other prescribed sources calculated in the prescribed manner"

Page No 142

(श्री जुझारसिंह)

यह एक सेविंग क्लॉज है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चोर दरवाजा है ।

श्री जुझारसिंह : इसमें इसको और इन्वल्यड किया जाना चाहिये ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि मंत्रीजी से यह जानकारी हुई थी कि मूलभूत क्लॉजेज हैं उनका आधार जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट माना गया था । जबकि रिजम्पशन ऑफ जागीरदारी एक्ट में जो कम्पन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी गई है वह ज्यादा से ज्यादा टैन टाइम्स तक दी गई है । उसमें भी बड़े-बड़े जागीरदार जिनकी आमदनी लाखों रुपये थी उनको भी रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी गई है तो इसके अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि राजाओं को रिहेबिलिटेशन ग्रांट की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंन्ट सिद्धांत मानती है कि कम से कम १० गुणा किया गया मुआवजा ज्यादा करने के लिये रिहेबिलिटेशन की क्लॉज जोड़ी गई । इसलिये मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि सेवन टाइम्स मुआवजे को टैन टाइम्स किया जाय । और इसके अतिरिक्त रिजम्पशन एक्ट में दूसरी जो सहूलियतें दी गई हैं उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए में प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो अमेन्डमेन्ट टैन टाइम्स करने का है उसे स्वीकार किया जाय ।

महारावलश्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): मैं दो शब्द इस संबंध में कहना चाहूंगा । इस संबंध में चारों तरफ से इस बात की आवाज उठाई हुई है कि राजाओं को बहुत दिया गया है । सरकार की जो इच्छा हो कम्पन्सेशन निर्धारित करके राजाओं को दे । किन्तु जागीरदारों को दस गुणा कम्पेन्सेशन मिलता है । प्रिवि पर्स की शक्ल में अब तक राजाओं का रियासतों की एक साल की आमदनी भी नहीं मिली है । शायद सरकार को यह मालूम नहीं हो तो सरकार को चाहिये कि इस बारे में भी ध्यान दे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्षजी, शिड्यूल के सिलसिले में कम्पेन्सेशन किस तरह कैलकुलेट किया जाय, तीन तरह के प्रस्ताव हैं रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य का प्रस्ताव फोरमल है सेविंग क्लॉज है इसलिये उसे मानने में आपत्ति नहीं है । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सब-क्लॉज (२) में पार्ट (ए) के अलावा (बी),(सी), (डी), (ई) और एफ इन्क्लयूडिंग प्रोविजो सब को डिलीट करने की तरमीम प्रस्तुत की । मैं उससे सहमत नहीं हूं । जिस लेंड का हम मुआवजा देने जा रहे है वह केवल एग्रीकल्चरल लेंड ही नहीं है जो एक्वायर कर रहे हैं । हम उनकी प्रोपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स और दूसरी तरह की प्रोपर्टी एक्वायर कर रहे हैं सिवाय उस प्रोपर्टी के जो पहले बता दी गई है । बिल्डिंग, पेलेसेज फोर्टस हैं उनको छोडकर सारी की सारी प्रोपर्टी एक्वायर कर रहे हैं इसलिये आपने लिखा कि सब को डिलीट कर दें, यह संभव नहीं है । विदाउट कम्पेन्सेशन नहीं ले सकते । यदि लेंने का प्रयत्न करें तो कॉन्स्टीट्यूशन को हिट करता है · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिसको एक्वायर नहीं करते हैं, बेच दी है, उसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेट ऑफ वैस्टिंग के रोज जो वैस्ट हो उस पर कम्पेन्सेशन मिलेगा । १६ जनवरी, १९५० की उस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इन्वेंन्ट्री में क्या लिखा हुआ है उस पर कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। डेट ऑफ वैस्टिंग को जो प्रोपर्टी वैस्ट है उस पर कम्पेन्सेशन देंगे। इससे खुदकाश्त वाली रह जायगी, बाकी गवर्नमेन्ट में आ जायगी। डेट ऑफ वैस्टिंग को जो प्रोपर्टी थी जो अब स्टेट गवर्नमेन्ट में वैस्ट होती है उस प्रोपर्टी पर उस प्रोपर्टी की इन्कम को केलकुलेट करके कम्पेन्सेशन दे दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (एफ) से क्या मतलब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बताता हूं। आप मुझे पूरा कहने दीजिए।

इस प्रकार केवल (ए) को रख देने से काम नहीं चलता कि जिन जिन प्रोपर्टीज को एक्वयर करने का प्रश्न है उसको रूलर से एक्वायर करना पड़ेगा।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि (एफ) डिलीट कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने ६० (ए) के बारे में रेफरेन्स दिया। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने स्वयं ने कहा कि १९५१ में जो लैंड रेवन्यू एक्ट में अमैन्डमैन्ट लागू हुआ—मैं डेट ऑफ वैस्टिंग से नहीं कहता, ट्वन्टी ईयर्स एवरेज से कहता हूं कि जो इन्कम थी एडमिसिबिल अकार्डिंग टू लॉ, वह अगर कम रहेगी तो उसके आधार पर हम नहीं करेंगे और जागीरदार के लिए जितने मुआवजे की बात है मुआवजे के बारे में उसमें ये के ये हैड्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं। इनके होते हुए भी जब कम्पेन्सेशन असेस करने की बात आती है तब वे सब बातें देखी जाती हैं कि कौन कौन सी इन्कम एडमीसिबल है। इसका मतलब यह है कि उस ट्रांजैक्शन को करने का अधिकार था या नहीं ? अगर था तो वह इन्कम एडमीसिबल है। अगर वह है तो २० ईयर्स की इन्कम का एवरेज इसमें निकाल लिया जायगा। इसलिये ६० (ए) वाली बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह उन्हें दिमाग से निकाल देनी चाहिये क्योंकि असेसमैन्ट एडमीसिबिलिटी ट्रांजैक्शन और इन्कम के आधार पर किया जायगा। जागीर रिजम्पशन एक्ट के जितने केसेज आये हैं माननीय सदस्य को याद है कि पचासों केसेज आ हैं और पचासों केसेज रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट से फैसल हो चुके हैं कि एडमीसिबिल इन्कम से कम्पेन्सेशन कैलकुलट किया जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात यह है कि हमने जागीर रिजम्पशन एक्ट बनाया उसमें जो प्रोविजन्स रखे हैं वे ही इसमें रखे हैं। हमने यह उचित नहीं समझा कि हम इस प्रकार का खतरा मोल लें और इस तरह के प्रोविजन रखें जिससे डिस्प्यूट हो और इम्प्लीमेन्टेशन बन्द हो जाय या पोस्टपोन हो जाय काफी अर्से के लिये इसलिये सोच विचार कर रखा है। वैसे कानून अच्छे अच्छे मिल सकते हैं लेकिन कानून की द्रष्टि से यह काफी सोच विचार करके प्रावधान रखा है और राज्य सरकार में विश्वास करने का प्रश्न है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और सदन को इसकेलिये विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही स्वतंत्र पार्टी के जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ७ के बजाय १० कर दिया जाय। १० के साथ उन्होंने रिहैबिलिटेशन वाली दलील दी है....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ७ के बजाय १० का सुझाव है। यह किस क्लॉज पर बोल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने उठाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस क्लॉज पर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें ७ टाइम्स हैं · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज २ पर बहस चल रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारा एक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज ५ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अमेन्डमैन्ट मूव कर दिये हैं उनका जवाब मैं दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : But how a partial reply can be given ? There is an amendment in part 5 of the Schedule which I have yet to move.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि सारा शिड्यूल मूव कर दिया गया है और जिन जिन माननीय सदस्यों ने अमेन्डमैन्ट · · · · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर माननीय उप-मंत्री · · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने ४ में मूव नहीं किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपके उसका जवाब दूंगा। एक अमेन्डमैन्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्लॉज ५ के अमेन्डमैन्ट का जवाब दे रहे हैं। उस पर मेरा अमेन्डमैन्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसका मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: जवाब की जरूरत नहीं है।

First I have to profound my amendments thereafter you may reply.

श्री रामानन्द अग्रवाल: ४ में मैंने मूव नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय आप हुक्म फर्मा दें · · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जवाब इसलिये देने खडा हुआ कि उन्होंने अमेन्डमैन्ट मूव कर दिया। अमेन्डमैन्ट मूव कर दिया तो जवाब देना लाजिमी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा क्लॉज ५ पर

श्री उपाध्यक्ष : It is treated as moved.

श्री मानिकचन्द सुराणा : बाकी के अमेन्डमैन्ट रह गए हैं वे मूव कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा अमेन्डमैन्ट · ·

श्री उपाध्यक्ष: That is treated as moved

श्री रामानन्द अग्रवाल : But unless we move we want be able to speak.

श्री मानिकचन्द सुराणा : We want to speak.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय · · · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : What exactly is the position with regard to part 2 ?

श्री मानिकचंद सुराणा : पहले क्लाज २ का जवाब दे दें और फिर ४ ले लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: What is the position, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Take only clause 2.

The whole schedule will be taken.

श्री रामानन्द अग्रवाल: How can it be?

श्री उपाध्यक्ष : The schedule has been moved as a whole. In the schedule there are certain amendment by Shri Karol, Shri Jhujhar Singh, Shri Manak Chand Surana. All these amendments have been moved.

श्री मानिकचन्द सुराणा: I have not yet moved my amendment in part 5 ?

क्लॉज ५ पर मेरा अमेन्डमेन्ट है, मैंने मूव नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ५ शिड्यूल का ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: जी हां । शिड्यूल के क्लॉज ५ पर मेरे नाम पर अमेन्डमेन्ट स्टैण्ड करता है, वह मूव नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष: सारा शिड्यूल मूव किया है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम बोला गया था । आपके नाम पर २४ नम्बर का अमेंडमेंट है वह मूव हो चुका है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्लॉज २ का मूव किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे कर देने चाहिये । शिड्यूल क्लॉज बाई क्लाज नहीं चलता है; वह कम्प्लीट चलता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): There is no ruling that the schedule should be taken as a whole.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: That is the rule.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : The schedule is taken as a whole.

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा यह परिपाटी रही है कि बिल के अन्दर शिड्यूल मूव होता है वह एक साथ मूव हो जाता है और उसके अन्दर जितने आइटम्स होते हैं, उनमें जितने अमेंडमेंट्स माननीय सदस्यों के होते हैं वे एक साथ मूव होते हैं । उन पर सब बोलते हैं । उसी तरीके से यह काम किया गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह आदेश दिया था कि पहले क्लॉज २ पर बोला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने यह आदेश नहीं दिया । केवल यह ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि क्लॉज २ और क्लॉज ५–इन दो पर हम बोलेंगे । बात यह है कि क्लॉज ५ में भी अमेंडमेंट था तो उस समय ले लेना चाहिये था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: I want to say something, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Now it is out of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्होंने ७ के बजाय १० देने को कहा, हम ७ के बजाय एक देना पसन्द करें या ज्यादा देना पसन्द करें ।

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उसके सम्बन्ध में···

श्री **मुरलीधर व्यास**: माननीय उपाध्यक्ष....

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह**: If I may, submit, Sir, the procedure generally is that if the schedule is a bulky one it is taken clausewise.

श्री मुरलीधर व्यास: माननीय उपाध्यक्ष.......

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह**: For the convenience of the Members. If it is short it can be taken as a whole. It is for you to decide. So far as the Members are concenred, we will submit that since the schedule is a bulky one, it should be taken clause-wise.

श्री **उपाध्यक्ष**: I will draw your attention to Rule 82 of our Rules of Procedure. "The consideration of the schedule or schedulesl if any, shall follow the consideration of clauses. Schedules shall be put from the Chair, and may be amended in the same manner as clauses, and the consideration of new schedules shall follow the consideration of the original schedules. The question shall then be put: 'That this schedule (or, that this schedule as amended, as the case may be) stand part of the Bill."

इसके वाद में शिड्यूल रख दिया गया।

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर..

श्री **उपाध्यक्ष**: Please hear the chair first यह शिड्यूल मूव हो चुका है। शिड्यूल के ऊपर वाद-विवाद आरम्भ हुआ, जिस प्रकार आरम्भ हुआ है उसके अन्दर अलग अलग विचार करने का प्रश्न होता तो पहले ही व्यक्त कर दिया जाता। शिड्यूल मूव हुआ है उसमें 'ए' से अन्त तक मूव्ड घोषित किया गया है और शिड्यूल के अन्तर्गत जितने अमेंडमेंट्स थे उनके लिए बारी बारी से नाम लिये गये, तो उसका तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार हमेशा से रहा है, शिड्यूल के सारे के सारे अमेंडमेंट्स मूव कर दें।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): जैसा आपने फर्माया। इसके पहले एक पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया था और जो माननीय सदस्य बोल रहे थे स्वतंत्र पार्टी के क्लाज ५ के ऊपर, आपने उनको बैठा दिया था कि आप इस पर नहीं बोल सकते।

श्री **उपाध्यक्ष**: केवल पोइन्ट आफ...

श्री **मुरलीधर व्यास**: इसका मतलब हो गया कि पांच पर जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर उसके बाद में बोल सकेंगे। आप प्रोसीडिंग्ज देख लीजिये।

श्री **उपाध्यक्ष**: केवल पोइन्ट ऑफ आर्डर इस विषय का था कि इनका केवल आइटम ५ पर है और दूसरों का आइटम २ पर भी था, इसलिये जो प्रेसीडिंग्ज हैं, वे आइटम २ से शुरू करने वाले थे, उनके लिये था।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: वैसे आप जैसी व्यवस्था देंगे उसी प्रकार करेंगे; लेकिन अभी जैसा आपने पढ़ कर सुनाया कि अनुसूचियां सभापति द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खंड और उन खंडों पर विचार के बाद विचार होना चाहिये मगर इस रूल के मुताबिक यहां पर रखा नहीं गया है। जिस क्लॉज से संबंधित शिड्यूल है उसके फौरन बाद नहीं आया। यदि क्लॉज के बाद शिड्यूल को रखें तो उस पर उसी समय विचार हो सकता है और इसमें हाउस को भी कन्वीनियेन्स रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और वोट भी लोग दे सकेंगे। इसलिये शिड्यूल को क्लॉज के बाद में···

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय में मैं व्यवस्था दे चुका हूं। जिस प्रकार से हमेशा होता आया है उसी प्रकार से रखा गया है। आयन्दा कोई दूसरी व्यवस्था होगी तो वह कर दी जावेगी। यह तो कर दिया गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था हो गई है उसके अनुसार कार्य करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने गलत परिपाटी डाली है। यह कोई परिपाटी नहीं है। New conventions should be made if such undemocratic conventions are there.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): This amounts to canvassing the ruling.

श्री रामानन्द अग्रवाल: We are not prepared to follow that.

श्री निरंजननाथ आचार्य: The House is bound to follow it.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले मुझे जो आदेश दिया उससे मिसअन्डरस्टेंन्डिग हुई कि क्लॉज बाई क्लॉज ले रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष: I can allow you to speak on item No. 5. But it should be brief.

श्री मानिकचन्द सुराणा: Very breif, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य: But it will not form a precedent.

श्री उपाध्यक्ष: "and may be amended in the same manner as clauses, " It is a clause.

श्री निरंजननाथ आचार्य: So this opportunity will not hit the precedents.

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले स्वतंत्र पार्टी की तरफ से संशोधन मूव किया गया कि राजाओं को ७ गुणा के बजाय १० गुणा मुआवजा दिया जावे। मेरा संशोधन यह है कि ७ गुणा नहीं दिया जाये। ७ गुणा की जगह उनको १ गुणा मुआवजा दिया जावे। एक गुणा मुआवजा इस कारण से कहता हूं कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी चीज बिना मुआवजा दिये एक्वायर नहीं की जाय। इसलिये हमने टोकन के तौर पर यह मुआवजा रखा है। लेकिन हमारी मंशा तो यह है कि इनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाए। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिये इसलिये एक गुणा मुआवजा देने का प्रावधान रखा है। इस संबंध में, मैं व्हाइट पेपर का हवाला देना चाहता हूं अगर वे एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ें तो उसके बारे में भारत सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया है। इसके अलावा आज सरकार हर मसले पर कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो फिर ७ गुणा मुआवजा देंगे तो भी आपको ३ या ४ करोड रुपया देना होगा और एक्सचेकर पर ३ या ४ करोड का असर पडेगा और हमारे करोडों रुपये अगर बचत करने की आपकी इच्छा है और आपकी हिम्मत हो इनको बचाने के लिये तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप विचार करें। कांग्रेस में स्वयं में भी इस बारे में मतभेद है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप इनको ७ गुणा मुआवजा न देकर एक गुणा ही दे दें। जिस समय सीलिंग एक्ट आवेगा उसमें जमीन फिर इनके पास पर्सनल कल्टीवेशन में रहेगी वह जमीन दुबारा स्टेट मांगेगी और चूंकि उनको उसका भी मुआवजा देना होगा इसलिये इनको सीलिंग में दुबारा फिर मुआवजा मिलने वाला है। इसलिये हम नहीं चाहते कि इनको दो बार मुआवजा मिले। कांग्रेस पार्टी की भी यही इच्छा है।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण की विना पर शिड्यूल के बारे में निवेदन करूं कि अभी मैंने रूल ८२ पढा है; उसको ध्यानपूर्वक पढा। "and may be amended in the same mannor as Clauses" जिस प्रकार से क्लाजेज को लिया जाता है और उनमें भी अलग-अलग सब-क्लाजेज होते हैं मगर उनको अलग नहीं लिया जाता है और उस क्लॉज पर जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनको सबको एक साथ मूव किया जाता है और उन पर एक साथ वाद-विवाद किया जाता है उसी तरह से इस पर भी है। यद्यपि मैंने आपके आग्रह को देखते हुए आपको बोलने की आज्ञा दे दी, मगर इसी के अनुसार शिड्यूल की कार्यवाही होगी। खैर, यह तो चीज हो चुकी है मगर आयन्दा जो शिड्यूल मूव करने की बात है इस क्लॉज की मंशा के अनुसार जिस प्रकार क्लॉजेज में होता है उसी के अनुसार कार्य होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसके साथ यह भी आदेश दें कि जिस तरह क्लॉजेज में नम्बर (१), (२), (३) या (ए), (बी), (सी) लगते हैं उसी प्रकार शिड्यूल में भी नम्बर लगने चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, ७ गुणा के, बजाय १ गुणा कम्पेन्सेशन की प्रस्तावित तरमीम को मैं स्वीकार नहीं करता और साथ साथ यह भी तरमीम स्वीकार नहीं करता कि equivalent to the land **revenue** of one year; जो कि नेट इन्कम साल की है उसको भी स्वीकार नहीं करता। As a matter of fact, यह जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट है इसके लिये उसमें प्रावधान है। यह जो प्रावधान रखा गया है, वह कानूनी सलाह लेकर रखा गया है इसलिये कॉन्स्टीट्यूशनल डिस्क्रीमीनेटरी नहीं कहा जा सकता है।

फोर्मल अमेंडमेंट जो श्री जुझारसिंह ने रखा है उसको स्वीकार करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापिस ले लें।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मानिकचन्द सुराणा ने रखे हैं वे स्वीकार किये जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Page No 149

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह राठौड ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(मत-दान होते समय)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय 'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! I have not put my whole question yet.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of Order Sir,..

श्री उपाध्यक्ष : And when the Chair is putting the question, there can be no point of Order.

श्री विजयसिंह झाला: उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : Please let me put the question.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह राठौड ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल यथा संशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

संशोधित शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ स्वीकार किया जावे । शार्ट टाइटल आदि के संबंध में कोई संशोधन नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): एक तो पहले स्वीकार हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष: There were amendments.

श्री मथुरेश बिहारी ।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मंजूर हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि टाईटल एण्ड प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(३.३९ म. प.)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड एक्वीजीशन आफ लैंडओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is third reading. I want to say something.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : There are so many Statements yet to be taken up.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We are prepare to sit.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इतना ही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में भाषण हो तो बहुत अच्छा रहेगा । मुझे एतराज नहीं है, यदि १२ बजे तक भी बैठना पड़े; लेकिन फिर भी यदि समय की किफायत करनी हो तो पांच मिनिट में भाषण समाप्त करें ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा यह भी नियम रहे कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वे कृपया इसमें भाग न लें। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें प्रत्येक पार्टी में से केवल एक ही सदस्य बोलें।

श्री हरिराम चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, इसको देख कर हम लोगों ने इसका मुख्य तौर पर स्वागत किया था और हम महसूस करते थे कि काफी दिनों के बाद उधर की जो कांग्रेस सरकार है इस तरह का बिल लाकर एक बड़ी हिम्मत का काम कर रही है और इसकी हिम्मत का हम लोग किसी न किसी हद तक दाद देने को तैयार थे पर अभी जिस तरह का अमेंडमेंट लाया गया और वह भी इस तरह से लाया गया कि यह बिल दिल्ली गया, उधर राजा भी दिल्ली गये, मीटिंगें कीं, यहां पर भी मीटिंगें कीं, उधर भी राजाओं का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं वे वहां पर गये।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा): Is it relevant to the Bill, Sir?

श्री **हरिराम चौहान** : जो राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : केवल बिल पर ही केन्द्रित रहें।

श्री **हरिराम चौहान** : बिल का इतिहास है, बिल पर ही बोल रहा हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : इतिहास और भूमिका थोडे संक्षेप में रखें।

श्री **हरिराम चौहान** : तो दिल्ली में शास्त्रीजी के पास पहुंच कर वापिस आया तो इसके अन्दर वह चीज नहीं रही जो इसके अन्दर, लिखा हुआ था कि २६ जनवरी, १९५० से उससे लगान वसूल किया जायगा। वैसे तो जिस दिन से आजादी आई, १९४७ में आजादी आई आजादी आने के बाद तुरन्त ही सब जमीनें ले लेनी चाहिये थीं। छुडाई नहीं तो राजाओं के पास तो लगान वसूल करना चाहिये था। पर २६ जनवरी, १९५० से माना। कमेटी ने सिफारिश की और उसकी सिफारिश के बावजूद भी यह बिल दिल्ली की सैर करके जयपुर के इस हाउस में आया, वह चीज इसमें से निकल गई। २६ जनवरी, १९५० के बजाय यह कर दिया कि १९६३ से वसूल किया जायगा। तेरह-चौदह साल तक राजाओं ने लोगों से इन जमीनों का लगान लिया, आमदनी की और उस आमदनी का बाकायदा फायदा उठाया गया, तो हमारी सरकार से जो समाजवादी समाज के निर्माण का दम भरती है, जो यह समझती है कि हम हिन्दुस्तान में एक बराबर की हैसियत कायम करेंगे, ऐसा दावा करने वाली सरकार दिल्ली में बैठ कर कुछ बातें करती है, आम जनता के खिलाफ षड्यन्त्र करती है और मुंह लटका कर कहा जाता है कि इस क्लॉज में अमेंडमेंट करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोगों की तरफ सरकार की कोई बकाया है, किसी किसान में तकाबी का या और किसी प्रकार का कर्जा बकाया होता है, लगान का ५ रुपया बकाया होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बकाया होता है, या किसी कुए की तकाबी का बकाया होता है, तो इसकी वसूली के लिये कुर्कियां की जाती हैं, उसकी भैंस कुर्क की जा सकती है। बहुत से हरिजन जमीन की किश्त नहीं दे सकते उनकी जमीन काट सकती है, उनकी जमीन छीन सकती है, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि इन राजाओं में जो वाजिब बकाया है उसको वसूल करने में इस सरकार के हाथ कांपते हैं, इस सरकार की कलम नहीं उठती है, कानून बनाने वाली बडी नौकरशाही है जो पर्दे के पीछे से अपना काम करती है, वह इस सम्बन्ध में कलम नहीं उठाती है और आम किसान मजदूर है उससे कुर्कियों के जरिये वसूली करती है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

५ मिनिट में खत्म कर दूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष**: I am counting it. Five minutes have already passed.

श्री **हरिराम चौहान** : एक मिनट।

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please. Five minutes are already over.

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : Let him sum up the debate, Sir.

श्री **उपाध्यक्ष**: One minute and I will scrupulously see it.

श्री **हरिराम चौहान** : दूसरी बात यह समझ में नहीं आई कि इधर तो इनको रियायात दी जा रही है और उधर राजाओं का किसानों की तरफ बकाया है तो राजा उससे मांगने गरीब किसान के यहां नहीं जायगा क्योंकि राजा की हैसियत किसान के घर जाते कम पडती है, वह किसान की झोंपडी

(श्री हरिराम चौहान)

पर कैसे जाय । इसलिये बेगार को भी अपने जिम्मे ले लिया हमारी सरकार ने कहा कि मैं आपकी तरफ से कामदार हूं, मैं वसूल करके आपको दूंगी। मैं उधर बैठने वाले लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपमें राजा बैठे हुए हैं। जागीरदार बैठे हुए हैं फिर भी यह हकीकत है कि हरिजन और किसान भी बैठे हुए हैं पर सरकार हरिजन और किसानों से तो कुर्कियों के जरिये वसूल करती है और राजाओं को रियायत देती है। यह निहायत बेशर्मी की बात है कि किसानों में जो राजाओं का बकाया है वह आप वसूल करके राजाओं को देंगे। यह ऐसी स्थिति है जिसको हमें समझना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया था तो उम्मीद की गई थी कि समाजवादी समाज का दम भरने वाली यह सरकार कुछ आगे बढ़ना चाहती है, पर इस बिल में चेंज देख कर शर्म आती है कि प्रगतिशीलता का सेहरा अपने सिर पर बांधने वाली यह कांग्रेस सरकार सामन्तवाद के सामने झुक गई है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ही कहें।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल : मैं केवल एक-डेढ़ मिनट ही बोलूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): झुक गई है इसीलिये उनकी जमीनें ले रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: ले नहीं रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ले रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सरकार ने खुद ने ही इनको बख्शी थी, इनको तो करोडों रुपये देकर ले रही है और किसानों से करोडों रुपया लेकर दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please. Hon'ble Members are diverting from the decorum of the House when they account each other.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि प्रगतिशीलता का और समाजवादी समाज की रचना का दम भरने वाली कांग्रेस सरकार आज सामन्तवाद के सामने घुटने टेक चुकी है, बुरी तरह से उसकी हार हो चुकी है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किस प्रकार का खिचड़ी वाला कानून पास कर रही है? मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार की मोरल डिफीट है, एक तरह से बुरी तरह से नैतिक हार है जिसके लिये कांग्रेस सरकार को अभी नहीं तो आने वाले समय में पश्चाताप करना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में राजाओं को रियायतें देना, लगान में छूट देना, मुआवजा देना, यह समाजवादी समाज की किस्म है, जिसको कि कांग्रेसी सरकार लाना चाहती है। इन बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सरकार के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास करें और इस सरकार की भर्त्सना करें कि इस प्रकार यह सामन्तवाद के सामने घुटने टेक चुकी है। आखिर ऐसी क्या मुसीबत थी सरकार के सामने जो उसने सामन्तवाद के सामने घुटने टेके, हम आपकी मदद के लिये तैयार थे।

(विराम)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं जो अपने आपको प्रगतिशील व्यक्ति कहते हैं जो राजस्थान के निर्माण के लिये अपनी प्रगतिशीलता का दम भरते हैं जो समाजवादी समाज लाना चाहते है, उन लोगों का समर्थन प्राप्त था,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
उनको घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनकी बुरी तरह हार हुई है, उनकी नैतिक हार हुई है और सामन्तवाद के सामने घुटने टेक दिये जिसके लिए वे तो बड़े शर्मिन्दा हैं या नहीं किन्तु इसके लिये हमें बड़ा खेद है और उनकी लाचारी और बेबसी पर हम बड़ा खेद प्रकट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयकिशन।

श्री जयकिशन शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड एक्वीजिशन ऑफ लैंड-ओनर्स एस्टेट बिल, १९६३ विचारार्थ है। यह बिल जिस समय सदन में आया उस समय भी सभी माननीय सदस्य इसके लिए खुशी जाहिर कर रहे थे कि एक क्रान्तिकारी कदम राजस्थान में उठाया गया है और मैं आज भी इस बात को मानता हूं। जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वह एक क्रान्तिकारी कदम है और जिन राजाओं के पास इतनी बड़ी जमीन थी उनको आज हम इस बिल के द्वारा आगे ला रहे हैं। यह खुशी की बात है कि यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लैंड रिफोर्म्स हुए हैं वे कम नहीं हुए। कुछ दिनों पहले इसी सदन में सीलिंग की बहस हुई थी और जो आज माननीय सदस्य गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं वे उस समय यहां उपस्थित भी नहीं थे।

श्री इयोपतसिंह (हनुमानगढ़): आपको पता भी है········

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जयकिशन शर्मा : उनका यहां पता भी नहीं था क्योंकि उनका इन्ट्रेस्ट क्लेश करता था····

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सीलिंग में समझते भी हो।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

Order please!

श्री जयकिशन शर्मा : आप बोलते हैं, हम सुनते हैं····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

Order please !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्तिपूर्वक एक दूसरे का भाषण सुनने से ही सदन का डेकोरम रखा जा सकता है, वरना तो एक प्रकार से पटेल की पोल बन जाती है। इस प्रकार से शोभा नहीं देता।

(शोरगुल)

Order please !

श्री जयकिशन शर्मा : सभ्यता कब आवेगी चाहे जो बोले····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री भ्योपतसिंह: आपमें तो कोई सभ्यता है ही नहीं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order pleaes ! Order please !!

श्री जयकिशन शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन प्राप्त की है उससे राजस्थान के बहुत से किसानों का भला होगा और जिस चीज के लिये हम कहना चाहते हैं, जो चीज हम लाना चाहते हैं, सोसाइटी के अन्दर, समाज के अन्दर, नीचे से ऊपर तक के व्यक्तियों के लिए लाना चाहते हैं ··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, Sir.

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य बार-बार इस ओर संकेत कर रहे हैं कि हमने अपनी मुरब्बा का पैसा बनाया। मैं सदन में खड़े होकर कहता हूं कि आप २० एकड़ सीलिंग कीजिये। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं ?

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : देखिये···

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कोई तैयार है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं से सौदा करते हो। पांच लाख रुपयों में सौदा किया।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं से मिल कर···

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! This is not a battleground.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पब्लिक के हितों को बेचते हो, बेईमानी करते हो।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार मानती है। २० एकड़ सीलिंग ही करिये, घबराते क्यों हो ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बात की मांग की है कि ५४ तक के···

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : This is not proper.

(शोरगुल)

Order please ! This is not the proper way.

माननीय सदस्य : अपना भाषण समाप्त करें ।

(शोरगुल)

Order please !

(शोरगुल)

Order please !

(मेज थपथपाना)

Order please ! Order ! Order ! Order please. !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम को कहते हैं··

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय····

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : You must learn the decorum first.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड एक्वीजिशन आफ लैंड ओनर्स एस्टेट बिल, १९६३ पारित किया गया ।

(६.५८ म. प.)

उदयपुर में मैडिकल कॉलेज के लिये प्रवाप्त भूमि संबंधी तारांकित प्रश्न विषयक आधे घन्टे की चर्चा

Next item Half an hour discussion.

(विराम)

Shri Umraosingh Dhabaria

(शोरगुल)

Order please !

माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : No talking please.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर के अन्दर मेडीकल कॉलेज बनाने के लिये वहां के कुछ लोगों की जमीन सरकार ने एक्वायर की और उसके बजाय जिस ढंग से उसका मुआवजा देने का फैसला किया और जिसकी एक नकल उस प्रश्न के उत्तर के वक्त में दी गई थी उसके बारे में यह आधे घंटे की चर्चा उठा रहा हूं और उसका खास कारण यह है कि ये जमीनें जिन लोगों से ली गई, अभी इस हाउस में दो बिल आपने पास किये, एक राजाओं की जमीन लेने का और दूसरा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आपने मनी लैंडर्स बिल पास किया, इस तरह जमीन ली गई हैं इसके अन्दर नं० ४-५ पर दो जमीनें दर्ज की गई हैं और उनका मुआवजा उन लोगों को दिया गया है। एक को ४९,२९० रु० और दूसरे को ३९,२१८) रुपया। ये दोनों जमीनें उस चक के अन्दर से हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चक एग्रीकल्चरल लैंड है और आज भी जो उस जमीन के अन्दर हकदार हैं उन पर तहसीलदार ने लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए मुकदमे चला रखे हैं। जो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है उस जमीन का मुआवजा अन्दर हल्के आबादी मानकर उस हिसाब से उसका मुआवजा दिये जाने का फैसला किया गया और वह २) प्रति वर्ग गज के हिसाब से। मकान बने हुए हैं। किसान यदि एग्रीकल्चर लैंड में मकान बनाता है उसको रेगुलराइज करने के लिये सरकार ने नियम बना रखे हैं और उस जगह के मकानों को गिरा दिया जाता है लेकिन यहां इस तरह की जमीन में मकान बने हुए हैं उनको मुआवजा देने के लिये तैयार हैं।

दूसरी सलूम्बर की हवेली ली गई। उसका मुआवजा जो वहां के एक्वायर करने वाले सज्जन हैं उन्होंने तय किया ६,२६,४७५) में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो जमीन, बंगला लिये गये, उनके एवज में क्या-क्या चीजें उनको दी गई और जो चीजें उनको दी गई उनका कितना एस्टीमेट लगाया गया है।

(७.०० म. प.)

इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां उनसे जमीन ली गई उसके बजाय उससे भी ज्यादा वर्ग गज जमीन उनको दी गई और जो बंगला उसके अन्दर था उसके बजाय आइरन साहब का बंगला उदयपुर में था उससे भी बडा ज्यादा पेड लगे हुए जिसमें ज्यादा बगीचा है उनको दिया गया। इस बंगले का एस्टीमेट लगाया गया लेकिन जमीन का नहीं लगाया गया, दरख्तों का नहीं लगाया गया। सलूम्बर राजा से जमीन ली गई उसका एस्टीमेट ३२ हजार रुपया लगाया गया, और जो उस जमीन में पेड थे उसका एस्टीमेट तीस हजार रुपया लगाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने उस जगह को अच्छी तरह से देखा है, ऐसे कौन से दरख्त थे जिसका मुआवजा तीस हजार रुपया कूंता गया, कौन से ऐसे फलदार पेड थे जिसका तीस हजार रुपया मुआवजा मुकर्रर किया गया; यह जो मुआवजे की रकम ६.४६ हजार रुपया है उसमें से आइरन साहब के बंगले का २ लाख ५१ हजार १९६ रुपया काटकर देते हैं तो भी ७५,२७९ रुपये नकद में चुकाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इसकी इन्क्वायरी की जायगी, इसकी जांच की जायगी, मुआवजे का जो प्रश्न तय किया गया वह किस तरह से तय किया गया। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय अपने आश्वासन पर आयें और इसकी जांच करायें जो मैं बात कह रहा हूं वह ठीक है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और रख देना चाहता हूं आइटम नं० ५—जिसके अन्दर एक हैड मास्टर साहब हैं जिनको हाई स्कूल की जमीन दी गई; बहुत अफसोस के साथ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कहना पडता है कि जिस जमीन को सरकार ने एक्वायर किया । वही जमीन उन हैड मास्टर साहब को उसी संस्था के लिये दो साल पहले दी गई जो सरकार ने आज उनसे ली है दो साल पहले उसे २८ हजार रुपये में दी और उसी जमीन का ४३॥ हजार रुपया मुआवजा के देकर उससे वापिस ली है । इस बारे में सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जब उस संस्था को अशोकनगर में मकान बनाने के लिये जमीन दी और रियायती रेट पर दी । जहां अशोकनगर में चार रुपया गज जमीन बिकी वहां सरकार ने इस संस्था को ८ आने गज पर बेची ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : हैड मास्टर की जमीन नहीं, नवभारत हाई स्कूल की है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने भी यही कहा था । हैड मास्टर के नाम से वह जमीन है । मैंने भी संस्था का नाम लेकर कहा है, उस संस्था को दी गई है । मैं गलती नहीं करता हूं तो एक्स एम. एल. ए. उस संस्था के चेयरमैन हैं ।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बता दीजिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नाम-वाम तो बाद में बताऊंगा, जब मौका आयगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, सबसे इम्पोर्टेन्ट बात है कि किस तरह से उदयपुर के लोगों को सरकारी-पैसा लुटाया जाता है । यह है आइटम नं० ७-श्री गोवर्धनसिंह मेहता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये आध घंटा है, फिर भी मैं पन्द्रह मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : But please hear what the Chair says.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पिंचिंग फैक्ट्स जरूर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Please hear. सारा वाद-विवाद समाप्त होना है आध घंटे में, इसलिये आप समय का ख्याल रखकर बोलें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आइटम नं० ७ गोवर्धनसिंह मेहता । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इनकी जो जमीन एक्वायर की गई है उसका मुआवजा ८०,२३०) रुपया आंका गया है । इनकी जमीन के अन्दर सिर्फ एक बंगला है, उस बंगले की कीमत ८०,२३०) रुपया आंका है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं, जिस जमीन पर यह बंगला बना हुआ है उन मेहता साहब ने यह बंगला पांच हजार रुपये में देवगढ रावजी से खरीदा था । पांच हजार रुपये की जमीन है एक मंजिला बंगला है, जिसका ८० हजार रुपया कूता गया है । इस प्रश्न का उत्तर इतनी बारीकी से लिखा है, जितनी जमीन पर बना हुआ है उससे सो स्क्वायर फीट ज्यादा जमीन ८० हजार रुपये में दी गई वह बतायी गई है । जमीन जंगल में है । मैं चेलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि जिस जमीन को जंगल में कहा जाता है वह भोपालपुरा में है और जो सरकारी बंगले हैं उस बंगले की चार दीवारी को तोडकर मेहता साहब को दिया गया था ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
मुझे यह बताया जाय भोपालपुरा को आप उदयपुर का मध्य समझते हैं या जंगल ? जहां कि सरकारी बंगले बने हुए हैं उन्हीं बंगलों की चार दीवारी से जमीन काट कर उनको बंगले की एवज में दी गई। वह जो जमीन दी गई वह बंगले के अन्दर की जमीन है।

आइटम नं० ८ में पेश करता हूं वह है एक महाशय का; वहां पेट्रोल पंप है। जिस जमीन पर पेट्रोल पम्प है वह जमीन दूसरों की है और पेट्रोल पम्प जिसने लगाया है उसने वह जमीन किराये पर ली गई है। दोनों का अलग अलग मुआवजा दिया गया है। जिसकी जमीन है उसको ६,५०० रुपया जमीन की एवज में मुआवजा दिया गया। जिसने पेट्रोल पम्प लगा रखा है उसको १२ हजार रुपया एक मुश्त दिया गया। इसके अलावा जो बहुत ताज्जुब की बात है उस पेट्रोल पम्प को लगाये तीन चार साल से ज्यादा समय नहीं हुआ, उसका कम्पेन्सेशन सरकार द्वारा दिया गया ५४ हजार रुपये का, वह इस बात का कि उनको इन्कम का लॉस हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी को चार साल लगाये हुए हो गये, क्या उन्होंने इन चार सालों में इतना इन्कम टैक्स भी दिया है या नहीं। उनको आप केवल ५४ हजार रुपये इस बात के दे देते हैं कि उसकी इन्कम का लॉस हुआ। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि उसके लिए इतना ही नहीं किया गया; उसे उसी पेट्रोल पम्प के सामने उसके रिश्तेदार के नाम पर पेट्रोल पम्प लगाने के लिये इजाजत दे दी गई।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो एक मामूली मिसाल है। इस तरह की एक नहीं पचासों मेडिकल कालेज खोलिये, हमको दर्द नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से हमारे इस हाउस में ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले सदस्य महानुभाव, जिस वक्त में हम कहते हैं कि हमको अस्पतालों में दवा के लिये पैसा चाहिये, तालाब खुदवाने के लिये पैसा चाहिये, स्कूल बनाना चाहते हैं, पीने के पानी के लिये कुआ बनवाना चाहते हैं, गरीबों की तनख्वाह में पांच रुपये की बढोतरी करना है उस समय एक ही उत्तर मिलता है, एक ही तलवार लटकाते हैं कि इस वक्त में हमारे यहां पर संकटकालीन स्थिति है इसलिये कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं और दूसरी तरफ उदयपुर में सरकारी पैसा लुटाते हुए शर्म नहीं होता है। टोटल जो रुपया चुकाया वह १० लाख ४५ हजार ४१९ रुपया सिर्फ मुआवजे का दिया गया है। इसके अलावा जो जमीन दी गई उसकी कीमत अलग है। अगर उस जमीन की वेल्यू मिला दी जाय तो करीब १२ लाख रुपया होता है। १२ लाख तो केवल जमीन की वेल्यू है, उस पर कितना खर्च हुआ, वह अलग है।

एक माननीय सदस्य : यह कॉन्स्टीट्यूएन्सी किनकी है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय की।

मैंने यह जो कुछ कहा है बडे दर्द के साथ बडे बडे आदमियों के बारे में कहा है। पहले नंबर में देवगढ के ठाकुर साहब हैं जिनको १,१३,८१७) रुपया दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुआवजा दिया गया है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं कह सकता हूं। पर इस संबंध में जो हाउस

Page No 158

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
में प्रश्न आया था तब कहा गया कि महाराणा उदयपुर की तरफ से दी गई जमीन है। इसके ऊपर सरकार को मुआवजा देने की क्या जरुरत पड गई। इसमें सलूम्बर हाउस के अन्दर जो दरख्त हैं, उनकी वेल्यू ३०,०००) की है। मेरा उस दिन एतराज था कि यह जो वेल्यू असेस की गई है, वह गलत है। इस स्टेटमेंट में देवगढ को मुआवजा ३ ३।४ रु० प्रति गज से और सलूम्बर हाउस को ४ रु० प्रति गज के हिसाब से बताया गया है। बाकी हाई स्कूल बिल्डिंग २ रु० स्क्वायर गज। गोवर्धनसिंह मेहता और गुलाम बक्स को पेट्रोल पम्प का ४ रु० प्रतिगज। यह सारी जमीन एक साथ में है, फिर यह फर्क क्यों? जो खास आदमी हैं, उनकी जमीन ४ रु० प्रतिगज के हिसाब से। तो मैंने जो आधे घंटे की चर्चा इन विषयों को लेकर उठाई, क्योंकि इन सब का लांछन मुख्य मंत्री पर आता है, यह सवाल उन्हीं की कान्स्टीट्यूएन्सी का है। मैं भी उसी क्षेत्र का हूं इसमें एक इन्क्वायरी कराई जाय असेसमेंट लेने के लिये। एक जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाकर जांच कराएं, ताकि यह सारा मामला साफ हो जाय और लोगों की शंकायें दूर हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में आज दिन तक जितना मुआवजा दिया गया उसका केवल एक ही आधार है, वह है कांग्रेस को सबसे ज्यादा सहयोग कौन देता है इसलिये जब कभी मुआवजे के जो केसेज होते हैं वे चुनाव के दिनों में दिए जाते हैं। जितने भी केसेज नाथद्वारा, राजनगर तहसील में या मावली के अंदर किसी जागीरदार के केस में निर्णय देना होगा तो उसको आश्वासन देंगे कि तुम्हारे केस को जल्दी करेंगे। इसी प्रकार उदयपुर नगर के अन्दर जो भी मुआवजा दिया गया है वह केवल राजनैतिक आधार पर दिया हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, अभी सम्माननीय सदस्य ने जिस तरह की बात कही मैं उसका बहुत आब्जेक्शन लेता हूं।

श्री विजयसिंह झाला: It is not a point of order.

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: My point of order is that इन्होंने जो फरमाया है, उन मुआवजे की बातों को कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट करना····

श्री उपाध्यक्ष: The point of order. is ruled out.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो इस मुआवजे के साथ कांग्रेस के चंदे वाली बातें जोडी जा रही हैं, मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि उनसे कोई इस तरह का चंदा नहीं लिया गया है, यह गलत बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जुडीशियल इन्क्वायरी को मन्जूर कीजिये जब मुख्य मंत्री के खिलाफ एलीगेशन्स हैं और आप उसके बारे में चेलेंज से कहते हैं तो आपको इसके लिये आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: आप कुछ भी जोड दें। मैं एम्फैटीकली कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन आपसे हम कहते हैं कि हमारे एलीगेशन्स हैं, कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तभी तो फैसला माना जा सकेगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के उठने पर) : Shri Jhala is in possession of the floor.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मुख्य मंत्री, क्योंकि सदन के नेता हैं, उन्होंने एक नया सवाल इस बात को लेकर खडा किया है। वहां चुनाव के समय किसी प्रकार भी पक्षपात किया गया है, उसके लिये··

श्री उपाध्यक्ष : Let the Hon. member in possession of the floor discuss it.

श्री मुरलीधर व्यास : जब जुडीशियल इन्क्वायरी की बात आती है तो उस बात को स्वीकार करने में आपको क्या आपत्ती है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि राजनीतिक आधार पर मुआवजा दिया गया है और चंदा लिया गया है। अगर यह बात सही नहीं है तो जो कुछ दंड दिया जायगा मैं स्वीकार करूंगा। इसका एक उदाहरण देता हूं। गुलाब बख्श के लिए प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब वहां के कलेक्टर साहब ने सही नहीं दिया। मेरे पास उनके रिकार्ड की कापी है। कलेक्टर साहब जो कुछ लिखते हैं मैं उन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वे लिखते हैं कि आफिसर्स डर कर इस केस में सही निर्णय नहीं देते। मैं वह पैरा आपके सामने पढना चाहता हूं :

"इस पर लगान कायम हो रहा है और सेटलमेंट के समय में आबादी हल्का में कन्वर्ट कराने की कोई कार्यवाही नहीं की की गई। अब चूंकि राजस्थान सक्यूंलर जारी हो चुका है, उसके अनुसार कन्वर्ट कराने की कार्यवाही करावें। जब तक कि यह कार्यवाही नहीं हो जाती है, तब तक लगान बराबर वसूल किया जाय।"

जिस जमीन का मुआवजा दिया गया है आबादी में मानकर उसका लगान अब तक वसूल हो रहा है और उसके नीचे क्या लिखते हैं :

"श्री गुलाम अब्बास के पैसे की वजह से सरकारी अधिकारी इस प्रकार डरे हुए हैं कि तहसील में सात वर्ष से केवल पेशी देने या पेंडिंग रखने के सिवा कुछ नहीं करते।"

यह कलेक्टर की रिपोर्ट है जो मिनिस्टर साहब के पास रखी है। जो उत्तर दिया गय है, उसके नीचे उन्होंने विशेष लिखा है और फिर कहते हैं कि श्री गुलाम अब्बास के पैसे की वजह से सरकारी अधिकारी इस प्रकार से डरे हुए हैं कि तहसील में सात वर्ष से केवल पेशी देन या पत्र पेंडिंग रखने के सिवा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसका राजनीतिक दबाव अधिकारियों पर डाला जाता है। यही कारण है कि तहसीलदार अपने स्थानान्तर के डर से जायज बात कर ही नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह पत्र वहां से नहीं आया है तो मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि मैं इसके लिये जिम्मेदार हूं। इसमें कलेक्टर साहब लिखते हैं कि :

(श्री विजयसिंह झाला)

"तहसीलदार अपने स्थानान्तरण के डर से जायज बात नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है।"

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): यह नकल कैसी है ?

Is it a certified copy of the letter or a fabrication?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: वह असली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): He is bold enough to challenge it.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please. This is not the way to conduct the proceedings.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): "अंधा बांटे रेवडी, फिर फिर सब को दे," १२-१२ लाख रुपये की रकम लुटा दी।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री): हाफ एन आवर डिस्कशन इस वक्त हो रहा है, मेडीकल कालेज की जमीन पर हो रहा है....

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला: उसी का यह हिस्सा है, जो जमीन आपने मेडीकल कालेज के लिए ली है, जिसका आपने कम्पेन्सेशन दिया है। वह जमीन भी इस जमीन का हिस्सा है। अभी भी आबादी के अन्दर नहीं लगाई गई है। वह व्यक्ति विशेष है जिसको आप मुआवजा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आधे-घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता।

श्री विजयसिंह झाला: पहला यह लांछन है कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार, राजनीतिक स्टेट के आधार पर जितना भी मुआवजा उदयपुर डिवीजन में दिया गया है, चाहे मुख्य मंत्रीजी उसको नहीं जानते हों, लेकिन नीचे के व्यक्ति इस प्रकार की गड़बड करते हैं। दरअसल जिन को मिलना चाहिये उन गरीब आदमियों को नहीं मिला है।

दूसरा जो भी जमीन ली गई है वह या तो जागीरदारों की है या मेहता लोगों की है। सारी की सारी भूतपूर्व रियासतें थीं, उनसे कनेक्टेड थीं। इन हवेलियों का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। और उस निर्णय के बाद जो कि भूतपूर्व स्टेट का निर्णय था उसको रिवाइज करने के लिये जुलाई में पेशी पडी थी, जिसकी सिफारिश करने एक महिला आई थीं, अब वह कौन महिला थीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

एक माननीय सदस्य: क्यों नहीं कहना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: Order please.

श्री विजयसिंह झाला: उस केस को वापिस रिओपन करने की कार्यवाहियां हो रही हैं। और कोशिशें चल रही हैं कि जो केस भूतपूर्व स्टेट के द्वारा निर्णय कर दिया गया उसको बदला जावे।

इसी तरह मेहता और जागीरदारों की हवेलियां हैं। उनका भी निर्णय हो चुका था, उनका मुआवजा नहीं मिलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री विजयसिंह झाला)
जो जमीनें ली गई हैं उनकी कीमत ज्यादा आंकी गई हैं और जो जमीनें दी गई हैं उनकी कीमत आंकते समय कम आंकी गई है जब कि पडोस की जमीनें आज भी जांची जावें तो ४) प्रति गज के हिसाब से कम नहीं हो सकतीं, जब कि उस जमीन को जंगल की बताकर एक रुपया प्रति गज में दी गई। तो मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों की जांच की जावे।

श्री **बरकतुल्लाखां** (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में मेडिकल कालेज बनाने की बात तय की गई। इसके साथ यह भी तय किया गया कि इसके लिये जिन जमीनों की जरूरत है, उनको बडे लम्बे सिलसिले से लैंड को एक्वायर करके और फिर लिटीगेशन में जाकर लिया जावे या लैंड ओनर्स से नेगोशियेशन करके लिया जावे। तो नेगोशियेशन करके लेने की बात को प्रिफरेन्स दिया गया ताकि जल्दी हो सके और इसके लिये वहां के पी. डब्लू. डी. के इन्जीनियर को, टाउन इम्प्रूवमेंट के उच्चाधिकारी को और कलेक्टर को कहा गया कि वे बैठ कर गोशियेट करें। उन्होंने नेगोशियेशन्स किये, उनकी मांग कितनी थी यह देखा, उसका मुकाबला आस पास की जमीनों को देखकर ही नहीं बल्कि उनकी रजिस्ट्रियों की नकलें रजिस्ट्रार के यहां से निकलवाकर देखीं तो उनको देखा और उनके मुकाबले में जो कीमतें दी गई वे उनसे कम ही दी गई। तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो ये कीमतें दी गई हैं वे बाजार की कीमतों के मुकाबले में कम थीं। मैं यह भी प्रैस करना चाहता हूं कि जहां बडे बडे लोगों का जिक्र किया गया, मैं फिर लिस्ट पढकर सुनाता हूं जिनकी प्रोपर्टी एक्वायर की गई है, उनमें उनका तो नाम ही नहीं है।

श्री **विजयसिंह झाला** : किनका नाम नहीं है ?

श्री **बरकतुल्लाखां** : श्री गुलाम अब्बास का कोई नाम नहीं था इसमें। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह लिस्ट आफिस की आई हुई है इसमें नम्बर ५ पर गुलाम अब्बास का नाम है, मन्त्री महोदय गलत बयान दे रहे हैं, वे अपनी बात वापिस लें।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): गुलाम अब्बास का नाम है नम्बर पांच पर।

श्री **बरकतुल्लाखां** : गुलाम अब्बास है नम्बर ५ पर। मिस्टर झाला ने जिसका नाम लिया था उसका नाम नहीं है।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : नम्बर ५ पर गुलाम अब्बास लिखा हुआ है। आप पढ लीजिये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : इस कदर मंत्री महोदय बौखला गये कि नाम ने गलत ले लिया।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : यह उनका कहना कतई गलत है। आप खुद पढ लीजिये। मेरे पास सर्टिफाइड कोपी है, दफ्तर से दी गई है। आप गलत कहते हैं, अपने शब्दों को वापिस लीजिये।

श्री **बरकतुल्लाखां** : मैं पढकर सुनाडू

(9) Kachha structures and W.C. belonging to Rao Sahib of Salumber.

2 Building belonging to Sindhi Vidhya Mandir Association (Naw Bharat High School).

Page No 162

(श्री बरकतुल्लाखां)

(3) Buildings to be owned by Shri Ismail Ali father of Gulam Abbas.

(4) Buildings belonging to Shri Sadit Ali Bohra.

(5) Deogarh House belonging to Rao Sahib of Deogarh.

(6) Kachha & Pacca structures belonging to Kathawala Bohra.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर सारे हालात अच्छी तरह जानते हुए भी एक लम्बा चौडा भाषण दिया गया कि फोर दी लास आफ बिजनेस में फिक्टिशियस आंकडे दिखाकर अधिक रकम दी गई है और सरकारी रुपया वेस्ट किया गया है । इसके लिये मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट ने किया है तो यह किया है कि लैंड एक्वीजीशन के लिये इस कमेटी ने जो तय करके अपनी रिपोर्ट भजी तो उसके लिये हमने कहा कि हम इसे नहीं मानते , हम सिविल कोर्ट में जावेंगे । डरेंगे नहीं, क्योंकि यह रुपया जो फोर दी लोस आफ बिजनैस दिया जा रहा है ज्यादा है । पेट्रोल पम्प के लिये इस आड में जो रुपया दिये जाने की बात कही, हमने उसका विरोध किया, नहीं माना, उनके सजेशन को रद्द करते हुए हमने कहा, हम मुकदमा लडेंगे, पर यह रुपया नहीं देंगे ।

जहां तक बिल्डिंग में देने का सवाल है, पी. डब्लू. डी. ने अपनी तरफ से अपने फार्मूले से उसकी कीमत असेस की, सलूम्बर हाउस की कीमत असेस की, देवगढ हाउस की और आइरन हाउस की भी असेस की । जमीन के बदले जमीन दे दी गई । कहा गया एक जगह कम ली, दूसरी जगह ज्यादा दे दी गई । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे बच्चों वाली आग्युमेन्ट्स दे देते हैं । इसमें कम–ज्यादा का सवाल पैदा नहीं होता । इसमें तो यह देखा जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन को देखकर कीमत देखी जाती है । लोकेशन और वह जमीन कैसी है, इस पर सारा सवाल निर्भर करता है । एक जमीन दो आना गज में भी मिल सकती है और दूसरी आठ आने से लेकर दस रुपया गज तक की भी है ।

सलूम्बर हाउस की जमीन जो ली गई, वह लैवल्ड थी, सडक के बराबर थी ।

आइरन हाउस की जमीन ली गई, वह सडक से दूर ऊबड-खाबड थी । फिर भी उस जमीन पर यह तय किया गया कि इम्प्रूवमेंट कराने पर उसकी क्या कास्ट आवेगी तो यह हमने असेस कराया और उसमें से इम्प्रूवमेन्ट चार्जेज कम करके पैसा दिया ।

जहां तक श्री मेहता का सवाल है उसके बारे में बताऊं कि जब ओरीजिनल एक्वीजीशन का नोटिस निकाला था तो केवल मिस्टर मेहता के बंगले का निकाला था । जमीन उसमें नहीं थी । बंगले और जमीन दोनों का इम्प्रेशन गलत है । बंगले के लिये नोटिस निकाला गया । लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही की गई । कालेज में जब और बंगले बनाने की जरूरत पडी तो उस जमीन को जो शहर की सडक के करीब थी, वह ली गई और उसके बदले में दूर ट्रेन्च हाउस में जमीन दी गई । इसलिये वह जमीन दी गई ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जंगल में दी गई, यह सही है या गलत है ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने जंगल में नहीं कहा । मैं कह रहा हूं शहर से दूर ।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : आपने इसमें जंगल लिखा है।

श्री **बरकतुल्लाखां** : शहर से दूर चूंकि वह है इसलिये जंगल माना जाता है।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : सिविल लाइन्स जंगल है क्या ?

श्री **बरकतुल्लाखां** : शहर से दूर जो जमीन होगी वह शहर में नहीं मानी जावेगी। जो जमीन हॉस्पिटल के पास हो, कोर्ट के पास हो, बाजार के पास हो उसके मुकाबले में जमीन जब हम देते हैं तो उसकी कुछ तो कीमत होनी चाहिये, जहां अवेलेबल है तो दूसरी जमीन की कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती।

तो इन चीजों को करने के लिये खास लोगों के ऊपर महरबानी करने के लिये सब कुछ किया गया यह भी सही नहीं है। मैं बताऊं यह जमीन का लोकेशन जो है वह उस वक्त तय हुआ जब प्राइमरी कन्सीडरेशन यह रक्खा गया कि मैडिकल कॉलेज अस्पताल के पास होना चाहिये। दूसरा कन्सीडरेशन यह रखा गया इसमें कोई गडबड न हो जावे तो चीफ टाउन प्लानर ने जो राय दी, पी. डब्लू. डी. के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने जो राय दी, उसके मुताबिक सबसे बेहतर यह जमीन मानी गई। तो इन सब कारणों से यह कोई वजह नहीं थी कि किन्हीं को पेट्रोनेज करना था। अगर किसी को पेट्रोनेज करना था तो वह केवल यह था कि लोकेशन अच्छा हो, वहां बिल्डिंग अच्छी कन्स्ट्रक्ट की जा सके और जो अस्पताल के नजदीक हो।

आखिर में एक चीज के बारे में कहा गया कि देवगढ और सलूम्बर हाउस की प्रोपर्टी के लिये क्यों रुपया दिया ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पुराना हमें कोई ऐसा रिकार्ड नहीं मिला, कोई सरकारी आर्डर ऐसा नहीं मिला, जिसमें यह कहा गया हो कि ये जो मकान हैं····

श्री **बिजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : पीपल्या ठिकाने में केस चला था और उसमें यह डिसीजन लिया गया था कि जागीरदार को यह हवेली दरबार की तरफ से दी गई है। उसका मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये और उसी फैसले को रीओपन करने की कार्यवाही जुलाई में चालू की है।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : यह लीगल क्वेश्चन है।

श्री **बरकतुल्लाखां** : इस तरीके के कोई ग्रार्डर्स नहीं मिले। उसके बाद जब जागीरदारी खत्म होती है। I want to impresst his ponit upon you, Sir, that जागीरदारी खत्म होती है तो जो जागीरदार अपनी प्रोपर्टी का क्लेम कर लेते हैं और जो पर्सनल प्रोपर्टी मान ली जाती है वह उसकी हो जाती है·····

श्री बिजयसिंह झाला : वह नहीं मानी गई है, किसी को भी पट्टे नहीं मिले हैं।

श्री **बरकतुल्लाखां** : फाइनली मै और अर्ज करना चाहता हूं कि अण्डर लैंड एक्वीजीशन एक्ट आप किसी की प्रोपर्टी को बिना कम्पेन्सेशन दिये हुए एक्वायर नहीं कर सकते। तो क्या किसी की कोई प्रोपर्टी थी जो पसर्नल प्रोपर्टी मान ली गई, कोई ऑर्डर्स नहीं मिले; उसके बाद भी अगर यह कहें तो फिर मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल

(श्री बरकतुल्लाखां)
ज्यादती होगी उन लोगों के ऊपर जो इस हाउस में मौजूद नहीं हैं और जो अपने आपको डिफैण्ड नहीं कर सकते......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of information, sir...........

श्री बरकतुल्लाखां: There is no information in half an hour discussion.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। इस संबंध में जो माननीय मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं, तो आप यह किस आधार पर कह रहे हैं कि किसी एग्रीकलचरल लैंड का भी वही मुआवजा देना जरूरी है जो कि आबादी लैंड का देना जरूरी है। जिन जमीनों को एक्वायर किया गया है उनमें से बहुत सी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उनका मुआवजा आबादी लैंड का किस आधार पर देते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरे दोस्त ने इसको पढा ही नहीं। नक्शे में आबादी लैंड माना गया है। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कलक्टर की रिपोर्ट है आपके सामने ? वह आबादी में मानी गई है।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आबादी जमीनों में भी एग्रीकल्चरल लैंड एग्जिस्ट कर सकती है और और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो जमीन उदयपुर में खरीदी है वह भी एग्रीकल्चरल ही है इसलिय आप नहीं कह सकते कि आबादी लैंड में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकती।

श्री बरकतुल्लाखां : यह एग्रीकल्चरल लैंड दर्ज नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया व श्री विजयसिंह झाला : यह लैंड रेवेन्यू लिया जाता रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो पेपर्स माननीय सदस्य श्री विजयसिंह झाला ने कोट किये हैं वे हाउस में ले डाउन कर दें ताकि वह प्रोसीडिंग्ज के पार्ट हो जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि जितनी माननीय मंत्री जी को जानकारी है उसके अनुसार ही दें और राजस्व मंत्री जी के कहने से कुछ न दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि दूसरों का पाप अपने ऊपर क्यों लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : The time is over now....

श्री बरकतुल्लाखां : जब किसी काम को जल्दी करना चाहते हैं जब किसी काम को वक्त पर पूरा करना चाहते हैं तो यह आरोप लगाये जाते हैं कि गडबडियां कर दीं और स्लोली स्लोली चलते हैं किसी को पूरा करना चाहते हैं और स्टेट्स को मेण्टने करना चाहते हैं तो कहते हैं कि काम नहीं होता। अगर कोई काम हमें करना पडेगा तो जिम्मेदारी भी हमको अपने ऊपर लेनी पडेगी। बस मुझे इस बारे में इतना ही कहना है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस संबंध में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी यह कहा गया कि एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चरल लैंड होते हुए इसके बारे में जो मुआवजा दे दिया गया एक तरह से आबादी लैंड समझ कर उसका मुआवजा दिया गया । मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में कोई भ्रम रहे । क्योंकि जैसा भी मुआवजा तय किया उसके लिये एक कमेटी बनाई गई थी । उसने मिलकर इसके बारे में फैसला किया । उन लोगों ने कोई गलती की है तो उनको डिफेण्ड करने के लिये हम यहां नहीं बैठे हैं न हमारी जिम्मेदारी उसके साथ जुडती है । इस संबंध में मैं रेवन्यू बोर्ड के मेम्बर को अपनी तरफ से भेजकर अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसमें किसी तरह की कोई गलती की गई है तो उसमे जांच करने के लिये कहूंगा । इतना मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर वह लैंड आबादी लैंड है, जैसा कि माना गया है, और आबादी लैंड समझ कर अब तक चला गया है, और उसी आधार पर इसका फैसला हुआ है, तो बहुत से सदस्य नहीं जानते होंगे कि पुराने जमाने में जो मेवाड गवर्नमेंट का सेक्रेटेरियेट था उसके सामने वाली जमीन है और आज यहां पर कलेक्टोरेट है उसके सामने की जमीन है जहां कि १०-१२ रुपये गज में मिलती है जब कि वह सेक्रेटेरियेट के सामने वाली जमीन है जहां कि एक्वायर किया गया है । किसी जागीरदार की जमीन एक्वायर करके उसको रुपया देने की मंशा से नहीं बल्कि वहां पर हॉस्पिटल मौजद है और उसके कैम्पस में मेडिकल कॉलेज है । इसलिये उससे जुडी हुई जमीन जो वहां उपलब्ध है उस दृष्टि से ली गई है । इस दृष्टि से नहीं कि कोई पोलीटीकल लाभ पहुंचाने के लिये देवगढ जाकर या सलूम्बर जाकर एक्वायर कर ली गई हो । उसके कम्पेन्सेशन आदि के बारे में कार्यवाही की गई है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कार्यवाही की गई है ठीक तरह से उन ऑफिसर्स ने देखकर कार्यवाही की है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है और आबादी लैंड का कम्पेन्सेशन दे दिया गया और इसलिये यह सवाल खडा होता है तो उसका रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर जाकर, स्पाट पर जाकर जानकारी कर लें । अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिये एक्शन ले लिया जायगा । I think it is very clear now.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) माननीय उपाध्यक्षजी, जो मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि वे आबादी लैंड के संबंध में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से जांच करवाएंगे सदन के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि १२ लाख रुपये जो जमीन के मुआवजे के लिये दिये गये हैं क्या उतनी ही जमीन जिस प्रकार से ली गई है, जो उसका मुआवजा दिया गया है, जो रकम दी गई है ठीक है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वोल्व्ड हैं, तो इन सारी बातों से इस नतीजे पर पहुंचते हैं और यही मांग करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि यह जांच करवा ली जाये हम चाहते हैं कि सारे मामले की जांच जितनी भी जमीन दी गई है और जितना रुपया दिया गया है इस मसले की जांच की जाय तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा । इससे सारे सदन के सदस्यों की शंकाओं का भी समाधान हो जायगा ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने आपको कहा

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
माननीय सदस्य भी मेरी बात को वैसा ही लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक बात··

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, Hon. Member.

श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय चीथवाडी (त० आमेर) सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी········

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक हाफ अवर का है।

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियम १३१ के अनुसार श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय चीथवाडी, तहसील आमेर से संबंधित मामलों की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में जो तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(१) श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय चीथवाडी (त० आमेर) एक पंजीकृत शिक्षण संस्था है।

(२) श्री बद्रीप्रसाद शास्त्री जो कि स्था के मैनेजर एवं प्रधानाध्यापक थे, कार्यकारिणी की आज्ञा तथा मैनेजर के रूप में विधान के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार कार्य संपादित करते थे।

(३) जहां तक छात्रों के अध्ययन में किसी प्रकार की हानि होते रहने का प्रश्न है इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अतः हानि होने के आधार प्रतीत नहीं होते।

(४) ता० २०-७-६३ से १२ दिन तक अवकाश करने का अधिकार न तो कार्य-कारिणी को ही है और न प्रधानाध्यापक को ही। ऐसी स्थिति में संस्था के मैनेजमेंट को इस कार्यवाही के लिये संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है तथा दी गई सजा की सूचना चाही गई है।

(५) विभाग के पास रकम सहायता प्राप्त करने के जो तथ्य हैं वे इस प्रकार हैं :—

एक लेखक व एक चपरासी के वेतन के रु. ८२८.७५ संस्था द्वारा अवश्य अनियमित रूप से प्राप्त किये गए थे जो कि संस्था से वसूल कर लिये गये हैं और संस्था द्वारा यह अनियमित कार्यवाही करने के फल-स्वरूप संस्था की एक माह की ग्रांट-इन-एड जब्त कर ली गई है। जहां तक उस रकम का बद्री प्रसाद शास्त्री द्वारा हडपने का प्रश्न है अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका है। किन्तु अनियमित रूप से रकम प्राप्त करने के संबंध में श्री बद्रीप्रसाद शास्त्री की भी असावधानी रही है जिसके लिये उन्हें प्रधानाध्यापक पद से हटाकर सहायक अध्यापक बना दिया गया है। तत्संबंधी कार्यवाही आरम्भ है और श्री बद्रीप्रसाद शास्त्री, भू. पू. प्रधानाध्यापक ने इस विभाग को

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
यह सूचित किया है कि उन्होंने संस्था के उप-प्रधानाध्यापक श्री रामस्वरूप दांतोलिया को चार्ज दे दिया है ।

जहां तक विधान में संशोधन कराये बिना तथा रजिस्ट्रार को सूचित किये बिना जो अधिकार मैनेजर के रूप में श्री बद्री प्रसाद द्वारा प्राप्त करने का प्रश्न है श्री बद्रीप्रसाद ने इस कार्यालय को सूचित किया है कि वे समय-समय पर विधान में किये गये संशोधनों की सूचना रजिस्ट्रार को भेजते रहे हैं जब कि इस कार्यालय को श्री प्रभुदयाल (उपाध्यक्ष) द्वारा रजिस्टार से प्रमाणित करा कर दी गई विधान की प्रतिलिपि में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं जुडा हुआ है । नये विधान की समस्या पर भी जांच की जा रही है ।

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : No discussion please.

श्री मानसिंह महार : मुझे इन्फोर्मेशन तो ले लेने दें ।

मेडिकल कालेज में प्रवेश से संबंधित विषय पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने कुछ जवाब देते हुए यह बताया था कि सेकण्ड ईयर टी. डी. सी. के मार्क्स को मेडिकल कॉलेज के अन्दर एडमीशन के लिये वेलिड नहीं माना जाता है । उसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने परेशानी जाहिर की कि जब कि फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के इम्तिहान के मार्क्स को मान लेते हैं तो सेकण्ड ईयर के मार्क्स को क्यों नहीं माना जाता है ? उसके अन्दर उप-मंत्रीजी ने यह जवाब दिया था कि युनिवर्सिटी के ये रूल्स हैं । उसके ऊपर भी यह परेशानी हुई कि यह चीज क्यों होती है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टी. डी. सी. के फर्स्ट ईअर के जो मेडीकल ग्रुप के सब्जेक्ट्स कहलाते हैं उसके अन्दर फर्स्ट ईअर के अन्दर बायोलोजी होती है और सेकण्ड और थर्ड ईअर के अन्दर जो है वह बायोलोजी बाइफरकेट हो जाती है जूलोजी और बोटैनी में । उसके साथ साथ जो सेकण्ड ईअर का इम्तिहान है वह क्वालिफाइंग इम्तिहान नहीं है और उसके अन्दर जो स्टडीज की जाती है वह कम्प्लीट स्टडीज नहीं होती हैं, बल्कि इन्कम्पलीट स्टडीज होती है । वह थर्ड ईअर में जाकर कम्पलीट की जाती है । जो कुछ डिग्री मिलती है वह थर्ड ईअर के अन्दर मिलती है । जहां तक मेडीकल कॉलेज में एडमिशन का सवाल है वहां फस्ट ईअर टी. डी. सी. या इंटर-मीजिएट साइंस विथ मेडीकल सब्जेक्ट्स या बी. एस. सी. विथ मेडीकल सब्जेक्ट्स ही एलिजेबिल है तो बी. एस सी. को बार नहीं किया है, बल्कि बी. एस सी. को वेलकम करते हैं । चूंकि यह पोजीशन आ सकती है कि फर्स्ट ईअर टी. डी. सी. के अन्दर मार्क्स कम हों और सेकेण्ड ईअर करके जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं माना है और उसमें जूलोजी आदि में मार्क्स ज्यादा हों तो वह बेकडोर से एंट्री मेडीकल कालेज में पा ले, इसलिए यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि जितनी भी टेक्निकल कॉलेजेज हैं पर्टीक्यूलरली मेडीकल कॉलेजेज उनके लिए फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. ही रखा गया है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक था ।

एक माननीय सदस्य: On a point of clarification, जहां तक मुझे मालूम है :

श्री उपाध्यक्ष: No clarification, please.

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :

गंग कैनाल तथा राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सरकारी भूमि की नीलामी संबंधी विषय पर चर्चा

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों की दफा १२७ के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल क्षेत्र में एलॉटमेंट और वहां पर होने वाले नीलाम के संबंध में एक मोशन पेश किया था जिसके संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बार इस प्रश्न पर सारे राजस्थान कैनाल क्षेत्र में और गंग कैनाल क्षेत्र में धरती की नीलामी का एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जो कि बड़ा ही घातक था और जिसने हजारों किसानों से उनके कब्जे की भूमि को छुड़ा दिया और उस पर ट्रैक्टर वाले लोगों का कब्जा करवा दिया। बड़े-बड़े भूखंडों के मालिकों ने वहां खुले बाजार में आकर बोली दी और बड़े-बड़े भूखंडों को बोली के अन्दर ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल कोलोनी में धरती के एलॉटमेंट का जहां तक इतिहास है सबसे पहले १९५२ के अन्दर गंग कैनाल क्षेत्रों के अन्दर परमानेंट एलॉटमेंट के तहत धरती एलॉट की गई और उस वक्त ४७ की गिरदावरी को आधार मान कर सन ५२ के अन्दर साढ़े बारह बीघा धरती नहरी एलॉट की गई और १९५६ के अन्दर दुबारा इस संबंध में प्रार्थना-पत्र लिये गये और उस समय आधार यह था कि जो व्यक्ति सन् ४७ से लेकर सन् ५० तक लगातार गिरदावरी लेता आया है वह व्यक्ति एक मुरब्बा यानी २५ बीघा धरती का एलॉटमेंट पाने का हकदार होगा। ५२ से ५६ तक गिरदावरी पेश करेगा वह साढ़े बारह बीघा धरती नहरी एलॉटमेंट करवाने का हकदार होगा। कर्मचारियों की शिथिलता की वजह से या सरकार की शिथिलता की वजह से या राजनैतिक कारणों की वजह से आज ६३ तक गंग कैनाल कोलोनी के अन्दर सरकार की जितनी भी धरती पड़ी हुई है वह सारी की सारी एलॉट नहीं हो सकी।

१९५६ के अन्दर धरती के एलॉटमेंट का जो क्षेत्र था वह इस प्रकार से था कि ३०,७६३ दरख्वास्तें लैंड एलॉटमेंट के लिये पेश की थी। सरकार ने जो कानून पक्का एलॉटमेंट ऑफ धरती के लिये बनाया था उस कानून के द्वारा केवल ४८६२४ दरख्वास्तों को धरती एलॉट हुई और १८.५५६ दरख्वास्तें इस धरती के एलॉटमेंट से महरूम ही रखी गईं। ७२६३ दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी रहीं और १८,६३५ दरख्वास्तें रिजेक्ट हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, ७२६३ दरख्वास्तों के अन्दर इस वर्ष केवल कोई ५००-६०० लोगों को परमानेन्ट एलॉटमेंट हुआ है और इसमें दरख्वास्तें बाकायदा चली आ रही हैं।

जिस प्रकार का कानून सरकार ने गंग कैनाल के अन्दर धरती के एलॉटमेंट के संबंध में बनाया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह चम्बल क्षेत्र के अन्दर धरती के एलॉटमेंट के जो कानून हैं, उससे बहुत सख्त हैं, भाखरा क्षेत्र के धरती के एलॉटमेंट के कानून से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बहुत सख्त है, और बीकानेर रियासत के अन्दर राजाओं के जमाने के धरती के एलॉटमेंट के कानूनों से बहुत ज्यादा सख्त कानून है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून ३०,००० लोगों के अन्दर से २५,००० लोगों को धरती नहीं देते हैं और केवल ५००० लोगों को धरती देते हैं उन कानूनों की वीभत्सता और भयंकरता का आप विचार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, १० किश्तों का सरकार ने रखा है और १३०००) रु. सरकार ने कीमत रखी है एक मुरब्बे की। अभी सरकार ने रियायतों की घोषणा की है कि ५२ के बजाय ५३ की गिरदावरी को आधार मान लेती है लेकिन साथ ही साथ सन् १९५२ से जो एलॉटेड हैं, अगर ६३ तक लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं अगर साढे बारह बीघा धरती लेना चाहते ह तो मार्केट की रिपोर्ट से कीमत दें।

जहां मुरब्बे की कीमत २५,०००) ३०,०००) है और सरकार इस बात की आशा लगाती है कि ३०,०००) में एक भूमिहीन किसान ले ले। मैं यह भी कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इन ३० हजार लोगों की दर्ख्वास्तों को स्क्रूटिनाइज किया जाय तो उनमें से २५-२६ हजार हरिजन हैं। ७० परसेन्ट से ज्यादा हरिजनों और पिछडे हुए लोगों के साथ सरकार न्याय कर रही है वह इसके अन्तर्गत आ जाता है। सरकार ने दस किश्तों में रकम देने का प्रावधान रखा है लेकिन इन दस में से एक भी किश्त वह गरीब अदा नहीं कर सके तो वह उस धरती का हकदार नहीं रहता है, उसका कब्जा हट जाता है और वह धरती बेच दी जाती है। गंगानगर जिले के निर्धन लोग, निर्धन किसान किस प्रकार जमींदार के नीचे गरीब किसान कुचले जा रहे हैं और किस प्रकार भ्रष्ट नौकरशाही उनको राहत नहीं देती इसके बारे में मिसाल के तौर पर कुछ फोटोस्टेट कॉपीज गिरदावरी की आपके सामने लाया हूं जिसे सदन की मेज पर रखूंगा। किस प्रकार पटवारी और तहसीलदार उनके साथ खिलवाड करते हैं। मैं कुछ पत्र सदन की मेज पर रखता हूं जिनमें पटवारियों ने तहसीलदार के अटेस्टेशन के बावजूद बदल दिया है, यह उनके लिये एक मामूली बात है। सरकार सन् ४७-४८ से लेकर ६३ तक की लगातार गिरदावरी मांगती है और सरकार अपने ही कानून में खुद बंधी हुई ४८ से ५२ तक ५ साल का राजस्व मांगती है और सरकार को सन् ६३ तक की गिरदावरी धरती एलॉट करने के लिये चाहिये। एक गरीब हरिजन पटवारी, नंबरदार और तहसीलदार को कैसे खुश करे जो एक एक गिरदावरी की एन्ट्री के लिये सौ–सौ रुपये मांगते है। इसके अलावा कचहरियों की ठोकरें उनको अलग खानी पडती हैं। मैंने सरकार से कई बार प्रार्थना की, मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, धरती एलॉट करनी चाहिये लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन गरीबों से कहा जाता है कि मालशुमारी निकाल कर लाओ तब एलॉट करेंगे। वे मालशुमारी कहां से लावें सरकार के खुद के पास रजिस्टर है, मालशुमारी और गिरदावरी का रेकार्ड है उससे नहीं देखते, लेकिन कहा जाता है कि आज तक ५२ से अबतक धरती एलॉट हुई है उनको निकाल कर लाओ। ये सारा रेकार्ड एलॉटिंग ऑफिसर की टेबल पर होना चाहिये। गिरदावरी निकालने के लिये हरिजनों के कपडे चिथडे चिथडे हो गये, उनके कपडे बिक गये शरीर पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पर ठठरी रह गई, मांस निकल गया लेकिन यह गिरदावरी इतनी मंहगी चीज है कि नहीं हाथ आ सकती ।

यह सब हुआ सो तो हुआ ही। अब सरकार ने इस वर्ष यह किया कि लोगों की फसलें ३० जून के बाद नीलाम कीं । एलॉटमेन्ट की कार्यवाही आरम्भ नहीं हुई थी तब एक तहसीलदार ने रायसिंहनगर में आकर १ लाख ६४ हजार बीधा जमीन नीलाम की । इसी प्रकार करणपुर में नीलाम की । करणपुर में और दूसरी जगह लोगों का कब्जा बदल दिया । जिन लोगों का धरती पर दस साल से कब्जा था उनको कलेक्टर ने कहा कि धरती सरकार की है, दूसरों के कब्जे चली गई तो क्या हुआ । जिन लोगों ने धरती को आबाद किया, बंजर तोड़ा, खाद डाली, अपना लोहू डाला उनके बच्चों को सांपो ने डसा, जिन्होंने पोष और माघ के महीनों में थरथराती ठड में उस धरती में पानी लगाया, गंगानगर की भयानक गर्मी में जिन्होंने जिस धरती को संवारा, उनके १०-१२ साल के कब्जे का कोई लिहाज नहीं । यह धरती खुले आम नीलाम कर दी गई मजाक समझा है नौकर-शाही ने । नीलाम कब की, मैं नोटिसेज़ लाया हूं उनको सदन की मेज पर रखूंगा । ३० जून के बाद कपास जब खेतों में लहलहा रही था, कपास के अन्दर फूल आ चुके थे उस वक्त खड़ी हुई कपास नीलाम कर दी गई । कब्जा तब्दील कर दिया । रायसिहनगर तहसील में सरकार को मुंह की खानी पडी । वहां पर किसानों ने नीलाम की जगह पहुंच कर उनका डट कर विरोध किया और एक बीघा जमीन भी नीलाम नहीं होने दी । बाकी तहसीलों में सारा कब्जा बदला गया लेकिन इस तहसील के लोगों ने अपनी धरतीको संभाला ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सन् ५२ में ५ साल की गिरदावरी के आधार पर सरकार धरती एलॉट करती है तो क्या कारण है कि सन् ६३ में ५८ से ६३ तक की गिरदावरी देख कर सरकार एलॉट क्यों नहीं करती ?

अब मैं आपका ध्यान राजस्थान कैनाल की ओर दिलाना चाहता हूं । एक और जेतसर फार्म का निर्माण हो रहा है । मुझे ऐतराज नहीं है, ४० हजार एकड़ भूमि में भारत सरकार ने जेतसर में एग्रीकल्चरल फार्म का निर्माण करने का फैसला किया है, उस पर । मैं सदन में बता चुका हूं कि मैं उसके पक्ष में हूं । लेकिन यह फार्म राजस्थान कैनाल से ३६,००० एकड में ईरिगेट होगा उसमें से कहीं से ४ हजार एकड ले सकते हैं लेकिन गैर कब्जे की भूमि ले लें । हजारों एकड गैर कब्जे की पडी हैं। यह तो एक चीज रही। इसके अलावा सरकार ने दो-तीन हजार से अधिक जागीरदारों को धरती दी । मुझे ऐतराज नहीं इस पर क्योंकि जो धरती लेने वहां पर गये वे निर्धन हैं, अमीर नहीं है लेकिन उनकी जिन्दगी सरकार ने कहर बनादी है जिन्होंने बंजर भूमि पर कब्जा किया था, १०-१२ साल में आबाद किया उस पर जागीरदार और भोमिये बस गये । इस पर झगडा हुआ । अगले धरती नहीं देना चाहते थे, आपस में फूट की स्थिति पैदा हो गई । ऐसा ही एक ड्रामा सरकार ने पिछली साल किया था। पिछडे हुए लोगों की धरती सरकार ने एलॉट कर दी थी । जिसके बारे में एक से अधिक पत्र मैं मुख्य मंत्रीजी को लिख चुका हूं, उनसे इस बारे में मिल भी चुका हूं । वह धरती जागीरदारों को एल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कर दी। कापडिया लोग कब्जा नहीं छोडना चाहते थे। आपस में लडाई हुई, कानून तक की शरण लेनी पडी। पंचायत ने रिक्वेस्ट की। सरकार ने कहा कि कापडियों को दूसरी धरती एलॉट कर दी जायगी। जिन जागीरदारों को धरती दी वे भी सुखी नहीं हैं। एक-एक घर में अन्याय के कारण असंतोष फैल गया है। जिन कापडियों को बेदखल कर दिया गया है। वे आज भी भटक रहे है उनके बारे में.......

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): यह कौन से प्रश्न का क्लेरिफिकेशन है, जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: चर्चा चल रही है, बिल्कुल पॉइन्ट पर हूं। आपको परेशानी पैदा हो रही है। मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बातें कह रहा हूं। दफा १२७ की तहत एलॉटमेन्ट और जमीन की नीलामी पर चर्चा चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, रियासतों के जमाने में, गंगासिहजी के जमाने में जिन्होंने गंग केनाल का निर्माण कराया था, जिन राजाओं के जमाने को हमने जी भर कर कोसा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन राजाओं के बनिस्बत आज की सरकार के कानून ज्यादा प्रतिक्रियावादी हैं। गंगासिहजी ने कापडियों को रियायतें दी थीं, जिनको मालकाना हक दिया था उनको इस सरकार ने आपस में लडा कर बेदखल कर दिया। उनकी धरती के टुकडे कर दिये। उनको जो रियायतें रियासत के समय दी गई थीं वे डॉक्युमेन्ट सदन की मेज पर रखूंगा। मुख्य मंत्रीजी को मैंने कई बार पत्र लिखे, कलेक्टर, गंगानगर ने जवाब दिया उसको इन्कार किया उस पर एक बार प्रश्न पूछा तब मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि रियासत के जमाने में कोई रियायत नहीं दी गई थी...

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: you are misguiding. I simply said that those rules in vogue do not permit that concession.

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात उन्होंने कही थी वह सदन की कार्यवाही में से निकाल कर देखी जा सकती है। मैं वे डॉक्यूमेन्ट सदन की मेज पर रख दूंगा जिससे वे मेरे भाषण के साथ संलग्न रहेंगे। मैं राजस्थान कैनाल क्षेत्र में लैंड के अलॉटमेंट के सम्बन्ध में कह रहा हूं, एक ओर सूरतगढ में चालीस हजार का रकबा रखना जरुरी है जहां लोग आबाद हो चुके हैं. दूसरी ओर २३ हजार जागीरदार और बाकी के लोगों के अलॉट कर दी है और तीसरी ओर सरकार ने हजारों की तादाद में नोटिस इश्यू किये हैं। कम से कम पन्द्रह हजार लोगों को नोटिस इश्यू किये हैं। मैंने पेट्रियोट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने कहा था कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में नोटिस इश्यू करके पन्द्रह हजार लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही की है। इस पर उप-मंत्री लड्ढा ने पत्रकारों के सामने कहा था कि हांडा झूठ बोलता है, वह एग्जजरेट करता है। मैं चैलेंज करता हूं, पेट्रियोट में दिया हुआ मेरा स्टेटमेंट सही था और वहां पन्द्रह हजार किसानों को नहीं बीस हजार किसानों को बेदखल कर दिया गया है। वह नोटिस क्यों दिये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय? यह नोटिस सरकार ने एक परेशानी की वजह से दिये हैं, और उसके दो तीन कारण थे—एक यह कि टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ए थी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिसके तहत कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत बनी हुई कोलोनीज के ऊपर वह लागू नहीं होता था और राजस्थान में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में खातेदारी के हक नहीं दिये जाने का इसमें उल्लेख किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, उस संबंध में सारे केल्कुलेशन कमिश्नर कोलोनाइजेशन से मांग गये। सरकार ने कहा था कि नौ करोड़·····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा समय अभी है। मैंने आठ बजने में बीस मिनट पर शुरू किया था। अभी दस मिनट और बाकी है·········

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री): आप पूरा समय ले लेंगे तो जवाब कहां से आयेगा ?

श्री **रामरतार जड़ा** (उप-मंत्री, राजस्व): जवाब कहां से आयेगा ? जवाब के लिए बात नही कहना चाहते हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: समय तो आपका खत्म हो चुका है या जल्दी खत्म हो जायगा।

मैं अर्ज कर दूं कि उन लोगों ने हाई कोर्ट में दावा किया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें १५ ए को अल्ट्रा वायर्स करार दिया है। इसलिए सरकार ने उन लोगों को, जिनको राजस्थान कैनाल क्षेत्र में खातेदारी हक मिलने वाले हैं, उन्हें खातेदारी हक न दिये जाने की नीयत से हजारों की तादाद में नोटिस इश्यू किये हैं। इसके अलावा राजस्थान कैनाल क्षेत्र में अलॉटमेंट के सरकार ने दूसरे कोई रूल्स नहीं बनाये हैं और न ही कोई रूल्स पब्लिश हुए हैं। सरकार सिर्फ एक मान्यता के तहत राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जमीन अलाट करती है और वह यह है कि १९५५ से लेकर आज तक जो मालशुमारी की उस मालशुमारी को सरकार सबूत मानती है। गिरदावरी को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सबूत नहीं मानती है। मालशुमारी के अलावा किसी को सबूत नहीं मानती। इसके साथ ही गंग कैनाल क्षेत्र में किसी चीज को सबूत नहीं मानती। उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक आदमी ने इन्द्राज करा लिया, दर्ज करवा लिया तो वह इस बात का सुबूत हो गया कि वह गंग कैनाल क्षेत्र में रहता है। लेकिन एक आदमी गिरदावरी के आधार पर कहता है तो वह इस बात का सुबूत नहीं कि वह गंग कैनाल क्षेत्र में रहता है। वे लोग राजस्थान के हैं। कोई पंजाब के किसान नहीं हैं। पंजाब के किसानों ने राजस्थान में जमीन ली नहीं है। जो वर्षों से वहां काश्त करते हैं और रहते हैं और जिनकी गिरदावरी में इन्द्राज है, उनको खातेदारी हकूक नहीं देना चाहते, लेकिन उनको देना चाहते हैं जिनका नाम मालशुमारी में दर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हजारों की तादाद में नोटिस देकर लोगों की जमीन केंसिल करके इस अकालग्रस्त क्षेत्र में, राजस्थान कैनाल के सारे क्षेत्र में सरकार ने जमीन की नीलामी की है। इस नीलामी के अन्दर जिनके पास चालीस चालीस मुरब्बे थे, जो बड़े-बड़े लोग थे वे नीलामी की जगह पर गये और एक एक ने पचास-साठ मुरब्बे जमीन ली और गरीब लोगों को बेदखल कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं निवेदन करूंगा····

श्री **उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिस प्रकार सरकार ने कानून · · · जिस तरह आप दांत निकाल रहे हैं दूसरे नहीं निकाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो नई धरती का अलॉटमेंट हो रहा है और गरीब लोगों को जो जमीन मिल रही है उसका मैं जीता जागता सबूत लाया हूं। सरकार का कानून है कि १९५२ की जो गिरदावरी है, १९५३ की जो गिरदावरी है, उसके अनुसार धरती अलॉट हो जायगी। साथ ही अनूपगढ में पांच चकों के ऊपर सरकार ने धरती अलॉट की है फौजियों के नाम से। वे गरीब फौजी नहीं हैं, वे फौजी हैं, डी० आई० जी०, ए० डी० एम० मेहता साहब। इन फौजियों के अन्दर बडे–बडे कर्नल हैं····

श्री **मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री): कर्नल भी फौजी हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: बडे बडे कर्नल उन फौजियों में हैं और गरीब फौजियों के नाम से धरती अलॉट नहीं की गई है। सरकार यह नहीं जानती है कि वहां के रहने वाले लोग कौन थे? जिन लोगों ने वहीं बंजर को तोडा था, जो वहां आबाद थे, उन बावरियों को सरकार ने बेदखल कर दिया है। इसके बावजूद भी उनको बेदखल कर दिया गया है कि १९५२ से उनके पास पट्टे मौजूद हैं। वे पट्टे मैं सदन की मेज पर रखता हूं, क्योंकि सरकार के कारकूनों को और वहां के कलेक्टर को इतनी फुर्सत नहीं है कि जिनके पट्टे १९५२ से चले आये हैं, उनके पट्टे को देखें और उनको जमीन अलॉट करें इसलिए मैं सदन की मेज पर इन बावरियों के पट्टे, जो पिछडी हुई जाति के लोग हैं, रखता हूं। इनको आप देख लीजिये। इन लोगों को गिन गिन करके खत्म कर दिया है, इसमें भी सरकार को शर्म नहीं आती····

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): भाखरा रह गया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: भाखरा को इसके जुरिस्डिक्शन के अन्दर नहीं लिया है। मैं आपकी परेशानी को समझता हूं····

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मैं परेशान नहीं हूं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: अंत में मैं कह दूं कि जिस प्रकार गंगानगर के भूमिहीन किसानों के साथ और राजस्थान कैनाल के किसानों के साथ उप-मंत्री महोदय आप बर्ताव कर रहे हैं, जिस प्रकार सीलिंग के अन्दर और उसके अलावा दूसरी रियायतें देकर वहां के जागीरदार किसानों को आप मालामाल करना चाहते हैं, जिस प्रकार हारे हुए मंत्री सेठों और जागीरदारों से चन्दा इकट्ठा करके लाखों रुपया एकत्रित करके उन लोगों को सीलिंग के कानून के अन्दर और दूसरे···

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: सीलिंग पर बहस आज ही है।

श्री **चन्दनमल बैद** (उप-मंत्री, उद्योग): जागीरदार तो आपके पीछे हैं एक तो।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: तरीके से उनको रियायतें देकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि वहां जो बावरिये हैं, जो भूमि-हीन किसान हैं, उन भूमि हीन किसानों को तीस हजार एकड धरती दीजिए। लेकिन जिस सरकार का समाजवाद का नारा है, उस सरकार ने भूमिहीन किसानों को जमीन के टुकडे न देकर उस धरती का खुले आम नीलाम किया है और उनको बेदखल कर दिया है। आप जिस धरती का अन्न खाते हैं···

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप नहीं खाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उस धरती से उनको बेदखल कर दिया है। उनका लहू उबल रहा है, उनके दिलों में शोले जल रहे हैं और वे शोले आपको जलायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): Address to the Chair not to us.

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री): On a point of Order, half an hour has already been taken by the Hon. Member and no time has been left for the Hon. Minister now.

श्री उपाध्यक्ष: It is not half an hour discussion.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनूपगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जीवन की सारी जानकारी, जो वे इस सम्बन्ध में कर सकते थे उस सारी जानकारी को सदन के समक्ष व्यक्त कर दिया है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उस वक्त आपकी आंख नहीं खुली, इसलिए सारी बातें कहीं।

श्री उपाध्यक्ष: Now the Hon. Member will please listen.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो उन्होंने डिस्कशन उठाया उसमें दो स्पेसिफिक चीजें थीं, लेकिन उन पर कुछ न कह कर जो उन्होंने मुद्दे उठाये, सदन के सामने और बाकी दुनिया भर की चीजों के ऊपर भावनात्मक बहस की, मैं उन सब चीजों का जवाब देने के बजाय जो खास मुद्दे हैं, जो दो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उन पर अपना जवाब महदूद रखूंगा।

सबसे पहले राजस्थान कैनाल के संबंध में प्रश्न उठाया कि वहां सैकडों हजारों आदमियों को बेघरबार कर दिया है, उनके कब्जे से जमीन हटा कर उस जमीन का अलॉटमेंट कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में डेढ साल से ऐसी मुतवातिर आवाज उठाई गई, जिस पार्टी से माननीय सदस्य आते हैं, उस पार्टी के सदस्यों में से आवाज उठाई कि जो पड़त जमीन है, सरकारी जमीन है उसको सरकार बेच क्यों नहीं देती, अलॉट क्यों कर देती है, क्यों नहीं ...

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): जो भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन हैं......

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं कह रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह: वह भी भाखरा क्षेत्र के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो इधर से कहा जाता है....

श्री श्योपतसिंह: ये गलत कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उसमें गलती हो सकती है!

श्री श्योपतसिंह: हमारी पार्टी ने यह कहा है कि जो एक साल.......

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया।

श्री श्योपतसिंह: आपने कहा कि पार्टी के सदस्यों में से कहा। मैं पार्टी की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की इस प्रकार की परिपाटी है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं बहस सारे इलाके की कर रहा हूं। उस बहस में निवेदन कर रहा था कि इस सदन में प्रश्न उठाये जाते थे कि यह जमीन अलॉट क्यों नहीं की जाती, क्यों बेकार पडी रहती है, क्यों नहीं इसको अलॉट करके राष्ट्र का प्रोडक्शन बढाया जाता। लेकिन जब जमीन अलॉट की जाती है और अलॉट करके प्रोडक्शन बढाने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि ६० मुरब्बे उसको दे दी, इतनी उसको दे दी......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: नीलाम करके दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गंग कैनाल में जो अलॉटमेंट होता है, राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो अलॉटमेंट होता है,—इन दोनों में जो अलॉटमेंट किया जाता है वह निश्चित रूल्स के तहत किया जाता है। उनमें यह बताया गया है कि कितनी जमीन किस प्रकार अलॉट की जाती है। यह भी बताया गया है कि कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वह अपील कर सकती है, रिवीजन करा सकती है। यह नहीं है, जिसे चाहा उसे अलॉटमेंट कर दिया और अलॉटमेंट के रूल्स के तहत दी है उसकी अपील नहीं हो, रिविजन नहीं हो। जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र में, जिसके लिए सदन में आवाज उठाई, ८६ हजार बीघा जमीन अलॉट की है, वह लीजेज की बेसिस पर अलॉट की है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक को नहीं दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Please ! I am coming to that point.

जब एक की एप्लीकेशन होती है जमीन के लिए तो उसे दे देते हैं। लेकिन जब एक एक जमीन के लिए दो-तीन आदमियों की एप्लीकेशन्स होती है तो बिना नीलाम किये वह जमीन नहीं दे सकते। अब नीलाम किनको करते हैं, लीज होल्डर्स को नीलाम करते हैं। जब एक जमीन के लिए दो दर्ख्वास्तें होंगी और अगर उनमें से एक का दे देते हैं तो माननीय सदस्य यहां पक्षपात करने का प्रश्न उठायेंगे ....

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा सदन की मेज पर कागज रखने को उठे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहारी बाजार, जयपुर): Now you are going to that side for a physical fight !

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसलिए नीलाम करके दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I feel like that

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल क्षेत्र में परमानेंट रूल्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं, इसलिए परमानेंट अलॉटमेंट नहीं कर सकते। जो जमीन अलॉट हुई है वह टेम्प्रेरी लीज के ऊपर देते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन को नुकसान नहीं हो। लेकिन माननीय सदस्य को उस पर भी शिकायत होती है। ऐसे आदमियों को शिकायतें होती है। जो बोली नहीं लगा सकते हैं। उनका मैं क्या करूं। इसलिये जो लोग बोली लगाते हैं और बोली में ज्यादा बढते हैं वे लोग ही पाते हैं, और अगर किसी को इससे गुरेज हो या शिकायत हो तो वे अपील में जा सकते हैं..........

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : लैंड वाले भी बोली लगा सकते हैं ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : अगर इस प्रकार के एलॉटमेंट में कोई लैंड ओनर भी इस कानून के परव्यू में आता है तो ले सकता है । अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीव्ड हो, वह शिकायत कर सकता है और वे अपील कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं । इस संबंध में अगर वे लोग नहीं करते तो मैं श्री हांडा को ही एग्रीव्ड मान लेता हूं । अगर वे ही इन बातों की शिकायत करके साबित कर दें । इतनी हिम्मत श्री हांडा में होनी चाहिये कि वे शिकायत करके इन बातों को साबित करें कि यह गलत एलॉटमेंट हुआ है । मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि गंग कैनाल एलॉटमेंट १९५२ में · · · ·

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गडबडी एलॉटमेंट में हुई है · · · ·

श्री **उपाध्यक्ष**: Order! Order plese!!

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : गंग कैनाल में हमने सन् ५२ में एलॉटमेंट किया था । हमारी यह शर्त थी कि १।५ रकम उसी वक्त जमा करावे व बाद में किश्तें समय पर जमा करावें । मगर ३,५०० केसेज ऐसे हैं जहां पर पांच, चार या तीन किश्तें दीं, और किश्तें चढ गई और वे किश्तें नहीं दे रहे हैं । जब वे किश्तें नहीं देते हैं तो उनको किश्तें देने के लिये नोटिस दिया गया । अब भी २२८ आदमी ऐसे है जिन्होंने केवल ५ किश्तें ही जमा कराई है । हमने फिर उनको समय दिया है कि बाकी की किश्तें जमा कराओ ताकि तुमको बेदखल नहीं किया जावे । मगर फिर भी वे किश्ते जमा नहीं करा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बेदखल करने के अलावा क्या किया जा सकता है ? दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि २,३०० केसेज ऐसे थे जिसमें हमारी शर्त यह है कि पहली किश्त जो एलॉटमेंट के साथ दी जाती है वह एक महीने के अन्दर देनी पडती है, मगर वह किश्त नहीं दी गई और उसके लिये हमने कलेक्टर को ६ महीने का समय देने का उनको अवसर दिया । लेकिन आज तीन-तीन साल का समय हो गया लेकिन फिर भी वे जमा नहीं करा रहे हैं । उनको हमने नोटिस भी दिया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी उन्होंने जमा नहीं कराया है ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please!

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपने समय रखी · · · · · ·

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री रामप्रसाद लढ्ढा दोनों साथ-साथ बोलने लगे)

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please !

श्री **रामप्रसाद लड्डा** : उपाध्यक्ष महोदय, १५ जून इस साल रखी । १५ जून के बाद भी वे जमा नहीं करावें तो क्या करना चाहिये ? अगर हमें उनको जमीन से बेदखल करना पडता है तो माननीय सदस्य शिकायत करते हैं और अगर उनको जमीन से बेदखल नहीं करते हैं तो माननीय सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि कानून की पाबन्दी सरकार नहीं करती । अगर कानून की पाबन्दी करते हैं तो आक्षेप होते हैं और कानन का पालन नहीं करते हैं तो आक्षेप होते हैं । तो हमारे लिये क्या करना है ?

एक माननीय सदस्य : नियमों में परिवर्तन लाइये ।

(शोरगल)

Page No 177

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी तरह से हम परमानेंट अलॉटमेंट के बारे में विचार करें और माननीय सदस्य सोचें तो उनको मालूम होगा कि टेम्पोरेरी लीज होल्डर्स हैं उनको हमें हटाना होगा। क्योंकि परमानेंट एलॉटमेंट जिसको हुआ है उसको पहले भूमि मिलेगी। अगर वह परमानेन्ट लीज होल्डर की तारीफ में आता है तो अलग बात है और अगर नहीं आता है तो नियमों के अनुसार उसको हटाना होगा। यदि नियमों के अनुसार किसी को बेदखल होना पडेगा तो यह भावना पैदा करना और किसानों के नारे लगाना कि यह किसानों के हित में नहीं है, उचित नहीं होगा।

मैं दूसरी बातों का जवाब नहीं देता हूं। यही निवेदन करूंगा कि जो दो मुद्दे आपने उठाये हैं उनमें कोई मूलभूत आधार नहीं है केवल उनकी स्वयं की भावना है और कुछ लोगों की भावना को उकसा कर गलत भावना पैदा की गई है।

जोधपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में यूनियन के चुनाव संबंधी झगडे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव पेश हुए थे : श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री मानिक चन्द सुराणा, श्री मुकुटबिहारी लाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा जिनको अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन आदेश दिया कि माननीय मंत्री इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे। एक तो

स्थगन प्रस्ताव

इसके बारे में और दो प्रस्ताव श्री हरदत्त सिंह और श्री केदारनाथ के थे जिनको भी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी, उसके बारे में भी अब स्टेटमेंट देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि आखिर हमें कितनी देर तक फिर सदन में बैठना है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आखिरी आइटम है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में यूनियन के चुनाव के संबंध में हुए आपसी झगडे के बारे में रखा है। इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में यूनियन के चुनाव सितम्बर में हुए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार खडे हुए थे, उनके आपस में बराबर वोट आने की वजह से चुनाव दुबारा कराने के आदेश दिये गये। जब से यह फैसला हुआ तो एक दल जो अपने आपको एक वोट से जीत रहा कहता था और दूसरा पक्ष जिसके लिये यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया था कि चुनाव वापिस हों, इस संबंध में दो दलों में मनमुटाव हो गया और दुबारा चुनाव हुए तो जिस समय चुनावों का नतीजा घोषित किया जा रहा था उस समय यूनिवर्सिटी केम्पस में दो दलों में जो एक दल हार गया और दूसरा जीत गया था आपस में झगडा हुआ और वहां पर दो स्टूडेंटों के और एक प्रोफेसर के मामूली चोट आई।

(श्री मथुरादास माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें पहले ही मालूम था कि यह होने वाला है । इसलिये पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज को पहले से ही आगाह कर दिया था कि आप यदि हमारी सहायता इसके लिये लेना चाहें तो हम सहायता देने के लिये तैयार हैं । रजिस्ट्रार और वाइस-चान्सलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी केम्पस में पुलिस को आने की जरूरत नहीं है हम खुद देख लेंगे । इसलिये यूनिवर्सिटी केम्पस में पुलिस नहीं गई कुछ लडके यूनिवर्सिटी केम्पस में लकडियां इकट्ठी कर रहे थे । इसकी सूचना भी पुलिस ने रजिस्ट्रार को दी और उसके बाद में रजिस्ट्रार न वहां पर तलाशी भी कराई लेकिन कोई लकडियां नहीं मिली, इसलिये वहां पर जो कुछ भी चीज हुई उसके लिये पुलिस कतई जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि पुलिस को यूनिवर्सिटी केम्पस में नहीं आने दिया गया । इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज ने जो घटना केम्पस में हुई उसकी कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई ।

माननीय उपाध्यक्ष, जब एक दल जीत गया और उसका जुलूस यूनिवर्सिटी केम्पस से निकला त्योंही वहां पर सडक पर दूसरे दल के स्टूडेंट अचानक ही लकडियें लेकर आये और उन पर हमला किया । वहां पर पुलिस के लोग प्लेन क्लोथ्स और कुछ यूनिफॉर्म में भी थे । वहां पर एक कान्स-टेबल के व सी. आई. के हाथ में मामूली चोट आई । पुलिस ने बीच-बचाव करके दोनों दलों को बखेर दिया । और १४३ और १४७ व ३३२ में केस दर्ज किया । यह केस उदय मन्दिर थाने में दर्ज है । उसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी केम्पस में रात भर पैट्रोल किया और होस्टल की हिफाजत के लिये पूरा प्रबन्ध किया गया । रात को शांति रही और अब पूरी शांति है ।

उपाध्यक्ष महोदय······

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : इसमें कई स्टूडेण्टों को एरेस्ट भी किया है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : कोई एरेस्ट नहीं हुआ है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अखबारों में है कि पांच छात्र एरेस्ट हुए और पुलिस ने कुछ लकडियों के बण्डल पकडे हैं ।

श्री **मथुरादास माथुर** : अभी तक मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार कोई विद्यार्थी गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

नीम का थाना पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार व्यक्तियों की मृत्यु संबंधी स्थगन-प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरा स्थगन प्रस्ताव माननीय सुराणा साहब ने रखा है । इस स्थगन-प्रस्ताव के सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि तारीख १५-१६ सितम्बर की बीच की रात को नन्दा वल्द भूरा मीणा और उसके साथ एक और मीणा, ये दोनों एक ब्राह्मण के मकान में घुसे, बर्गलरी की और ब्राह्मणी के सिर पर का बोरला छीन कर चोरी कर के भागने लगे । उस वक्त वहां पर उस ब्राह्मण ने हल्ला किया और चोरों के पीछे-पीछे भागा, आगे-आगे चोर और पीछे पीछे ब्राह्मण । गांव के लोग भी हल्ला—गुल्ला सुन कर इकट्ठे हो गये और चोरों के पीछे-पीछे भागने लगे । नीम-के-थाने में कपिल मंडी के चौकीदारों

(श्री मथुरादास माथुर)
ने भी हल्ला गुल्ला सुन कर दोनों मीणों को पकडने की कोशिश की । एक मीणा तो एब्स्कोन्ड हो गया और दूसरा पकड में आ गया । इस मीणे के पास एक लकडी थी । वह लाठी चलाने लगा । पचास-साठ गांव वाले भी इकट्ठे हो गये और पुलिस वाले जो कपिल मंडी में गश्त कर रहे थे, वे भी इकट्ठे हो गये । मीणे ने बडे जोरों से लकडी चलाई, जिससे गांव के चार पांच लोगों के चोटें आईं । रात को साढे तीन बजे मुकदमा दर्ज किया गया और रात को साढे चार बजे उसको गिरफ्तार किया गया । जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई उसमें लिखा. गया कि नन्दा मीणा के शरीर पर १७ चोटें लाठी की हैं । उसे लेकर थाने में रखा गया । सुबह ७ बजे उसने रिपोर्ट की कि मेरे शरीर में दर्द है तो उसको नीम-के-थाने के अस्पताल में सुबह ८ बजे भर्ती करवा दिया गया । डाक्टरी मुआयना हुआ और जो चोटें थीं उनका हवाला डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दिया है जो १७ चोटें उसके लाठी की आई थीं । साढे तीन बजे शाम को उसकी तबीयत खराब होती है और मीणा नन्दा मर जाता है । मरने के बाद में उसका पोस्ट मार्टम हुआ, जो उसके शरीर पर १७ चोटें थीं वे तो थी ही, उनके अलावा उसकी रिब एट्थ या सेवन्थ रिब है, पूरी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । पर उसकी एक रिब टूट गई थी । डाक्टर ने लिखा है :

"On account of Commulative effect of the injuries...... "

जो इंजरीज थीं, उनका असर बताया, क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट से उसकी डैथ हुई । उसके बाद उसके दोनों भाई, प्रोबलेम्ड ऑफेण्डर्स हैं । उसके कोई लडका, बीबी, बाल-बच्चे नहीं; तो सवाल पैदा हुआ कि लाश किसको दी जाय । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीम-का-थाना में रहता है । आखिर नन्दा के कजिन को उसकी लाश दी गई । उसके एक भाई का नाम श्योपत······

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरे का नाम हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक का नाम लड्ढा ।

श्री मथुरादास माथुर : और दूसरे भाई का नाम महादेवा, जो दोनों पहले से ही प्रोब्लेम्ड आफेण्डर्स हैं, इसलिये नन्दा की लाश उसके कजिन ब्रदर को दी गई । नन्दा की उम्र ५० साल की थी । डाक्टर को पूछा गया कि नन्दा का डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिया गया तो कहा कि नन्दा के शरीर पर जो चोटें थीं इस किस्म की थीं कि जिनकी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन लेने की जरूरत नहीं थी ।

यह वकैय्यात है । इस किस्से का मेरे पास माननीय सदस्य का सुबह ११ बजे नोटिस पहुंचा । मैंने टेलीफोन के जरिये सूचना प्राप्त की है वह मैंने सदन के सामने रख दी । आगे इंववेस्ट चल रही है, उसका रिजल्ट आने पर माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष, जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को तो आपने एडमिट किया है कि उसकी डैथ क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट से हुई जो १७ चोटें उसके आईं । इस बात को भी मंजूर किया है कि रात के साढे चार बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। चोरी कर चुका था उसके बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया था ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेने के बाद किस प्रकार गांववासियों की हिम्मत हो सकती है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में पीटें।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप मंत्री शिक्षा) : There can not be a speech.

श्री **माथुरादास माथुर** : मैंने जो कहा आप समझे नहीं। मैंने निवेदन किया कि पुलिस तो बाद में आई। पहले उसने गांव वालों पर लकडी से वार किया तो गांव वालों ने भी उस पर वार किये। उसके बाद में पुलिस पहुंची है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : माननीय उपाध्यक्ष ....

श्री **उपाध्यक्ष** : आप भाषण न दें, क्लेरिफिकेशन मांग लें।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं क्लेरिफिकेशन के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि एक दिन पहले प्रयागपुरा थाने के बारे में वक्तव्य दिया और आज फिर मुझे बडे अफसोस के साथ, इस प्रश्न को उठाना पडा। हमें कोई खुशी नहीं होती है इस तरह के प्रश्न यहां उठाने में। हम कोई फर्जी मामले क्रियेट नहीं करते हैं। जब इनफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इस प्रकार की दुःखद घटनायें घटती हैं और इनकी सूचनायें आती हैं तो उन्हें सदन के सामने रखना पडता है। वह रात को साढे चार बजे गिरफ्तार किया गया और दिन के ३ बजे मर गया। वास्तव में वह कहीं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया, न कोई उसका इलाज कराया गया। यह सारी घटना यह सारी बीटिंग पुलिस कस्टडी में हुई है।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष, सुबह ११ बजे एड्जर्नमेंट मोशन रखते हैं और आज की आज सूचना चाहते हैं, तो मेरे पास और क्या .....

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : ९ बजे सुबह मैंने तो नोटिस पहुंचा दिया।

श्री **मथुरादास माथुर** : मेरे पास तो ११ बजे सुबह पहुंचा है। आखिर नीम-के थाने का वकुआ है, कोई जयपुर का या आस पास का वकुआ नहीं। और आप जवाब चाहते हैं आज का आज तो मेरे पास और कोई चारा नहीं की डी. वाई. एस. पी. से टेलीफोन करके पूछूं। टेलिफोन पर जो इत्तला मिली वह मैंने रख दी। अभी इंक्वेस्ट चल रही है। मैं बता दूं कि माननीय सदस्य को सूचना है कि पुलिस थाने में पीटा गया, पर मैं तो कहता हूं कि उसके जो १७ चोटें आई हैं वे कपिल मार्केट में जनता और उसके बीच लाठी चली उससे आई। दो-तीन और सोर्सेज से भी मैंने जानकारी प्राप्त की है। और भी माननीय सदस्यों के पास इत्तला आई है, उनसे आप पूछ लें। अगर पुलिस ने किया है तो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता पर पुलिस ने नहीं किया है तो भी हर मामले में पुलिस को ब्लैकमेल किया जाय तो यह कोई ठीक चीज नहीं।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आपने दो वड यूज किये हैं उनसे मुझे सख्त एतराज है, These must be withdrawn.

श्री **मथुरादास माथुर** : I withdraw this word

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : (अश्रव्य)

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आप इतने लाइट हैं इस पुलिस के मामले में....

श्री मथुरादास माथुर : मैं लाइट नहीं हूं · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं, वे लाइटली ले रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पांच-सात विरोधी दल के सदस्यों से भी मिल कर कहा है कि पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाय तो इसके लिये हमें क्या प्रोसीजर तय करना चाहिये। डाक्टर के लिये कहा जाता है कि वह पुलिस के दबाव में आ जाता है। तो आखिर ऐसे केसेज में क्या प्रोसीजर तय करना चाहिये। मेरा कतई इरादा नहीं है कि पुलिस कस्टडी में मर जाय उसमें पुलिस का फाल्ट हो तो भी पुलिस को प्रोटेक्ट किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेन्ड कर दिया है क्या ?

धौलपुर में सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं, विधेयक आदि को क्षति पहुंचाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर : तीसरा स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारीजी ने रखा है। मैं इस प्रस्ताव के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्ताव जो उनको दर्द है उसका बडा द्योतक है। महसूस करता हूं कि सिम्बोलिक रिजोल्यूशन है। इंन्डि-विजुअल एलीगेशन नहीं है। आपने कहा कि सदन में स्पीच दी, धौलपुर सबडिविजन को जिस तरह की हालत है उसकी चर्चा की उसके बाद आपको यह महसूस होता है कि आप इलाके में जायं आपको और आपके साथियों को जिन्दगी का खतरा है, धमकियां देते हैं। कौन देते हैं ? इसमें जिक्र नहीं है। इतना ही है कि बडे-बडे अफसर और लोग धमकियां देते हैं। इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी इन्डीविजुअल ने धमकी दी या जिन्दगी को थ्रेटन किया तो अफसर से ज्यादा प्यारे आप हमारे हैं। जहां तक डेमोक्रेटिक राइट्स है आपको · · · · ·

(विराम)

धौलपुर में घूमने का, आप पूरी तरह आजादी से घूमें। आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूं।

श्री श्योपतसिंह : धौलपुर के लिए ही कह रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : चन्दनमलजी वैद हैं उन्होंने मुझे × × × की धमकी दी है। मैं कहता हूं ये नहीं × × × और जनता इनको × × × ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आवेश की बात नहीं है सदन में मुझे यह कहाजाय × × × । मुझे इस पर सख्त ओब्जेक्शन है और मैं चाहूंगा कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैंने कभी कहा नहीं है. यदि कहा है तो इसका मुझे रेकार्ड बताया जाय। इस प्रकार एलीगेशन लगाना पार्लियामेन्टरी तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : They should be expunged

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर किस्म की धमकी देते हैं।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : कोई धमकी नहीं है।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष, चौथा स्थगन प्रस्ताव····

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) : कुर्सी का जोश है।

श्री **मुकटबिहारीलाल** : आपके माध्यम से एक क्लेरिफिकेशन और कराना चाहता हूं। क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि मैंने सदन में जितने मसले उठाये हैं उनके बारे में अच्छी तरह से नीचे से जांच करायेंगे ?

श्री **मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्षजी, सदन में कोई भी माननीय सदस्य कोई मुद्दा उठाता है, और पुख्ता मुद्दा उठाता है फैक्ट्स और वजूहात के साथ उसकी जांच करने का मेरा कर्त्तव्य है। इतना ही कह सकता हूं। वेग चार्जेज और एलीगेशन से मैं कोई इन्क्वायरी नहीं करा सकता।

चौथा स्थगन प्रस्ताव, माननीय उपाध्यक्षजी, रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने माननीय श्री मुकुट बिहारीजी के प्रस्ताव पर कहा कि कोई धमकी दी है तो एक्शन ले सकते हैं। धमकी की मिसाल यहां मौजूद है। ऐसे धमकी भरे पत्र मुझे भी मिले हैं और आप चाहें तो मैं उनको सदन की मेज पर रख दूं।

(मेज थपथपाना)

हाय हाय मत करो।

थानेदार भादरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों संबंधी स्थगन–प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री **मथुरादास माथुर** : चौथा स्थगन प्रस्ताव रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। इस प्रस्ताव के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि एक तो यह मामला सबजुडिस है।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) सबजुडिस है वाकई : इन्क्वायरी करली है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं कह रहा हूं। वह इस तरह से है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि भादरा में एक शराब की दुकान है। भादरा के अन्दर जीवनखां नाम के आदमी को ठेका मिला हुआ है। शराब की दुकान के पास ही, यह कहा जाता है, एक कुआ है, एक गुरुद्वारा है, और एक मन्दिर भी है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : एक कुआ भी है।

श्री **मथुरादास माथुर** : कुआ कह दिया था। एक मंदिर है और एक गुरुद्वारा है। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पास में बस्ती है, आबादी है जहां अच्छे मिडिल क्लास के व्यापारी लोग रहते हैं। यह बात कही गयी है। मेरी सूचना के अनुसार यह बात ठीक मालूम पडती है। माननीय उपाध्यक्षजी आज उस दुकान को हटाने के लिए वहां के खास तौर से श्री सुरजीतसिंह सेठी, गुरुवचनसिंह वगैरह वगैरह ये लोग इस कोशिश में हैं कि यह शराब की दुकान यहां से हटा ली जाय।

(श्री मथुरादास माथुर)
यह राज्य सरकार के पास मामला चल रहा है। एक्साइज मिनिस्टर के पास भी दर्ख्वास्त दी है। इस बात को लेकर ठेकेदार के बीच और सुरजीतसिंह सेठी और अन्य साथियों के बीच में तनाजा चलते चलते आपस में उनके झगडा हो गया।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, आप यह बताने की कृपा करेंगे। शराब की दूकान देने के लिये कुछ रूल्स हैं गवर्नमेन्ट के कि किस जगह दूकान दी जा सकती है और निश्चित रूल्स हैं उनमें डेवियेशन नहीं किया जाता। वह दुकान वहां एग्जिस्ट क्यों करती है? आपने वेरिफाई करके कहा है। एक्साइज के अफसर कलेक्टर वगैरह वहां हैं। अगेंस्ट दी रूल्स उनको क्यों बर्दाश्त किया गया है? रूल्स में निश्चित योजना है तो उसको अलाऊ नहीं करना चाहिये था।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्साइज मिनिस्टर जवाब देंगे।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : ठेका लेने पर यह कहा गया था कि दुकान वहां नहीं रहेगी तो ठेका क्यों नहीं कैंसल किया जाता है?

श्री **मथुरादास माथुर** : जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, इस दारू के ठेके का सवाल है, पब्लिक के एम्फेसिस से एक्साइज विभाग के अन्दर विचाराधीन है कि कानून से रोका जाय या नहीं। बोन ओफ कन्टेन्शन जो बना है वह बना है यह ठेका। आपस में इसी कारण झगडा हुआ। उसके कारण सुरजीतसिंह और उसके साथियों के चोटें आयीं। मुकद्दमा दर्ज हुआ। सर्कल इन्स्पेक्टर हल्के को इसकी तफतीश कर रहा है और तफतीश समाप्त होने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। यह इसका एक पहलू है।

दूसरा पहलू यह है, माननीय उपाध्यक्षजी, भादरा का जो थानेदार है, यह कहा गया है कि थानेदार उस जीवन खां ठेकेदार का दोस्त है और उससे मिला हुआ है और इस कारण उन लोगों को, जिनका मैंने जिक्र किया, परेशान करता है और ठेकेदार से मिल कर तंग करता है और मार पीट करता है, ऐसी मेरे पास दर्ख्वास्तें आयी हैं, तार भी आया है जिसकी वजह से उन लोगों को उस थानेदार ने घर पर जाकर मारपीट की तलाशी के बहाने, यह आपकी दर्ख्वास्त आयी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: उपाध्यक्ष महोदय

(मेजें थपथपाना एवं शोरगुल)

श्री **मथुरादास माथुर** : सब्र रखो।

श्री **मुरलीधर व्यास** : फैक्ट्स को इधर उधर करके कहने से·····

श्री **उपाध्यक्ष**: Order please!

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक इस मुकद्दमे से सम्बन्ध है, जीवन खां के मुकद्दमे से, मामला तफतीश में चल रहा है। एस. एच. ओ. के खिलाफ है इसलिये सरकिल इन्स्पेक्टर को जांच के लिये दिया है। एस. एच. ओ. के खिलाफ शिकायत जांच करने के लिए १२ तारीख को आयी। माननीय सदस्य का यह कहना है कि वे और कुछ साथी मुझ से मिले। रिपोर्ट मैंने वहां भेजी थी। आपके कहने से २८ तारीख को रिपोर्ट की गयी थी। टेलीग्राम आया।

(श्री मथुरादास माथुर)

वह इन्क्वायरी करके रिपोर्ट नहीं पहुंची। कल माननीय सदस्य डेपुटेशन लेकर सरदार साहब, जिनके चोटें आयीं, को साथ लेकर आये। मैंने डी. आई. जी. को कल ही वायर-लेस से सूचना दी कि फौरन इन्क्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाय, और तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट पेश की जावे। आज सुबह ही माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव के देने के बाद में यह मुझे बहुत महत्व का नजर आया और देखा कि माननीय सदस्य को भी इसमें बहुत दिलचस्पी है तो टेलीफोन के जरिये मैंने आदेश दिया कि इसकी इन्क्वायरी होकर तीन दिन के भीतर मेरे पास रिपोर्ट आ जानी चाहिये। इन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद आगे जैसी कानूनी कार्यवाही मुनासिब होगी की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें थोडा सा मोड आ गया। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: I won't permit you आप क्लेरीफिकेशन ले सकते हैं, भाषण नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: पांच मिनट का समय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन को चलते हुए काफी देर हो गई है, आप क्षमा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक पोइन्ट क्लीअर कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: No, No.

राइट मेन कैनाल प्रोजेक्ट (कोटा) से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्ताव पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री **नाथुराम मिर्धा** (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच ही मिनट में जो तीन स्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में सन्तोष दिलाने की कोशिश करूंगा। एक स्थगन प्रस्ताव लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि चम्बल की राइट हैन्ड कैनाल मार्च से जून तक बन्द करने को उनको सूचना प्राप्त हुई है.।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : मैं डिगोद से आया हूं लाडपुरा से नहीं।

श्री नाथुराम मिर्धा: लाडपुरा की जगह दीगोद समझ लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि राइट मेन कैनाल इतनी लम्बी कैनाल है कि जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को पानी सप्लाई होता है। उसको इतने लम्बे अर्से तक बन्द करने का कोई इरादा नहीं है। चंडालिया एक्वीडक्ट के ऊपर काफी माइल तक यह कैनाल गई है उसमें पक्की लाईनिंग करने में ऐसा करने का इरादा है कि पानी के लिये किसानों को भी नुकसान न हो और पानी भी मिलता रहे। उसके लिये बीच बीच में क्लोज करके काम किया जायगा ताकि काम भी चालू रहे और वह लाइन भी पक्की हो जाय। जब तक हम पक्की लाइन नहीं कर देते सीपेज की समस्या बनी रहेगी और वह भी भयंकर मात्रा में होता है। सदन भी इस चीज को मानेगा कि यह काम करना चाहिये। ऐसे तरीके से करना चाहिये जिससे लाइनिंग का काम भी चलता रहे और किसानों को भी नुकसान न हो।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कानपुर गांव से सेडला गांव (जि० गंगानगर) तक बांध बंध जाने से घग्घर नदी की बाढ से हुई हानि सम्बन्धी स्थगन–प्रस्ताव पर कृषि मंत्री का वक्तव्य ।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव है जिसे दो माननीय सदस्यों ने एक ही बात के बारे में कहा है। घग्घर फ्लड के सिलसिले में एक बान्ध जो कि कानपुर विलेज साईवाला में बांधा गया है इसकी वजह से सूरतगढ फार्म से लगता गांव जो दौलताबाद है वह गांव डूब गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मुझे आज तक मिली है और जो सूचना प्राप्त की है उसके अनुसार दौलताबाद गांव नहीं डूबा है और डूबने की आशंका भी नहीं है और न किसी प्रकार का नुकसान ही हुआ है। बांध बनाने की जो बात कहते हैं सूरतगढ फार्म वालों ने रेल्वे लाइन को बचाने के लिये जो लूप लाइन गंगानगर से अनूपगढ जाती है उसको नुकसान न पहुंचे इसलिये सूरतगढ फार्म वालों ने अपनी जमीन पर बीच में एक बांध बांधा है। जिससे सरदारगढ स्टेशन भी पानी से बच गया है और रेल्वे लाइन भी बच गई है। पानी का डाइवर्शन जब ज्यादा होता है तो कुछ ज्यादा पानी आ जाता है। इस साल पिछले साल से ज्यादा पानी आया है। अब मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास सूचना यह है घग्घर फ्लड का डिस्चार्ज बांध है उसके ज्यादा तादाद में बढने का खतरा नहीं है जब तक कि कोई और जोरदार बरसात आकर वह चालू न हो जाय। अभी तक इस गांव को किसी प्रकार का खतरा होने का प्रश्न नहीं है इस वजह से कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी वक्त चिन्ता का विषय होगा तो हम सब तरह से जागरूक हैं कि किस तरह से इस बान्ध को इधर से उधर किया जाय।

तीसरा स्थगन–प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने पेश किया है; उसमें उन्होंने कहा है कि घग्घर से फलड की हालत काफी चिन्ताजनक है। सत्तर हजार एकड जमीन डूब में आयी है और किसानों को नुकसान हो रहा है इसका इन्तजाम किया जाना चाहिये। यह प्रश्न कई बार सदन में आ चुका है और यह प्रश्न वास्तव में है भी महत्वपूर्ण। घग्घर के अन्दर पहले पांच–छः सालों में ढाई तीन हजार क्युसेक पानी से ज्यादा पानी नहीं आया था। लास्ट ईयर २०–२२ हजार क्युसेक्स पानी चला है। इस साल आठ-नौ हजार क्युसेक्स पानी चला है। इस साल जो ७०-८० हजार एकड जमीन नीचे डूब में आयी है वह पिछले साल से कम है। आशा की जाती है बरसात और ज्यादा न हो। अगर यह पानी अक्टूबर-नवंबर तक आता तो साखों में मदद पहुंच सकती थी। उस पानी को रेगुलेटेड वे में उस इलाके में डाला जाय तो किसानों के प्रोडक्शन के लिये हितकर होगा।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): एक सूचना मैं चाहता हूं। क्या इस घग्घर की बाढ में पानी के डिस्चार्ज के लिये नया साइफन बनाने की सरकार की योजना है?

श्री **नाथूराम मिर्धा**: इस सारे फ्लड को कन्ट्रोल करने का मामला बहुत गंभीरता से चल रहा है। किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाय, इस बारे में पंजाब गवर्नमेन्ट और राजस्थान गवर्नमेन्ट को क्या–क्या करना है इस पानी को डिस्चार्ज कैसे किया जाय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस बारे में दोनों राजस्थान के इरिगेशन मिनिस्टर और पंजाब के मिनिस्टर हम तीनों उस साइड को देखने गये । हमारी कुछ अलग-अलग स्कीम्स थीं, उन सब को कैसे कोआर्डिनेट कर सकते हैं, किस प्रकार पानी लिया जाकर किस प्रकार ज्यादा पानी डेम में डालते हैं, कैसे काम किया जा सकता है ? सारी स्कीम को कोआर्डिनेट करके हम किस तरह से साइफन का निर्माण करेंगे, यह तुरन्त नहीं कहा जा सकता । सारा मामला टेक्निकल पॉइन्ट आफ व्यू से सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन के पास जो इस मामले को एग्जामिन कर रहा है दोनों की स्कीम हैं । वह किस प्रकार उनको कैसे को आर्डिनेट करेंगे यह उन पर निर्भर है । इसके साथ साथ तीसरा प्रश्न पाकिस्तान को पानी देने का भी जुड़ा हुआ है किस तरह डिस्पोजल किया जाय जिससे पंजाब और राजस्थान दोनों को राहत मिल सके । इस स्कीम को उन्होंने बहुत प्रॉयोरिटी दी है । आने वाली स्कीम काफी बड़ी होगी जो एक साल में पूरी होनी संभव नहीं है जिससे तुरन्त कदम उठाया जाकर फ्लड को एक दम कन्ट्रोल किया जा सके ।

श्री **भैरोंसिंह**: क्या सरकार के यह ध्यान में है कि दूसरा साइफन बनाये उससे पहले पानी को डाइवर्ट करने का इन्तजाम करेगी ?

श्री **नाथूराम मिर्धा**: राजस्थान के लोगों को ज्यादा नुकसान हो, यह राजस्थान का मंत्रि मंडल कभी पसंद नहीं करेगा । भारत सरकार भी जो रीजनेबल बात है उसको मानेगी । इस दृष्टिकोण से सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दो सालों में तुरन्त कदम उठा कर सारी कार्यवाही कर सकेंगे जिससे पंजाब और राजस्थान दोनों के लोगों को राहत मिल सके । मैं समझता हूं इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हुआ होगा ।

श्री **भैरोंसिंह**: मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि घग्घर में आगे बाढ से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : इसमें पिछली बार करीब ३-४ गांव डूब गए । उनके ऊपर टेम्पोरेरी बान्ध लगा दिए । अब उनके डूबने का सवाल नहीं है । इस बार हमारे पास जितना समय था उसके अन्दर टेम्पोरेरी बांध लगाए हैं । जब तक हमारी परमानेन्ट स्कीम एप्रूव न हो तब तक हम बडी स्कीम्स को हाथ में नहीं ले सकते थे । फिर भी जितना समय था हमने सबको बचाने का प्रयत्न किया है ।

जो ७०-८० हजार एकड जमीन डूब में आई है उसमें खरीफ की ७-८ हजार एकड है । उसके बारे में हम कितना कन्ट्रोल कर सकेंगे, इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ८.५१ बजे अनिश्चित काल तक स्थगित हुई)

———————

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, दिनांक २० सितम्बर, १९६३)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

जनाना अस्पताल, अलवर।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर।

अनधिकृत बांध-तहसील पाली।

विन्धियन लाइम स्टोन।

गंगानगर में खांड का कोटा।

नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें।

स्वर्णकारों का पुनर्स्थापन।

देवगढ डिस्पेन्सरी।

सरपंचों में बकाया।

नमूनों की परीक्षा।

दौरे पर व्यय।

भाखरा नहरों से पानी।

जंगलात विभाग की बकाया।

जल वितरण योजना।

सडक निर्माण।

भाखरा नहर क्षेत्र में भूमि की बिक्री व बैटरमेन्ट लेवी से आय।

तालाब तक रास्ता।

फोरेस्ट स्कूल का ट्रक।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सैनिकों के लिये भूमि।

स्तम्भ

राजस्थान कैनाल की वर्कशापों में चोरियां।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में औषध निर्माण।

चम्बल, गंग कैनाल व भाखरा बांध से सिंचाई।

नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।

वन शताब्दी पर खर्चा।

हिन्डौन के होस्पिटल।

पंचायतों का निरीक्षण।

(११-९-६३)

जिला बोर्ड सर्विसेज

(१३-९-६३)

गंगानगर शूगर मिल में स्टाफ कम किया जाना।

(१३-९-६३)

जगर बांध की नहरें।

(१६-९-६३)

ग्राम पंचायत अलीगढ का ऑडिट।

(१७-९-६३)

भरतपुर में पिछडे वर्ग के कर्मचारी।

स्कम्भ

(१७-९-६३)

तालाब की दीवारें—

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७३

१. राजस्थान में आदिवासी विकास कार्य।

२. बीकानेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

३. तहसील दूदू के जागीरदारों के निजी सम्पत्ति के मामले।

४. कोटा नगर में इम्प्रूवमेन्ट विभाग द्वारा कार्य।

५. राजस्थान कैनाल के मजदूरों के सर्विस रूल्स।

६. राजस्थान में बेकार व्यक्ति।

७. औद्योगिक विवादों में समझौता कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

२. प्रतिवेदन का उपस्थापन ८३

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, ने समिति के तीसरे प्रतिवेदन (प्रथम व द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन किया, जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदन से संबंधित हैं :—

(१) विनियोग लेखा, १९६०-६१

(२) वित्त लेखा, १९६०-६१

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६२

३. स्थगन-प्रस्ताव ८३

निम्नांकित विषयों पर दिये गये स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई :—

(१) जोधपुर ... विद्यालय के विद्यार्थियों में यूनियन के चुनाव में हुए आपसी झगड़े के संबंध में।

स्कम्भ

(२) नीम-का-थाना पुलिस स्टेशन में नंदा भूरा को गिरफ्तार करने एवं उसे पुलिस हिरासत में पीटे जाने तथा उसकी मृत्यु हो जाने से संबंधित।

(३) धौलपुर के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विधायक आदि को क्षति पहुंचाने के संबंध में।

(४) थानेदार, मादरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतों से संबंधित।

इनके संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु, श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिये, तथा

(५) कानपुर गांव से लेकर सडूला गांव, जिला गंगानगर तक बांध के बांधे जाने के फलस्वरूप, घग्घर की बाढ से हानि से संबंधित, व

(६) राइटमेन कैनाल प्रोजेक्ट, कोटा से सम्बन्धित इन प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री सिंचाई विभाग ने एक वक्तव्य दिया।

४. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान साहूकार विधेयक ८६
१९६३

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ४०ए, ४५ एवं अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ४० बी, ४१, ४३, ४३ए, ४४, ४६ व १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

(खण्ड ४२ प्रवर समिति द्वारा विलोपित कर दिया गया था।)

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित किया गया।

२. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ १८१

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड २, ६ से ६ व ११ से ३२ तथा १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ३ से ५, १० व अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार किये गये। तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप से सदन द्वारा पारित किया गया।

५. आधे घण्टे की चर्चा ३०८

उदयपुर में मेडिकल कालेज के लिये अवाप्त भूमि से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या १४७ (८०।एम. एल. एम.) के उत्तर से (जो दिनांक २३ अगस्त, १९६३ को दिया था) उत्पन्न मद्दों पर श्री उमरावसिंह ढाबरिया, श्री विजयसिंह झाला, सदस्य विधान सभा, ने आधे-घंटे की चर्चा उठाई।

श्री बरकतुल्ला खां, स्वायत्त शासन मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

६. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ३३१

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री मानसिंह महार, सदस्य विधान सभा, ने श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय, मुकाम चौथवाडी तहसील आमेर से संबंधित मामले की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

७. चिकित्सा मंत्री द्वारा वक्तव्य ३३३

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित विषय पर (जिसका संबंध प्रश्न संख्या ६१ए (८१।एम० एल० एम०) से है और जिसका उत्तर दिनांक २१ अगस्त, १९६३ को दिया गया) श्री बरकतुल्ला खां, चिकित्सा मंत्री, ने एक वक्तव्य दिया।

८. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोडे समय के लिए चर्चा ३३५

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा, ने गंग केनाल एवं राजस्थान केनाल क्षेत्र में सरकारी भूमि की नीलामी से संबंधित विषय पर चर्चा उठाई

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ८ बजकर ५० मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ का उत्तर देखिये)

S. No. 1	Name of Party 2	Date of Application. 3	Area & Location 4	Remarks 5
1.	M/s Mohammed & Sons, Jodhpur	11-3-55	10 sq. miles N.V Gotan and Gantia.	Cancelled vide Govt. order No. F.11(308) CIM/55 dated 18-2-56.
2.	Sh. Hussain Bux, Jodhpur ..	1-7-58	10 sq. miles N.V. Borunda and Gagra.	Application rejected vide Govt. order No. D-12627/59/F3 (*ii*) 161/Ind. (B) 59/9455 dated 24-11-59 due to outstanding of dues.
3.	M/s Rajasthan Corporation ...	19-11-58	10 sq. miles N.V. Gantia, in 7 plots Gagana Borunda	The Society was asked to reduce the plots in two instead of 7 plots but they did not comply and as such application recommended for rejection.
4.	M/s Chemical Lime, Mundwa		10 sq. miles N.V.Mundwa	Lease granted vide Govt. order. No. D.8361/57- F.6(*ii*) (54)I(M) 56 dated 13-12-57.
5.	M/s Chowhan Industrial Corporation.	29-5-61	10 sq. miles N.V. Basni	So far as this office is concerned the applicants were asked if they are agreeable to the dead rent of Rs. 84,000/- but no reply and D.M.G. Udaipur and Govt. was informed vide No. 4683 & 84 dated 15-4-63.
6.	Shri Govind Lall	23-6-61	-do-	-do-
7.	Shri Hanuman Bux ..	4-11-61	2 sq. miles N.V. Katoti	Application rejected vide D.M.G.Udaipur No. Jo/Lo-81/62/3363/62 dated 9-11-62.

1	2	3	4	5
8.	M/s Chowhan Industrial Corporation	6-11-61	10 sq. miles N.V. Atabra.	Rejected vide No. Jo/Lo-62/77/62 dt. 8-1-62. Application being premature.
9.	Shri Poker Ram	11-12-61	10 sq. miles N.V. Atabra.	Rejected. The application being premature vide No. F.3(*ii*)(24) Ind. (B)62/ 4052 dt.13-8-62.
10.	Shri Gisulall, Bhilwara ..	6-1-62	-do-	Rejected vide No. F.3(*ii*) (24) Ind. (B) 62/2012 dated 28-4-62 as lease already granted.
11.	Shri Keshav Singh Shivji Singh, Sojat Road.	9-1-62	15 sq. miles N.V. Atabra.	Granted for 10 sq. miles vide No. 1245 dated 15-3-62 for 10 sq. miles on priority basis.
12.	Shri Keshav Singh, Sojat Road	9-1-62	15 sq. miles N.V. Atabra	
13.	Shri Birdhichand, Sumerpur	,,	12 -do-	
14.	Shri Megraj, Sumerpur ..	,,	10 -do-	Applications were rejected vide No. F. 3(*ii*) 24/Ind. (B)62 dt. 18-4-62 as priority allowed to M/s Keshav Singh Shivji Singh.
15.	Shri Chutra Ram		10 -do-	
16.	Poker Ram		"	
17.	-do- ..	,,	10 -do-	
18.	Sh. Ramniwas, Ajmer ..	,,	15 -do-	
19.	M/s Rajasthan Lime Syndicate	,,	12 -do-	
20.	Sh. Damodardas, Jaipur ..	,,	10 -do-	
21.	Sh. Gulabsingh, Sojat ..	,,	10 -do-	
22.	Sh. Budhmal, Jodhpur ..	,,	10 -do-	

1	2	3		4	5
23.	Sh. Hukamsingh, Jodhpur ..	9-1-62	10	13 sq. miles N.V. Atabra	Applications were rejected vide No. F. 3 (ii) 24/ Ind./ B/ 62 dated 18-4-62 as priority allowed to M/s Keshav Singh Shivji Singh
24.	M/s Chowhan Industrial Corp. Jaitaran ..	,,	10	-do-	
25.	Sh. Gyanmal Kothari, Bhilwara	,,	10	-do-	
26.	Sh. Vishnu Dev Modi, Ajmer		10	-do-	
27.	M/s Sonairam Doongermal, Calcutta.	3-7-62	10	sq. miles N.V. Haras	Rejected vide Govt. No. F.3(*ii*) (195) Ind. (B) 62 dated 23-1-63.
28.	Sh. Jawa Dut Lohiya, Calcutta	11-7-62	10	sq. miles N.V. Roll	Rejected vide No. F.3(*ii*)387/Ind. (B) 62 dt. 23-1-63.
29.	Sh. Pokerram Bhanwer Lall, Sojat City	18-4-63	10	sq. miles N.V. Rundia.	Under consideration.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६८ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा २-१०-५९ से मार्च १९६३ तक विकास कार्यों के लिये दिये गये अनुदान की सूची :—

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान देने की तारीख	अनुदान में दी गई राशि	कार्य की प्रगति
१	२	३	४	५	६
१.	सूरोठ ..	स्कूल भवन निर्माण	२१-३-६०	७००	कार्य अपूर्ण है नोटिस दिया जा चुका है।
२.	मुकरावली ..	पंचायत घर	३१-४-६३	७५०	कार्य शुरू नहीं हुआ है नोटिस दिया जा चुका है।
३.	सोमली ..	खुर्रा निर्माण	३१-३-६३	१५०	कार्य शुरू नहीं किया है नोटिस दिया जा चुका है।
४.	जटवाड ..	बन्ध नागल	३१-३-६१	५२५	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
५.	जिगर ..	कूप निर्माण	३०-३-६०	५००	कार्य बन्द है; श्रमदान के अभाव से नोटिस दिया जा चुका है।
६.	,, ..	स्कूल निर्माण	२२-६-६०	५००	,, ,, ,,
७.	,, ..	विभिन्न कार्य	२५-४-६२	६००	कार्य शुरू नहीं हुआ।
८.	जगर ..	खुर्रा निर्माण	३०-३-६३	२००	,, ,,
९.	कोठियापुर	पंचायत भवन	११-८-६२	७५०	,, ,,
१०.	पालनपुर ..	पंचायत भवन	३१-३-६२	७५०	कार्य शुरू नहीं हुआ है। पंचायत को नोटिस दिया जा चुका है।
११.	बजेडा ..	विभिन्न कार्य	३१-३-६२	६००	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
१२.	,, ..	कूप अनारसिधाना	३०-३-६३	२००	,, ,,
१३.	कांचरोली ..	बन्ध मरम्मत	१४-३-६२	१७५	कार्य शुरू नहीं हुआ है, नोटिस दिया जा चुका है।
१४.	सिकरोदा ..	कूप अनार	३१-३-६२	१५०	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
१५.	कटकड ..	पुलिया निर्माण	३०-३-६३	५००	,, ,,
१६.	,, ..	मरम्मत सडक	३०-३-६३	३५०	,, ,,
१७.	सनेट ..	कूप अनार	३०-३-६३	२००	,, ,,
१८.	,, ..	खुर्रा निर्माण	३०-३-६३	१७५	,, ,,
१९.	टोडपुरा ..	बन्ध मरम्मत	२९-३-६१	१०००	कार्य बन्द पडा है, नोटिस दिया जा चुका है।

१	२	३	४	५	६
२०.	गावडामीना	स्कूल भवन	१८-६-६२	९००	कार्य अपूर्ण पडा है । सरपंच को नोटिस दिया जा चुका है ।
२१	„ ..	कूप	२९-३-६१	१०००	कार्य शुरू नहीं हुआ है ।
२२.	„ ..	पंचायत भवन	३१-३-६२	७५०	„ „
२३.	„ ..	कूप अनारगावडा	३१-३-६२	१५०	कार्य शुरु नहीं किया है, नोटिस दिया जा चुका है ।
२४.	दानलपुर ..	कूप अनार हिंगोट	३०-३-६३	२००	कार्य शुरु नहीं हुआ है ।
२५.	करगमा ..	विभिन्न कार्य	३१-३-६२	५००	„ „
२६.	„ ..	पंचायत घर मरम्मत	३१-३-६२	३००	„ „
२७.	„ ..	मनोरंजन केन्द्र	२-४-६२	५००	„ „
२८.	„ ..	अध्यापिका क्वार्टर	३०-३-६२	१२५०	„ „
२९.	„ ..	सडक निर्माण	३०-३-६३	६२५	„ „
३०.	„ ..	स्कूल भवन मरम्मत	३०-३-६३	२००	„
३१.	„ ..	खुर्रा निर्माण	३०-३-६३	२००	„ „
३२.	„ ..	कूप अनार	१५-१-६३	१५०	„ „
३३.	इरनिया ..	कूप अनार	३१-३-६३	२५०	„
३४.	„ ..	पंचायत भवन	३१-३-६२	७५०	„ „
३५.	„ ..	कूप अनार खेडी	१४-३-६२	१२५	„ „
३६.	„ ..	खुर्रा खेडीशीश	२५-१-६२	१२५	„
३७.	„ ..	सडक निर्माण	३०-३-६३	४००	„
३८.	„ ..	खुर्रा निर्माण	३०-३-६३	१७५	„ „
३९.	ढहरा ..	नवीन कूप निर्माण मोसमाबाद	३०-३-६३	५००	„ „
४०.	महुखास ..	खुर्रा निर्माण	३०-३-६३	१७५	„ „
४१.	महु इब्राहीमपुरा	जनाना घाट	२९-३-६१ २९-११-६१	६७५	कार्य बन्द पडा है, नोटिस दिया जा चुका है ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७३ का उत्तर देखिये)

निम्नलिखित चकों में पानी नहीं पहुंचा है :—

१५, १६, १७ एल. के. एस. और मोडिया नहर की टेल अर्थात् ३८ व ३९ एम. ओ. डी.
लीलावाली चक नं. ४९, ५०
सरदारपुरा चक नं. १५ से २१
ठाकरावाली चक नं. ७ से १०
लालगढ चक नं. १५ से १६
मानकसर चक नं. (२)
नगराना चक नं. (२)

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८१ का उत्तर देखिए)

Statement showing the Housing subsidy sanctioned to the Panchayat Samitis during the year 1962-63 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

S. No.	District	Name of Panchayat Samiti.	Housing subsidy Sanctioned.	
			Scheduled Caste.	Scheduled Tribes.
1	2	3	4	5
1.	Bikaner ..	.. (1) Nokha	7500	..
		(2) Bikaner	3000	..
2.	Churu ..	.. (1) Rajgarh	750	..
		(2) Sujangarh	4500	..
		(3) Dungargarh	2250	..
3.	Ganganagar ..	.. (1) Raisinghnagar	750	..
		(2) Karansar	750	..
		(3) Mirswala	750	..
		(4) Nohar	1500	..
		(5) Padampur	750	..
4.	Alwar ..	.. (1) Tijara	1500	600
		(2) Kotkasim	750	..
		(3) Mundawar	..	500
		(4) Umrain	..	500
		(5) Rajgarh	12000	..
		(6) Roni	2250	2500
		(7) Behror	750	500
		(8) Nimrana	..	500
		(9) Bansur	750	..
		(10) Thanagazi	750	2500
5.	Bharatpur ..	.. (1) Deeg	2550	..
		(2) Rajkhera	750	..
		(3) Weir	750	500
		(4) Roopwas	6000	..
		(5) Bari	750	..
		(6) Sewar	750	500
		(7) Nagarpahari	3000	..
6.	Jaipur ..	.. (1) Bassi	750	2500
		(2) Sanganer	..	1000
		(3) Phagii	1500	..
		(4) Bandiqui	..	500
		(5) Amber	..	500
		(6) Jamwaramgarh	..	500
		(7) Bairath	750	500
		(8) Kotputli	1500	—

Page No 197

1	2	3	4	5
		(9) Lalsot	..	4000
		(10) Dausa	..	2000
		(11) Chaksu	3000	5000
7.	Jhunjhunu	Nil.	Nil.	Nil.
8.	Sawai Madhopur ..	(1) Mahuwa	..	1000
		(2) Hindaun	750	1500
		(3) Gangapur	..	1000
		(4) Karauli	..	..
		(5) Todabhim	..	1000
		(6) Sapotra	..	1000
		(7) Sawai Madhopur	1500	2500
		(8) Bonli	1500	..
		(9) Nadoti	..	1000
9.	Sikar	(1) Fatehpur	3000	..
		(2) Lachmangarh	750	..
		(3) Dhod	750	..
10.	Tonk	(1) Tonk	2250	4500
		(2) Malpura	1500	..
		(3) Newai	..	500
		(4) Todaraisingh	10500	..
11.	Ajmer	(1) Shrinagar	750	2500
		(2) Kishangarh	..	..
12.	Barmer	(1) Siwana	4500	5000
		(2) Sindhari	7500	2000
13.	Jaisalmer	(1) Sankara	3000	..
		(2) Sam	3000	..
14.	Jalore	(1) Ahore	750	..
		(2) Jalore	2250	2500
		(3) Sayala	..	1000
		(4) Sanchore	750	..
15.	Jodhpur	(1) Bilara	1500	..
16.	Nagaur	(1) Ladnu	750	..
		(2) Parbatsar	750	..
		(3) Riyan	3000	..
17.	Pali	(1) Bali	..	2500
		(2) Raipur	..	500
		(3) Sojat	..	500
		(4) Pali	..	500
18.	Sirohi	(1) Pindwara	..	500
		(2) Sirohi	..	500

1	2	3	4	5
		(3) Reodar	..	500
		(4) Abu	..	500
19.	Bundi.	(1) Talera	750	..
20.	Jhalawar			
21.	Kota	(1) Ladpura	..	500
		(2) Antah	9000	..
		(3) Atru	750	..
		(4) Shahbad	..	1000
		(5) Itawa.	..	2000
		(6) Chipabarod	1500	..
		(7) Chechat	1500	..
22.	Banswara	(1) Garhi	..	500
		(2) Kushalgarh	..	500
		(3) Sajangarh	..	500
		(4) Bagidora	..	500
		(5) Lomdia	..	500
		(6) Pipal Khora	..	500
		(7) Ghatol	..	500
		(8) Banswara	..	500
23.	Bhilwara	(1) Shahpura	..	1000
		(2) Hurda	..	2500
		(3) Jhajpura	..	500
		(4) Sahara	750	..
24.	Chittorgarh	(1) Kapasin	..	500
		(2) Nimbhahera	..	500
		(3) Bhadesar	..	500
		(4) Dungla	..	500
		(5) Chotisadri	..	500
		(6) Bhensrodgarh	..	500
		(7) Chittorgarh	..	1000
25.	Dungarpur	(1) Sagwara	..	1500
		(2) Dungarpur	..	1000
		(3) Aspur	..	1000
26.	Udaipur	(1) Rajsamand	750	500
		(2) Kumbhalgarh	..	500
		(3) Railmegra	..	500
		(4) Girwa	..	500
		(5) Badagaon	..	500
		(6) Khamnor	750	1000
		(7) Dhariabad	..	100
		(8) Salumber	..	500
		(9) Mauli	12000	500
		(10) Bhupalsagar	..	500
		(11) Bhindar	..	500
		(12) Gogunda	..	500
		(13) Deogarh	..	500
		(14) Bhim	..	500

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ का उत्तर देखिये)

लिस्ट सामान जो फोरेस्ट स्कूल झालावाड़ से अलवर फोरेस्ट स्कूल को गया

न० शु०	सामान का विवरण	सर्विसेबल	अनसर्विसेबल	योग
१	२	३	४	५
१	फीता २५ फुट	—	१	१
२	फीता ६ फुट	—	१	१
३	फीता ५ फुट	१	५	६
४	वाल्टी	४	६८	७२
५	ब्लेक बोर्ड मय स्टेन्ड	—	१	१
६	ब्लेक बोर्ड बिना स्टेन्ड	—	१	१
७	म्युनियम बुर्नी कांच	४४	१	४५
८	माडल लकडी	—	१	१
९	टोर्च	—	१	१
१०	लोटा	२	२	४
११	कटोरी	३८	५	४३
१२	ताजा बडा १ छोटा १	२	—	३ १
१३	झारी	—	२	२
१४	परात पीतल	३	—	२५
१५	भगोने मय ढक्कन	२	—	१
१६	चरे	२	१	२
१७	बन्डल पीतल कोठी	—	१	२२
१८	गंगासागर पीतल १ तांबा १	२	—	१
१९	गिलास	२३	२	१
२०	कढ़ाई	१	—	१
२१	चम्मच पीतल	१	१	१६
२२	थालियां	२२	—	२
२३	डेकची मय ढक्कन	१	—	२
२४	भगोने मय ढक्कन	—	१	२
२५	चलनी	१	—	१
२६	चम्मच छोटे	११	—	२
२७	सन्डासी	१	२०	२४
२८	चिमटा	१	१४	१४
२९	पलटा	२		
३०	केरम बोर्ड	१		
३१	फोटू महात्मा गांधी १ नेहरू १	[illegible]		
३२	लालटैन बिना गोला			
३३	तगारी फटी हुई			

१	२	३	४	५
३४	गेंती बिना दस्ते	१०	१५	२५
३५	केटली बिना कपड़े	—	१५	१५
३६	फावडे	—	१५	१५
३७	डिवलर्स	२	—	२
३८	तांराजू	—	१	१
३९	बट	४	—	४
४०	लिफटंग बैट मय ६ मेरे बाल्ट १ डंडा	१	—	१
४१	साइन बोर्ड	—	१	१
४२	शील्ड रंजिस	१	—	१
४३	स्टूल लकड़ी	—	८	८
४४	कुर्सी लकडी	—	४	४
४५	मेज लकड़ी	१	३	४
४६	केटली अलमूनियम	१	—	१
४७	खाट	१०	३	१३
४८	झाड़िया बेकार	—	—	—
४९	कपड़े की साइन बोर्ड	३	—	३
५०	घंटा बजानेका	१	—	१

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८६ का उत्तर देखिये)

PART II

Rates per acre per crop for water of the Ganganagar Project.

(a) *Irrigation Under perennial Channels.*

	Name of crop.	Per acre.
1.	Sugarcane	Rs. 16.25
2.	Rice	Rs. 8.50
3.	Water Nuts	Rs. 9.75
×4.	Cotton	Rs. 7.25
5.	Indigo and other dyes, tobacco, Spices and drugs Orchards, Vegetables other than turnips except Zeera	Rs. 6.75
6.	Gardens	Rs. 8.25
7.	Wheat	Rs. 5.25
8	Melons and all other Kharif crops not otherwise specified. Maize, fibres other than cotton, barley, oats bejat and gochani	Rs 6.00
9.	Oilseeds and all other Rabi crops not otherwise specified	Rs. 5.25
10.	Bajra, Jowar and Pulses	Rs. 4.00
11.	Gowar, Fodder crops cheena, and Grams with two and more waterings	Rs 4.00
12	Watering for ploughing not followed by a crop (Palewa) and grass single watering	Rs. 1.50
@13.	Zeera	Rs. 7.75

(b) *Non-Perennial Channels*

1.	All Kharif Crops	Same rates as for perennial channels.
2.	All Rabi Crops	Per Acre.
	(1) First Watering	Rs. 3.00
	(2) Second Watering	Rs. 3.00
	(3) Third or more Watering	Same rates as for perennial channels.

NOTE:—× Rate of cotton raised from Rs. 6.25 to Rs. 7.25 *vide* amendment No.F.4(23) Irg./58 dated 22-9-60.

@ Words "except zeera" and item No. 13 added *vide* amendment No.F.4(28) Irg/58 dated 3-4-1959.

(4) Watering for ploughing not followed by a crop (Palewa) .. .. Rs. 1.50

PART III

Rates per acre per crop in Bhakra Project and Ghaggar Canal areas

(a) *Perennial Irrigation.*

Name of Crop	Per acre.
Sugarcane.	Rs.16.50
Rice	Rs.9.00
Wheat	Rs.6.00
Barley	Rs.6.00
Gram	Rs.4.00
Maize	Rs.6.50
× Cotton	Rs. 7.75
Jowar, Gowar and other Fodder crops	Rs. 4.00
Vegetables and species except Zeera	Rs. 8.25
@ Zeera	Rs.9.25
Gardens	Rs. 8.25
Simmhamp and grass	Rs. 4.00
All other crops Kharif	Rs 6.37
Rabi oil crops	Rs 6.37

(b) *Non-perennial Irrigation*

1. For Kharif Crops	Same rates as that of Perennial Irrigation.
2. For Rabi Crops.	Per Acre.
(i) First watering	Rs. 3.00
(ii) Second watering	Rs. 3.00
(iii) Third watering	Same as that of perennial irrigation.
3. For irrigation water taken for ploughing and not followed by any crop.	Per Acre.
(i) For First watering	Rs.3.00
(ii) For Second watering	Rs. 3.00
(iii) For Third watering	Same as that of Perennial Irrigation.

NOTE:— × Rates of cotton raised from Rs. 6.75 to Rs. 7.75 *vide* amendment No. F.4(28) Irg./58, dated 22-9-1960.

@ Words "except zeera" and a new item "Zeera" added *vide* amendment No.F.4(28) Irg./58, dated 2-5-1959.

PART IV

Rates chargeable on all Irrigation done from (a); all works which have been constructed after the 1st January, 1952 other than from Gang Canal, Bhakra and Rajasthan Canal supplied, and (*b*) from all works in the area of the former states of Banswara, Dungarpur and Partapgarh.

	Name of Crop.	*Rate per acre.*
1.	Sugarcane	Rs. 22.00 Per Year.
2.	Vegetable Singhara	Rs 12.00 Per Crop.
3.	Garden.	Rs. 12.00 Per Half Year.
4.	Lucern, Tobacco and Poppy ..	Rs 10.00 Per Crop.
5.	Rice	Rs 8.50 -do-
6.	All other crops except Zeera and Cotton ..	Rs 7.00 Per Acre Per Crop.
7.	Palewa not followed by crop	Rs 4.00 Per Crop
×-8.	Wheat	Rs. 10.00 Per Crop.
†-9.	Zeera	Rs. 8.00 -do-
@10.	Cotton and Maize	Rs. 7.00 -do-

NOTES:—× Added *vide* No.F.4(10)RSPD/61 dated 9-10-1961.

† Item No.8 ,9 and 10 added *vide* amendment No. F.3(12)Irg./58Pt II, dated 17-2-1959 No.F.4(28Irg./58, dated 2-4-59,F.4(28)Irg./58, dated 28-3-1960.

@ Government *vide* Order No.F.7 (111) Irg./56, dated 22-1-1961 have fixed the following rates for irrigation under the Chambal Project Area during the 3rd Plan period *i.e.* 31-3-1966.

Linseed and Dhania	Rs.4.00 Per acre.
Gram	Rs.5.00 -do-
Cotton	Rs. 3.00 -do-

परिशिष्ट ७

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

वन शताब्दी पर खर्चा

८९१. (२३९।आई. ए. एम.) श्री हरिप्रसाद शर्मा, (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा वन शताब्दी के लिये अलग अलग मदों से लगभग ५०,००० रुपया खर्च कर दिया गया जबकि इसके लिये कुल १०,००० रु० खर्च करने की स्वीकृति थी ?

(२) यह खर्च क्यों हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिये कीमती पर्दे तथा चार्ट्स देहरादून से बिना टेन्डर्स मांगे तैयार करवा कर मंगवाये गये ?

(४) यदि हां, तो इन चार्ट्स और पर्दों पर कुल कितना खर्चा हुआ और अब तक इनका क्या उपयोग हुआ है ?

(५) क्या इस उपरोक्त सामान को लाने के लिए विभाग का एक ट्रक देहरादून भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर कुल खर्चा कितना हुआ ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

कुल व्यय राशि का योग १४३२३.७२ न. पै. आता है । इसमें से ११९१२.७२ न० पै० का जमा खर्च हो चुका है और लोक कर्म विभाग के २४११ रु० का बुक-एडजस्टमेन्ट होना शेष है ।

(२) स्वीकृत राशि से जो अतिरिक्त खर्च ४३२३.७२ न० पै० का हुआ है वह ऐसे बड़े आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया अतः किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पहिले यह आशा थी कि डेरे, शामियाने, कुर्सी वगैरह फर्राशखाने से उपलब्ध हो जावेंगे, किन्तु उन्हीं दिनों में एजूकेशन कॉन्फरेन्स व अन्य एक्टीविटीज के कारण फर्राशखाने से उचित मात्रा में सामान नहीं उपलब्ध हो सका ।

(३) जी हां ।

देहरादून वन संस्थान एक सरकारी संस्थान है, अतः टेन्डर्स मांगने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(४) इन पर १,४४८) रु० खर्च हुए । ये चार्ट्स व पर्दे प्रदर्शनी की शोभा व उपयोगिता बढाने के काम में आये । अब भी ये विभाग सम्बन्धी प्रदर्शनियों या अन्य प्रदर्शनियों में वन विभाग सम्बन्धी स्टाल्स में काम से लाये जाते हैं ।

(५) जी हां, १६५) रु० प्रोपरशन चार्जेज के ।

हिन्डोन के हॉस्पिटल

८९२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) हिन्डौन शहर में कौन सी श्रेणी का हॉस्पिटल है तथा उनके कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? उनमें से लेडी डाक्टर्स, नर्से व कम्पाउन्डर्स की संख्या क्या है ?

(श्री श्रवणलाल)

(२) इस हॉस्पिटल के स्टाफ और दवाइयों पर माहवार कितना कितना व्यय होता है?

(३) क्या यह सही है कि चालीस हजार रुपये कमरों के लिये सरकार की तरफ से मंजूर हुए थे? यदि हां, तो उसका कार्य कब आरम्भ किया जा रहा है?

उत्तर

(१) हिन्डोन एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है वहां नीचा लिखा स्टाफ है:–

क.सं.	पद	स्वीकृत स्टाफ	मौजूदा स्टाफ
१.	सी. ए. एम. ..	२	१
२.	कम्पाउन्डर ग्रेड १	..	१
३.	कम्पाउन्डर ग्रेड २	२	१
४.	कम्पाउन्डर ग्रेड ३	२	२
५.	मिडवाइफ ..	४ (१ नर्स दाई) (१ मिडवाइफ) (२ दाई)	४
६.	लेडी हैल्थविजिटर	१	..
७.	सेनीटरी इन्सपेक्टर	१	१
८.	औग्जीलियरी हैल्थ वर्कर्स ..	३	३
९.	ड्राइवर ..	१	१
१०.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	८	५

(२) स्टाफ पर माहवार व्यय १,९८० तथा दवाइयों पर ३०० रु. खर्च होता है।

(३) जी हां, वहां डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग होने से नया मकान नहीं बनाया गया। इस मकान के रद्दोबदल के लिए ११ हजार रुपये मेडीकल ऑफिसर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रेजीडेन्शियल क्वार्टर्स बनवाने के लिए ४,६००) रु. की रकम की मन्जूरी ४०,०००) रु. में से दी गई थी लेकिन धन की कमी के कारण यह काम अब तक नहीं हो सका।

पंचायतों का निरीक्षण

८६३. **श्री रामकिशन (वैर)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या भरतपुर जिले की ग्राम पंचायतों का कार्य तथा लेखा–जोखा का निरीक्षण कराया गया है। यदि हां, तो कितनी पंचायतों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाये।

उत्तर

(१) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

भरतपुर जिले की ग्राम पंचायतों के कार्य तथा लेखा-जोखा निरीक्षण का विवरण

क. सं.	कुल पंचायतें	संख्या पंचायतें जिनके कार्य का निरीक्षण किया गया	संख्या पंचायतें जिनके लेखे-जोखों का निरीक्षण किया गया	संख्या पंचायतें जिनमें गबन, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४	५	६
१	४५२	४२४	४२६	११०	१. ७ मामले भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४०९ के अन्तर्गत कार्यवाही करने को पुलिस में रजिस्टर्ड कराये गये।

१	२	३	४	५	६
					२. ४१ मामलों में विभागीय जांच की जाकर निर्णय लिया गया । जिनमें से ११ मामलों में चेतावनी दी गई व १४ मामलों में धारा १७(४) की कार्यवाही की जा रही है तथा १६ मामले दाखिल दफ्तर किये गये हैं । शेष ६२ मामलों में जांच जारी है ।

स्थगित प्रश्न

(११–९–६३)

जिला बोर्ड सर्विसेज

६६१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सन १९५९ में जिला बोर्ड भंग कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला बोर्ड की सर्विसेज के संबंध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं? कृपया इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज सीनियोरिटी २ अक्टूबर, १९५९ से शुमार की गई? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज को जो ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलता था वह अब नहीं मिलता? यदि हां, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज के एरियर्स जो जिला बोर्ड के द्वारा भुगतान किये जाते थे अब नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और कुल मिला कर यह एमाउन्ट कितना है?

(५) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर सन् १९५९ के बाद जिला बोर्ड की सर्विसेज की माह सितम्बर की तनख्वाह नहीं दी गई? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की और क्यों?

उत्तर

(१) कोई नियम नये बनाये गये हैं।

(२) यह सही नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) अक्सर ऐसा नहीं है। यह हो सकता है कि किसी खास केस में किसी टैक्नीकल ऑब्जेक्शन की वजह से भुगतान न किया गया हो; इसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी मिलने पर जरूरी कार्यवाही की जावेगी।

(५) इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।

स्थगित प्रश्न

(१३-९-६३)

गंगानगर शूगर मिल में स्टाफ कम किया जाना

७१७. **श्री केदारनाथ**, (गंगानगर): क्या राजकीय उद्योग (स्टेट अन्डरटेकिंग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केदार नाथ)

क्या गंगानगर शूगर मिल में कुछ स्टॉफ कम किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण, आधार व कारण बताने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां, गंगानगर शूगर मिल्स में निम्नलिखित स्टाफ कम किया गया है। यह कदम पदों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए मिल में प्रशासनिक व्यय की कमी करने के उद्देश्य से उठाया गया है :–

१.	ऑफिस सुपरिनटेन्डेन्ट	१
२.	चीफ एकाउन्टेन्ट	१
३.	केन सुपरिन्टेन्डेन्ट	१
४.	ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी	१

स्थगित प्रश्न

(१३-९-६३)

जगर बांध की नहरें

७३९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि जगर बांध से जो नहर गई है उसमें जितनी जमीन किसानों की गई है, उसका लगान उनसे लिया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि यह शिकायत पूरे बांध की नहरों के संबंध में सभी जगह की है ?

(३) यदि हां, तो सरकार उन किसानों के बारे में क्या सोच रही है जिनकी जमीन गई और जिन्हें लगान देना पड रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जमीन का मुआवजा देने की कार्यवाही चालू है तथा कलेक्टर सवाई माधोपुर को नहर में बोई हुई जमीन का लगान माफ करने हेतु लिख दिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(१९-९-६३)

ग्राम पंचायत अलीगढ का ऑडिट

७४५. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों का लोकल फन्ड ऑडिट द्वारा हर साल ऑडिट किया जाता है? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट पर क्या सरकार ध्यान देती है?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलीगढ पं०स० उनियारा, जि० टोंक का १९६०-६१ व १९६१-६२ का ऑडिट नहीं किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो क्यों? यदि किया गया है तो ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की पेज पर रखें।

(३) अब तक इन ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार कितने सरपंचों एवं पंचायतों पर एक्शन लिए गए और उनकी पूर्ति करवाई गई?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलीगढ पं० स० उनियारा की १९६१–६२ की ऑडिट रिपोर्ट में सरपंच पर गबन के आरोप तथा कई इरेंगूलेरिटीज के नोट्स लगाए गए हैं? यदि हां, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

(५) सरकार ने यह जानते हुए भी कि ऑडिट रिपोर्ट में साफ यह जाहिर

(श्री दिग्विजयसिंह)
है कि उक्त अलीगढ सरपंच ने गबन किया है, आज तक धारा १७ (४) पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों नहीं, की?

(६) क्या सरकार ऑडिट रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं मानती जिस पर कि एक्शन लिया जा सके? यदि नहीं, तो ऑडिट क्यों करवाया जाता है?

(७) क्या सरकार अब सरपंच के विरुद्ध एक्शन लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ऑडिट रिपोर्ट पर पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन अभी तक किसी पर नहीं लिया गया।

(४) ऑडिट रिपोर्ट में जो अनियमिततायें बताई गई हैं उनकी अनुपालना करवाई जा रही हैं। यह रिपोर्ट २६-४-६३ को पंचायत समिति में पहुंची। नियमानुसार पालना व एक्शन लेने में समय लगता है।

(५) अनुपालना रिपोर्ट के उपरान्त गबन का लक्ष्य स्पष्ट होने पर ही नियमानुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है।

(६) ऑडिट रिपोर्ट पर एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसी कार्यक्रम के अनुसार इस मामले में भी कार्यवाही की जावेगी।

(७) नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(संलग्न सूची विस्तृत होने से विधान पुस्तकालय में रखी गई),

स्थगित प्रश्न
(१७-९-६३)
भरतपुर में पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

७८५. श्री सांवलियाराम (रुपवास): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में कितने पिछड़े वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं? क्या यह संख्या निर्धारित कोटे के अनुकूल है? यदि नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी में पिछड़े वर्ग का निर्धारित कोटा पूरा क्यों नहीं किया जाता है।

उत्तर

भरतपुर जिले के १६ विभागों में पिछड़े वर्गों के चतुर्थ श्रेणी के ८३ कर्मचारी हैं। यह संख्या कुल नियुक्तियों का निर्धारित कोटे से (१५ प्रतिशत) तीन प्रतिशत कम है। इसका प्रतिशत १२ है। निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्थगित प्रश्न
(१७-९-६३)
तालाब की दीवारें

८१०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील टोडारायसिंह के खरीला तालाब के ओवरफ्लो के पानी को लाम्या तालाब में ले जाने की दृष्टि से एक पक्की दीवार सरकार की ओर से बनवाई

(श्री जयनारायण सालोदिया)

गई थी? यदि हां, तो कब और उसमें कितना खर्चा किया गया था?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त दीवार गत साल आम चुनाव के समय तोड दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां। सन् १९६०-६१ में इस पर ३७३१) रु. खर्च हुए।

(२) यह सही है कि जनवरी, १९६२ में दीवार करीब दस फीट की लम्बाई में तुडवाई गई थी। इसके कारण निम्न हैं:–

(१) सप्लाई कट का पूर्ण रूप से काम में न आना।

(२) पानी रुक जाने से पीने के पानी के कूओं का गंदा हो जाना।

(३) गांव के रास्तों का पानी के डूब में आ जाना ।

[४०५

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MANDI COMMITTEE, KOTA.

Statement showing the year-wise income of the City Improvement Trust Kota from 1946 to 1959 (May, 1946 to October, 1959).

Year	*Amount*
1946-47	47,249.00
1947-48	1,91,261.00
1948-49	1,12,781.00
1949-50	56,193.00
1950-51	55,615.00
1951-52	2,05,662.00
1952-53	1,40,116.00
1953-54	1,47,350.00
1954-55	1,47,242.00
1955-56	2,87,788.00
1956-57	1,56,672.00
1957-58	1,00,370.00
1958-59	1,43,940.00
	17,92,239.00 N.P.

STATEMENT B

Statement showing figures of expenditure incurred on various works.

S.No.	Name of Works.	Expenditure up to July 63.
1	2	3
1.	Acquisition of land at various places Development of Mandies	2,69,833
2.	Survey and investigation and preparat on of Schemes and erection of pillars etc.	63,261
3.	Layout and Bitument of Roads in new grain mandi Kota	3,97,858
4.	Layout and Bitument of Roads in Shopping Centre Scheme, Kota	3,76,856

1	2	3
5.	Layout and water supply and street light in Mandi area, Kota (Grain Mandi)	61,650
6.	Bitument and completion of water bound Macadium roads in LIGH Schemes at Kota	1,02,470
7.	Layout and water supply and street light in Gumanpura Shopping Centre, Kota	78,128
8.	Layout and Bitument of Road Water supply and Electricity in small and Medium Scale Industries, Kota ..	2,47,067
9.	Construction of water through	638
10.	Layout and Bitument Roads at Bundi Roads ..	93,489
11.	Construction of Roads and culverts in LIGH Scheme Gumanpura, Kota	6,598
12.	Construction of Roads, Water Supply and Electricity in Ballabh Nagar Scheme, Kota	96,760
13.	Construction of Roads, Water Supply and Electricity in Ballabh Bari Scheme, Kota	1,89,994
14.	Layout and Bitument of Road at Baran	2,44,572
15.	Construction of Roads, Water Supply and Electricity in Dada Bari Scheme at Kota ..	2,51,614
16.	Construction of Roads, Water Supply and Electricity in Dashera Scheme, Kota	82,626
17.	Construction of T. & P. Shed for Mandi Division, Kota ..	23,926
18.	Construction of Govt. Shops in New Grain Mandi Scheme. Kota	69,385
	TOTAL Rs.	26,56,745

शुद्धि-पत्र*

(कार्य-विवरण, दिनांक २० सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२	शीर्ष	[संख्या	(संख्या २४
८	१७	विन्धियम	विन्धियन
११	३-४	लिखे हैं	लिखे हैं :
		Order"	"Cancelled by Government order"
,,	१३	श्री मुकटविहारीलाल	श्री मुकुटविहारीलाल
११	शीर्ष	तारिकत	श्री तारांकित
१३	अन्तिम से ५	hbd that	hold that
१४	४	teaching	touching.
,,	२०	श्री राप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२१	प्रथम	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२२	२२	श्री बरकतुल्लखा	श्री बरकतुल्लाखां
३०	१४	रायसिंह नगर)	(रायसिंहनगर)
३३	२१	अतारांकित	तारांकित
५२	शीर्षक		,,
५८	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
,,	२२	श्री हरीप्रसाद	श्री हरिप्रसाद
५९	शीर्ष	—	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
६०	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
६१	शीर्षक	,,	,,
,,	शीर्ष		श्री केदारनाथ
६७	,,	सिचाई बडी	बड़ी
७१	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
,,	,,	,,	,,
,,	२	(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)	(शेष प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)
,,	६	(अतारांकित प्रश्नोत्तर)	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७५	शीर्ष	(श्री गानिकचन्द	(श्री मानिकचन्द

१	२	३	४
७६	शीर्ष	(कृष्णकुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
८१	७	मैकिनिकल	मैकेनिकल
,,	८	वर्कचार्जड	वर्कचार्ज्ड
,,	अन्तिम से ६	बोलिबोल	वॉलीबॉल
८३	१७	श्री हरदेव	श्री हरिदेव
८४	अन्तिम से ६	स्थगन की प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव
८७	२	(संशोधन इस प्रकार था)	—
८७	पंक्ति ४ के नीचे	for the	संशोधन इस प्रकार है : "For the
८८	१६	आश्रय दिय	प्रश्रय दिया
८६	१४	संशोधन इस प्रकार है	[संशोधन इस प्रकार है:—
,,	१५	श्री रामानन्द अवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	१६	a	(a)
,,	अन्तिम	d l t d	deleted
६०	४	"two"	"two"]
		अध्यक्ष महोदय	श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय
६३	प्रथम	छपी	छुपी
,,	५	स्टेच्यट	स्टेच्यूट
६४	२०	the	of the
६६	अन्तिम से २	४ हमारे	हमारे
१०१	शीर्ष	अग्रवाग	अग्रवाल
१०२	१	Povided	"Provided
११०	शीर्षक	१६६६	१९३३
११७	१८	है ? या	है या
११६	अन्तिम से २	यह है	यह है कि
१२१	५	Sub-Clua e	Sub-Clause
१२२	अन्तिम से ७	and	and regulated
१२३	२६ व २७	क्लॉज्	क्लॉज़ेज़
१२६	अंतिम से ४	आवश्यकत	आवश्यकता
,,	,, ,, ३	राजस्था	राजस्थान
,,	,, ,,	कर	करने
१२७	प्रथम पंक्ति से ऊपर	—	या नियम बने हुए हैं
१३४	शीर्षक	विधेयक	विधेयक

१	२	३	४
१५३	शीर्षक	साहकार	साहूकार
१५५	६	श्री हरिभाऊ	श्री हीराभाई
१५५	१४	विधेयक १	विधेयक,
१६२ व १६४	शीर्षक	की भू-सम्पदा	तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा
१६५ से ३०८	शीर्षक	नोट—इन शीर्षकों में जहां कोई अन्य शीर्षक मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया इस प्रकार पढ़ें — "राजस्थान भूमि-सुधार तथा–२० सितम्बर, १९६३– भू-स्वामियों की भू-सम्पदा विधेयक, १९६३"	
१६५-१६७	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द	(श्री सतीशचन्द्र
१६५	२२	में वह	में है वह
१६६	अन्तिम से ५ वीं पंक्ति के पूर्व	—	(३.०० म. प.)
१७५	शीर्ष	(श्री राधाकृष्ण गोयल)	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
१७७	,,	,,	—
१९५	,,	(मानसिंह महार)	(श्री मानसिंह महार)
१९७	१७	श्री योन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
२१९	अन्तिम से ४	श्री रामान्द	श्री रामानन्द
२३०	२	क्लॉज विधेयक	क्लॉज़ ८ विधेयक
२३३	११	प्रस्तुत हुए)	प्रस्तुत हुए
२३४	१८	tenants]	tenants
२३७	अन्तिम से ७	new post	new part
२४६	शीर्ष से नीचे	,,	श्री मोहनराज ।
२७२	३०	होती है। या कोई मुस्मिल	होता है । या कोई मुस्लिम
,,	३१	मुस्लिम रूल्स हो तो उसके	उसके
,,	३३	होता उसके	होता है तो ये उसके
,,	३४	जायें तो	जावे तो
२८७	अन्तिम से २	profound	propound
३२६	२०	Impresst his Point	impress this point
,,	२६	श्री बिजयसिह	श्री बिजयसिंह
,,	२८	में ग्रोर	में ग्रौर
३२७	अन्तिम से१०	सामने ? वह	सामने वह
३२७-३३०	शीर्षक	राजस्थान साहूकार–२० सितम्बर, अवाप्त भूमि-विषयक–२० सित-	

	२	३	४
३३०		१९६३–विधेयक, १९६३	म्बर, १९६३–आधे घंटे की चर्चा
३१८	२	ही है इसलिय	लैंड ही है इसलिये
,,	१०	ने कोर्ट	न क्यों
,,	अन्तिम से ६	को मेन्टने	को मेन्टेन
३४३	शीर्षक	क्षेत्रों म	क्षेत्रों में
३४५से	,,	नीमकाथाना पुलिस संबंधी–२०	गंग तथा राजस्थान केनाल क्षेत्रों
३५२		सितम्बर, १९६३–गृह मंत्री का वक्तव्य	में–२० सितम्बर, ६३– में भूमि की नीलामी
३५३	,,	जोधपुर विश्वविद्यालय संबंधी	भूमि की नीलामी
३५५	,,	नीमकाथाना पुलिस संबंधी	जोधपुर विश्वविद्यालय संबंधी
३५८ व ३६०	,,	स्टेशन एक	स्टेशन में एक
३६२	अन्तिम से ३-४	her repunged	be Expunged
३६१	२०	विधेयक आदि	विधायक आदि
३६३	७	श्री मुकटबिहारी	श्री मुकुटबिहारीलाल
३६४	५	श्री मथुरादास	श्री मथुरादास
३६८	४	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
,,	१४	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
३७१	शीर्ष	(श्री नाथुराम	(श्री नाथूराम
३८२	शीर्षक	परिशि	परिशिष्ट २

*विस्तृत शुद्धि-पत्र पृथक से मुद्रित होगा।